Preservation Unit
12-8-84
Fumigated
On 8.2.84
Parliament Library

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

4th Lok Sabha

बारहवां सत्र

Twelfth Session

31.3.71

सत्यमेव जयते

खंड 46 में अंक 11 से 20 तक हैं

Vol. XLVI contains Nos. 11 to 20

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—13, गुरुवार, 26 नवम्बर, 1970/5 अग्रहायण, 1892 (शक)
No.— 13, Thursday, November 26, 1970/Agrahayana 5, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
361. पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी में वृद्धि	Increase in Unemployment in West Bengal	1—8
364. देश में भावात्मक एकता को बढ़ावा देने हेतु आजाद हिंद आन्दोलन की वीर गाथा का उपयोग	Utilisation of Saga of Azad Hind Movement as Incentive to Emotional Integration of the Country	8—10
365. आर्थिक कारणों से दिल्ली से टेलीविजन पर पुरानी फिल्मों का दिखाया जाना	Old Films Telecast over Delhi T. V. Centre for Economic Reasons	10—12
366. दिल्ली में पुनर्वास बस्तियों का दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरण	Transfer of Rehabilitation Colonies in Delhi to Delhi Municipal Corporation	12—13
367. वृत्त चित्र "ए डे इन दी बाजार" (बाजार में एक दिन) की आलोचना	Criticism of Documentary Film 'A Day' in the Bazar	13—14
368. पेरिस में हाल में हुआ यूनेस्को सम्मेलन	Recent UNESCO Conference in Paris	14—15
370. उत्तर प्रदेश के सहकारी, निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में चीनी मिलों की स्थापना	Setting up of Sugar Mills in U. P. in Cooperative, Private and Public Sectors	15—18

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
371.	राष्ट्रीय बैंकों द्वारा छोटे किसानों की सहायता	Help to small Farmers through Nationalised Banks	18–19

अल्प-सूचना प्रश्न — SHORT-NOTICE QUESTION

3.	कलकत्ता पत्तन में हड़ताल	Strike in Calcutta Port	19—23

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

362.	गेहूं का वसूली मूल्य शीघ्र ही निर्धारित करने के बारे में पंजाब के मुख्य मंत्री की केन्द्रीय खाद्य मंत्री से भेट	Meeting between Chief Minister Punjab and Union Food and Agriculture Minister regarding Early Fixation of Procurement Price of Wheat	23
363.	समन्वित मुर्गी पालन कार्यक्रम	Coordinated Poultry Breeding Programme	24
369.	लाख के उत्पादन में कमी	Fall in Production of Lac	24—25
372.	चीनी का उत्पादन तथा गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन	Production of Sugar and Incentives to Sugarcane Growers	25—26
373.	भूमि को अधिकतम सीमा से बाग की छूट	Exemption of Gardens from Ceiling on Land	26
374.	गोआ सरकार द्वारा आकाशवाणी का बहिष्कार	Boycott of AIR by Goa Government	26—27
375.	चीनी उद्योग के लिये आवर्ती निधि स्थापित करने के सम्बन्ध में गुन्डुराव समिति का सुझाव	Suggestion of Gundu Rao Committee to Create Revolving Fund for Sugar Industry	27
376.	महाराष्ट्र के कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के लिये अध्ययन दल	Study Team of Agricultural Production Programme of Maharasatra	27—29
377.	चलचित्र वित्त निगम को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Film Finance Corporation	29
378.	भूमि को उपजाऊ बनाने के नये तरीके	New Methods of Breeding Soil	29—30
379.	आकाशवाणी केन्द्रों के नामों का बदला जाना	Change of Names of Radio Stations	30

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
380.	फसलों को नष्ट करने वाले किड़ों और रोगों के उन्मूलनार्थ कृषि विमानों के लिये विश्व बैंक से करार	Agreement with World Bank for Agricultural Aeroplanes to Eradicate Pests and Diseases of Crops	30—31
381.	"टोपाज" नामक चल-चित्र का प्रदर्शन	Exhibition of Film "Topaz"	31
382.	लार्ड थामसन की सस्ते टेलीविजन सेटों सम्बन्धी योजना	Lord Thomson's Plan for Cheap T. V. Sets	31—32
383.	प्रतिनिधि मजदूर संघों को अनिवार्य रूप से मान्यता देने के लिये विधान	Legislation for Compulsory Recognisation of Representative Trade Unions	32
384.	वासुमती (प्राइवेट) लिमिटेड	Basumati (P) Limited	32—33
385.	कोयला खानों में श्रमिक विवादों में वृद्धि	Increase in Labour Disputes in Coal Mines	33
386.	जान बूझकर चीनी का उत्पादन न करने वाली चीनी मिलों को चेतावनी	Warning to Sugar Mills for not Producing Sugar Deliberately	33—34
387.	बम्बई के बड़े डाकघर में डाले गये पत्रों के टिकटों पर मोहर न लगाये जाने की जांच	Enquiry into Non-Cancellation of Stamps on Letters Posted in G. P. O. Bombay	34—35
388.	वनस्पति तेल में रंग मिलाना	Colourisation of Vegetable Oil	35
389.	वनस्पति घी के मूल्य में वृद्धि	Rise in Price of Vanaspati Ghee	35—36
390.	डाक तथा तार विभागों के कतिपय पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को भरती करने से संबंधित नियमों पर पुनर्विचार	Review of Rulers Relating to Recruitment of Local Candidates to Certain Posts in Post and Telegraph Department	

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2387. रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार	Educated Unemployed Registered with Employment Exchange	36–38
2388. पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Refugees from Pakistan	38–39
2389. चावल तथा गेहूं का आयात	Import of Rice and Wheat	39
2390. सूअर-मांस के उत्पादों के कारखाने	Bacon Factories	40
2391. देश में कार्य कर रहे विदेशी टेलीविजन दल	Foreign T. V. Teams Operating in the Country	41
2392. फरीदाबाद स्थित मैसर्स भारत कार्पेट्स लिमिटेड में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू करना	Introduction of E. S. I. Scheme in M/s. Bharat Carpets Ltd. Faridabad	41
2393. फरीदाबाद स्थित मैसर्स भारत कार्पेट्स लिमिटेड, में कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू करना	Introduction of E. P. F. in M/S. Bharat Carpets Ltd., Faridabad	42
2394. राज्यों में पेय जल के कुयें	Wells for Drinking Water in States	42—43
2395. ग्रामीण जनता के लिये रोजगार की व्यवस्था	Employment for Rural Population	43
2396. 'भूमि हैथियाओ" आन्दोलन को रोकने के लिये उपाय	Measures to stop Land-Grab Movement	44
2397. कार्य करने के अधिकार तथा न्यूनतम मजूरी संबधी सिद्धान्त	Principles of Right to work and Minimum Wages	44—45
2398. राज्यों में बिचौलियों को समाप्त करना	Abolition of Intermediaries in States	45
2399. कलकत्ता में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा फिल्मों का जब्त किया जाना	Films Seized in Calcutta by Customs Authorities	45—46

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2400.	आकाशवाणी द्वारा डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को कतिपय कार्य सौंपा जाना	Engagement of Shri Subramanyam Swamy by A. I. R.	46
2401.	राज्यों में जिला बैंकों द्वारा दिये गये ऋण की बकाया राशि	Outstanding Amount of Loans Advanced by District Banks in States	47
2402.	बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिये 'क्षेत्रीय नीति'	'Area Approach' to Tackle the Problem of Unemployment	47—48
2403.	फिल्म वित्त निगम से ऋण लेकर निर्मित चलचित्रों का प्रदर्शन	Release of Films Produced on Film Finance Corporation Loans	48
2404.	शिक्षित व्यक्तियों के लिये बेरोजगारी की समस्या	Problem of Unemployment for Educated	48—49
2405.	जूट मिल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने की धमकी	Strike threat by Jute Mill Workers	49—50
2406.	देश में विकास खण्डों की संख्या	Number of Development Blocks in the Country	50
2407.	राजस्थान में पलाना कोयला खान का बन्द होना	Closure of Palana Coal Mine in Rajasthan	50
2408.	कलकत्ता में झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में निवास की दशा	Living Conditions in Squatters' Colonies in Calcutta	50—51
2409.	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में बम्बई सहकारी समिति अधिनियम, 1925 को लागू करना	Extension of Bombay Cooperative Societies Act, 1925 in the Union Territory of Delhi	51—52
2410.	गन्ना क्षेत्रों में बेहतर सिंचाई सुविधायें	Better Irrigation Facilities in Sugarcane Areas	52—53
2411.	मनीपुर से दाल चीनी का निर्यात और इसका मूल्य	Export of Cinnamon from Manipur and its Price	53
2412.	सरकारी भूमि को श्रम कार्यालयों के माध्यम से अधिसूचित किया जाना	Notification of Government Land through Employment Exchange	53
2414.	राजस्थात सूखा राहत कार्यों के लिये प्रस्ताव	Proposal for Rajasthan Drought Relief Work	54

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2415.	चावल का उत्पादन	Rice Production	54—55
2416.	वर्षा के जल को भूमि के नीचे एकत्रित करना	Underground Shortage of Rain Water	55
2417.	राजस्थान नहर के किनारों पर एकत्रित हुई खुली रेत को वहीं जमाने हेतु योजना	Plan for Stabilisation of Loose Sand Piled up on Sides of Rajasthan Canal	55—56
2418.	अन्वेषी नलकूप लगाने के लिये रेहा सीमा आन्ध्र प्रदेश का सर्वेक्षण	Survey of Rayalaseema (A. P.) for Digging of Exploratory Tubewells	56—57
2419.	पंजाब की विदेशों से हैलीकोप्टर और 'कम्बाइन्ड हार्वेसटर' मंगाने के लिये प्रार्थना	Request from Punjab for Helicopters and Combined Harvestors from Foreign Countries	57—58
2420.	पंजाब में धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों को दिखाने के धान की खेती की प्रदर्शन फारम	Demonstration Farm for Rice Cultivation through High Yielding Varieties in Punjab	58
2421.	सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों को वापस करना	Repayment of Loans given by Cooperative Bank	58—59
2422.	छोटे किसानों आदि के लिये सहकारी ऋण की योजना	Scheme for Cooperative Credit for Small Farmers	59—61
2423.	जनांकिकीय (डेमोग्राफिक) परिवर्तन तथा आर्थिक विकास के बीच संबंद्ध का अध्ययन करने की योजना	Scheme to Study Relationship between Demographic Change and Economic Development	61
2424.	नवीन गहन कृषि जिलों में मिट्टी का सर्वेक्षण	Soil Survey in Innovative Intensive Agricultural District	61—62
2425.	खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि	Increase in Production of Foodgrains	62
2426.	भारतीय प्रेस अधिनियम में संशोधन करना	Amendment of Indian Press Act	62
2427.	डाक तथा तार के बिहार सर्किल में एक अधिकारी के एक पद पर रहने की अवधि सम्बन्धी नीति	Policy regarding Tenure of Stay of an Officer at a Post in P and T Circle, Bihar	63

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2428.	यूनाईटिड प्राविन्सेस कामशियल बैंक पटना को अलाट किये गये टेलीफोन का अनियमित प्रयोग	Irregular use of Telephone Allotted to United Provinces Commercial Bank, Patna	64
2429.	मैसर्स लुम्बा ट्रेडिंग. प्रटना को अलाट किये गये टेली-फोम का विस्तार	Extension of Telephone Allotted to Messrs. Lumba Trading, Patna	64—65
2430.	हजारी बाग जिले में झुमरी तिलैया के डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के इलाज के लिये कर्म मेडिकल हास्पिटल को मान्यता देना	Recognition of Karma Medical Hospital for Treatment of P and T Employees of Jhumari Tilaiya in Hazaribagh District	65
2431.	भूमि सुधार तथा ग्रामीण बेरोजगारी	Land Reform and Rural Ememployment	65—66
2432.	कर्मचारियों को बेरोजगारी से बचाने के लिये दिवालिया फर्मों का विलय करना	Merger of Bankrupt Firms to Save Labour from Unemployment	66
2434.	पांडिचेरी और गोवा, दमन और दीव के लिये आकाश-वाणी केन्द्र	Air Stations for Pondicherry and Goa, Daman and Diu	66—67
243[illegible].	नेताजी पर सरकारी फिल्म	Government Film on Netaji	67
2437.	उत्तर प्रदेश में नैनीताल क्षेत्र में बसाये गये पुर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को परेशान किया जाना	Harassment of East Pakistan Refugees in Nainital Area in U. P.	68
2438.	दोषरहित बीजों की नई किस्म का वितरण	Release of New Variety of Seeds	68
2439.	दिल्ली टेलीविजन पर कार्य-क्रम देने की क्षमता तथा अवधि में वृद्धि	Incrase in Capacity and Period of Telecas-ting of Delhi T. V.	69
2440.	कृषि मशीनों, उर्वरकों, कीटनाशी आदि में आत्म निर्भरता	Self-Sufficiency in Agricultural Machinery, Fertilizers and Insecticides	69—70
2441.	दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में खाली प्लाट	Vacant Plots in Rehabilitation Colonies in Delhi	70

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2442.	अशोक होटल, दिल्ली में सौंदर्य प्रतियोगिता	Beauty Contest in Ashoka Hotel, Delhi	70—71
2443.	पश्चिम बंगाल में आदिवासियों और हरिजनों में भूमि वितरण कार्य का समापन	Completion of Distribution of Land in West Bengal to Adivasis and Harijans	71
2444.	कुछ राज्यों में गेहूँ की उपज में कमी	Shortfall in Production of Wheat in Certain States	72
2445.	खाद्यान्न के उत्पादन सम्बन्धी अनुमानों और उसके आयात बन्द किये जाने के बारे में कृषि मूल्य आयोग की राय	View of Agricultural Price Commission on Estimates of Foodgrain Production and Stoppage of Imports	72
2446.	वित्त निगम के निदेशक मंडल की बैठकें	Meetings of Board of Directors of Film Finance Corporation	73
2447.	उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिल मालिकों पर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशियां	Arrears of E. P. F. with Sugar Mill owners in U. P. and Bihar	73
2448.	किसानों को उनकी सम्पत्ति के लिये पास बुक जारी करना	Issue of Pass Books to Farmers for their Holdings	73—74
2449.	रांची और अन्य नगरों में स्वचलित क्रासबार टेलीफोन केन्द्र	Crossbar Automatic Telephone Exchange in Ranchi and in other Cities	74
2450.	कृषि पर निर्भर जनसंख्या और उसकी वार्षिक आय	Percentage of Population Dependent on Agriculture and their Annual Income	74
2451.	सम्भावित फसल का मूल्यांकन तथा भू-संरक्षण को बढ़ावा देना	Evaluation of Crop Potential and Boosting of Soil Conservation	75
2452.	नेताजी पर बन रही फिल्म का स्थगित किया जाना	Postponment of Work on Feature Film on Netaji	75—76
2453.	सड़क निगम के कर्मचारियों द्वारा पश्चिम बंगाल में हड़ताल	Strike by Road Corporation workers in West Bengal	76

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2454.	राजस्थान में खादर का कृषि योग्य बनाया जाना	Scheme for Reclamation of Ravines in Rajasthan	76—77
2455.	शिमला में हुआ अखिल भारतीय संवाददाता सम्मेलन	All India Newspapers Editor's Conference held at Simla	77
2456.	चीनी का सुरक्षित भण्डार	Buffer Stock of Sugar	77—78
2457.	पश्चिम बंगाल में बिड़ला कम्पनियों का पुनः खुलना	Reopening of Birla Concerns in West Bengal	78
2458.	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, पूसा संस्था में लाइब्रेरियन की भर्ती	Recruitment of Librarian for Indian Council of Agricultural Research at Pusa Institute	78—79
2459.	राज्यों में चावल तथा चीनी का फालतू स्टाक	Surplus Stock of Rice and Sugar in States	79
2460.	प्रभागीय तार अभियंता लुधियाना (पंजाब) के विरुद्ध दुर्व्यवहार की शिकायत	Complaint of Misbehaviour against Divisional Engineer, Telegraph, Ludhiana (Punjab)	79—80
2461.	एस० डी० ओ० टेलीफोन, लुधियाना के विरुद्ध शिकायत	Complaint against S. D. O. Telephone, Ludhiana	80
2462.	19 सितम्बर की हड़ताल के कारण डाक तार कर्मचारियों पर अब भी चलाये जा रहे मुकदमें	P and T Employees Still Facing Prosecution in Courts due to September, 1968 Strike	80—81
2463.	पंजाब को ब्रिटेन से उपहार रूप गायों की प्राप्ति	Gift 'Cows' Received in Punjab from U.K.	81
2464.	मुर्गी पालन विकास की योजना	Scheme for Development of Poultry	81—82
2465.	लेह का आकाशवाणी केन्द्र	A. I. R. Leh	82
2466.	1969-70 तथा 1970-71 में कुए लगाने के लिये राजस्थान को दी गई केन्द्रीय सहायता	Central Aid to Rajasthan for Sinking of Tube-Wells during 1969-70 and 1970-71	82--83

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2467.	छोटे किसानों के लिये विकास योजना के अन्तर्गत मछुओं को सहायता देना	Help to Fishermen under Small Farmers Development Scheme	83
2468.	समाचार—पत्रों को सरकारी विज्ञापन	Government Advertisements to Newspapers	83—84
2469.	फालतू चीनी का निपटान	Disposal of Surplus Sugar	84—85
2470.	रेल गाड़ियों के देर से आने का समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किया जाना	Broadcast of Late Arrival of Trains over A. I. R.	86
2471.	टेलीविजन पर विज्ञापन	Advertisements over T. V.	86
2472.	गन्ने के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में किसानों में असंतोष	Discontentment among Farmers Regarding Fixation of Sugarcane Price	86—87
2473.	ग्रामीण क्षेत्रों में संचार व्यवस्था में सुधार और वर्ष 1971 में ट्रंककाल केन्द्रों तथा तारघरों की स्थापना करना	Improvements in Communication system in Rural Areas and Setting up of Trunk Call Centres and Telegraph Offices in 1971	87
2474.	स्वच्छ जलाशयों और दलदल में मछलियों का भण्डार बनाने के बारे में अनुसन्धान	Research on Shortage of Fish in Fresh Water Reserviors and Swamps	87—88
2475.	भारतीय कृषि उड्डयन निदेशालय को विश्व बैंक से ऋण	Credit from World Bank to Indian Directorate of Agricultural Aviation	88
2476.	चीनी मिलों पर गन्ने की बकाया राशि और किसानों को उसका भुगतान कराने हेतु कार्यवाही	Sugarcane Arrears Outstanding against Sugar Mills and Steps for their Payment to Farmers	88—89
2477.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा ऊंची कीमतों पर घटिया किस्म के चावल की सप्लाई किया जाना	Supply of Poor Quality of Rice at High Price to Kerala by Food Corporation of India	90

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2478.	नये प्रकार के पौधों और कई फसल लेकर सूर्य की किरणों का उपयोग करने की दिशा में प्रयत्न	Tapping of Sunlight throug'i New Plant Types and Multiple Cropping	90—91
2479.	गेहूँ की नई किस्म का अनुसंधान	Research on New Variety of Wheat	91—92
2480.	पोटीन-कैलोरी कुपोषण का उन्मूलन	Eradication of Protein-Calorie Malnutrition	92—93
2481.	गोल्डन टोबाको कम्पनी, बम्बई के मजदूरों के कार्मिक संघ का गठन	Formation of a Workers of Union of Golden Tobacco Co. Bombay	93
2482.	राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में बारानी खेती के लिये जिलों का चयन	Selection of Districts for Dry Farming in States in Union Territories	94
2483.	फरुखाबाद तथा कानपुर जिलों में टेलीफोन के तार की चोरी	Theft of Telegraph Wire in District of Farrukhabad and Kanpur	94
2484.	कृषि फार्मों तथा फलों के बागानों के मजदूरों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में लाने के हेतु उनका सर्वेक्षण	Survey of Agriculture Farms and Fruit Orchards Labour to bring them under the Purview of E. P. F. Act	94—95
2485.	उर्वरक शिक्षा संस्थान	Institution for Fertilizer Education	95
2486.	बम्बई क्षेत्र के खाद्य विभागों के विवाचन के मामलों का निपटारा करना	Disposal of Arbitration Cases of Food Department of Bombay Region	95—96
2487.	खाद्य विभाग के मामलों का निपटारा करने हेतु विवाजक की नियुक्ति	Appointment of Arbitrators for Conducting Cases of Food Departments	96
2488.	टेलीविजन क्षेत्र में भारत का पाकिस्तान, मलेशिया और थाईलैंड से पीछे रह जाना	India Lagging behind Pakistan, Malaysia, Indonesia and Thailand in T. V.	96—97

प्रता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2489.	मूंगफली का मूल्य निर्धारित करना	Fixation of Price of Groundnut	97
2490.	चीनी मिलों को पुनः खोलना	Re-opening of Sugar Mills	97-98
2491.	ग्राम विकास	Rural Development	98
2492.	खाने के तेल के बीजों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Edible Oil Seeds	99
2493.	भारत में सोवियत फिल्मों की शूटिंग	Shooting of Soviet Films in India	100
2494.	भारत तथा अन्य देशों में मछलियों की प्रति व्यक्ति खपत	Per Capita Consumption of Fish in India and other Countries	100—101
2495.	खराबियों के दूर किये जाने के उपरान्त भी जर्मनी के ट्रैक्टरों को बदलने के लिये पंजाब के किसानों का अनुरोध	Request from Punjab Farmers for Replacement of GDR Tractors, even after Removal of their Defects	101
2496.	तेल कम्पनियों सम्बन्धी गोखले आयोग का प्रतिवेदन	Gokhale Commission Report on Oil Companies	101—102
2497.	उज्जैन, मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन के लिये अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्र	Applications pending for Telephone Connections in Ujjain, M. P.	102
2498.	टेलीविजन का विस्तार	Extension of T. V.	102
2499.	जम्मू तथा कश्मीर में डाक और तार घर	Posts and Telegraphs Offices in Jammu and Kashmir	102—103
2500.	चौथी योजना की अवधि में मध्य प्रदेश के कृषि विकास पर व्यय	Expenditure on Development of Agriculture in Madhya Pradesh during Fourth Plan	103
2501.	1970-71 में मध्य प्रदेश को गेहूँ की सप्लाई	Supply of Wheat to M. P. during 1970-71	103
2502.	इंजीनियरों की कमी के कारण मध्य प्रदेश के टेलीफोन एक्सचेंज पूर्ण होने में विलम्ब होना	Delay in Completion of Telephones Exchange of M. P. due to Shortage of Engineers	103

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2503.	मध्य प्रदेश में पूर्व निमाड़ तथा होशंगाबाद जिलों के कसबों में टेलीफोन सुविधाओं के लिये अनुरोध	Request for Telephone Facilities in Town of East Nimad and Hoshangabad District in M. P.	104
2504.	सहकारी बैंकों तथा ऋण देने वाली समितियों के ऋण देने की नीति में असंतुलन	Imbalance in Policy of Sanctioning Loans by Cooperative Banks and Credit Societies	104
2505.	भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था में तृतीय श्रेणी के पद	Class III Posts in Indian Agricultural Research Institute	104–105
2508.	हिमाचल प्रदेश में भाम्बला में दुग्ध शीतक कारखाना	Milk Chilling Plant at Bhambla in Himachal Pradesh	105
2509.	केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से 'फीचर फिल्मों' का निर्माण	Production of Feature Films with Central Government Financial Assistance	105
2510.	कलकत्ता में बिड़ला समूह के समवायों के बन्द किये गये प्रशासनिक कार्यालय	Administrative Offices of Birla Group of Companies Closed in Calcutta	106
2511.	पश्चिम बंगाल में बेनामी भूमि का अधिग्रहण तथा बेकार पड़ी भूमि का बटवारा	Recovery of Benami Land and Distribution of waste Land in West Bengal	106
2512.	श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम का संशोधन	Amendment of Working Journalism Act	106–107
2513.	पश्चिम बगाल के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को सप्लाई किया गया आटा और गेहूं	Atta and Wheat Supplid to Flood affected Areas of West Bengal	107
2514.	प्रतिरक्षा प्रचार	Defence Publicity	107—108
2515.	दक्ष जन शक्ति का निर्माण	Building up Skilled Manpower	108—109
2516.	एक अमरीकी वैज्ञानिक द्वारा उत्पादित अधिक उपज देने वाली किस्मों को लोकप्रिय बनाना	Popularisation of High-Yielding Varieties Produced by an American Scientist	109

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2517.	दिल्ली से चण्डीगढ़ ग्रौर चण्डीगढ़ से दिल्ली के लिये पत्रों के प्रेषण ग्रौर वितरण में देरी	Delay in Despatch and Delivery of Letter from Delhi to Chandigarh and Vice-Versa	109—110
2518.	नलकूप ग्रौर ट्रैक्टरों के लिये चण्डीगढ़ के किसानों को ऋण	Loans to Farmers of Chandigarh for Tubewells and Tractors	110
2520.	ग्राकाशवाणी के 'चीफ प्रोड्यूसर' के सेवाकाल में वृद्धि	Extension to Chief Producer, A. I. R.	110
2521.	ग्रास्ट्रेलिया से कृषि उपकरण	Farm Equipment from Australia	111
2523.	पश्चिम बंगाल में बेरोजगार कृषि मजदूरों की संख्या में वृद्धि	Increase in Agricultural Unemployment in West Bengal	111—112
2524.	मध्य प्रदेश के भिण्ड ग्रौर दतिया जिलों के गांवों के डाकखानों में दी गई फानो-ग्राम सुविधा	Phonogram Facility Provided in Post Office of Villages of Bhind and Datta Districts of Madhya Pradesh	112
2525.	मध्य प्रदेश के कुछ नगरों में टेलीफोन कनेक्शन के लिये ग्रनिर्णीत पड़े ग्रावेदन-पत्र	Applications for Telephone Connections in Certain Cities of Madhya Pradesh	112
2526.	मूल कार्यालयों में पदोन्नति से वंचित डाक और तार निदेशालय में प्रतिनियुक्ति पर आये व्यक्ति	Deputationists in P and T Directorate Debarred from Promotion in their Parent Offices	112—113
2527.	पी०ग्राई०बी० द्वारा किया गया प्रत्यापन	Accreditation given by P. I. B.	113—114
2528.	वर्ष 1969-70 में मैसूर को खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of Foodgrains to Mysore during 1969-70	114—115
2530.	मैसूर में गैर-सरकारी क्षेत्र में चीनी के कारखानों की स्थापना	Setting up of Sugar Factories in Private Sector in Mysore	115
2531.	रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार	Unemployed Registered with Employment Exchanges	115—116

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2532.	आकाशवाणी के राष्ट्रीय कार्यक्रम में लोरी	Lullaby over AIR National Programme	116—117
2533.	सेन्ट्रल गवर्नमेंट फिशिंग सीमेन्स ऐसोसियेशन से ज्ञापन	Memorandum from Central Government Fishing Seamen's Association	117—119
2534.	सुपर बाजार, नई दिल्ली में आग	Fire in Super Bazar, New Delhi	119—120
2535.	कृषि विकास के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन से ऋण	Loan from F. A. O. for Agricultural Development	120
2536.	रेंगने वाले जन्तुओं (रेपटाइल) के फार्मों की स्थापना	Setting up of Reptile Farms	120
2537.	जिला दरभंगा (बिहार) के बिहारपुर गांव में डाकघर का खोला जाना	Opening of a Post Office in Biharpur, District Darbhanga, (Bihar)	121
2538.	श्रमदान द्वारा किये गये कार्य का मूल्य	Value of Work done by Shramdan	121
2539.	एलप्पी आकाशवाणी केन्द्र	Allepy Radio Station	122
2540.	उड़ीसा के रोजगार के निदेशक द्वारा नौकरी ढूंढने वालों की संख्या में वृद्धि के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रतिवेदन	Report Submitted by Director of Employment, Orissa regarding Increase in Number of Job-Seekers	122
2541.	केन्द्रीय पूल में गेहूँ	Wheat in Central Pool	122—123
2542.	दिल्ली दुग्ध योजना के भंडारों का सत्यापन	Verification of Stores of Delhi Milk Scheme	123
2543.	सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors in Public Sector	123—124
2544.	चौथी योजना के दौरान टेलीविजन स्टेशनों के स्थापित करने पर होने वाला व्यय	Expenditure Involved on Setting up of TV Stations during Fourth Plan	124

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2545.	दिल्ली चिड़ियाघर द्वारा प्राप्त किये गये पशु तथा पक्षी	Birds and Animals Acquired by Delhi Zoo	125–126
2546.	शेरों की मृत्यु	Death of Tigers	126—127
2547.	बरानी खेती के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Aid to States for Dry Farming	127—128
2549.	निम्नतम बोनस	Minimum Bonus	128
2550.	विसकोस रेयन फैक्टरियों में चिकित्सा तथा वातावरण सम्बन्धी सर्वेक्षण	Medical-cum-Environmental Survey in Viscose Rayon Factories	128—129
2551.	भारतीय खाद्य निगम का वसूली एजेन्ट के रूप में काम करना	Food Corporation of India as Procuring Agent	129—130
2552.	हथियाई गई तथा हरिजनों को वितरित की गई भूमि	Land Grabbed and Distributed to Harijans	130
2553.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना के डाक्टरों के सम्बन्ध में बम्बई सैशन न्यायालय का फैसला	Bombay Session Court Judgement on E. S. I. Doctors	130
2554.	पश्चिम बंगाल में खद्यान्नों के मूल्य	Prices of Foodgrain in West Bengal	130–131
2555.	मध्य प्रदेश में धान की अधिक उपज	Excess of Paddy in Madhya Pradesh	131
2556.	चीनी मिलों में गन्ने की पिराई	Crushing work by Sugar Factories	131
2557.	चीनी का भण्डार	Storing of Sugar	132
2558.	पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापितों का आसाम तथा त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर आना तथा उनका पुनर्वास	Influx of East Pakistan Displaced persons to Assam and Tripura and their Rehabilitation	132—133
2559.	वर्ष 1970 में बेरोजगारी में वृद्धि	Increase in Unemployment in 1970	133

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2560.	राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा सरकारी ऐजेंसियों की मार्फत धार बेचा जाना	Sale of Paddy by National Seeds Corporation through Government Agencies	134
2561.	कपास ओटने वाले मशीनों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Cotton Gins	134—136
2562.	कांगड़ा डाक प्रभाग के डाकघरों के अधीक्षक को जीप सप्लाई किये जाने की सिफारिश	Recommendation for Supply of Jeep to Supdt. Post Offices, Kangra Postal Division	136
2563.	विजय नगर, दिल्ली में पट्टे पर दी गई भूमि	Land Leased out in Vijaya Nagar, Delhi	136
2564.	तिलेश्वर तथा धालापुर, उड़ीसा में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना	Installation of Public Call Office at Tileswar and Dhalapur, Orissa	137
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	137
	बम्बई में विदेशी मुद्रा के अवैध धंधे से सम्बन्धित षडयंत्र का पता लगाये जाने का समाचार	Reported Unearthing of Foreign Exchange Racket at Bombay	137
	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Behari Vajpayee	137
	श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	137—142
	संविधान (24 वां संशोधन) विधेयक, 1970 पर सदस्य द्वारा अपना मत दो बार दिये जाने के बारे में	Re: Double Voting on the Constitution (Twenty-fourth Amendment) Bill, 1970	142—147
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	147—149
	नियम समिति	Rules Committe	149
	कार्यवाही-सारांश	Minutes	149
	उपाध्यक्ष के स्वास्थ्य के बारे में	Re. Health of the Deputy Speaker	149
	समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee	149
	पशु कल्याण बोर्ड	Animal Welfare Board	149—150
	स्थपति विधेयक	Architects Bill	150

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider, as Passed by Rajya Sabha	150
श्री पीलु मोडी	Shri Piloo Mody	150—151
श्री हेम राज	Shri Hem Raj	151—152
श्रीमती तारा सप्रे	Shrimati Tara Sapre	152
श्री चपला कान्त भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya	152—153
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	153
श्री क० मि० मधुकर	Shri K. M. Madhukar	153—154
श्री देवेन सेन	Shri Deven Sen	154
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	154
श्री स० कुन्दू	Shri S. Kundu	154—155
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	155
पश्चिम बंगाल और आसाम में मछली की कम सप्लाई के बारे में चर्चा	Discussion Re: Shortage of Fish Supply in West Bengal and Assam	156
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	156—157
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo	158
श्री वेदब्रत बरुआ	Shri Badabrata Barua	158—159
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	160
श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhireswar Kalita	160—161
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	161
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati	161
श्री स० कुन्दू	Shri S. Kundu	161—162
श्री सरदार अमजद अली	Shri Sardar Amjad Ali	162
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	162
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	162—163
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	163
श्री अन्नासाहेब शिन्दे	Shri Annasaheb Shinde	163—164
दिल्ली को राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग के बारे में चर्चा	Discussion Re. Demand for Statehood for Delhi	164
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	164—165

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony	166
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	166
श्री एम० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	166—168
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	169
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	169
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Misra	169—170
श्री के० एम० अब्राहम	Shri K. M. Abraham	170
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	170—172

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
(LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 26 नवम्बर, 1970/5 अग्रहायण, 1892 (शक)
Thursday, November 26, 1970/Agrahayana 5, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी में वृद्धि

\+
*361. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री अविचन :
श्री के० रमानी :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में बढ़ती हुई बेरोजगारी से अवगत है ;

(ख) यदि हां, तो बढ़ती हुई बेरोजगारी की रोक-थाम के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार "बेरोजगारी राहत" देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ राय) : (क) नियोजन कार्यालय के चालू रजिस्टरों में नियुक्ति चाहने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता ।

विवरण

(ख) केन्द्रीय तथा पश्चिम बंगाल सरकार की चौथी पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजनाओं में कृषि, उद्योग, सिंचाई व बिजली, परिवहन और संचार और शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन जैसी सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा पश्चिम बंगाल सहित देश में अधिकाधिक नियुक्ति अवसर उपलब्ध होने की सम्भावना है।

इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में चलाई जा रही निम्नलिखित योजनाओं का भी नियोजन स्थिति पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है :—

(एक) छोटे और क्षमता रखने वाले किसानों के लिए विकास योजना,

(दो) सीमांत किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए योजना,

(तीन) देहाती इलाकों में निर्माण कार्य और निरन्तर सूखे से पीड़ित क्षेत्र में श्रम प्रधान गतिविधियां चलाने की योजना,

(चार) कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना की योजना,

(पांच) खेती पर ऋण देने की योजना, और

(छः) क्षेत्र विकास कार्यक्रम—आधारभूत ढांचे से सम्बन्धित सुविधाएं जैसे सड़कें, नियमित बाजार आदि के विकास की योजना।

इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा की प्रमुख कार्यवाहियां हैं :—

(एक) कलकत्ता महानगर क्षेत्र के विकास के लिए पश्चिम बगाल की चौथी योजना में 40 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था है। अब इस लागत में आयोजना क्षेत्र के बाहर काफी विस्तार का प्रस्ताव है और सन् 1970-71 में 22 करोड़ खर्च किया जायेगा। कलकत्ता महानगर में तेजी से चलने वाले विकास कार्यक्रम और प्रवेश शुल्क के लगाने से आशा है, कई नियुक्ति अवसर उपलब्ध होंगे।

(दो) लोक वित्तीय संस्थाओं ने पश्चिम बंगाल सरकार को विश्वास दिलाया है कि पश्चिम बंगाल में आवास और नागरिक सुविधाओं की प्रायोजनाओं के लिए ऋण मंजूर करने की लचीली नीति अपनायेंगे। भारत के औद्योगिक विकास बैंक ने, विशेष तौर पर कलकत्ते में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोल दिया है ताकि पश्चिम बंगाल और देश के पूर्वी भाग की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक उल्लेखनीय योगदान किया जा सके।

इसके साथ-साथ पश्चिम बंगाल सरकार स्थिति में सुधार के लिए नीचे लिखे अनुसार कार्यवाही कर रही है :—

(एक) बंद कारखानों को फिर से चालू करने के लिए नियोजकों को मनाया तथा हड़ताल और तालाबन्दी को खत्म करने का प्रयत्न करना।

(दो) वित्तीय सहायता चाहने वाले औद्योगिक एककों को सहायता देना जो वित्तीय कठिनाई अनुभव कर रहे हैं और निर्बल अथवा बन्द औद्योगिक एककों को

सीधी सहायता देना ताकि वे काम करते रहें या उन्हें फिर से आरम्भ करने में मदद मिले।

(तीन) बेरोजगार इंजीनियरों का नाम लोक निर्माण विभाग के अधीन ठेकेदार के रूप में दर्ज करके, प्रथम श्रेणी के ठेकेदारों को तकनीकी की डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले कम से कम एक व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए बाध्य करके, तथा खुले टेंडर वाले कामों को करने के इच्छुक सभी बाहरी ठेकेदारों के लिए कम से कम एक ऐसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति की नियुक्ति अनिवार्य करके।

(चार) इंजीनियरों और डिप्लोमा रखने वालों के लिए स्वनियोजन की योजना तैयार करना जैसे बिना बारी के ट्रैक्टरों का आवंटन करना।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : सभा पटल पर जो विवरण रखा गया है उसमें बहुत सी योजनाओं का उल्लेख है परन्तु दुर्भाग्य से एक भी कार्यवाही नहीं की गई है। विकास की कमी तथा उसके न होने के कारण से पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की समस्या बहुत विकट है। फैक्टरियों के बन्द हो जाने और हड़तालों के परिणामस्वरूप बहुत से लोगों को काम से निकाले जाने के कारण यह स्थिति और भी गम्भीर हो गई है। अतः क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्हें फैक्टरियों के बन्द हो जाने और हड़तालों के कारण काम से हटाया गया है और ऐसे एककों की संख्या क्या है जो आज भी हड़ताल अथवा राजनैतिक अशांति के कारण बन्द पड़े हैं।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : हमारे लिए उक्त आंकड़े इस समय बताना सम्भव नहीं। इसके लिए हम सूचना चाहते हैं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : इस प्रश्न के लिए 20 दिन का नोटिस दिया गया था। यह एक बहुत विशिष्ट प्रश्न है। महोदय क्या प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप मन्त्री महोदय से आग्रह नहीं करेंगे ? क्या यह कहना पर्याप्त है कि इसके लिये उन्हें और सूचना चाहिये ? महोदय मैं आपकी व्यवस्था की मांग करता हूं।

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : क्योंकि प्रश्न सारे पश्चिम बंगाल से सम्बन्धित है अतः आंकड़े विभिन्न जिलों से भी एकत्रित किए जाने हैं। यदि यह प्रश्न केवल कलकत्ता शहर से ही सम्बन्धित होता तो शायद आंकड़े हमें तत्काल उपलब्ध हो जाते। परन्तु यह प्रश्न सारे पश्चिम बंगाल से सम्बन्धित है अतः हमने आंकड़े एकत्र करने हैं।

इस बीच मैं यह बता दूं कि बन्द मिलों को फिर खुलवाने के लिए सभी कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की विकट समस्या है। इसके लिए कोई स्थायी हल खोजा जाना होगा जोकि एक प्रभावी तथा स्थायी बुनियादी ढांचे में ही सम्भव है। और जब तक सड़कों, पुलों और बहुत से अन्य गांव विकास कार्यों के रूप में इसके लिये योजना नहीं तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कोई

इन्फ्रास्ट्रक्चर के स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है और या उठाये गए हैं तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को काम दिये जाने की सम्भावना है।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय सदस्य के साथ हम इस बात में सहमत हैं कि पश्चिम बंगाल में तथा देश के अन्य भागों में सड़कों के निर्माण, लघु सिंचाई, लघु उद्योग तथा इसी प्रकार की अन्य बातों के रूप में इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना सब से महत्वपूर्ण बात है। जो विस्तृत विवरण मैंने सभा पटल पर रखा है उस से भी यह सब देखा जा सकता है। चालू वर्ष के लिए फिर से बनाई गई चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस इन्फ्रास्ट्रक्चर पर पर्याप्त बल दिया गया है और जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है सड़कों के निर्माण, ग्राम विद्युतीकरण इत्यादि पर अधिक व्यय किया जायेगा। विवरण से भी यह देखा जा सकता है कि हम इसी दिशा की ओर अग्रसर हैं।

इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा यह बताना सम्भव नहीं परन्तु इतना मैं अवश्य कहूँगा कि पश्चिम बंगाल तथा देश के अन्य भागों में सरकार इसी दिशा की ओर ही अग्रसर है।

Shri Beni Shanker Sharma (Banka): Sir, hon. Minister knows that un-employment of two types is prevailing in West Bengal at present. Firstly there are those people who do not hand any employment and secondly there are those who work in some Mill or Factory but have become unemployed due to lock-out or a strike. It has been stated in the statement which has been laid on the Table by Hon. Minister that so far as closed units are concerned efforts are being made to get these reopened—"Persuading employers to re-open closed units and trying to bring to an end strike and lock-outs." This is very good. But it is not going to be solved by mere efforts. I would like to know the efforts that are being made in order to get the units reopened which are at present closed due to lock-out or strikes?

Secondly, may I know whether Government subscribe to the view that the present wages of the workers are not adequate to meet their barest minimum needs and if so, whether Government propose to make available to them Food Grains and other necessaries of life at fixed prices?

Thirdly, the solution of the problem of unemployment in West Bengal has not in opening of big mills and factories there, but in small scale industries. In reply to one of my questions the hon. Minister had stated that 10,727 people got employment against the sale proceeds of Rs 83,59,000 in Khadi and Gramyudyog, Delhi. It becomes clear from this that more people can be given employment through such small industries. Are Government drawing any schemes for setting up of small scale industties such as Khadi and Gramudyog Bhawan, Poultry Farming, Fishery, etc., so that more and more people could be provided with work?

Shri Bhagwat Jha Azad: It is a fact taat unemployment is mounting in West Bengal due to closure of Mills and undertakings. The West Bengal Government propose to bring forward a bill namely Special Relief Undertaking Bill in this regard which takes into account sick mills in other States. Secondly, setting up of a State Textile Corporation is also being considered. In accordance with this facilities will be provided to these mills which have been closed or those which are likely to be closed.

So far as the Hon. Members reference to Small Scale Industries is concerned I have elaborated in my statement as well as in reply to Shri D. N. Patodia's question that we are actually moving in that direction in regard to villages. There is a provision of Rs. 40

crores for urban areas which would be spent in Calcutta Metropolitan and Region. Expenditure has also been sanctioned for second Bridge at Hooghly. So far as unemployment in Rural areas is concerned rural electrification would also be taken up along with Small Scale Industries. For example there was an increase of 7 5% in income in Haryana during 1969-70 due to rural electrification. I have stated this in order to make it clear that employment opportunities would increase in rural area with this Scheme.

Shri Ram Singh Ayarwal (Sagar) : Sir, yesterday I wanted to ask a question about unemployment but I did not get any opportunity.

Mr. Speaker : I have to keep in view other parties also.

Shri Janeshwar Misra (Phulpur) : Sir, the problem of unemployment has reached an acute stage in the whole country including West Bengal. Is the hon. Minister in a position to given an assurance to this House that the problem of unemployment there will be solved within by a target date or in the alternative that unemployment relief not less than the countrys *per capita* income will be provided to every unemployed person and so long as they do not get any employment this assistance will not be discontinued to them ?

Shri Bhagwat Jha Azad : As I have already stated and hon. Member himself knows, it may not be possible to indicate any time limit to solve the unemployment problem of the country.

Shri Janeshwar Misra : One hundred yeas ?

Shri Bhagwat Jha Azad : I am not so much permissible to say that this problem of unemployment would continue upto one hundred years. Because they will neither allow me nor the hon. Member to live that long. Therefore to predict for hundred years hence will not be proper.

It is not possible to provide unemployment allowance. Our aim is to make use of labour intensive Schemes within the limited resources of the country and our financial limitations. The Fourth Five Year Plan envisages an increase of 5.5% in our national income. This is not merely a logical development, but such labour intensive schemes are aimed at providing employment to more and more people.

Shri Ram Singh Ayarwal : The Hon. Minister has stated that those factories which are closed, would be opened. May I know how many factories are closed and how much expenditure is involved in their re-opening ? The Hon. Minister has also stated that he is also considering about Cottage Industries. How much expenditured is proposed to be spent on them ? Thirdly he has stated that 7.5 per cent electricity will be supplied to the villages during the Fourth Five Year Plan. May I know how much electricity is proposed to be allocated to cities and how much to villages ? Are you aiming at decentralization ? What would be the comparative figures per cities and villages ? Can all these figures be provided ?

Fourthly I would like to know the amount proposed to be spent on providing the employment relief.

Mr. Speaker : Like this also some how with the question relating to West Bengal.

Shri Bhagwat Jha Azad : I wanted to say that we are not concerned with Electricity. Power Minister can tell that how much Electricity would be allocated. But so far as the main question is concerned I have stated that West Bengal Government proposes to take over these mills and State Textile Corporation and other Financial Institutes have also assured the West Bengal Government of their help in this regard.

श्री प्र० रं० ठाकुर : आप ने केवल गैर-बंगाली सदस्यों की बातें सुनी हैं। उनका इसमें अपना निहित स्वार्थ है (अन्तर्बाधाएं)।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे इस पर आपत्ति है (अन्तर्बाधाएं)।

श्री प्र० रं० ठाकुर : बेरोजगारी की समस्या पर वे अपने हितों की दृष्टि से देखते हैं। मैं बंगाली हूँ तथा मैं वहाँ रहता हूं। इस समस्या की ओर मैं दूसरी दृष्टि से देखता हूं। बेरोजगारी की यह गंभीर समस्या क्या पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के भारी संख्या में आगमन के परिणाम स्वरूप है और क्या इस विकट समस्या का एक मात्र हल पुनर्वास ही है? मैं वहां की वास्तविक समस्या को जानता हूं। परन्तु इन लोगों का वहां अपना स्वार्थ है... (अन्तर्बाधाएं)

श्री स० मो० बनर्जी : केवल कांग्रेस को हराने के लिए हम व्यापारियों का साथ चाहते हैं अन्यथा हमारा उनके साथ कोई संबन्ध नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कौन सी कांग्रेस?

श्री स० मो० बनर्जी : दोनों

अध्यक्ष महोदय : वाम मार्ग व दक्षिण मार्ग की ओर जाए बिना और सदन के किसी भी पक्ष के प्रति आरोप लगाये बिना उन्हें केवल प्रश्न पूछना चाहिए था।

श्री डी० संजीवैया : उन्होंने पहले ही यह प्रश्न पूछ लिया है कि बेरोजगारी में वृद्धि क्या पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में शरणार्थियों के आगमन के कारण भी है। अनेक कारणों में से यह एक कारण है।

जहां तक शरणार्थियों का प्रश्न है इस समस्या को अन्य प्रकार से हल किया जा रहा है। उन्हें फिर से बसाया जा रहा है। यदि वे कृषक हैं तो उन्हें उन क्षेत्रों में ले जाया और बसाया जायेगा जहां पर भूमि उपलब्ध है; यदि वे व्यापारी हैं तो फिर से व्यापार कार्य प्रारम्भ करने के लिए उन्हें ऋण दिये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री समर गुह वे शत प्रतिशत बंगाली हैं।

श्री समर गुह : मैं उन सब के प्रति आभारी हूं, जो बंगाली तो नहीं परन्तु भारतीय हैं, जिन्होंने बंगाल में बेरोजगारी की समस्या के प्रति इतनी दिलचस्पी प्रकट की है, क्या यह तथ्य है कि पश्चिम बंगाल सरकार के चालू रजिस्टर के अनुसार मैट्रिक पास बेरोजगारों की संख्या 1,82,035, इंटर तथा इंटर साइन्स पास बेरोजगारों की संख्या 82,203 तथा स्नातकोत्तर बेरोजगारों की संख्या 32,260 थी?

मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या इन तथ्यों के कारण तथा शिक्षित युवकों में बेरोजगारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुये उन्माद तथा नैराश्य के कारण बंगाल में वर्तमान स्थिति विकसित हुई है? इस पृष्टभूमि में सरकार से मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगार भत्ता देगी और वित्त मंत्री को यह सिफारिश करेगी कि ऐशो-आराम तथा

उपभोक्ता वस्तुओं से प्राप्त होने वाले करों की सारी राशि इन शिक्षित बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए आरक्षित की जाए ?

श्री भागवत झा आजाद : 31-12-1969 के दिन पश्चिम बंगाल के चालू रजिस्टर के आंकड़े नीचे दिये गए हैं :

स्नातक	=92,260
इंटर सहित हायर सैकेंडरी पास व्यक्ति	=82,000
मैट्रिक पास	=67,572

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है हम पश्चिम बंगाल तथा देश के अन्य भागों में स्थापित किये जा रहे इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी समुचित योजनाओं एवं कार्य-क्रमों पर अधिक बल देंगे जिसमें कृषि क्षेत्र में छोटे कृषकों के लिए लाभदायक सड़कों, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि योजनायें हैं और इस प्रकार बेरोजगारों को सहायता देने के स्थान पर हम अपने सीमित साधनों का उपयोग लाभदायक रोजगारों पर करेंगे। बेरोजगारी सहायता देने की मांग को स्वीकार करना सरकार के लिये इस अवस्था पर संभव नहीं।

Shri Madhu Limaye : Non-Bengalies should also be given a chance. We should also be given an opportunity to put supplementaries.

अध्यक्ष महोदय : श्री बदरूद्दुजा।

श्री बलराज मधोक : आप यह शिकायत करते रहे हैं कि प्रश्न पर बहुत समय लगता है और प्रश्नों के घंटे में केवल दो या तीन प्रश्न ही लिये जाते हैं। इसे विनियमित करना आपका कार्य है परन्तु जब इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार हो चुका है तो प्रत्येक बंगाली अथवा गैर-बंगाली द्वारा यदि अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा ? हम इस बात का निर्णय कर लें कि एक घंटे में एक प्रश्न लेंगे, मुझे इसमें आपत्ति नहीं होगी।

Shri Hukam Chand Kachwai : There will be great difficulty if this discrimination bteween Bengalis and Non-Bengalis is allowed to be created. It will create difficulties.

अध्यक्ष महोदय : सामान्यत: उन लोगों को अवसर मिलना चाहिए जो उस राज्य के हैं जिसके साथ प्रश्न का सम्बन्ध है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि अन्य लोगों को अवसर नहीं मिलेगा। कुछ अन्य इस प्रकार के प्रश्न हैं जो प्रादेशिक प्रकृति के हैं। अत: मैं किसी को अवसर से वंचित नहीं करना चाहता।

श्री बदरूद्दुजा : मैं उन गैर-बंगाली सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने बंगाल के विषय में रुचि प्रकट की है। महोदय हमारे सम्मुख एक कठिन प्रश्न है। मैं सरकार से एक साधारण सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सरकार बेरोजगारी की इस समस्या को हल करने हेतु क्या निश्चित कदम उठना चाहती है। यह जान कर आपको अचम्भा होगा कि बंगाल में चपरासी के पदों के लिए हजारों स्नातकों ने आवेदनपत्र दिये थे ; लिपिक के एक पद के लिए एक प्रथम श्रेणी में पास इंजीनियर ने आवेदन पत्र दिया था। बंगाल में इस समय व्याप्त बेरोजगारी की समस्या का

यह चरम है । इस समस्या की ओर मैं सारे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ क्योंकि जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों द्वारा बताया गया था इस समस्या ने नैराश्य की भावना उत्पन्न की है । अतः मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूँगा कि राज्य में गम्भीर रूप धारण करने वाली इस समस्या को हल करने के लिए वे क्या कदम उठा रहे हैं ।

श्री डी० संजीवैया : बेरोजगारी को दूर करने के लिये उठाये गये कदमों की बात बताई जा चुकी है लेकिन ऐसा लगता है कि इस प्रकार का प्रभाव जम चुका है कि पश्चिम बंगाल में देश के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक बेरोजगारी है । हमारे आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में रोजगार दफ्तरों के रजिस्टरों के अनुसार काम चाहने वालों की संख्या जून 1966 से दिसम्बर, 70 तक, 4.5 लाख से बढ़कर 5.3 लाख हो गई अर्थात 19.5 प्रतिशत बढ़ी । सारे देश की औसत बढ़ोत्तरी 36.1 है ।

श्री नाथपाई : आपको इसका गौरव क्यों है । आपकी बात से लगता है कि आप विजयी हुए हैं ।

श्री डी० संजीवैया : कृप्य: आप पूरी तरह सुनें । मैं इसे नम्रता से बोल रहा हूं । प्रभाव यह जमा है कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी अधिक है ।

Shri Sitaram Kesari : Mr. Speaker, the basic causes of unemployment in West Bengal are the strikes and gheraos. May I know from the hon. Minister whether a dead line has been fixed for solving the problem of gheraos and strikes which has taken a serious turn and strengthened the Naxalites movement ?

Shri Bhagwat Jha Azad : Mr. Speaker, the labour problem of West Bengal is known to all the Members. You have also admitted in the Lok Sabha that this is one of the reasons. But the mills which had to be shifted from there did not do so during the last few months under the President's rule. Government is considering to set up State Textile Corporation for the sick mills. Various financial organisations have assured the West Bengal Government that they will provide liberal assistance for running the mills if they are run there. There is, therefore, definite improvement.

Shri Sitaram Kesari : I have enquired about the time by which it will be done.

Shri Bhagwat Jha Azad : A definite date can not be given at present.

देश में भावात्मक एकता को बढ़ावा देने हेतु आजाद हिन्द आन्दोलन की वीर गाथा का उपयोग

*364. **श्री समर गुह :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में भावात्मक एकता को बढावा देने हेतु बड़े पैमाने पर प्रचार के सरकारी माध्यम द्वारा आजाद हिन्द आन्दोलन की वीर गाथा का प्रयोग किया गया है अथवा किया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : जी, हां । राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता पर विभिन्न प्रचार विभागों के कार्यक्रम राष्ट्रीय इतिहास, जिसका आजाद हिन्द आंदोलन भी एक महत्वपूर्ण अंग है, के विशाल स्रोत से

तैयार किए जाते हैं। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस या आजाद हिन्द फौज दिवस के अवसरों पर इस आन्दोलन की भूमिका का विशेष ध्यान र -ा जाता है।

श्री समर गुह : आजाद हिन्द क्रांति की वीर गाथा ने न केवल हमारे लिए इतिहास का निर्माण किया है बल्कि सम्पूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी एक सामाजिक क्रांति लायी है।

अध्यक्ष महोदय : भूमिका न बांधें। हम उसे जानते हैं।

श्री समर गुह : भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी ने पहली बार राष्ट्रीय एकता पैदा की। हिन्दु, मुस्लिम और सिख सभी इकट्ठे जिन्दा रहते, इकट्ठे मरते और इकट्ठे लड़ाई करते। इतना ही नहीं, विभिन्न सम्प्रदायों के लिए मस्जिदें, गुरुद्वारे, मंदिर तथा गिरजाघर खोले गये थे, देश की भावात्मक एकता के बारे वे गला फाड़-फाड़ कर चिल्लाते हैं। सामाजिक क्रांति के गौरव-मय इतिहास को राष्ट्रीय एकता में प्रतिलिम्बित करने के लिए इन्होंने क्या कदम उठाये हैं ? मैं उनसे निश्चित रूप से जानना चाहता कि इस दिशा में उन्होंने क्या कदम उठाये हैं।

श्री इ० कु० गुजराल : मैं अपने मित्र को आश्वासन दिलाता हूँ कि नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिन्द फौज ने आजादी के लिए जो योगदान दिया उससे हम पूरी तरह परिचित हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रकाशन विभाग ने नेताजी के कुछ चुने हुए भाषणों को प्रकाशित किया है। नेताजी की एक आत्मकथा भी बच्चों के लिए हिन्दी में प्रकाशित की गयी है। नेताजी पर हम दो पुस्तकें और प्रकाशित करने जा रहे हैं, जिनमें से एक आत्मकथा होगी तथा दूसरी में नेताजी के चुने हुए लेख होंगे। फिल्म डिविजन को भी हमने नेताजी के जीवन पर फिल्म बनाने सम्बन्धी निर्देश दे दिया है।

रेडियो कार्यक्रम के लिए भी समय-समय पर हम नेताजी तथा आजाद हिन्द फौज के योग-दान को दृष्टि में रखते हैं। एकता की उस शक्ति से हम परिचित हैं और इसी लिए हम इसका पूरा उपयोग भी कर रहे हैं।

श्री समर गुह : मेरा दूसरा प्रश्न यह है। आपको याद होगा कि गाँधी जी कहते थे— Netaji has played a magic in the case of Hindu-Muslim unity. मैं आपको इसके बारे याद दिलाना चाहता हूँ। अकबर खां नामक पठान ने ही नेताजी को अफगानिस्तान पार करने में सहायता दी। अबिद हुसैन नामक एक व्यक्ति ने ही सियोल से सिंगापुर तक नेताजी का साथ दिया था। मेजर जरनल कयानी ही आजाद हिन्द फौज के मुख्य सेनापति थे।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न सीधा पूछें।

श्री समर गुह : मैं इस ओर आ रहा हूँ। नजीर अहमद ने ही नेताजी के जीवन के लिए अपने जीवन की बलि चढ़ाई और कर्नल हबिबुर रहमान ही नेताजी के लापता होने की आखिरी घड़ियों में उनके साथ थे। मन्त्री महोदय सांप्रदायिक एकता के बारे बहुत बोल रहे हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें श्री नारायण शर्मा की **अमी नेताजी देखेची** (मैंने नेताजी को देखा है) नामक पुस्तक की जानकारी है। मैं यह पुस्तक मंत्री महोदय को भेंट करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि इस पुस्तक के पहले अध्याय का सारी भाषाओं में अनुवाद तो हो ही, साथ ही इस

पर आधारित एक फिल्म भी बननी चाहिए। क्या सरकार इसे करेगी ? इससे सचमुच प्रेरणा के स्रोत नेताजी द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता सिद्ध होगी। क्या सरकार मेरे सुझाव को स्वीकार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उस पुस्तक को सभा पटल पर रखना चाहते हैं ?

श्री समर गुह : मैं इसे मन्त्री महोदय को भेंट करता हूँ।

श्री इ० कु० गुजराल : जो पुस्तक मेरे मित्र मुझे देने जा रहे हैं उसे प्राप्त करके मैं प्रसन्न हूँगा। मैं उन्हें आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि उनके सुझाव पर हम ध्यान देंगे।

श्री ए० श्रीधरन : आजाद हिन्द की वीरगाथा ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक गौरवमयी तथा अविस्मरणीय अध्याय जोड़ा है। पहली बार स्वतंत्र भारत की आवाज, आजाद हिन्द रेडियो द्वारा हवा में गूंजी। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार आल इण्डिया रेडियो का नाम बदल कर आजाद हिन्द रेडियो नहीं रख सकती ?

श्री इ० कु० गुजराल : कभी-कभी मेरे मित्र नाम बदलने में अत्याधिक आस्था रखते हैं। नाम का कोई महत्व नहीं होता।

श्री ए० श्रीधरन : आप देशभक्ति की बात करते हैं और फिर भी आप नाम बदलने को तैयार नहीं... (व्यवधान)

श्री पीलु मोदी : आज की स्थिति में यह नाम अनुपयुक्त होगा। यह तो आल इन्द्रा रेडियो है।

Shri Jharkhande Rai : Will the hon. Minister be pleased to state whether the events of Netaji's movement ; such as consignment of five hundred revolutionaries in the Cellular Jail of Andaman and Nicobar. Six out of which sacrificed their lives by resorting to hunger strike etc., etc.. will be utilized for emotional integration and whether great national pledges taken by them are being relayed or will be relayed from the All India Radio.

श्री इ० कु० गुजराल : आल इण्डिया रेडियो कुछ नहीं दिखाता। जो कुछ दिखाया जाता है फिल्मों द्वारा दिखाया जाता है। जब भी नेताजी पर फिल्म बने तो इन सारी घटनाओं की ओर अवश्य ध्यान जायेगा।

Old Films Telecast over Delhi T. V. Centre for Economic Reasons

*365. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the reasons for telecasting programmes and news bulletins from Delhi T.V, Centre at slow speed ;

(b) the obstacles in telecasting more programmes at a higher speed within the prescribed time ;

(c) whether old films are telecast for economic reasons ; and

(d) if so, the reasons for not resorting the advertisements for augmenting revenues ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) यह सही नहीं है कि दिल्ली टेलिविजन केन्द्र से कार्यक्रम तथा समाचार बुलेटिन धीमी गति से टेलीकास्ट किए जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Maharaj Singh Bharati : Although it is a matter of opinion and according to hon. Minister programme are telecast at a rapid speed but I have also witnessed television programmes for four months in different countries of the world. The programme which requires only five minutes is telecasted here in ten or twelve minutes. There is also unnecessary duplication. It seems that they have no material to telecast and they just while away the time. I have nothing to say if he denies this.

I have a specific question. Programmes will be broadcast *via* satallite after some days and foreign programmes will also be relayed. Then how will they coordinate their slow programme with the fast foreign programme ?

श्री इं० कु० गुजराल : अपने दोस्त के लिए मेरे दिल में काफी आदर है। जब उन्होंने विदेशों की यात्रा की है तो उन्होंने सचमुच बहुत कुछ देखा होगा। मुख्य बात यह है कि मेरे विचार से कार्यक्रम को धीमी गति अथवा द्रुतगति से चलाने का कोई प्रश्न नहीं। हर कार्यक्रम तेज गति से चलाया जाता है। यदि मेरे माननीय मित्र किसी विशेष कार्यक्रम की बात करते हैं तो मैं उस पर ध्यान दूंगा। जहां तक गति का सवाल है, हम हर कार्यक्रम को तेज गति से चलाते हैं।

Shri Maharaj Singh Bharati : It seems that you have misinterpreted the term speed. By speed I mean editing these programmes can be telecast with speed if the editing is in order. Many films in India run for 3½ hours but the actual matter in those films is hardly that of one hour. With proper editing these films can be shown within an hour. Your programmes and news are not properly edited. It is shown in writing as well as vertually. Maximum matter can be relayed within the minimum of time if the editing is in order. Will you try to ensure correct editing ?

Shri Satya Narain Sinha : The hon'ble Member had been abroad and seen many things. He may kindly meet and Television Directors and advise them to speed up the programme.

Shri Dhuleshwar Meena : Sometimes it is announced "We are speaking from Akashwani", while at others it is also heard "we are speaking from Bhavishyavani". Which of them is correct.

Shri Om Prakash Tyagi : In foreign countries television is used to increase the knowledge of the students. They organise competitions in various fields of education on the television. Has the Government provided for organising competitions in the various fields of education in the country for school or college students ?

Shri I. K. Gujral : Yes, Sir. Programme lasting two hours is telecast daily exclusively for schools. A great emphasis is laid on science so that there is good teaching of Science in our schools. This programme is going on well.

Shri Om Prakash Tyagi : The hon'ble Minister has made a mention about science but there are other subjects like history also.

Mr. Speaker : This question relates to the speed अगला प्रश्न ।

श्री इ० कु० गुजराल : स्कूल टेलीविजन में विज्ञान, अंग्रेजी...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न रफ्तार के बारे में है न कि शिक्षा के, हमें साथ-साथ प्रश्नों की रफ्तार का ध्यान भी रखना चाहिये ।

दिल्ली में पुनर्वास बस्तियों का दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरण

*366. **श्री बलराज मधोक :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित कुछ पुनर्वास बस्तियें, विशेष रूप से कालकाजी क्षेत्र में स्थित ऐसी बस्तियों को अभी तक दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित नहीं किया गया है ;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप इन बस्तियों में रहने वाले लोग मकान-कर तथा अन्य नगर पालिका प्रभारों की अदायगी करने पर भी आधारभूत नागरिक सेवाओं से वंचित रखे जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी बस्तियों के क्या नाम हैं तथा उन्हें नगर निगम को हस्तांतरित करने में क्या कठिनाई है और उन्हें शीघ्र ही दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ राय) : (क) से (ग). पुनर्वास विभाग द्वारा दिल्ली में विकसित की गई प्राय: सभी बस्तियां सेवाओं को बनाए रखने के प्रयोजनों से दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित कर दी गई हैं । तथापि, पुरानी कालका जी बस्ती का एक भाग, जिसे कालकाजी एकस्टेन्शन, और एल० एम० और एन० ब्लाक कहते हैं और गीता कालोनी एकस्टेन्शन अभी तक दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित नहीं किये गये हैं क्योंकि निगम ने वर्तमान सेवाओं को अपेक्षित स्तर का नहीं पाया है । इन क्षेत्रों के निवासी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए अभ्यावेदन करते रहे हैं । इन बस्तियों के हस्तांतरण का प्रश्न केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के परामर्श से निगम के साथ उठाया गया है ।

Shri Balraj Madhok : The Rehabilitation Minister of Central Government is responsible for all types of development in rehabilitation colonies of Delhi. The Ministry has already realised the development changes from the residents of these colonies. The hon. Minister while stating the reason, for not transfering 'Kalkaji Extension' and Geeta Colonies stated that the matter is being discussed with the corporation. I would like to know whether the corporation has explained to the Government either to bring the services in the colonies to the standard that of the corporation or the corporation be provided with sufficient funds to develop these colonies ? The Ministry of Rehabilitation is having 10 crores of rupees of these colonies. When the Ministry do not act, why dont they provide funds to the corporation to enable it to develop the colonies and provide civic amenities to lakhs of people ? What is the difficulty is that ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bagwat Jha Azad) : Certain colonies have been transferred to the corporation. As regards the rest of the colonies, we had a meeting in 1958 with Municipal Corporation Delhi and Central Public Works Department. It was decided that the Corporation should assess the amount to be spent to bring the Substandard Services the required standard. The Corporation demanded 43 lakhs of rupees. After the discussion it was decided that the Corporation be given a sum of Rs, 20,88,000 which we had already sanctioned in 1959. All the requirements were expected to be met by the corporation. But the Corporation demanded separate funds for KalKaji Extension and Geeta Colonies whereas our understanding was that the fund sanctioned also included the development work of these colonies. We have asked them to prepare a detailed estimate for that. The Corporation has not yet furnished the detailed estimate as to how much money they require the corporation has demanded the money in lump-sum and they say that the details would be furnished after that. We have repeatedly asked the Corporation to furnish details of the required amount there is no difficulty at all with us. We provide them funds. But the details are not forth coming.

Shri Balraj Madhok : The reply given is misleading. The fact remains that the Ministry does not intend to provide funds to the Corporation even when they are having a huge sums—nearly 10 crores of rupees of the rehabilitation colonies the people to whom the Houses have been allotted in these colonies have already paid the development charges. Why do the Minister not provide them with funds ? It is due to non-availability of funds that the Corporation does not take over these colonies and the residents of the colonies are deprived of the civic amenities. Funds are not being provided for political reasons. I charge the Rehabilitation Ministry for deliberately discrimating against rehabilitation colonies and it is due to political reasons. Though it was declared in the House that the accommodation would be given on no profit-no loss basis even then they are thinking to enhance the lease money. The Ministry is causing harassment to a number of refugees due to political bias. I would like to know whether the Ministry would stop all such activities and provide funds to the Corporation so that the difficulties of the people might be removed ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : क्योंकि निगम द्वारा एक विशेष राशि की मांग की गई है, पुनर्वास मंत्रालय सब कुछ अनदेखा करके राशि की स्वीकृत नहीं दे सकता। पुनर्वास मंत्रालय, जिसे राशि स्वीकृत करने का अधिकार है, उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि किस विशेष उद्देश्य के लिए राशि की आवश्यकता है। इसीलिए हमने इसका ब्योरा मांगा है, ब्योरा प्राप्त होने के अगले दिन ही निगम को धन राशि दे दी जाएगी।

वृत्त चित्र "ए डे इन दि बाजार" (बाजार में एक दिन) की आलोचना

***367. श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "ए डे इन दि बाजार" (बाजार में एक दिन) नामक परिवार नियोजन सम्बन्धी वृत्त चित्र पर की गई कतिपय कटु आलोचनात्मक टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) फिल्म में जो आपत्तिजनक अंश थे वे इस बीच निकाल दिये गये हैं।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या सरकार वृत चित्रों के वर्गीकरण पर विचार करेगी और जिन चित्रों में केवल वयस्कों के लिए ही सामग्री उपलब्ध है उनको प्रत्येक स्थान पर प्रदर्शित करने के लिये 'यू' प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा तथा ऐसे चित्रों को 'ए' वर्ग के अन्दर रखा जायेगा ?

श्री इ० कु० गुजराल : ऐसा वर्गीकरण किया जाता है। परन्तु इस मामले में हम यह देख रहे हैं कि इस चित्र को 'यू, प्रमाण पत्र किस प्रकार दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, श्री रवि राय।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या इस पर पूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जायगी ? इसके लिये कोई आधार होना चाहिये। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। परिवार नियोजन अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, मैं पहले ही अगले प्रश्न के लिए रह चुका हूँ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं आपके अधिकार को चुनौती देना चाहता हूँ। परन्तु इसके लिये कोई न कोई आधार अवश्य होना चाहिए। इसके लिये एकरूप आधार होना चाहिये। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्दर अत्यन्त तुच्छ बातों का प्रसारण किया जा रहा है। क्या आप मुझे एक पूरक प्रश्न पूछने की स्वीकृति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, मैं अगला प्रश्न ले चुका हूं।

पेरिस में हाल में हुआ यूनेस्को सम्मेलन

*368. **श्री रवि राय :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य मंत्री ने हाल में पेरिस में हुए यूनेस्को के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने सम्मेलन में क्या भूमिका निभाई और उस बारे में सम्मेलन ने क्या सफलता प्राप्त की ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) वे भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता थे और उन्होंने इस रूप में प्रतिनिधिमंडल का मार्ग दर्शन किया और सम्मेलन में विचारार्थ जो विभिन्न मामले आये, उनपर भारत सरकार का पक्ष रखा।

Shri Rabi Ray : May I know the nature of discussion at the recent UNESCO Conference held in Paris and whether India and other backward countries also figured in the discussion ?

श्री इ० कु० गुजराल : सामान्यत: यूनेस्को आयोग उप-आयोग तथा शिखर-सम्मेलन के माध्यम से कार्य करता है। लगभग 200 संकल्प यूनेस्को के विचाराधीन थे। भारत ने लगभग 33 संकल्पों का समर्थन किया तथा 5 संकल्पों का सहयोजित समर्थन किया। वास्तव में हमारा उद्देश्य भारत के दृष्टिकोण को ही प्रदर्शित करना नहीं था बल्कि प्रगतिशील देशों की मांग बताना था। अत: इस दृष्टि से विभिन्न संकल्पों पर हमने अपने विचार रखे कुछ दिन पहले, शिष्ट मंडल के नेता श्री वी० के० आर० वी० राव ने एक सम्वाददाता सम्मेलन बुलाया और उन्हें शिष्ट मंडल की कार्यप्रणाली का ब्यौरा बताया। मैं केवल एक बात कह सकता हूं कि वहां भारतीय शिष्ट मंडल के कार्य के परिणामस्वरूप हम वह सब कुछ कर सकने में समर्थ हुए जो कि माननीय सदस्य चाहते हैं कि ऐसे किया जाना चाहिये था, विशेषतया जाति भेद औपनिवेषिक शक्तियों का विघटन तथा विकसित और प्रगतिशील देशों के बीच सूचनाओं का स्वतंत्र रूप से प्रसारण, तथा सबसे महत्व विषय, जन माध्यम को चलाने वाले लोगों के लिये एक आचार संहिता का बनाया जाना आदि पर हमने अपने विचार व्यक्त किये।

Shri Rabi Ray : I would like to know whether the view put across by India was supported by other countries.

श्री इ० कु० गुजराल : सामान्य रूप से ऐसा कहना कठिन है क्योंकि भिन्न भिन्न विषय पर भिन्न-भिन्न प्रतिक्रिया हुयीं। परन्तु मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि महत्वपूर्ण विषयों पर जैसे, जाति-भेद, तथा अन्य दूसरे विषय जो प्रगतिशील देशों से सम्बद्ध है, बहुत से विकासित देशों ने भारत की विचारधारा का समर्थन किया।

Setting up of Sugar Mills in U.P. in Cooperative, Private and Public Sectors

*370. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of applications for setting up sugar mills in Eastern U.P. in the cooperative, private and public sectors forwarded by the U.P. Government to the Central Government for approval and issue of licences, which have been pending since 1960 ;

(b) the details of the applications which have been recommended by the Screening Committee ; and

(c) the reasons for the inordinate delay in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) At present, there is no application pending consideration of the Central Government for setting up of any sugar mill in Eastern U.P. whether in the cooperative, private or public sectors.

(b) A statement is placed on the Table of the Sabha.

(c) Does not arise.

STATEMENT

The dstails of appplications received since 1960 for establishment of new sugar factories in Eastern U.P. which have been recommended by the Screening Committee are given

below :

Sl. No.	Date of the receipt of application in Deptt. of I.D.	Proposed location with District	Coop. or J.S.	Views of the State Government	Action taken
1.	5.5.1960	Aurai Distt. Varanasi	Coop.	Recommended	Licence issued on 27.9 1968.
2.	27.4.1960	Rasra Distt. Ballia	Coop.	Recommended	Letter of intent issued on 30.8.1969.

Shri Molahu Prashad : It is clear from the statement placed on the Table that applications in the first case were received on 5.5.1960 and in the second case on 27.4.1960. A decade has already passed. I would like to know how many more decades will it take to establish these mills ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जैसा कि मैंने बताया है चार आवेदन पत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए थे। उनमें से दो को अनुमति दी गई है। दो को अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि इन क्षेत्रों में जाने की कमी थी।

जहाँ तक मिलों की स्थापना का प्रश्न है यह राज्य सरकार का तथा स्थानीय उद्यम-कर्ताओं का कार्य है। हमारे से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। जितनी भी केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है, हम वह सब कुछ देने के लिये तैयार हैं। यदि उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियां इस कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ती है और दूसरे क्षेत्र उसके लिए प्रयत्नशील हैं तो भी हम प्रत्येक सम्भव सहायता प्रदान करने के लिये तत्पर हैं।

Shri Molahu Prashad : State Government had submitted both the proposed to the centre on 27.9.68 and on 30.8.69. I would like to know how much time would it take now ? The first proposed was recommended on 27.9 68 and the other on 30.8.69. I would like to know what steps the Government has taken since then ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर को नहीं समझा है। इस समय केन्द्र के पास कोई भी आवेदन पत्र अनिर्णित नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई भी आवेदन पत्र अनिर्णित नहीं है।

Shri Molahu Prashad : See the statement you have placed on the Table. It has been mentioned therein.

श्री श्रीचन्द गोयल : जब से चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की तथा चीनी मिलों को सहकारी क्षेत्र में स्थापित करने की मांग की गई है इस बीच सहकारी समितियां बनाने, जिससे कि चीनी उद्योग सहकारी क्षेत्र में चल सके, के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : श्रीमन्, क्या मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना है।

हम सहकारी क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिये प्रत्येक प्रयत्न कर रहे हैं। माननीय सदस्य

को यह ज्ञात ही होगा कि गत दो योजनाओं के अन्दर जिन कारखानों को लाइसेन्स दिये गये हैं उनमें से 95 प्रतिशत सहकारी क्षेत्र में हैं। इस संबंध में सदैव ही हमारा यह प्रयत्न रहा है तथा रहेगा कि सहकारी चीनी मिलों को प्राथमिकता दी जाय। कुछ अपवादों को छोड़ कर जहां सहकारी समितियां सामने आती ही नहीं हैं वहां यदि दोनों क्षेत्रों का कोई समन्वित आवेदन पत्र है हम उसे भी मान्यता देने को तत्पर हैं। परन्तु 1969-70 तक सहकारी क्षेत्र में चीनी का 33 प्रतिशत उत्पादन हुआ और हमें आशा है कि जिन नई मिलों को लाइसेंस दिये गये हैं वो यदि उत्पादन आरम्भ कर देती है तो इस क्षेत्र का चीनी उत्पादन 45 से 50 प्रतिशत हो जायेगा।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या बिहार तथा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें हैं? नये लाइसेंस देने से पहले क्या सरकार यह विचार करती है कि क्या विद्यमान मिलों की पूरी क्षमता का उपयोग हो रहा है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो उन क्षेत्रों चीनी मिलों की स्थापना के लिए नये लाइसेंस देने की क्या आवश्यकता है।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है और मैं समझता हूँ कि सदन इस संबंध में परिस्थिति से अवगत है। विशेषज्ञ समिति ने समस्या का अध्ययन किया है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में सामान्य वर्षों में, समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है, गन्ने को कमी के कारण पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सकता तथा कुछ क्षेत्रों में इन मिलों के पास आवश्यकता से अधिक क्षेत्र दिया हुआ है। यदि चीनी मिलों के लिए लाइसेंस दिए जाए तो वे ऐसे क्षेत्रों में दिये जायें जहां गन्ना प्राप्त होने की संभावना हो तथा वहां कोई चीनी मिल वर्तमान समय में न चल रही हो।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश के पिछडे हुए क्षेत्र बेतूल में चीनी मिल स्थापित करने के लिए कोई आवेदन पत्र पिछले दो वर्षों से अनिर्णीत है? उन्होंने बताया है कि सहकारी क्षेत्रों को लाइसेंस देने में शीघ्रता की जाती है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो उनके उत्तर से पैदा होता है। श्रीमन् मैं इस विषय पर बहस करना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने कहा है कि सहकारी क्षेत्रों को लाइसेंस देने में शीघ्रता की जाती है, मध्य प्रदेश के एक पिछडे क्षेत्र से सहकारी क्षेत्र का एक आवेदन पत्र गत दो वर्षों से अनिर्णीत है, मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने इस आवेदन पत्र के संबंध में क्या कार्यवाही की है?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न उत्तर प्रदेश के बारे में है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मंत्री महोदय ने कहा है कि हम सहकारी क्षेत्रों को लाइसेंस देने में शीघ्रता करते हैं। क्या उन्होंने ऐसा कहा है अथवा नहीं? मुझे आपका निर्णय मान्य है, परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि आप इस मामले में अपनी न्यायसंगत विचार धारा बतायें।

अध्यक्ष महोदय : आप एक विशेष प्रश्न के बारे में पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने सामान्य नीति की बात बताई है। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि आप दूसरे राज्यों के बारे में प्रश्न पूछें।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यदि वह उत्तर देना चाहते हैं तो वह उत्तर दें ।

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, Sir, in Uttar Pradesh the machinary of Sugar Mills is out dated, that is why, the sugar production is less than it would be. Lastly, the Government set up a Committee which had recommended in its report that the Government should pay their attention towards the modernization of Sugar Mills. I would like to know the action Government has taken to modernize these sugar mills on the basis of the Commitees report, instill they are able to set up new factories ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : यह सच है कि नवीकरण तथा पुनर्स्थापन के लिये बनाई गई इस समिति ने इस समस्या का अध्ययन किया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलों को पुनःस्थापित करने के लिए धन राशि की व्यवस्था की जाय । सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि चीनी उद्योग धन की या तो स्वयं व्यवस्था करे अथवा सामान्य ऋण तथा वित्तीय संस्थानों से धन लें । केवल सरकारी साधनों से ही सरकार ऐसी धनराशि उपलब्ध नहीं करा सकती । यदि चीनी उद्योग ऋण संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देता है तो सरकार अवश्य ही सहायता करने के लिये तत्पर है ।

श्री एस० एम० कृष्ण : श्रीमन् सदन में कई बार चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात दुहराई है । माननीय भूतपूर्व कृषि मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि इस प्रश्न पर एक उच्च-स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जायेगा । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि यह समिति कब तक अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी । क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों के लिये कोई निश्चित सीमा निर्धारित कर दी है ?

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : मुझे खेद है कि श्री एस० एम० कृष्ण आजकल समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनके वक्तव्य से ऐसा ही प्रकट होता है । इसके लिये एक आयोग की स्थापना की गई है और इसकी घोषणा सदन में भी की गई थी तथा प्रेस द्वारा भी अभी हाल ही में खाद्य तथा कृषि ने मन्त्री आयोग की पहली बैठक का उद्घाटन किया है ।

श्री एस० एम० कृष्ण : मैं अपने ही समाचार-पत्र पढ़ता हूं फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कोई समयावधि निश्चित कर दी है जिसके अन्दर आयोग अपनी सिफारिश पेश करेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे किसानों को सहायता

*371. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 राष्ट्रीयकृत बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 30 से भी अधिक उच्च कार्यकारी अधिकारियों के कृषि के वित्त पोषण के सम्बन्ध में बंगलौर में विचार विनिमय किया था तथा इस बात पर जोर दिया था कि छोटे किसानों की सहायता की जाये ; और

(ख) यदि हा, तो छोटे किसानों तथा अलाभप्रद भूमि वाले किमानों की सहायता करने के तरीकों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) भारत सरकार ने ऐसे किसी सम्मेलन का आयोजन नहीं किया है। संभवतया यह प्रश्न केनरा बैंक द्वारा बंगलौर में 17-9-70 को आयोजित की गई 'वन वीक वर्कशाप' के संबंध में है।

(ख) मेरे मन्त्रालय में इस सम्मेलन की कार्यवाही के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी यह पता चला है कि कृषि मन्त्री, बंगलौर ने 'वर्कशाप' में यह सुझाव दिया था कि 5 एकड़ से कम जोत वाले छोटे किसान भी बैंकों को ऋण देने वाली नीति से लाभान्वित होने चाहिए।

श्री एन० शिवप्पा : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसको ध्यान में रखते हुये मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि मैसूर सरकार अपने लाभ तथा राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही बैंकों का उपयोग कर रही है और राष्ट्रीयकृत बैंकों से छोटे किसानों को ऋण नहीं दिये जा रहे हैं बल्कि बड़े किसानों को दिये जा रहे हैं। यदि ऐसा है, तो क्या सरकार का विचार एक ऐसी समिति बनाने का है जो यह खोज करेगी कि मैसूर राज्य में किस प्रकार बैंकों का दुरुपयोग किया जा रहा है ?

श्री अन्नासाहेब शिंदे : हम यह नहीं चाहते कि राष्ट्रीयकृत बैंक राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करें। जहां तक मुझे पता है, राष्ट्रीयकृत बैंक छोटे किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक माननीय सदस्य के इस विशेष प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरे विचार से वह इस प्रश्न का उत्तर वित्त मन्त्रालय से ज्ञात करें।

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

कलकत्ता पत्तन में हड़ताल

3. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता पत्तन के जिन कर्मचारियों ने हड़ताल की है उनकी मुख्य मांगें क्या हैं ;

(ख) क्या हड़ताल के कारण पत्तन के कार्य में बाधा पड़ी है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ राय) : (क) से (ग). श्रमिक इस मांग को लेकर 6 नवम्बर, 1970 से हड़ताल पर चले गए हैं कि नौभरकों और अन्य नियोजकों के कर्मकारों को, उनकी संख्या पर किसी प्रकार की पाबन्दी लगाए बिना, कलकत्ता गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) योजना, 1970 के अन्तर्गत जनरल पर्पज मजदूर और

गियरमैन के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए। हड़ताल का बन्दरगाह के काम पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है, परन्तु अब लगभग सामान्य स्थिति लाई जा चुकी है।

प्रादेशिक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के साथ और गोदी श्रमिक बोर्ड की बैठक में हुए विचार-विमर्श और बातचीत से हड़ताल समाप्त नहीं हो सकी। गोदी श्रमिक बोर्ड, कलकत्ता के अध्यक्ष ने, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से, योजना के खंड 55 के अन्तर्गत 19 नवम्बर से आपत्काल की घोषणा कर दी है।

श्री श्रीचन्द गोयल : कलकत्ते में पत्तन कर्मचारियों की हड़ताल तो प्रतिदिन की आम बात हो गई है। इस वर्ष के मध्य में गोदी कर्मचारियों के पश्चात 20,000 बजरा कर्मचारियों ने हड़ताल की। इस माह की 6 तारीख से सामान्य कार्य करने वाले मजदूरों द्वारा हड़ताल की जा रही है। मन्त्री महोदय ने बताया है कि क्षेत्रीय श्रम आयुक्त तथा गोदी श्रमिक बोर्ड के बीच हुई बातचीत से हड़ताल समाप्त कराने का कोई हल नहीं निकला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण मामला क्षेत्रीय श्रम आयुक्त पर क्यों छोड़ा गया है और मंत्री महोदय ने इस हड़ताल की समस्या को हल करने का प्रयत्न क्यों नहीं किया और इस मामले को महत्व प्रदान क्यों नहीं किया? क्या यह सच है कि कलकत्ता से जो देश का एक बड़ा पत्तन है, यातायात होता था वह घटकर आधा रह गया है और बहुत से पोत दूसरे पत्तनों पर भेजे जा रहे है तथा अनेकों पोत लड़ाई उतराई की प्रतीक्षा में हैं? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर अब भी ऐसे पोत हैं जो लड़ाई उतराई की प्रतीक्षा में हैं तथा कुछ ऐसे भी पोत उपलब्ध हैं जिन्हें दूसरे पत्तनों पर भेजा जाना है? क्या सरकार इस मामले को क्षेत्री श्रम आयुक्त पर छोड़ने के बजाय स्वयं मन्त्रालय स्तर पर हल करने का प्रयत्न करेगी?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : जैसे ही हमें हड़ताल की सूचना मिली और पता चला कि समस्त पत्तन पर कार्य बन्द है यहां एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई जिसमें परिवहन मन्त्री, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव पत्तन आयुक्तों के अध्यक्ष गोदी श्रमिक बोर्ड के उपाध्यक्ष तथा अन्य दूसरे अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में, यह ज्ञात हुआ कि सामान्य कार्य करने वाले मजदूरों की मांग न्यायसंगत नहीं है और परिस्थिति से निपटने के लिए आपत्कालीन घोषणा करना ही एकमात्र उपाय रह गया था।

अतः पत्तन आयुक्तों के अध्यक्ष ने सरकार की पूर्वानुमति पर 19 तारीख को आपत्तिकाल की घोषणा कर दी। तब से सभी कार्य सामान्य रूप से चल रहा है, कोई भी पोत दूसरे पत्तन पर नहीं भेजा जा रहा है। यह ठीक है कि तारीख 6 तथा 19 के बीच के दिनों कुछ पोत दूसरे पत्तनों पर भेजे गये हैं।

जहा तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है कलकत्ता पत्तन वास्तव में एक समस्या बन गया है और वहां से यातायात भी कम हो गया है। इस प्रश्न पर अलग से विचार किया जा रहा है।

श्री श्रीचन्द गोयल : एक समय था जब सरकार ने पत्तन मजदूरों के झगड़ों के हल के लिए उपयुक्त उपाय खोजने का प्रयत्न किया था। इस मामले पर एक विपक्षीय बैठक भी हुई थी। इसके लिये जो उपाय सोचा गया है वह केन्द्रीय स्तर का है अथवा राज्य स्तर का? इस आपात-

कालीन घोषणा की समाप्ति कब तक की जा रही ? क्या गोदी मजदूरों की धीरे काम करने की नीति अब भी जारी है, और यदि हां तो इसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री डी० संजीवैया : सबसे पहली बात तो यह है कि अब धीरे काम करने जैसी कोई बात नहीं है, कार्य सामान्य गति से चल रहा है।

जहां तक विभिन्न स्तरों के झगड़े निपटाने के उपायों का सम्बन्ध हैं, परिवहन मन्त्री ने एक बैठक का आयोजन किया था। सभी मजदूर संघो को इसमें आमंत्रित किया गया था पत्तन आयुक्तों के अध्यक्ष भी इस बैठक में निमंत्रित थे। यह निश्चय किया गया था कि मामलों को अध्यक्ष के साथ स्थानीय स्तर पर निपटाया गया। यदि कोई हल नहीं निकल पाता है, तब केन्द्र सरकार को एक माह का नोटिस दिया जाना चाहिये और परिवहन तथा श्रम मंत्रालय उस परिस्थिति से निपटने का उपाय सोचेंगे।

श्री स० कुन्दू : हमें प्रसन्नता है कि हड़ताल लगभग समाप्त हो चुकी है और अब वहां स्थिति सामान्य है। परन्तु हमें थोड़ा समय है और हम यह जानना चाहते हैं कि वे कौन से मजदूर हैं जिन्होंने हड़ताल आरम्भ की थी। हमें अखिल भारतीय गोदी कर्मचारी संघ के बारे में जानकारी है। क्या इन्होंने ही हड़ताल आरम्भ की अथवा किसी दूसरे संगठनों ने ऐसा किया, क्या यह संगठन पत्तन अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त है।

दूसरे क्या उस संघ ने जिसने हड़ताल आरम्भ कराई यह वहां की कार्य और श्रमिकों में अनुपात सम्बन्धी प्रश्न को सदस्यीय समिति को सौंपा जाय और उसकी सिफारिश को स्वीकार किया जाय ? यदि ऐसा है, तो इसके प्रति सरकार का रुख क्या है ? क्या सरकार अपनी प्रतिष्ठा पर डटी रहेगी और आपत्तियों को बढ़ने देगी अथवा यह प्रयत्न करेगी कि मजदूरों की कठिनाईयां शीध्र अति शीघ्र दूर हो जायें।

श्री डी० संजीवैया : यह हड़ताल किसी मान्यता प्राप्त संघ द्वारा और न ही पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के पंजीकृत संघ द्वारा आरम्भ की गई, इसे एक गैर-पंजीकृत संघ ने आरम्भ किया और कार्यकर्ता न तो वास्तव में गोदी श्रमिक बोर्ड के कर्मचारी हैं और न पत्तन कर्मचारी हैं बल्कि वे नौभरक के तथा अन्य दूसरे कर्मचारी हैं। वे वही सारी सुविधायें चाहते हैं जो गोदी श्रमिक बोर्ड के कर्मचारियों को दी गई हैं। सरकार का विचार यह है कि उनको ऐसी सभी सुविधायें देना संभव नहीं है। फिर भी सरकार समूची परिस्थिति पर विचार करने के लिए तत्पर है।

श्री स० मो० बनर्जी : हड़ताल आपतकालीन घोषणा के पश्चात समाप्त हुई है जो वांछनीय नहीं है। क्योंकि इस पत्तन विशेष पर अनेकों कठिनाइयां पैदा हो रही हैं और ये कठिनाईयां संघ में आपसी वैमनस्य के कारण पैदा होती हैं, तो क्या मंत्री महोदय का विचार केन्द्रीय मजदूर संगठनों, जैसे आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस हिन्दुस्तान मजदूर संघ, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, से किसी एक निश्चित हल पर पहुंचने के लिए बातचीत करने का है जिससे कोई समझौता किया जा सके तथा पत्तन का कार्य सुचारु रूप से चल सके

श्री डी० संजीवैया . यह इस विभाग में एक परम्परा रही है। हमें सदैव ही त्रैपक्षीय संगठनों के पक्ष में रहे हैं हमने हर समय मजदूर संगठनों को विशेषतया इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आल इन्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हिन्दुस्तान मजदूर संघ, तथा यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आमंत्रित किया है परन्तु दुर्भाग्यवश पीछे इन केंद्रीय संगठनों में कुछ संगठनों ने कहा है कि उन्हें त्रैपक्षीय समिति मे कोई विश्वास नहीं है और इन संगठनों के पीछे हुई बैठकों में भी भाग नहीं लिया है।

श्री स० मो० बनर्जी : अपना विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, I would like to know through you whether the main source of strikes in the registration of the Unions ? You have provided recognition to a union which has comparatively less members than another union. The strike clearly shows which of the Unions has the backing of majority. I would like to know the difficulty Government has to face the recognizing this union. What are the reasons for not registering them.

Secondly, if the recommendations of the wage board have not been implemented there, what is the difficulty before the Government in enforce them ? After all, what are the causes of such strikes ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : This is not a fact that only the union with less numbers in this Board has been given recognition Recognition has been given to All India Dock Workers Union—a Uuion of H.M.S. which is presumably the biggest. The strike has been started by an unregistered union under the leadership of Shri Bistra Ghosh with the purpose that all the 4,000 workers working under other employer should have been registered. As regards question regarding the action taken to improve the Board I would like to say that we have set up a Committee of exports and the scheme of 1956 has been incorporated in the scheme for 970. We have proposed a scheme of voluntary retirement and a sum of Rs. 2 crores 75 lakhs has already been given to the employees under the said scheme. We want to register both type of labours under that scheme. We are acting in accordance with the Board's linkings, but to register a number of members of an unregistered union would make the Sick Board still more sick, that we are not going to allow at any cost.

Shri Madhu Limaye : The hon Minister has accepted that the working of Dock Labour Board is not satisfactory at all places and it is the source of discontentment not only at the Calcutta Port but several other ports in India. I remember that the Minister of State had assured the other House that the Deputy Chairman at Vishakapatnam, whose service tenure has already expired, would be transferred but I have come to know that Shri Sanjivayya has asked for extension of his term.

Shri D. Sanjivayya : No, No.

Shri Madhu Limaye : This is the information available with me. It means your way of doing things compells the workers to go on strike, would you like to give a serious consideration to Dock Labour Board at all places and not only at Calcutta ?

श्री डी० संजीवैया : यह कहना ठीक नहीं है कि सब जगह असंतोष है। यदाकदा कुछ समस्यायें पैदा होती हैं, कुछ कठिनाई सामने आ जाती है जिनके कारण ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। हम समस्याओं पर विचार करके उन्हें हल करते हैं विशाखापटनम के इस विशेष मामले के संबंध में यह बात सच नहीं है कि शिकायत के आधार पर गोदी श्रमिक बोर्ड के अध्यक्ष को

स्थानांतरित किया गया। वहां पर उनकी समय-अवधि पूरी हो चुकी थी। अतः उन्हें किसी दूसरे स्थान पर भेजा जाना था। राज्य सभा में जिस समय यह प्रश्न पूछा गया था उससे बहुत पहले ही वहां से उनको स्थानांतरित कर दिया गया था। उनको स्थानांतरण मद्रास के लिए किया गया और यह व्यवस्था की गई कि गोदी श्रमिक बोर्ड मद्रास के वर्तमान उपाध्यक्ष क्षेत्रीय का कार्य करेंगे। मद्रास के वर्तमान क्षेत्रीय श्रम आयुक्त 1 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसी कारण से आदेश दिये गये हैं जिन्हें 1 जनवरी 1971 से लागू होंगे।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम: विशाखापटनम के बारे में मंत्री महोदय ने बताया है कि अधिकारी को शिकायतों के आधार पर स्थानांतरित नहीं किया गया। क्या यह सच नहीं है कि सभी मजदूर संघों ने उनके विरुद्ध शिकायत की थी?

श्री डी० संजीवैया : सभी मजदूर संघों ने शिकायत नहीं की। वास्तव में हाल ही में मैं विशाखापटनम गया था। कुछ मजदूर संघों ने शिकायत की। इसके विपरीत कुछ संघ ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि यह अधिकारी वहीं पर रहें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गेहूँ का वसूली मूल्य शीघ्र ही निर्धारित करने के बारे में पंजाब के मुख्य मंत्री की केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्री से भेंट

*362. **श्री किकर सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पंजाब के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्री से नई दिल्ली में भेंट की थी तथा मांग की थी कि गेहूँ के वसूली मूल्य की गत वर्ष की अपेक्षा ऊंचे स्तर पर शीघ्र ही घोषणा की जाये ताकि किसानों को यह जानकारी बुवाई के समय ही मिल जाये ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बातचीत का ब्यौरा क्या है ; और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) गत वर्ष वसूली मूल्य क्या था ; और

(घ) चालू वर्ष में वसूली मूल्य क्या होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) पंजाब के मुख्य मंत्री केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्री से नवम्बर, 1970 के पहले सप्ताह में मिले थे। गेहूं के अधिप्राप्ति-मूल्य पर चर्चा नहीं हुई थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 1969-70 के विपणन मौसम में पंजाब की देसी लाल किस्म की गेहूं को छोड़कर, गेहूँ की सभी किस्मों का अधिप्राप्ति मूल्य 76 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

(घ) 1970-71 मौसम के लिए गेहूँ का अधिप्राप्ति मूल्य 76 रुपये क्विंटल निर्धारित किया गया है। 1971-72 मौसम के लिए अधिप्राप्ति-मूल्य मौसम के शुरू में निर्धारित किया जाएगा।

समन्वित मुर्गी पालन कार्यक्रम

*363. **श्री नारायणन :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र के तथा राज्यों के चुने हुये मुर्गी-पालन फार्म मुर्गी-पालन के वैज्ञानिक तरीके अपनाकर श्रेष्ठ नस्लों की मुर्गियों का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही एक समन्वित मुर्गी-पालन कार्यक्रम आरम्भ करेंगे ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने सहकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में लाभप्रद ढंग से मुर्गी-पालन उद्योग के उत्पादों के विक्रय के लिये कोई उपयुक्त संगठन स्थापित करने की भी राज्य सरकारों को सलाह दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4394/70]

(ग) जी, हां।

लाख के उत्पादन में कमी

*369. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाख का उत्पादन काफी कम होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप लाख के सम्बन्ध में भारत के एकाधिकार का स्थान थाईलैंड ने ले लिया है जिसका उत्पादन अब विश्व के कुछ उत्पादन का एक तिहाई है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्ष के लाख के उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं तथा उत्पादन के कम होने के क्या कारण हैं ;

(ग) इसके परिणाम स्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई है ; और

(घ) उसी स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). जी, हां। भारत में पिछले दो वर्षों के दौरान लाख के उत्पादन में कमी आई है। सन् 1969-70 में 25,742 मीटरी टन उत्पादन हुआ था, जबकि 1968-69 में 29,598 और 1967-68 में 38,779 मीटरी टन उत्पादन हुआ था। फिर भी इस अवधि के दौरान लगभग 17,000 मीटरी टन लाख का निर्यात करके भारत ने अपरिवर्ती स्तर को बनाए रखा।

लाख के उत्पादन में कमी के मुख्य कारण लाख के मूल्य में अनियमित घटा-बढ़ी और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों का होना है।

(ग) इस अवधि के दौरान अर्जित की गई विदेशी मुद्रा और लाख के निर्यात से एकत्रित उपकर में घटा-बढ़ी हुई है। आंकड़े निम्न प्रकार है :—

वर्ष	निर्यात का मूल्य (रुपए लाखों में)	एकत्रित उपकर (रुपए लाखों में)
1967-68	515.05	3.44670
1968-69	502.96	3.98216
1969-70	477.78	3.78100

(घ) लाख के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए लाख उत्पादक राज्यों में "चुनिंदा खण्डों में बढ़िया किस्म की लाख की खेती और उत्पादन के उन्नत तरीकों को आपनाने के लिए विस्तार उपाय तथा पैकेज कार्यक्रम" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है। इनके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने किसानों में लाखपूर के वितरण के लिए लाखपूर फार्म भी खोले हुए हैं। इसके अतिरिक्त थाइलैंड में सप्लाई की स्थिति में कमी होने से अक्तूबर, 1969 से लाख के न्यूनतम निर्यात मूल्य को 7½ प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

चीनी का उत्पादन तथा गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन

*372. **वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी उद्योग को अति उत्पादन के संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या तीन वर्ष पूर्व समस्या चीनी की कमी की थी ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में गन्ना उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). ऐसा कोई संकट नहीं है। तथापि, फिलहाल सप्लाई स्थिति बहुत सुगम है। चीनी का उत्पादन 1967-68 के 22.48 लाख मीटरी टन से तथा 1968-69 के 35.59 लाख मीटरी टन से बढ़ कर 1969-70 में 42.61 लाख टन हो गया है। चीनी की खपत भी 1967-68 के 22.11 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1968-69 में 26.09 लाख मीटरी टन तथा 1969-70 से 32.61 लाख मीटरी टन हो गई है। आशा है कि चालू वर्ष में यह खपत और बढ़ जाएगी। इसके अलावा, अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अन्तर्गत हम 3.25 लाख मीटरी टन चीनी का पूर्ण अनुमेय कोटा निर्यात कर रहे हैं।

(ग) गन्ना उत्पादन के बारे में सरकार की नीति का उद्देश्य प्रति यूनिट क्षेत्र में उपज को बढाना तथा गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र के अनावश्यक विस्तार पर रोक लगाना है ताकि

आवश्यकताओं की पूर्ति उत्पादन में बढ़ोतरी से हो सके न कि क्षेत्र में बढ़ोतरी से। गन्ने की उपज में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे चीनी कारखानों के सुरक्षित गन्ना क्षेत्र को सुसंहत करने, सुसंहित क्षेत्रों में विकास प्रयत्नों को तेज करने, बीज नर्सरी कार्यक्रमों को गठित करने, आवश्यक इनपुटों को सुलभ करने, सिचाई सुविधाओं में वृद्धि करने तथा उक्त क्षेत्रों में आवश्यक फीडर सड़कों को सुलभ करने के प्रबंध करें।

Exemption of Gardens from Ceiling on Land

*373. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government are aware that land converted into a garden does not come within the purview of the ceiling on land as a result of which the big landholders, by converting their additional land into gardens have managed to keep the land in excess of the ceiling with them ; and

(b) if so, whether the Central Government would direct the State Governments to include garden land in the ceiling imposed on land holding so that the land in excess of the ceiling could be made available to the landless ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes Sir. In certain States, land comprised in orchards and gardens do not come within the purview of ceiling.

(b) Matter relating to exemptions from ceiling were considered at the Chief Ministers' Conference held in New Delhi on the 26th September, 1970 and it was agreed that exemptions to the extent they have been permitted should be curtailed. The entire range of problems in connection with land ceiling has been referred to the Central Land Reforms Committee on which Chief Ministers or their representatives from some of the States are being coopted.

गोआ सरकार द्वारा आकाशवाणी का बहिष्कार

*374. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ सरकार ने कितने दिन तक गोआ आकाशवाणी केन्द्र का बहिष्कार किया तथा ऐसा करने के क्या कारण थे ;

(ख) आकाशवाणी के गोआ केन्द्र पर इसका किस हद तक प्रभाव पड़ा ;

(ग) क्या गोआ के मुख्यमंत्री से इस विषय पर बातचीत करने के लिए समाचार सेवा के संयुक्त निदेशक को पणजी भेजा गया था ; और

(घ) यदि हां, तो मुख्य रूप से किन विषयों पर बातचीत हुई थी और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) इस आशय की कुछ खबरें समाचार पत्रों में छपी थीं परन्तु राज्य सरकार का आकाशवाणी का बहिष्कार करने का कोई प्रश्न नहीं है।

(ख) इसका आकाशवाणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(ग) वे आकाशवाणी पणजी की समाचार यूनिट की कार्य प्रणाली की जांच करने गये थे। अपने दौरे के दौरान वे गोआ के मुख्य मंत्री से भी मिले थे।

(घ) पक्षपातपूर्ण समाचारों के प्रसारण के आरोप सही नहीं पाये गये थे। मुख्य मंत्री को स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी।

चीनी उद्योग के लिए आवर्ती निधि स्थापित करने के सम्बन्ध में गुन्डुराव समिति का सुझाव

*375. **श्री सरजू पान्डेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार ने, चीनी उद्योग को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने और उसके आधुनिकीकरण के लिए सहायता देने हेतु एक आवर्ती निधि की स्थापना करने सम्बन्धी गुन्डुराव समिति के सुझाव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार आवर्ती निधि स्थापित करने के लिए सहमत नहीं हुई थी लेकिन यह निर्णय किया गया कि पुनः स्थापन, आधुनिकीकरण आदि के लिए वित्तीय सहायता चलाने वाले चीनी कारखानों को सामान्य रूप में ऋण प्राप्त करने के लिए भारत के औद्योगिक वित्त निगम जैसी वित्तीय एजेंसियों से अनुरोध करने की छूट थी।

Study Team on Agricultural Production Programme of Maharashtra

*376. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a Study Team of Government has examined the agricultural production programme of Maharashtra State ; and

(b) if so, the broad outlines of the report submitted by the aforesaid team in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). No special examination of the agricultural production programme of Maharashtra State only has been done. However, it has been a practice of the Department of Agriculture to send to every State once a year a Team of officers from the Department to discuss with their counter-parts in every State Government the programme of action for that particular year. Teams of this kind were sent to every State including also Maharashtra State and they discussed only the programme of action for the year 1970-71.

A copy of the general conclusions of the discussions held by the Team sent to Maharashtra is laid on the table of the House.

STATEMENT

1. In his opening remarks, the leader of the Central Team explained that the purpose of the Central Team's visit was to discuss the Action Programme for agricultural development under the Annual Plan of Maharashtra for 1970-71. The targets laid down under the principal programmes and the detailed arrangements made for the achievement of the proposed Plan targets were to be reviewed. The measures which the Central and State Govern ments could undertake for effective implementation of Plan schemes were also to be discussed.

2. It was noted that the outlays for the State Annual Plan had been considered earlier by the Programme Administration Adviser and the amounts budgeted by the State Government tallied with the Plan outlay under agricultural development.

3. In regard to institutional finance, it was clarified by the representatives of Maharashtra Government that the outlay of Rs. 898 crores took into account the availability of L. I. C. funds for the State Government. Institutional credit from other sources was however not included in that figure. As such, the State Government expected that the size of the Plan outlay including institutional credit from other sources would be larger than Rs. 898 crores.

4. The Development Commissioner of Maharashtra gave a brief account of the various schemes including those relating to lift irrigation, land development specially in the command of major irrigation projects. soil conservation and fisheries projects for which institutional funds had been arranged or were being requested for by the State Government from Agricultural Refinance Corporation, Agricultural Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. He mentioned, however, that some difficulties were being faced by the State Government. In regard to funds for financing irrigation schemes, Agricultural Finance Corporation was putting down the condition that prior proof regarding water availability should be given. Previously such funds could be available on the assurance from the State Government that schemes would be taken up where water was available. It was difficult to give the prior proof because hydrological surveys on an extensive basis had not been carried out in the State. In the case of soil conservation schemes, ARC has taken the position that due to inadequate returns in terms of additional production, these schemes did not qualify for refinancing. They had suggested to the State Government that joint surveys may be undertaken to see the beneficial effects of soil conservation. The State representatives mentioned that they might in due course require support of the Agriculture Ministry to ensure that institutional finances for soil conservation schemes like contour bunding, field bunding etc. was available.

5. The land development programme was not making adequate progress mainly due to shortage of manual labour. As such, the State Government wanted to undertake various land development operations with the help of crawler tractors, wheel tractor and other equipment. They were proposing to send to the Ministry a project for World Bank assistance in this regard.

6. In the case of Institutional finance from ARC for integrated fisheries development schemes, the Development Commissioner of Maharashtra pointed out that the Corporation was pressing for return of the loans in seven years time whereas the State Government wanted this period to be 12 years.

7. After the general, discussion the following groups were constituted to discuss specific problems under each head :—

(I) Crop production including high-yielding varieties, multiple cropping, commercial crops, seeds, fertilizers, consolidation of holdings and Agricultural research and education.

(ii) Plant Protection ;
(iii) Agricultural machinery and implements.
(iv) Extension, training and farmers training.
(v) Minor irrigation and area development.
(vi) Animal husbandry including poultry.
(vii) Dairying,
(viii) Soil conservation and forestry.
(ix) Cooperation and agricultural marketing.

Groups (ii) to (ix) consisted of technical officers in the Central Team and the technical and secretariat officers from the State Government and held discussions on the programmes, problems and priorities in their respective spheres. Detailed discussion on crop production and allied aspects Item (i) were held between the Leader of the Central Team assisted by certain officers and various representatives of the State Government.

8. Finally, all important conclusions arrived at during the discussions in the Sub-Groups were discussed in a general meeting between the Central Team and the Secretaries and Technical Heads and other concerned officers of Maharashtra Government.

चलचित्र वित्त निगम को वित्तीय सहायता

*377. श्री ए० श्रीधरन : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलचित्र वित्त निगम को उसकी गतिविधियों में विस्तार करने के लिए 50 लाख रुपयों की अतिरिक्त सहायता देने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) और (ख). जी, हां। फिल्मों के निर्माणार्थ धन देने तथा उनके वितरण एवं प्रदर्शन की व्यवस्था करने के लिए फिल्म वित्त निगम को 50 लाख रुपए का ऋण देने का निर्णय किया गया है। इस राशि में से 25 लाख रुपए सिनेमाघरों को लीज पर प्राप्त करने के लिए व्यय किए जाएंगे ; 5 लाख रुपए फिल्मों का वितरण करने के लिए तथा शेष राशि फिल्मों के निर्माणार्थ धन देने एवं स्टूडियों को फिल्म उद्योग सम्बन्धी उपकरण खरीदने हेतु ऋण देने के लिए व्यय की जाएगी।

भूमि को उपजाऊ बनाने के नये तरीके

*378. श्री बेणी शंकर शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूमि को उपजाऊ बनाने के नये तरीकों के बारे में अब तक क्या प्रयोग किये गये हैं ;

(ख) अब तक क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) किस सीमा तक उनका उपयोग किया गया है और किन-किन राज्यों में यह उपयोग किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) भूमि को उपजाऊ बनाना किसी निदिष्ट मृदा में किन्ही विशिष्ट फसलों के उत्पादन की व्यवस्था के तकनीक को विकसित करने के सम्बन्ध में एक नई धारणा है। इस धारणा के परीक्षण के लिये अभी विस्तार से अध्ययन किया जाना है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होते।

Change of Names of Radio Stations

***379. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :**

(a) whether Governments propose to adopt a uniform policy regarding change of names of A. I. R. Stations as in the case of Madras All India Radio Station, in respect of other States also ; and

(b) whether broadcasts from Shrinagar Radio Station are still being made as "Yeh Radio Kashmir Hai" ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) A. I. R. has been following a consistent practice in this regard.

(b) Yes Sir.

फसलों को नष्ट करने वाले कीड़ों और रोगों के उन्मूलनार्थ कृषि विमानों के लिए विश्व बैंक से करार

*380. **श्रीमती सुचेता कृपालानी :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विश्व बैंक के अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन के साथ, देश में फसल को नष्ट करने वाले कीड़ों और रोगों के उन्मूलनार्थ, 82 कृषि विमान प्राप्त करने हेतु 60 लाख डालर का ऋण प्राप्त करने के लिये कोई करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इन विमानों की प्राप्ति के पश्चात् खाद्यान्न के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन के कार्यकारी निदेशकों के मण्डल ने भारत की गैर-सरकारी प्रचालकों और भारत सरकार द्वारा 82 वायुयान (35 हैलीकाप्टर और 47 फिक्सड विग एयरक्राफट) और फालतू पुर्जों के आयात के लिए कृषि विमानन परियोजना के लिए 60 लाख डालर (4.50 करोड़ रु०) का ऋण मंजूर किया है। इस ऋण के लिए अभी तक संघ के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन के ऋण को 10 वर्षों की रियायती अवधि सहित 50 वर्षों में अदा करना होगा। इस पर कोई सूद नहीं होगा, परन्तु केवल एक प्रतिशत का 3/4 वार्षिक सर्विस चार्ज लगेगा।

(ग) परियोजना का उद्देश्य समस्त भारत में हवाई छिड़काव का विस्तार और सुधार करके फसल कीटों और रोगों पर भलि-भांति काबू पाना है। सन् 1971-72, 19‍72-73 और 1973-74 में क्रमशः 40 लाख एकड़, 50 लाख एकड़ और 60 लाख एकड़ क्षेत्र में हवाई छिड़काव करने का प्रस्ताव है। इन कार्यों में खाद्यान्न फसलों के अलावा कपास, गन्ना, जूट आदि शामिल हैं। खाद्यान्न फसलों का कितना और कौनसा क्षेत्र प्रभावित होगा यह अलग-अलग वर्षों में कीटों/रोगों के आक्रमण पर निर्भर करता है। परन्तु कुछ स्थानिकमारी क्षेत्रों में नियमित रूप से छिड़काव किया जाएगा। इन परिस्थितियों में पहले से यह बताना कठिन है कि खाद्यान्नों के अन्तर्गत कितने क्षेत्र में हवाई छिड़काव किए जाने की सम्भावना है। परन्तु कीटों/रोगों के आक्रमण से उपज में 15 से 20 प्रतिशत हानि का अनुमान लगाया गया है। अतः जब ऐसे आक्रमण को हवाई छिड़काव से रोकने पर खाद्यान्नों के उत्पादन में भी काफी वृद्धि होगी।

'टोपाज' नामक चल-चित्र का प्रदर्शन

*381. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित रूसी दूतावास ने इस समय राजधानी में प्रदर्शित किये जा रहे रूस विरोधी प्रचार वाले 'टोपाज' नामक चलचित्र का विरोध किया है ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में इस बीच कोई निर्णय किया गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

लार्ड थामसन की सस्ते टेलीविजन सेटों सम्बन्धी योजना

*382. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री दिनकर देसाई :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लार्ड थामसन ने भारत के लोगों के लिए सस्ते टेलीविजन बनाने की एक योजना सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उसने इस सम्बन्ध में एक ब्यौरेवार रिपोर्ट दी है;

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) टेलीविजन सेटों का क्या मूल्य होगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (घ). लार्ड थामसन ने स्वयं ऐसी कोई योजना सरकार को नहीं दी है। तथापि, जब वे मन्त्री महोदय से 30 अक्तूबर, 1970 को मिले थे, तब उन्होंने इसका उनसे उल्लेख किया था।

बाद में, इस मामले में मैसर्स थामसन (भारत) प्रा० लि० से एक पत्र प्राप्त हुआ था। उसमें यह प्रस्ताव था कि एक भारतीय कम्पनी पंजीकृत की जायेगी जो मासिक किराये के आधार पर दिए जाने के लिए शुरू में 50,000 पुराने, फिर से ठीक किये हुए टेलीविजन सैट आयात करेगी। लगाने का खर्चा छोड़कर परन्तु देखभाल का खर्चा मिलाकर मासिक किराया 50 रुपए प्रति सैट बताया गया था। पत्र में यह नहीं बताया गया है कि प्रस्तावित कम्पनी में लार्ड थामसन का क्या हित है।

प्रतिनिधि मजदूर संघों को अनिवार्य रूप से मान्यता देने के लिए विधान

*383. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक विभिन्न उद्योगों में प्रतिनिधि मजदूर संघों को अनिवार्य रूप से मान्यता देने के प्रस्ताव की, जिसकी सिफारिश गजेन्द्रगड़कर आयोग द्वारा की गई थी, इस समय क्या स्थिति है ; और

(ख) इस बारे में संसद् में विधेयक कब पेश किया जा रहा है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). त्रिदलीय स्थायी श्रम समिति ने, जिसकी बैठक जुलाई, 1970 में हुई, यूनियनों की अनिवार्य मान्यता के बारे में गजेन्द्रगड़कर की सिफारिश को स्वीकार कर लिया। इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए आगे वैधानिक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है।

बसुमती (प्राइवेट) लिमिटेड

*384. **श्री सत्यनारायण सिंह** :
श्री भगवान दास :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री** मैसर्स बसुमती (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता के मामलों की जांच के बारे में 30 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 610 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच, जैसा कि उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में बताया गया है, विशेषज्ञों की राय प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त जांच-पड़ताल इस बीच पूरी हो चुकी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, अभी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोला खानों में श्रमिक विवादों में वृद्धि

*385. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा कोयला मजदूरों के लिए नियुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार कोयला खानों के श्रमिक विवादों में वृद्धि का कारण कोयला खान वेतन बोर्ड की सिफारिशों का उचित रूप से क्रियान्वयन न होना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) यह सही है कि श्रम विवादों में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि कोयला खान मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों की आंशिक क्रियान्विति के कारण हो सकती है।

(ख) मजदूरी बोर्डों की सिफारिशें कानून लागू नहीं की जातीं। केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क तन्त्र के अधिकारी कोयला-खानों के प्रबन्धकों को समझा-बुझा कर सिफारिशों की क्रियान्विति कराने का प्रयास करते हैं। जब स्वीकृत सिफारिशों की क्रियान्विति पर विवाद खड़े किये जाते हैं, तब उन्हें तत्व के आधार पर न्याय-निर्णयन के लिए भेजा जाता है। यह भी निर्णय किया गया है कि कोयले के प्रधान सरकारी उपभोक्ताओं को केवल उन्हीं कोयला-खानों से टेंडर ग्रहण करने चाहिएं जो यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि उन्होंने मजदूरी बोर्डों की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया है।

जान बूझकर चीनी का उत्पादन न करने वाली चीनी मिलों को चेतावनी

*386. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की चीनी मिल मालिकों को चेतावनी दी गई है कि यदि आगामी मौसम में उन्होंने जान बूझकर चीनी का उत्पादन शुरू नहीं किया, तो सरकार उनके विरुद्ध अधिक सख्त कार्यवाही करने में संकोच नहीं करेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस चेतावनी में उन सभी दोषी कारखानों के अधिग्रहण और राज्य सरकार के माध्यम से अथवा सीधे केन्द्र द्वारा उनके संचालन की बात भी शामिल थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में मिल मालिकों की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां ।

(ख) जो कल्पना की गई थी वह केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन प्रबन्ध को अपने अधिकार में लेने की थी । इस कार्यवाही के लिये कुप्रबन्ध उत्तरदायी था ।

(ग) 24 नवम्बर तथा प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 71 कारखानों में से 42 कारखानों ने उत्पादन शुरू कर दिया है । आशा है कि शेष कारखाने नवम्बर, 1970 के अन्त तक उत्पादन प्रारम्भ कर देंगे लेकिन 5 कारखाने दिसम्बर में पिराई विषयक कार्य शुरू करेंगे ।

बम्बई के बड़े डाकघर में डाले गये पत्रों के टिकटों पर मोहर न लगाये जाने की जांच

*387. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ, बम्बई जी०पी०ओ० शाखा, ने उप-महानिदेशक (शिकायतें) का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया था कि बम्बई में डाले गये पत्रों की टिकटों पर मोहर नहीं लगाई जा रही है जिसके फलस्वरूप डाक-तार विभाग को भारी हानि हो रही है ;

(ख) क्या उक्त संघ ने वक्तव्य में, जो 4 अक्तूबर, 1970 को बम्बई के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था, यह कहा था कि उप-महानिदेशक (शिकायतें) ने इस मामले में की जांच करने से इन्कार कर दिया ; और

(ग) यदि हां, तो इस शिकायत की जांच न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जब उप-महानिदेशक (निरीक्षण) न कि उप-महानिदेशक (शिकायत) 28-10-1970 को बम्बई बड़ा डाकघर के दौरे पर गए तो प्रेसीडेंसी पोस्टमास्टर ने उन्हें सूचित किया कि अखिल भारतीय डाक-कर्मचारी यूनियन (डाकिये तथा श्रेणी-IV) की बड़ा डाकघर शाखा का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलना चाहता है । वे इस बारे में बात करना चाहते हैं कि वितरण के समय पत्रों पर तारीख-मोहर लगाना बन्द करने के आदेश क्यों जारी किये गये । यह बात सही नहीं है कि यूनियन उप-महानिदेशक से बम्बई बड़ा डाकघर में डाक में डाली जाने वाली वस्तुओं पर डाक-टिकटों पर मोहर न लगाने के बारे में बातचीत करना चाहती थी ।

(ख) ऐसा प्रतीत होता है कि यूनियन ने एक बयान जारी किया, जोकि बम्बई के समाचार-पत्रों से 29-10-1970 को, न कि 4 अक्तूबर, 1970 को छपा था।

(ग) सामान्य प्रणाली यह है कि शाखा यूनियन सीधे प्रेसीडेंसी पोस्टमास्टर से बातचीत कर सकती है। उप-महानिदेशक (निरीक्षण) को सूचित कर दिया गया था कि यूनियन ने इस मामले को प्रेसीडेंसी पोस्टमास्टर के साथ नहीं उठाया है। इसलिए उप-महानिदेशक ने प्रेसीडेंसी पोस्टमास्टर से कहा कि वे शाखा यूनियन को पहले यह मामला प्रेसीडेंसी पोस्टमास्टर के साथ उठाने के लिये कहें।

शाखा यूनियन ने समाचार-पत्रों में जो बयान जारी किया, उसमें यह कहा गया था कि वितरण किये जाने वाले पत्रों पर लगे डाक-टिकटों पर मोहरें न लगाने की नई नीति के परिणामस्वरूप डाक विभाग को भारी हानि हो रही है। यह बयान सही नहीं था। जिस नीति सम्बन्धी निर्णय का उल्लेख किया गया था, वह केवल कुछ चुने हुए डाकघरों में गंतव्य स्थानों पर वितरण से पहले पत्रों पर प्रयोग के तौर पर दुबारा मोहरें लगाना बन्द करने के बारे में था। फिर भी, पोस्टमास्टर जनरल ने भी यूनियन द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच-पड़ताल की और यह पाया गया कि बहुत ही कम मामलों में माननीय चूक के कारण डाक में डाले गए पत्रों पर डाक-टिकटों पर मोहरें लगने से रह गयीं। जिन समाचार-पत्रों ने यूनियन द्वारा जारी किया गया प्रेस नोट प्रकाशित किया था, पोस्टमास्टर जनरल ने उन्हें भी स्थिति स्पष्ट करते हुए लिख दिया था।

वनस्पति तेल में रंग लाना

*388. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति तेल, तोरिया के तेल तथा मूंगफली और महुए के तेलों की मिलें इन तेलों में तेल का मुक्त रूप से मिश्रण कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारण कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसा रंग देने के लिए कार्यवाही करेगी जिससे वनस्पति तेलों तथा अन्य तेलों के रंगों पर पक्का असर पड़ जाये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

वनस्पति घी के मूल्यों में वृद्धि

*389. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय से वनस्पति घी के मूल्य में तीव्र वृद्धि हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह वृद्धि व्यापार में सट्टे की प्रवृत्ति के कारण हुई है अथवा उत्पादन में वास्तविक कमी के कारण ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी नहीं। इसके विपरीत 8 अक्तूबर और फिर 24 अक्तूबर, 1970 को मूल्य में कमी की गई थी। 24 नवम्बर को मूल्य में और कमी की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक तथा तार विभागों के कतिपय पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को भरती करने से सम्बन्धित नियमों पर पुनर्विचार

*390. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभागों के कतिपय पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को भरती करने से सम्बन्धित नियमों पर सरकार ने पुनर्विचार करने का विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने विभाग में बाह्य-विभागीय प्रथा के कार्य की जांच करने तथा बाह्य-विभागीय एजेंटों को पारिश्रमिक देने के आधार पर पुनर्विचार करने के लिए एक एकल-सदस्यीय समिति की स्थापया की थी ; और

(घ) यदि हां, तो यह समिति कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) तथा (ख). डाक-तार विभाग में क्लर्क और सम्बद्ध काडरों में सीधी भरती सर्कल-अध्यक्षों द्वारा मैट्रिक या इसके समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाती है। ऐसी भरती में केवल वे ही उम्मीदवार नहीं लिये जाते जो उस डाक-तार सर्कल के सीमा-क्षेत्र के अधिवासी हों। आसाम सर्कल से इस आशय के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि भर्ती केवल स्थानीय उम्मीदवारों में से ही की जानी चाहिए। इन पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) इस समिति का गठन 7-10-1970 को किया गया था और इसे एक वर्ष के भीतर सिफारिशें देने के लिए कहा गया है।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार

2387. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 अगस्त, 1970 तक, रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों के नवीनतम आंकड़े क्या हैं ;

(ख) बेरोजगार व्यक्तियों की इस निरन्तर बढ़ती संख्या के लिए, उनके नाम पंजीकृत करने के अतिरिक्त, रोजगार उपलब्ध कराने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) गत वर्ष सीधे रोजगार कार्यालयों के प्रयास से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल सका ;

(घ) क्या अन्य लोगों की अपेक्षा केवल पंजीकृत व्यक्तियों को ही नियुक्त करने के लिये नियोक्ताओं को बाध्य करने के लिए सरकार का विचार कोई कानून बनाने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) यह जानकारी हर छः महीने के बाद इकट्ठी की जाती है। उपलब्ध ताजी जानकारी के अनुसार 30 जून, 1970 को इसकी संख्या 16,25,880 थी।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, सिंचाई व बिजली और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन जैसी सामाजिक सेवाओं तथा समाज कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर बेरोजगार लोगों को (जिनमें शिक्षित बेरोजगार भी शामिल हैं) अधिकाधिक नियुक्ति अवसर जुटाने के लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं।

गांवों में बिजली पहुँचाने के कार्य पर ज्यादा जोर देने, ग्रामीण क्षेत्रों की औद्योगिक गतिविधियों में विविधता लाने और कृषि-आधारित उद्योगों के विकास के लिए उच्च योग्यतायें प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इन विकास कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित युवकों को लाभ पहुँचने की सम्भावना है। संगठित उद्योगों और खनन-उद्योगों में इन्जीनियरों, तकनीशनों, कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल कामगरों की बड़ी संख्या में नियुक्ति अवसर मिलने की संभावना है। सामान्य प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन जैसी सेवाओं के क्षेत्र में अध्यापकों, डाक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित कर्मचारियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति अवसर मिलने की संभावना है।

इन्जीनियरों और तकनीशनों जैसे उच्च-शिक्षा प्राप्त कुछ वर्ग के लोगों से सम्बन्धित स्थिति का सामना करने के लिए विशेष उपाय अपनाना आरम्भ कर दिया गया है।

योजना को अपेक्षाकृत अधिक नियुक्ति अवसर जुटाने योग्य बनाने के लिए सन् 1970-71 के बजट में विशेष प्रयत्न किये गए हैं। इस बजट में सन् 1969-70 की तुलना में रुपये 480 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था कर दी गई। लागत में की गई इस उल्लेखनीय वृद्धि के साथ नियुक्ति अवसरों की वृद्धि के लिये बनी कई नई योजनाओं का पुनर्निर्धारण भी किया गया है। शिक्षित नौजवानों को उत्पादनकारी कार्यों/स्वनियोजन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विश्वविद्यालय और स्कूलों में नियुक्ति सम्बन्धी सलाह और व्यावसायिक मार्गदर्शन के कार्य को सशक्त बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही साथ युवकों (विशेषकर इन्जीनियरों और दस्तकारों) को स्वनियोजना अथवा नियुक्ति के लिए अधिक उपयुक्त बनाने की दृष्टि से

उद्योगों में प्रशिक्षण और वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण हेतु एक कार्यक्रम बनाया गया है।

(ग) 1969 में 1,58,287।

(घ) जी नहीं।

(ङ) नियोजन कार्यालयों द्वारा भरती किये जाने से नियोजन अवसरों की वर्तमान संख्या नहीं बढ़ेगी और किसी भी रूप में बेरोजगारी की वृद्धि नहीं रुक सकेगी।

आजकल नियुक्ति सहायता के इच्छुक उम्मीदवारों का पंजीकरण स्वेच्छिक है। यदि नियोजन कार्यालयों के माध्यम से भरती को अनिवार्य बना दिया जाता है तो नियोजन कार्यालयों में नाम दर्ज कराना भी जरूरी बनाना पड़ेगा। क्योंकि नियोजन कार्यालयों का उपयोग करने वाले कामगरों और नियोजकों की संख्या बढ़ जायेगी अतः समाज को लाभकारी सेवाएं प्रदान करने और कानून को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिए नियोजन कार्यालय के संगठन का बड़ी मात्रा में विस्तार करना जरूरी हो जायेगा। राज्य सरकारें जो नियोजन कार्यालयों के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं, आर्थिक दबाव के कारण इस प्रकार के विस्तार को लागू करने में कठिनाई अनुभव कर सकती है।

पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास

2388. **श्री बाबूराव पटेल : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों और आप्रवासियों के पुनर्वास पर विभाजन के पश्चात कुल कितना रुपया व्यय किया गया तथा अब तक कुल कितने लोगों को बसाया गया ;

(ख) उपरोक्त व्यक्तियों तथा उपरोक्त धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अभी कितने शरणार्थियों और आप्रवासियों को बसाना बाकी है तथा उन्हें कब तक और किस प्रकार बसाया जायेगा ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). 31-3-1970 तक पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आये प्रवासियों और विस्थापित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास पर 528.65 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी। इस खर्च का राज्यवार विभाजन सुगमतया उपलब्ध नहीं है क्योंकि खर्च का ब्यौरा अनुदान-वार रखा जाता है।

2. पश्चिमी पाकिस्तान से 47.40 लाख व्यक्ति भारत आये थे। इन व्यक्तियों का पुनर्वास कार्य प्रायः पूर्ण हो चुका है।

31-3-1958 तक पूर्वी पाकिस्तान से 41.17 लाख व्यक्ति भारत आये। पश्चिम बंगाल में कुछ अवशिष्ट समस्याओं के अतिरिक्त, जिनके लिए 21.88 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है और किए गए कार्य की समीक्षा श्री एन० सी० चटर्जी, संसद सदस्य, की अध्यक्षता के अधीन एक समिति द्वारा की जा रही है, इन व्यक्तियों के पुनर्वास की समस्या भी प्रायः 1960-61 तक हल हो चुकी थी।

इन पुराने प्रवासियों का राज्यवार विभाजन अनुबन्ध-I में दिया गया है।

3. नये प्रवासियों की अर्थात 1-1-1964 से 21 नवम्बर, 1970 तक पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की, कुल संख्या नीचे दी गई है :

उस राज्य का नाम जिसमें आये	प्रवासियों की संख्या
पश्चिमी बंगाल	7,44,529
आसाम	2,11,822
त्रिपुरा	1,41,785
	10,98,136

जो नये प्रवासी पश्चिम बंगाल में ठहर गये हैं वह, वर्तमान नीति के अनुसार, पुनर्वास सहायता के पात्र नहीं हैं। शेष संख्या में से 41,950 परिवार (लगभग 2,10,000 व्यक्ति अनुबन्ध-II में दिये गये ब्यौरे के मुताबिक विभिन्न राज्यों में बसाये गये हैं।

1,72,706 व्यक्ति अभी तक विभिन्न राहत शिविरों में है। विभिन्न राज्य सरकारों के परामर्श से, इन व्यक्तियों को कृषि तथा गैर-कृषि योजनाओं में बसाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये** संख्या एल० टी०—4395/70]

चावल तथा गेहूँ का आयात

2389. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के चावल का आयात किया गया ; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के गेहूँ का आयात किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष	जिन्स	मात्रा हजार मीटरी टन में	लागत तथा भाड़ा सहित अनुमानित मूल्य लाख रु० में
1967	गेहूँ	6347.8	38,226.8
	चावल	452.7	5,001.0
1968	गेहूँ	4765.4	28,283.3
	चावल	446.3	5,473.7
1969	गेहूँ	3089.5	18,419.3
	चावल	487.1	5,464.6

सूअर-मांस के उत्पादों के कारखाने

2390. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूअर-मांस के उत्पाद तैयार करने वाले ऐसे कारखानों की कुल संख्या तथा लागत कितनी है जिन्होंने उत्पादन आरम्भ कर दिया है, जो अभी पूरे किये जा रहे हैं तथा जो अभी चालू होने हैं और प्रत्येक कारखाने के चालू होने की तारीख, स्थान तथा स्थापित क्षमता क्या है तथा प्रत्येक में वस्तुतः कितना उत्पादन होता है तथा प्रत्येक में कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या अधिकांश भारतीय सूअर का मांस अथवा उससे बने पदार्थों को नहीं खाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो सरकार यह जानते हुए भी कि ये कारखाने असफल हो कर ही रहेंगे, और अधिक कारखाने क्यों खोलती जा रही है ; और

(घ) इस बारे में प्रशिक्षण हेतु विदेशों को भेजे गये भारतीय मांस-विशेषज्ञों के क्या नाम है तथा इस सम्बन्ध में सरकार को कितना खर्च करना पड़ा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) भारतीय भोजन में प्रोटीन की अत्यधिक कमी है, जो दूध, अण्डे, मछली, सूअर का मांस आदि के उत्पादन को बढ़ाकर पूरी की जानी है। यद्यपि, यह सत्य है कि काफी लोग सूअर के मांस को खाने के विरुद्ध हैं, लेकिन सूअर के मांस तथा सूअर-मांस के उत्पादों के लिए उपभोक्ताओं की अभिरुचि बढ़ रही है।

(ग) उपरोक्त (ख) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गये भारतीय तकनीशियनों की एक सूची संलग्न है। ये प्रशिक्षणार्थी खाद्य तथा कृषि संगठन तथा कोलम्बो प्लान के प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई छात्रवृत्ति पर भेजे गये थे।

विवरण

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	कार्यक्रम का नाम
1.	श्री पी० वी० सुभीदर, महाराष्ट्र राज्य	खाद्य तथा कृषि संगठन की छात्र-वृत्ति
2.	श्री जी०एस०आर० आएयर महाराष्ट्र राज्य	"
3.	श्री एस०एस० कृष्णमूर्ति आंध्र प्रदेश	"
4.	श्री टी०टी० मन्नार मैसूर	"
5.	श्री ए०पी० राघवियन, मैसूर	कोलम्बो प्लान
6.	श्री ए०वी० मुरजानी, दिल्ली	"
7.	श्री डी०पी० माथुर, राजस्थान	"
8.	श्री वी०पी० वर्मा, उत्तर प्रदेश	"
9.	श्री एस० गुप्ता, पश्चिम बंगाल	"
10.	श्री आर्ज वर्गिज केरल	"
11.	श्री आर० पी० विग, पंजाब	"

देश में कार्य कर रहे विदेशी टेलीविजन दल

2391. **श्री रा० रा० सिंह देव :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कार्य कर रहे और अधिक विदेशी टेलीविजन-दलों को अपना कार्य बन्द करने को कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा इस कार्यवाही का आधार क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फरीदाबाद स्थित मैसर्ज भारत कार्पेट्स लिमिटेड में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू करना

2392. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री मैसर्ज कार्पेट्स लिमिटेड, डाकखाना अमरनगर, फरीदाबाद में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू करने के बारे में 27 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4135 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने उक्त कारखाने में निर्माण कार्य आरम्भ करने की तिथि के बारे में जांच पूरी कर ली है, यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) क्या उक्त फर्म से गलती के जुर्माने सहित प्रशासनिक खर्च की बकाया राशि वसूल कर ली गई है क्योंकि यह फर्म वर्तमान प्रबन्धकों के अधिकार में आने से पूर्व भारत टैक्सटाइल इण्डस्ट्री के नाम से गत दस वर्षों से कार्य कर रही थी ; और

(ग) क्या इस फर्म के प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई मुकद्दमा चलाया गया था ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : कर्मचारी राज्य बीमा योजना के प्रशासन का सम्बन्ध कर्मचारी राज्य बीमा निगम से है, जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है और केन्द्रीय सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :

(क) मैसर्स भारत कला केन्द्र (प्रा०) लिमिटेड, मैसर्स भारत टैक्सटाइल्स एण्ड कार्पेट्स लिमिटेड के नाम से फरीदाबाद में एक कारखाना स्थापित करना चाहते थे, परन्तु उसने, उसके 1966 में मैसर्स भारत कार्पेट्स लिमिटेड द्वारा लिए जाने तक जब यह कारखाना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत आ गया, कभी भी उत्पादन नहीं किया।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

फरीदाबाद स्थित मैसर्स भारत कार्पेट्स लिमिटेड, में कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू करना

2393. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री 27 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4136 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मैसर्स भारत कार्पेट्स लिमिटेड, फरीदाबाद के विरुद्ध जांच करने का जो वचन दिया था वह जांच उसने पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या कारखाने के आरम्भ होने की तिथि को गलत बताये जाने का दोष प्रकाश में आया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने अन्तिम रूप से क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत नियुक्त एक स्वायत्त संगठन है और इसका मुख्य रूप से भारत सरकार से सम्बन्ध नहीं है । भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :

(क) और (ख). जांच-पड़ताल से पता चला है कि मैसर्स भारत कला केन्द्र (प्रा०) लिमिटेड का मैसर्स भारत टेक्सटाइल एण्ड कार्पेट्स लिमिटेड के नाम से फरीदाबाद में एक कारखाना स्थापित करने का विचार था, परन्तु उसने, उसके मई, 1966 में मैसर्स भारत कार्पेट्स लिमिटेड द्वारा लिए जाने तक, कभी भी उत्पादन नहीं किया ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

राज्यों में पेय जल के कुएं

2394. **श्री देवराव पाटिल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यवार पीने के पानी के लिए बनाये कुल कुओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा उन पर कुल कितना व्यय किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : एक विवरण, जिसमें पीने के पानी के लिए बनाए गये कुल कुओं तथा उन पर किये गए व्यय का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है, सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पीने के पानी के लिए बनाये गये कुल कुओं तथा उन पर किये गये व्यय का राज्यवार ब्यौरा बताने वाला विवरण ।

क्र०सं०	राज्य	बनाये गए कुओं की संख्या	केन्द्रीय अनुदान व्यय (लाख रु० में)
1.	आंध्र प्रदेश	18,735	300.11
2.	असम	14,072	55.38

1	2	3	4
3.	बिहार	16,084	92.81
4.	गुजरात	3,146	130.97
5.	जम्मू तथा काश्मीर	150	7.39
6.	केरल	3,902	88.41
7.	मध्य प्रदेश	5,879	253.77
8.	तमिल नाडु	36,164	369.36
9.	महाराष्ट्र	10,971	338.01
10.	मैसूर	9,069	206.22
11.	उड़ीसा	5,553	172.73
12.	हरियाणा तथा पंजाब	6,106	88.13
13.	राजस्थान	2,913	129.70
14.	उत्तर प्रदेश	86,411	572.69
15.	पश्चिम बंगाल	18,680	103.26
	योग	2,37,835	2,908.94

ग्रामीण जनता के लिये रोजगार की व्यवस्था

2395. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण जनता विशेषकर अर्धकुशल तथा अदक्ष श्रमकों को रोजगार देने के लिए कोई कार्यक्रम बनाने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) ये कार्यक्रम कब तक लागू किये जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) से (ग). सरकार एक योजना पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है जो ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम न्यूनतम लोगों को जल्दी तथा सीधे रोजगार उपलब्ध करेगी। आशा है कि यह योजना सारे देश में लागू की जायेगी और रोजगार की व्यवस्था कार्य परियोजनाओं, जो दोनों उत्पादी तथा श्रम-प्रधान और पहले से चल रहे कृषि तथा ग्राम विकास कार्यक्रमों से संबंधित होगी, के माध्यम से की जायेगी। इस योजना के बारे में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही किए जाने की सम्भावना है। सूखे से ग्रसित होने की सम्भावना रखने वाले क्षेत्रों में उत्पादन तथा रोजगार अभिमुख कार्यों के लिए पहले से ही एक अन्य स्वीकृत योजना चालू वर्ष से कार्यान्वित की जा रही है, जो अब ऐसे 53 जिलों में लागू हो जायेगी।

'भूमि हथियाओ' आन्दोलन को रोकने के लिए उपाय

2396. **श्री शंकर राव माने :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राजनैतिक ग्रुपों के एक भाग द्वारा आरम्भ किये गये 'भूमि हथियाओ' आन्दोलन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किये गये हैं ; और

(ख) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) सरकार भूमि सुधार के कार्यक्रम की प्रभावी तथा शीघ्रता से करने के लिए बचनवद्ध है। जबरन भूमि ग्रहण करने के लिये गए आन्दोलन अवांच्छित है और कानून के किसी भी उलंघन का सख्त नोटिस लिया जायेगा। राज्य सरकारें सतर्क हैं और उन्होंने परिस्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाये हैं।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि जबरन भूमि ग्रहण करने के प्रयत्नों को रोक दिया गया है और भूमि को खाली कराने के लिए तथा कानून का उलंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए उचित कदम उठाये जा रहे हैं।

कार्य करने के अधिकार तथा न्यूनतम मंजूरी सम्बन्धी सिद्धांत

2397. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कार्य करने के अधिकार तथा न्यूनतम मंजूरी के निदेशक सिद्धान्तों पर विशिष्ट रूप से विचार कर लिया है और पंचवर्षीय योजनाओं में तत्संबंधी व्यवस्था कर दी हैं।

(ख) क्या रोजगार के स्थाई प्रस्ताव की योजना को, जिसका महाराष्ट्र में प्रयोग किया जा रहा है, अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने की वांछनीयता पर विचार किया गया है ;

(ग) हमारे विदेशी मिशन रोजगार कार्यालयों को भारतीय शिक्षित बेरोजगारों के लिए नौकरियां ढूंढ़ने हेतु जागरूक करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ; और

(घ) क्या भारतीय मिशनों ने हमारे प्रशिक्षित कर्मचारियों के लिये विदेशों में रोजगार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई जांच-पड़ताल की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : संविधान में सम्मिलित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसमें "पर्याप्त ढंग से जीवन निर्वाह का अधिकार" और "काम प्राप्त करने का अधिकार" आदि सम्मिलित हैं, सन् 1951 से ही सदा आयोजना तैयार करने से सम्बन्धित राज्य का लक्ष्य एवं नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत रहे हैं। पिछली योजनाओं की तरह, चौथी योजना का प्रमुख लक्ष्य भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अधिकाधिक नियुक्ति अवसर जुटाना है।

निर्वाह योग्य मजूरी का सिद्धांत आबादी के सभी वर्गों के, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के आधारभूत सिद्धांतों में निहित है।

(ख) नियुक्ति अवसरों की गारन्टी देने से सम्बन्धित योजना की संगठन सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने पर मिले अनुभव द्वारा और महाराष्ट्र में आजमाई जा रही पुरोगामी योजना द्वारा उपलब्ध किये साधनों से भावी योजनाएं बनाने में सहायता मिलेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का यथातथ्य रूप विस्तार और ढ़ांचा जानने के लिए, चुने हुए जिलों में, पुरोगामी योजना आरम्भ करने की सम्भावनाओं और इसके बाद उपयुक्त नियुक्ति अवसरों की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप विकास कार्य तथा सम्पति का सृजन होगा।

(ग) और (घ). विकासशील मित्र देशों में हमारे सभी मिशनों को समय समय पर सूचित किया जाता रहा है कि भारत सरकार तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति को खोजने और उनकी सेवाएं सुलभ कराने के लिए सहर्ष सहयोग देगी। इस सम्बन्ध में जब कभी भी अनुरोध प्राप्त होते हैं उनपर विचार किया जाता है और इसके लिये एक नामसूची तैयार रखी जाती है।

लेकिन विकासशील देश ऐसे विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए अनुरोध करते हैं जिन्हें अपने क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो। वे अशिक्षित कर्मचारी अनुभवहीन स्नातक या अकुशल लोगों की मांग नहीं करते।

राज्यों में विचोलियों को समाप्त करना

2३9९. **श्री लोबो प्रभु** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिचौलियों को समाप्त करने की नीति केवल भूमि सम्बन्धी मामलों तक ही सीमित है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) राज्य उपक्रमों द्वारा नियुक्त एजन्टों तथा ठेकेदारों को बिचौलिए क्यों नहीं समझा जाता तथा उनको कब समाप्त करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). प्राचीन काल से चले आ रहे भूमि सम्बन्धी ढ़ांचे के कारण कृषि विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से संविधान में निर्धारित राज्य नीति के निदेशी सिद्धांतों के अनुसरण में भूमि सुधार कार्यक्रम के भाग के रूप में कृषि भूमियों के सम्बन्ध में विचौलियों को समाप्त करने की नीति को अनुमोदित किया गया है। भूमि-स्वामित्व तथा प्रबन्ध की समस्यायें औद्योगिक संस्थाओं की समस्याओं से बिल्कुल भिन्न होती हैं, अतः इन समस्याओं के हल भी भिन्न होते हैं।

कलकत्ता में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा फिल्मों का जब्त किया जाना

2399. **श्री नारायणन** :
श्री सामिनाथन :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश टेलीवीजन कम्पनी से सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त की गई फिल्मों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या कोई अन्य कम्पनियाँ भी कलकत्ता तथा देश के अन्य भागों में फिल्में ले सकती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) ब्रिटिश टेलीविजन कम्पनी से सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा कलकत्ता में कोई फिल्म जब्त नहीं की गई। सीमाशुल्क अधिकारियों ने मैसर्स थामेस टेलीविजन से सम्बन्धित एक्सपोज की गई रंगीन 2490 फुट लम्बी फिल्म का एक डब्बा कलकत्ता में रोका था, क्योंकि दल ने अपेक्षित शर्तें पूरी नही की थीं। बाद में फिल्म प्रोसेस किए जाने और जांचे जाने के लिए पानी के जहाज से भारतीय हाई कमीशन लन्दन के पास भेजने के लिए विदेश मन्त्रालय के प्रतिनिधि को दे दी गई थी।

(ख) और (ग). 1-9-1970 और 20-11-1970 के बीच 14 विदेशी फिल्म यूनिटों को फिल्मों की भारत में शूटिंग की अनुमति दी गई है। यह अनुमति इन सभी द्वारा इस मन्त्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने का वचन दिए जाने पर दी गई थी।

आकाशवाणी द्वारा डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी को कतिपय कार्य सौंपा जाना

2400. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गत सामान्य बजट के तैयार होने से पूर्व इस मंत्रालय का एक नमूना-बजट तैयार करने के लिए डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी नाम के एक व्यक्ति को काम पर लगाया गया था ;

(ख) क्या उनको यह कार्य पूरा करने के लिए आकाशवाणी भवन में ही विशेष स्थान दिया गया था ;

(ग) क्या उनको परमाणु बमों के शस्त्रास्त्र-भंडार सहित सभी चीजों में आत्म-निर्भरता के लिए भी एक स्वदेशी योजना तैयार करने का कार्य भी सौंपा गया था ;

(घ) क्या उनको आकाशवाणी की विदेश-सेवाओं के लिए भी साप्ताहिक रूप से अनुबद्ध किया गया था ;

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क) से (घ) तक के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उक्त डा० स्वामी का इतिहास क्या है तथा उन्हें ये महत्वपूर्ण कार्य क्यों सोंपे गये थे ; और

(च) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि डा० स्वामी आकाशवाणी पर ऐसा प्रचार-प्रसारण करते रहे हैं जो कि सरकार की विदेश-नीति के विरुद्ध है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) डा० स्वामी को सूचना, प्रसार और आर्थिक प्रगति के बीच कारण-सम्बन्ध पर एक पेपर तैयार करने के लिए कहा गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) डा० स्वामी आकाशवाणी की वैदेशिक सेवाओं के अंतर्गत एक साप्ताहिक समीक्षा प्रसारित करते हैं।

(ङ) डा० स्वामी अर्थशास्त्री हैं तथा (क) में उल्लिखित विषय पर अध्ययन के लिए उन्हें उपयुक्त समझा गया था। वे चीन की अर्थ व्यवस्था के विशेषज्ञ है तथा देश में उपलब्ध उन कुछेक व्यक्तियों में से एक हैं जो आकाशवाणी की वैदेशिक सेवाओं में इस विषय पर प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।

(च) डा० स्वामी के प्रसारण सरकार की विदेशी नीति के अनुरूप हैं।

Outstanding Amount of Loans Advanced by District Banks in States

2401. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether a survey has revealed that the outstanding amount of loans advanced by the district Banks in each State stood maximum against the well-to-do farmers during the years 1966-67, 1967-68 and 1968-69 ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action being taken to put an end to this tendency ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Jagannath Pahadia) : (a) No survey covering all the district central cooperative banks in each State for the three years 1966-67, 196 -68 and 1968-69 has been conducted.

(b) and (c). Does not arise.

बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए 'क्षेत्रीय नीति'

2402. **श्री रवि राय :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वह देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के 'क्षेत्रीय नीति' के पक्ष में हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकने वाली बेरोजगारी की इस व्यापक समस्या को हल करने के लिए क्या उनका विचार सभी दलों की एक बैठक बुलाने का है ; और

(घ) बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने और क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जैसाकि चौथी पंचवर्षीय योजना (पैरा 1.63 पृष्ठ 28) में उल्लेख है, आयोजना के अधीन क्षेत्रीय और स्थानीय योजनाओं के

द्वारा बड़ी संख्या में छोटे और कमजोर उत्पादकों को सहायता देने और तात्कालिक एवं भावी नियुक्ति अवसरों की संभावनाओं को बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

(ख) और (घ). इस संबंध में लोक सभा में पूछे अतारांकित प्रश्न संख्या 566 के उत्तर में दिनांक 11 नवम्बर, 1970 को प्रस्तुत विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

फिल्म वित्त निगम से ऋण लेकर निर्मित चलचित्रों का प्रदर्शन

2403. **श्री न० कु० सांघी :**
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे चलचित्रों की संख्या कितनी है जो फिल्म वित्त निगम से ऋण लेकर निर्मित किये गए हैं परन्तु अभी तक प्रदर्शित नहीं किये गये हैं ;

(ख) उक्त ऋण कितने वर्षों से बकाया है ; और

(ग) उनको कुल कितना ऋण दिया गया था उस पर कितना ब्याज है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०—4396/70] ।

शिक्षित व्यक्तियों के लिये बेरोजगारी की समस्या

2404. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1970 में 1 करोड़ 60 लाख शिक्षित व्यक्तियों में से लगभग 10 प्रतिशत अथवा लगभग 15 लाख व्यक्तियों के बेरोजगार होने का अनुमान है ;

(ख) गत तीन वर्षों में बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों की संख्या किस दर से बढ़ी है ; और

(ग) क्या देश में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की वर्तमान दर से वृद्धि होने से 1986 तक शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 55 लाख होने की संभावना है ; यदि हां, तो देश में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की समस्या का सामना करने हेतु सरकार द्वारा क्या नये कार्यक्रम तैयार किये गये हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) शिक्षित बेरोजगार लोगों के बारे में यथातथ्य जानकारी उपलब्ध नहीं है । फिर भी सन् 1961 की जनगणना के अनुसार शिक्षित

बेरोजगार लोगों की संख्या 82 लाख थी। नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज नियुक्ति अवसर खोजने वालों की संख्या जून, 1961 के अन्त में और जून, 1970 के अन्त में क्रमशः 5.68 लाख और 16.26 लाख थी।

(ख) वृद्धि की यथातथ्य दर प्राप्त नहीं है। फिर भी नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज शिक्षित नियुक्ति अवसर खोजने वालों की संख्या में जून, 1967 से जून, 1970 की अवधि में 62.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) पर्याप्त आंकड़ों के न होने के कारण 1986 में बेरोजगार रहने वालों की आंकड़ों का अनुमान नहीं लगाया गया है। फिर भी चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, सिंचाई व बिजली और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन जैसी समाजिक सेवाओं तथा समाज कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर बेरोजगार लोगों को (जिनमें शिक्षित बेरोजगार भी शामिल हैं) अधिकाधिक नियुक्ति अवसर जुटाने के लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं।

गांवों में बिजली पहुँचाने के कार्य पर ज्यादा जोर देने, ग्रामीण क्षेत्रों की औद्योगिक गतिविधियों में विविधता लाने और कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिये उच्च योग्यतायें प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इन विकास कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित युवकों को लाभ पहुंचाने की संभावना है। संगठित उद्योगों और खनन-उद्योगों में इंजीनियरों, तकनीशनों, कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल कामगारों की बड़ी संख्या में नियुक्ति अवसर मिलने की संभावना है। सामान्य प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन जैसी सेवाओं के क्षेत्र में अध्यापकों, डाक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कर्मचारियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति अवसर मिलने की संभावना है।

इंजीनियरों और तकनीशनों जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त कुछ वर्ग के लोगों से संबंधित स्थिति का सामना करने के लिए विशेष उपाय अपनाना आरम्भ कर दिया गया है।

योजना को अपेक्षाकृत अधिक नियुक्ति अवसर जुटाने योग्य बनाने के लिये सन् 1970-71 के बजट में विशेष प्रयत्न किये गये हैं। इस बजट में सन् 1969-70 की तुलना में रु० 480 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था कर दी गई है। लागत में की गई इस उल्लेखनीय वृद्धि के साथ नियुक्ति अवसरों की वृद्धि के लिए बनी कई नई योजनाओं का पुनर्निर्धारण भी किया गया है। नौजवानों को उत्पादन कारी कार्यों/स्व-नियोजन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विश्वविद्यालय और स्कूलों में नियुक्ति संबंधी सलाह और व्यावसायिक मार्गदर्शन के कार्यों को सशक्त बनाने के लिये कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही साथ शिक्षित बेरोजगारों (विशेषकर इंजीनियरों और दस्तकारों) को स्व-नियोजन अथवा नियुक्ति के लिये अधिक उपयुक्त बनाने की दृष्टि से उद्योगों में प्रशिक्षण और वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण हेतु एक कार्यक्रम बनाया गया है।

Strike Threat by Jute Mill Workers

2405. **Shri Valmiki Choudhary :**
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Jute Mill Workers have threatened to go on strike ;

(b) if so, the broad outlines of their demands ; and

(c) the nature of concrete steps being taken by Government to stop the strike ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (c). Yes ; according to available information, the workers have served a strike notice intimating their intention to go on an indefinite strike from December 7, 1970. Their demands relate, in the main, to gratuity, minimum annual bonus, re-opening of closed mills, grievances in regard to the operation of the Employees State Insurance Scheme, maintenance allowance for Badli workers, house allowance, increase in leave and holidays, and wages for the strike period in August 1969. The State Labour Commissioner is reported to have convened a tripartite meeting on November 24, 1970 to discuss the matter with the parties.

देश में विकास खण्डों की संख्या

2406. **श्री जे० एच० पटेल :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में इस समय विकास खंडों की राज्यवार संख्या क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : यह सूचना सामुदायिक विकास विभाग की 1969-70 की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है ।

Closure af Palana Coal Mines in Rajasthan

2407. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4842 on the 22nd December, 1969, regarding the closure of Palana Coal Mine in Rajasthan and state :

(a) the details of the report in regard to the causes of the fire in the Palana Coal Mine in Rajasthan as given by the Colliery Security Department of the Central Government ;

(b) whether the Palana Colliery labours have filed a case in regard to the colliery Wage Board in the Labour Department of the Central Government ; and

(c) if so, the action taken or proposed to be taken in this regard ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) The Director General of Mines Safety has reported that fire in the Palana Coal Mines was due to spontaneous heating of lignite.

(b) and (c). The Palana Colliery Karmachari Union raised an industrial dispute in May, 1969 over their demand for implementation of the recommendation of the Central Wage Board for Coal Mining Industry as accepted by the Government of India Resolution No. WB 16(5)/66, dated 27.7.1967. The dispute was taken in conciliation which failed. The colliery being an undertaking of the Government of Rajasthan, the demand of the union is being examined in consultation with the State Government.

कलकत्ता में झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में निवास की दशा

2408. **श्री समर गुह :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेटर कलकत्ता में तथा इसके आस पास पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों

द्वारा बनाई गई कुछ सौ काम चलाऊ झुग्गी झोपड़ी बस्तियों की दशा अन्य गन्दी बस्तियों तथा जंगली स्थानों के समान निन्दनीय हैं ;

(ख) क्या इन झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में सड़कों, बिजली, पानी की सप्लाई, नालियां तथा सफाई संबंधी न्यूनतम सुविधाओं का अभाव है ;

(ग) क्या इन बस्तियों में कच्चे शौचालय ग्रेटर कलकत्ता के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिये गम्भीर खतरा है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इन बस्तियों को कलकत्ता महानगर विकास प्रशासन द्वारा आरम्भ की गई गन्दी बस्ती सुधार योजनाओं में सम्मिलित किया जायेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो अन्य गन्दी बस्तियों सहित इन झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के सुधार के लिये आरम्भ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में बम्बई सहकारी समिति अधिनियम, 1925 को लागू करना

2409 **श्री राम चन्द्र वीरप्पा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सहकारी समिति अधिनियम, 1925 को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू कर दिया गया है ;

(ख) क्या दिल्ली की सहकारी गृह-निर्माण समिति के सदस्यों के हिस्सों को धारा 19 के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा सकता है और क्या उन्हें सहकारी गृह-निर्माण समितियों के उप-नियमों के अंतर्गत दिल्ली में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के यहां अनुमोदित और रजिस्टर्ड माना जायेगा ;

(ग) क्या आवास आयुक्त ने दिल्ली की अनेक सहकारी गृह-निर्माण समितियों के हिस्सों को हस्तांतरित करने पर हाल ही में रोक लगा दी है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो (1) वे नियम कौन से हैं जिनके अंतर्गत हिस्सों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाई गई है और (2) भू-अधिग्रहण की दर अब 1.50 रुपये प्रतिगज बढ़ाने के क्या कारण हैं जबकि भूमि का अधिग्रहण बहुत पहले ही कर लिया गया था और उनका मूल्य उस समय निश्चित कर दिया गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां, यह वर्ष 1949 में लागू किया गया था।

(ख) जी हां, किन्तु बम्बई कोआपरेटिव सोसायटी एक्ट, 1925, जो कि दिल्ली के केन्द्र

शासित में लागू किया गया है, की धारा 19 और समिति की उप-विधियों में निर्धारित की गई शर्तों के अधीन रहते हुए।

(ग) भूमि का उचित ढंग से आवंटन तथा उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से, दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली में समस्त सहकारी गृह निर्माण समितियों, जिन्हें "दिल्ली में भूमि का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण, विकास तथा विक्रय" की योजना के अंतर्गत भूमि आवंटित की गई है अथवा आवंटित करने का विचार है, को अनुदेश जारी किये गये हैं कि इन अनुदेशों के जारी किये जाने के उपरान्त दिल्ली प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना हिस्सों का किसी को हस्तांतरण। नये सदस्यों के नामांकन को उनके नाम पर प्लाटों का आवंटन अथवा उप-पट्टा निष्पादित करने के प्रयोजनों के लिये स्वीकृति नहीं दी जायेगी। तथापि, सदस्यों की स्वीकृत सूची से हस्तांतरणों के लिये अनुमति दी जा रही है, यदि वे रक्त सम्बन्धियों, अर्थात पत्नी व पति, पिता, पुत्र, भाई और पुत्री के बीच हैं।

(घ) (1) दिल्ली प्रशासन भूमि का आवंटन करने वाला प्राधिकरण होने के नाते भूमि के आवंटन के मामले में ऐसे प्रतिबन्ध लगाने के लिये सक्षम है जोकि इसके द्वारा उपयुक्त समझे जायें, ताकि समितियों द्वारा भूमि का उचित उपयोग सुनिश्चित करके जनहित की रक्षा की जा सके और आवंटित भूमि के अनुपात से अधिक सदस्य बनाना जैसे कदाचारों को रोका जा सके समितियों द्वारा दिल्ली प्रशासन के साथ विकास परियोजनों के लिये भूमि आवंटित करने हेतु जिस 'करार' के निष्पादित किये जाने की आवश्यकता है, उसके अंतर्गत लगाई गई शर्तों में से एक शर्त यह है कि उप-पट्टा केवल उन सदस्यों के साथ निष्पादित किया जा सकता है जिनके बारे में दिल्ली प्रशासन द्वारा स्वीकृति दी गई है।

(2) समितियों को 'दिल्ली में भूमि का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण, विकास और विक्रय' की योजना के अंतर्गत जिस समय भूमि दी गई थी, उस समय भूमि के लिये 8.50 रु० प्रति वर्ग गज (क्षेत्रीय सड़क प्रभार के लिये 50 पैसे मिला कर) के हिसाब से अस्थाई प्रीमियम ली गई थी। यह प्रीमियम 'आन एकाउंट' आधार पर ली गई थी। तत्पश्चात अधिग्रहण लागत में वृद्धि होने के कारण 'पूल' मूल्य में क्षेत्रवार परिवर्तन किया गया और प्रियतमपुरा तथा रोहतक रोड क्षेत्रों, जहां ग्रुप 4 वर्ग की सहकारी समितियों को भूमि आवंटित की गई है, के मामले में भूमि की प्रीमियम 8.50 रुपये से बढ़ा कर 9.50 रु० प्रति वर्ग गज (क्षेत्रीय सड़क अंशदान और दिल्ली प्रशासन द्वारा लागू किये गये अन्य प्रभारों सहित) की गई थी।

गन्ना क्षेत्रों में बेहतर सिंचाई सुविधायें

2410. **श्री चेंगलराया नायडु :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गन्ना विकास परिषद् ने हाल ही में सरकार को देश के गन्ना क्षेत्रों में बेहतर सिंचाई-सुविधायें प्रदान करने तथा सड़कों का निर्माण करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ;

(ग) यदि सुझाये गये उपाय अपनाये गये तो देश में गन्ने के उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ; और

(घ) उक्त सिफारिशों के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय गन्ना विकास परिषद ने सिफारिश की है कि गन्ने के उपकर क्रय कर से उगाई गई राशि का 50 प्रतिशत भाग प्रत्येक राज्य की लघु सिंचाई सम्भाव्यताओं को बढ़ाने, सड़कों के निर्माण और गन्ना विकास के अन्य उपायों के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए ।

(ग) सिंचाई सुविधायें बढ़ाने से गन्ने के प्रति यूनिट क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि होगी। पहुंच मार्गों से गन्ने को चीनी के कारखानों तक जल्दी तथा सुगमता से पहुँचाया जा सकेगा। चीनी के कारखाना क्षेत्रों में सड़क निर्माण करने से कारखानों में ताजा गन्ना पहुँचाने में भी सहायता मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप गन्ने से और अधिक प्रतिशत चीनी प्राप्त होगी ।

(घ) मंत्रालय द्वारा भारतीय गन्ना विकास परिषद की सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया है और तदनुसार राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है।

मनीपुर से दाल चीनी का निर्यात और इसका मूल्य

2411. **श्री एम० मेघचंद्र** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के जंगलों में दाल चीनी बड़ी मात्रा में पाई जाती है और जिसे गैर-सरकारी अभिकरण पिछले कुछ वर्षों से मनीपुर से बाहर निर्यात कर रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो भारत की मण्डी में तथा मनीपुर में उसका वर्तमान मूल्य क्या है ; और

(ग) क्या इस बन-उत्पादन की लाभप्रद बिक्री के लिए मनीपुर सरकार ने उपाय किये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). सम्बन्धित क्षेत्रों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी भूमि को श्रम कार्यालयों के माध्यम से अधिसूचित किया जाना

2412. **श्री लोबो प्रभु** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकारी भूमि स्थानीय निवासियों द्वारा नहीं दी जाती है उसे रोजगार दफ्तरी के माध्यम से अनुसूचित न किये जाने के क्या कारण हैं ताकि 1971 के अन्त तक सभी राज्यों में सरकारी भूमि वितरित की जा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : सरकार के पास उपलब्ध कृषि भूमि ग्राम पंचायतों या स्थानीय अधिकारियों द्वारा बांटी जाती है जिन्हें लाभ प्राप्त करने वालों की आवश्यकताओं और स्थानीय परिस्थितियों का ज्ञान होने के कारण ऐसी भूमि के समान वितरण के लिए सक्षम समझा जा सकता है।

राजस्थान सूखा कार्यों के लिए प्रस्ताव

2414. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में सूखा सम्बन्धी राहत कार्यों हेतु केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए कुछ ठोस प्रस्ताव पेश किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किये जाने वाले प्रस्तावित राहत कार्यों का स्वरूप क्या है तथा उसके लिए कितनी सहायता मांगी गई है और सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चावल का उत्पादन

2415. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल की खेती के अधीन और अधिक क्षेत्र लाने की व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या सरकार ने धान की खेती के लिए अच्छी किस्म के बीजों की सप्लाई के लिए समुचित उपाय कर दिये हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस समय चावल का उत्पादन कितना कम होता है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी, हां। 1968-69 के क्षेत्र की अपेक्षा 1969-70 के दौरान चावल की खेती का क्षेत्र लगभग 7 लाख हैक्टार तक बढ़ गया।

(ख) जी हां।

(ग) धान की अच्छी किस्म के बीजों की सप्लाई के लिए गैर-सरकारी बीज उद्योग के अतिरिक्त राष्ट्रीय बीज निगम तथा तराई विकास निगम द्वारा पर्याप्त प्रबन्ध कर दिये गए हैं। बीजों तथा उर्वरकों के लिए देश भर में विक्रय स्थलों की स्थापना कर दी गई है।

(घ) खपत के सम्बन्ध में किसी व्यापक तथा वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अभाव में और इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि चावल की मांग किसी सीमा तक अनिश्चित है, क्योंकि ये चावल तथा अन्य प्रतिस्थापक खाद्य-पदार्थों की उपलब्धता, उनके तुलनात्मक मूल्यों, आय का स्तर, बढ़ी हुई आबादी, शहरीकरण आदि के फैलाव पर निर्भर करते हैं, यह सम्भव नहीं है कि देश में चावल की आवश्यकताओं की मात्रा का ठीक-ठीक अनुमान लगाया जा सके।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में चावल के उत्पादन में कमी का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है।

Underground Storage of Rain Water

2416. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state whether Government are taking any steps for the underground storage of rain water in the areas having scarcity of water and where the water level is very low ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : Yes, Sir. Special emphasis is being laid on works like contour bunding, check dams khadins, rapats, percolation tanks, storage tanks etc. in arid areas. Such works help in the conservation of soil as well as moisture and also contribute towards increased infilteration of rain water into underground equifers.

राजस्थान नहर के किनारों पर एकत्रित हुई खुली रेत को वहीं जमाने हेतु योजना

2417. **श्री न० कु० सांघी :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के विशेषज्ञों के एक दल ने राजस्थान मरुस्थल की जांच करने के पश्चात यह चेतावनी दी है कि राजस्थान नहर के निर्माण के लिए निकाली गई रेत आगामी वर्षों में मुसीबत खड़ी कर सकता है" तथा यदि कोई सुरक्षात्मक उपाय न किये गये तो मानव निर्मित बड़े-बड़े बालू रेत के टीलों से उड़कर आने वाली रेत के जमाव और उसकी पर्तों से उप नदियों, जल वितरण करने वाली नहरों तथा आस पास की कृषि भूमि के लिए खतरा पैदा हो जायेगा ;

(ख) क्या जिस समस्या का ऊपर वर्णन किया गया है वैसी ही समस्या गत वर्ष भी थी ;

(ग) क्या खुली रेत के इकट्ठे हो जाने से मरुस्थल को उत्तर की ओर और अधिक गति से बढ़ने में सहायता नहीं मिलेगी ; और

(घ) उक्त नहर के दोनों किनारों पर खुली रेत के ढेरों को वहीं जमाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). राजस्थान नहर परियोजना का कमाण्ड और गैर कमांड का क्षेत्र बृहत भारतीय मरुस्थल का एक भाग है और इस परियोजना के अन्तर्गत सपाट मैदान और टीले दोनों तरह के क्षेत्र आते हैं। तेज वायु की अवधि के दौरान रेत के बड़े-बड़े ढेर बन जाते हैं। सिंचाई वाले क्षेत्र में वायु से होने वाले भूक्षरण को रोकने के लिए समस्याओं का पता लगाने और उपाय सुझाने के लिए खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग) ने विशेषज्ञों का एक दल जून 1970 के दौरान राजस्थान नहर परियोजना के लिए भेजा था। इस दल ने इस बात को नोट किया है कि राजस्थान मुख्य नहर, शाखा नहर और सहायक नदियों में प्रति वर्ष रेत भर जाने के कारण कुछ रुकावटें उत्पन्न हो जाती हैं। इस रुकावट के कारण प्रति वर्ष एक या अनेक बार सहायक

नदियां बन्द हो जाती हैं । इससे मुख्य नहर की क्षमता पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है । यह रेत खेतों, चरागाहों या रेतीली परती भूमि से आता है । दुमर मिट्टी के क्षेत्र पर अधिक बुरा प्रभाव नहीं देखा गया है । समस्या की गम्भीरता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि फेज 1 की भूमि का 89 प्रतिशत रेतीली मिट्टी का है और इसका आधे से ज्यादा भाग कमांड में स्थित हैं ।

जहां तक उस रेत का सम्बन्ध है जो राजस्थान नहर के निर्माण के समय खोदा गया था राजस्थान नहर परियोजना के अधिकारी इस समस्या के बारे में सावधान रहे हैं । प्रायः खोदी हुई भूमि और रेत को नहर के किनारे बनाने के काम में लाया जाता है या नजदीक के घसकन या गड्ढे में डाल दिया जाता है निर्धारित स्पेसिफिकेशन और डिजाइनों के अनुसार फालतू रेत/मिट्टी क्षतिग्रस्त किनारों पर डाल दी जाती है । परियोजना अधिकारी भी खोदे हुए रेत की फालतू मात्रा को जहां तक हो सके नहर से दूर एक सुरक्षित स्थान पर ठिकाने लगा देते हैं।

अब तक भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा नियुक्त अध्ययन दल की सिफारिशों का सारांश ही उपलब्ध हुआ है । अकादमी के अधिकारियों के कथनानुसार अध्ययन पर अन्तिम रिपोर्ट तैयार हो रही है । सारांश में यह बतलाया गया है कि उड़े हुए रेत की गति की समस्या पर धरा पर और वायु के संदर्भ में और भी सावधानी से अध्ययन करने की आवश्यकता है । सोचनीय क्षेत्रों में रेतों के उद्भव और अढ़ टीबों के ग्राउंड क्रीप और अधिक व्योरेवार जांच, टीबों के स्थायित्व के प्रभावोत्पादन उपायों के प्रयोग के लिए आवश्यक है । जहां तक खुले रेत का, जो कि राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण शेत्रों में जमा किया जा रहा है, दल ने समस्या की गम्भीरता पर विशेष ध्यान दिया है और ऐसे टीबों के स्थायित्व के लिए विशेष कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है । इसने यह भी आशा जाहिर की है कि इंजीनियरों ने अपने जल मार्ग और सहायक नदी आदि की रक्षा के लिए योजना बना ली है । जैसा कि पहले कहा गया हैं, राजस्थान परियोजना अधिकारी पहले से ही इस समस्या के बारे में सचेत हो गये हैं ।

चाहे कुछ भी कारण हो, राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में रेत के टीबों के स्थायित्व की समस्या बहुत अधिक महत्व की है । जैसा कि पहले कहा गया है केंद्रीय कृषि विभाग ने जून, 1970 में समस्या आदि को जानने के लिए विशेषज्ञों का एक दल परियोजना पर भेजा है । विशेषज्ञों के एक दल को कार्यवाही की योजना का सुझाव देने के लिए अगस्त, 1970 में परियोजना क्षेत्र में भेजा गया । इस दल ने रेत टीबों के स्थायित्व और वनारोपण के एक कार्यक्रम की सलाह दी है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों की अवधि में एक करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

अन्वेषी नलकूप लगाने के लिये रेहा सीमा आन्ध्र प्रदेश का सर्वेक्षण

2418. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेहा सीमा आंध्र प्रदेश में अन्वेषी नलकूप लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ने वहां नलकूप लगाने की व्यवस्था की है ;

(घ) आंध्र प्रदेश में ऐसे कितने नलकूप लगाये गए हैं ; और

(ङ) इनमें से प्रत्येक नलकूप पर औसतन कितनी लागत आई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी नहीं।

(ख) यह क्षेत्र अधिकतर कठोर चट्टान से अधःस्थ है और अब तक कठोर चट्टान वाले क्षेत्रों में समन्वेषी कार्य नहीं किया गया है। यद्यपि, केन्द्रीय भूगर्भ जल मंडल (जिसे पहले समन्वेषी नलकूप संस्था कहते थे) ने कठोर चट्टान के क्षेत्र सहित सारे देश में अब समन्वेषी कार्य करने का निर्णय किया है।

(ग) से (ङ). प्रश्न ही नहीं होते।

पंजाब को विदेशों से हैलीकोप्टर और "कम्बाइन्ड हार्वेस्टर" मंगाने के लिये प्रार्थना

2419. **श्री किंकर सिंह :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने कीट नियन्त्रण विभाग के लिए आई०डी०ए० योजना में से हैलीकोप्टर दिये जाने के लिए केन्द्र से मांग की है ;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने इस वर्ष 100 'कम्बाइन्ड हारवेस्टरों' के आयात के लिए अधिक विदेशी मुद्रा की मांग की है ;

(ग) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) पंजाब सरकार पूर्वी जर्मनी के ई-512 के 100 कम्बाईन हार्वेस्टर आयात करना चाहती है।

(घ) कृषि विमानन परियोजना के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के साथ बातचीत पूरी हो गई है जिसके अनुसार हैलीकोप्टरों सहित कृषि विमान भी देश में आयात किये जायेंगे। शीघ्र ही ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हो जायेंगे। समझौते पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो जायेगी और तब हैलीकोप्टरों के आयात के लिए पंजाब सरकार की प्रार्थना पर विचार किया जायेगा।

जहां तक पूर्वी जर्मनी से 100 ई-512 कम्बाइन हार्वेस्टर आयात करने का सम्बन्ध है, इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

पंजाब में धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों को दिखाने के लिए धान की खेती का प्रदर्शन फारम

2420. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूँ के उत्पादन में क्रान्ति लाने के उपरान्त पंजाब धान-की अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग आरम्भ न करके धान की खेती में क्रांति लाने के लिए कार्यवाही कर रहा है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या किसानों को धान की खेती के उन्नत तरीके दिखाने के लिए बाड़ा, पटियाला में स्थापित किये जाने वाले 'प्रदर्शन फार्म' में जापाना विशेषज्ञों की सहायता ली जायेगी ;

(ग) क्या सरकार का विचार और अधिक 'प्रदर्शन फार्म' स्थापित करने का है और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी होगी ;

(घ) पंजाब में कितने एकड़ भूमि में धान की खेती हो रही है ; और

(ङ) नये तरीकों से पंजाब में धान के उत्पादन में अनुमानतः कितनी वृद्धि होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी, हां। खरीफ, 1966 के मौसम से धान की अधिक उत्पादनशील किस्मों का कार्यक्रम पंजाब में चालू है। राज्य सरकार ने सन् 1970-71 के दौरान लगभग एक लाख हैक्टार क्षेत्र से धान की अधिक उत्पादनशील किस्मों की खेती करने की योजना बनाई थी। वास्तविक उपलब्धि के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) तथा (ग). राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) सन् 1969-70 के दौरान पंजाब के 3.84 लाख हैक्टार क्षेत्र में चावल बोया गया था।

(ङ) सन् 1968-69 के दौरान हुए उत्पादन की अपेक्षा 1969-70 में पंजाब में चावल के उत्पादन में लगभग 4.6 लाख मीटरी टन की वृद्धि हुई थी। यह आंशिक रूप से क्षेत्र में वृद्धि किये जाने और नई तकनौलोजी को अपनाए जाने के कारण हुआ।

सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों को वापस करना

2421. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों को नियमित रूप से वापस नहीं किया जा रहा है तथा प्राथमिक सहकारी समितियों के नाम 35 प्रतिशत की राशियां बकाया हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) केन्द्रीय बैंक स्तर, प्राथमिक भूमि विकास बैंक स्तर तथा केन्द्रीय भूमि विकास बैंक स्तर पर ऋण की कितने प्रतिशत राशियां बकाया पड़ी हैं ;

(घ) क्या सहकारी आन्दोलन के संगठनात्मक ढांचे में त्रुटि दृष्टिगोचर हुई है और क्या अक्षम तथा निष्क्रिय प्राथमिक सहकारी समितियां ऋण वापस न किया जाना और बड़े किसानों द्वारा सहकारी समितियों पर नियन्त्रण सहकारी व्यवस्था की निर्बलता के लिए उत्तरदायी है ; और

(ङ) प्रभावी ग्रामीण विकास के लिए सहकारी संस्थाओं की इन त्रुटियों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख). 30-6-1969 को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के स्तर पर 214 करोड़ रुपये के ऋण अतिदेय हैं, जो 619 करोड़ रुपये के कुल बकाया ऋणों का 34.6 प्रतिशत भाग बनता है ।

(ग) बकाया ऋणों में 27 प्रतिशत केन्द्रीय सहकारी बैंक स्तर पर अतिदेय हैं । मांग का 21.3 प्रतिशत तथा 10.8 प्रतिशत क्रमशः प्राथमिक तथा केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक स्तरों पर अतिदेय हैं ।

(घ) सहकारी प्रणाली की कमजोरी का एक कारण संगठनात्मक ढांचे की इन कमियों का होना है ।

(ङ) राज्य सरकारों को उनके द्वारा प्रतिकारक कार्यवाही करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त भेजे गए हैं । इस मामले का समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जा रहा है और राज्य सरकारों को लगातार लिखा जा रहा है ।

छोटे किसानों आदि के लिए सहकारी ऋणों की योजना

2422. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है अथवा सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत छोटे किसानों, बटाईदारों, काश्तकारों तथा भूमि-सुधार के अन्य हिताधिकारियों को सहकारी ऋण दिया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अब तक सहकारी ऋण का बहुत कम भाग छोटे किसानों को मिला है, जबकि बड़े किसानों ने इसका अधिकांश भाग प्राप्त किया ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रवृति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (घ). उत्पादन ऋण अब फसल ऋण प्रणाली के अन्तर्गत दिए जाते हैं,

जो कि सभी राज्यों में लागू की गई है। इस प्रणाली में ऋण की मात्रा का निर्धारण उधार लेने वाले के उत्पादन परिव्यय तथा वापसी-अदायगी की क्षमता के संदर्भ में करने की व्यवस्था है। ऋण भूमि की प्रतिभूति के बजाय फसल की प्रतिभूति पर देने होते हैं। इसलिए सहकारी समितियां इस प्रणाली के अन्तर्गत बटाई-दारों व मुजारों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। तथापि कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण इन वर्गों को सहकारी ऋण बहुत अधिक मात्रा में सुलभ नहीं हो सका है। सहकारी समितियों के पंजीयकों और राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन, जिसमें इस मामले पर विचार किया गया, ने सिफारिश की है कि राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाये कि वे मुजारों द्वारा काश्त की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल और उसमें उगाई जाने वाली फसल में उनके हिस्से का सत्यापन करने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध करें, ताकि सहकारी समितियाँ उन्हें ऋण दे सकें।

सहकारी समितियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणों में से दो-तिहाई से अधिक प्रत्येक 1000/-रु० से कम की छोटी राशि के और 45 प्रतिशत प्रत्येक 500/- रु० से कम की राशि के होते हैं। इतने पर भी अपेक्षाकृत बड़ी जोतों वाले किसान सहकारी ऋण के प्रमुख लाभ-भोगी रहे हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए निश्चित प्रयत्न किए जा रहे हैं कि छोटे किसानों को अधिक मात्रा में धन मिले। ऋण देने की नीतियों तथा प्रक्रियाओं को निम्नलिखित दिशा में पुनर्निर्धारित किया जा रहा है:

(1) यदि समिति विशेष को उपलब्ध संसाधन उसके अपने सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये अपर्याप्त हैं, तो वह यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेगी कि छोटे किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त रूप से पूरी की जाये।

(2) बड़े किसानों से कहा जाएगा कि वे अपने उधार का अपेक्षाकृत अधिक अनुपात अंशपूंजी के लिए दें, जबकि छोटे किसानों को निरपवाद रूप से उनके अंशधन का भुगतान आसान किश्तों में करने की सुविधा दी जाएगी।

(3) फसल ऋण प्रणाली को कारगर ढंग से लागू करने की दिशा में बल दिया जाएगा। इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या छोटे किसान की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है, यह इरादा है कि ऋण सीमा विवरणों को इस प्रकार अलग-अलग किया गया हो जिससे कि दूसरों की समता में छोटे किसानों का पता चल सके।

(4) भूमि विकास बैंकों की ऋण देने की नीतियों को उदार बनाया जायेगा, उदाहरणार्थ, प्रतिभूति के तौर पर प्रस्तुत की गई भू-सम्पति का मूल्यांकन करने में उदारता, छोटे किसानों के समूहों को संयुक्त ऋण प्रदान करना, प्रस्तावित निवेश के परिचालन तथा आर्थिक जीव्यता पर बल देना न कि केवल ठोस प्रतिभूति के मूल्य पर और छोटे किसानों की क्षमता के अनुसार वापसी-अदायगी के कार्यक्रम को सीपानवार बनाना।

(5) बड़े किसानों, जो अल्प अवधियों में ऋण लौटा सकते हैं, को निवेश के लिए मध्य-

कालीन ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि भूमि विकास बैंकों से दीर्घ-कालीन ऋण की अधिक मात्रा छोटे किसानों को सुलभ की जा सके।

सहकारी बैंकों और समितियों को विशेष अनुदान देने की योजना उन्हें छोटे काश्तकारों को उत्पादन प्रयोजनों के लिए अधिक मात्रा में ऋण देने के प्रलोभन के तौर पर चौथी योजना में राज्य योजना स्कीम के रूप में जारी रखी जा रही है। नए संस्थात्मक अभिकरण, जैसे छोटा किसान विकास अभिकरण और सीमान्त किसानों व कृषि श्रमिकों के लिए अभिकरण, भी छोटे किसानों को ऋण सुलभ करनें के लिए स्थापित किए जा रहे हैं।

जनांकिकीय (डेमोग्राफिक) परिवर्तन तथा आर्थिक विकास के बीच संबंध का अध्ययन करने की योजना

2423. **श्री देविन्दर सिंह गार्वा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 24 अक्तूबर, 1970 को पन्त नगर में 30 वें कृषि आर्थिक सम्मेलन की सिफारिशों को देखते हुए क्या सरकार का विचार गांव तथा परिवार स्तर पर जनांकिकीय परिवर्तन तथा आर्थिक विकास के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करने हेतु कोई योजना तैयार करने का है ताकि किसानों को यह दिखाया जा सके कि गांवों में जन संख्या बढ़ने से संसाधनों, जोतों के आकार, प्रति व्यक्ति आय तथा आर्थिक विकास की गति पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर में हुई भारतीय कृषि अर्थ-शास्त्र संस्था के 30 वें अखिल भारतीय कृषि अर्थशास्त्र सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण में अनेक सुझाव दिये गये हैं जिनमें गांव तथा परिवार स्तर पर जनसंख्या में परिवर्तन तथा उसके आर्थिक विकास पर प्रभाव का अध्ययन करना भी शामिल था। इस प्रकार के सभी सुझाव प्राय: विश्व-विद्यालयों, अनुसन्धान संस्थानों, अनुसन्धान कार्य- कर्त्ताओं तथा इस प्रकार के अध्ययन में लगे व्यक्तियों के विचारार्थ होते हैं। सरकार ने इस सुझाव पर कोई योजना नहीं बनाई है।

नवीन गहन कृषि जिलों में मिट्टी का सर्वेक्षण

424. **श्री दंडपाणि :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पांच नवीन गहन कृषि जिलों में 7.5 लाख रुपये की लागत से मिट्टी का सर्वेक्षण करने के लिये एक योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, हां। सन् 1970-71 के दौरान 7.5 लाख रुपये की लागत से 8.00 लाख

हैक्टार क्षेत्र में टोह तथा विस्तृत सर्वेक्षण किये जाने की सम्भावना है। केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत पांच नवीन सघन कृषि जिलों में भूमि सर्वेक्षण के प्लान के लिये 44.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग). तमिलनाडु, उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों ने योजना के अधीन सम्बन्धित क्षेत्रों का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। आन्ध्र प्रदेश और पंजाब सरकारों द्वारा इस योजना को शीघ्र ही शुरू किये जाने की सम्भावना है। आशा है चौथी योजना अवधि के दौरान इन नवीन जिलों की सम्पूर्ण भूमि का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जायेगा।

खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि

2425. **श्री हेम बरुआ** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन मौसमों में देश के खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत वृद्धि सरकारी प्रयासों से हुई तथा कितने प्रतिशत वृद्धि प्रकृति की कृपा से हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) उत्पादन में बढ़ोत्तरी होना अनुसंधान के परिणामों, सरकारी प्रयत्नों, किसान के प्रयत्नों, प्राकृतिक परिस्थितियों आदि कई बातों पर निर्भर करता है। उत्पादन को बढ़ाने में विभिन्न घटकों के योगदान को बताना सम्भव नहीं है। फिर भी कहा जा सकता है कि 1966-67 से शुरू की गई कृषि विकास की नई नीति से उत्पादन बढ़ाने में बड़ा योगदान प्राप्त हुआ है।

भारतीय प्रेस अधिनियम में संशोधन करना

2426. **श्री स० कुन्दू** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रेस अधिनियम में संशोधन करेगी ताकि भारतीय प्रेस अधिनियम में अंशकालिक पत्रकारों को पत्रकारों की परिभाषा के अन्तर्गत लाया जा सके ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ऐसा कब करेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) "प्रेस अधिनियम" या "भारतीय प्रेस अधिनियम" के नाम से संसद् का कोई अधिनियम नहीं है। यदि सदस्य का तात्पर्य श्रमजीवी पत्रकार (सेवा, शर्तें तथा विविध उपबन्ध) अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत "श्रमजीवी पत्रकार" की परिभाषा से है, तो वह अंशकालिक पत्रकार जिसका मुख्य धंधा पत्रकार का है, उपरि उल्लिखित अधिनियम के अन्तर्गत "श्रमजीवी पत्रकार" है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डाक तथा तार के बिहार सर्किल में एक अधिकारी के एक पद पर रहने की अवधि सम्बन्धी नीति

2427. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी राजपत्रित अधिकारी के एक स्थान तथा एक पद पर रहने की अवधि क्या है ;

(ख) वर्तमान डी०ई०टी० पटना और टी०ई०टी० मुजफ्फरपुर क्रमशः पटना और मुजफ्फरपुर में कब से हैं ;

(ग) एक अधिकारी के एक केन्द्र में रहने की सामान्य अवधि क्या है और किसी अधिकारी के बाहरी सर्किल से अपने गृह सर्किल में तथा अपने गृह सर्किल से बहारी सर्किल में स्थानांतरण की सामान्य प्रक्रिया क्या है ;

(घ) क्या इन नियमों को बिहार सर्किल के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में लागू किया गया है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा बिहार सर्किल में इस नीति के निकट भविष्य में कार्यान्वियन करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) गृह मंत्रालय ने समय की ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की है कि अधिकारियों को किसी एक स्टेशन पर या किसी एक पद पर कितने समय तक के लिए नियुक्त किया जाए। अलबत्ता डाक-तार विभाग में यह प्रथा है कि अधिकारियों को चार वर्ष की अवधि के बाद एक पद से दूसरे पद पर बदल दिया जाता है। यदि कोई अधिकारी एक ही स्टेशन पर एक से अधिक पदों पर रहा हो तो उसे उस स्टेशन पर छह वर्ष तक रहने दिया जाता है। व्यक्तिगत मामलों पर प्रशासनिक आधार पर या हर एक मामले पर गुणदोष के आधार पर अपवाद बरते जाते हैं।

(ख) मंडल इंजीनियर तार पटना 2-1-1966 से हैं और मंडल इंजीनियर, तार मुजफ्फरपुर 28-8-65 अपराह्न से वहां है।

(ग) किसी एक सर्कल में रहने लिए कोई सीमा निश्चित नहीं है।

अधिकारियों का तबादला प्रशासनिक आवश्यकताओं और सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर किया जाता है। तबादला करते समय अधिकारियों के प्रार्थना-पत्र पर भी ध्यान दिया जाता है और यथासंभव उनकी मांग पूरी करने की कोशिश की जाती है।

(घ) और (ङ). बचत को दृष्टि में रख कर वर्ष 1968 और 1969 में डाक-तार विभाग में रोटेशन के तबादलों पर रोक लगा दी थी। सिर्फ इसी वर्ष आंशिकरूप में इस पर कार्रवाई की जा रही है। बिहार सर्किल के अधिकारियों का उनकी बारी आने पर तबादला कर दिया जाएगा। सामान्यतया रोटेशन के तबादलों का आदेश शिक्षा के वर्ष के खतम होने के समय पर ही दिया जाता है।

यूनाईटिड प्राविन्सेस कमशियल बैंक पटना को अलाट किये गये टेलीफोन का अनियमित प्रयोग

2428. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाईटिड प्राविन्सेस कर्मशियल कारपोरेशन, पटना के नाम 900 रुपये बकाया हैं तथा टेलीफोन संख्या पी०टी० 22596 उस फर्म के लिये कार्य कर रहा है ?

(ख) क्या टेलीफोन काट देने के उपरांत उस फर्म ने फिर से दो बार जाली नामों पर टेलीफोन लगवाया तथा दोनों बार टेलीफोन काट दिया गया ;

(ग) क्या यह टेलीफोन यद्यपि इसकी तार काट दी गई थी, उस फर्म के किसी अन्य के नाम कार्य करता पाया गया था तथा कर्मचारियों द्वारा सूचना मिलने पर इस अनियमितता का पता लगाया गया था यद्यपि एस०डी०ओ० टेलीफोंस पटना इस सूचना को छुपाना चाहता था ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसर्स लुम्बा ट्रेडिंग, पटना को अलाट किये गये टेलीफोन का विस्तार

2429. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन संख्या पी०टी० 23157 मैसर्स लुम्बा ट्रेडिंग, फ्रजर रोड, पटना के नाम में कार्य कर रहा है और इस फर्म ने इसका विस्तार श्री कृष्ण नागर को दे रखा है जो कि दो किलोमीटर की दूरी पर है परन्तु केवल एक किलोमीटर का ही शुल्क लिया जाता है ;

(ख) क्या इसके विस्तार की व्यवस्था केबल से केबल तक की गई है जिसके लिए साधारणतया एस०डी०ओ० टेलिफोंस, पटना अन्य आवेदनपत्रों पर अनुमति नहीं देते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध तथा कार्यवाही की गई है ।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) बाहरी एक्सटेंशन की व्यवस्था केबिल युग्मों के प्रयोग से की गई है । सर्कलों को

केबिल युग्मों का प्रयोग करके बाहरी एक्सटेंशन देने का अधिकार है, बगर्ते कि ये उपलब्ध हों और तकनीकी दृष्टि से संभव हो सके।

(ग) कम दूरी के लिए वसूली करने की जिम्मेदारी निश्चित की जा रही है और जिस कर्मचारी को दोषी पाया गया, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

हजारी बाग जिले में झुमरी तिलैया केडाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के इलाज के लिए कर्म 'मेडिकलहास्पिटल को मान्यता देना

2430. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार सर्किल के हजारी बाग जिला में झुमरी तिलैया में नियुक्त डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए कर्म मेडिकल हास्पिटल की मान्यता देने के लिए कार्यवाही करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). अभी इस मामले की जांच की जा रही है और अन्तिम निर्णय शीघ्र लेने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है।

भूमि सुधार तथा ग्रामीण बेरोजगारी

2431. **श्री लोबो प्रभु :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की स्वामित्व के अन्तरंग संबंधी उपबन्ध को वापिस लेकर, जो कि काश्तकारों की सुरक्षा तथा उचित भाटक के सुसंगत नहीं है और जिससे अब भूस्वामियों को लम्बी मुकदमेबाजी करने के लिये बाध्य होना पड़ता है, भू सुधारों को अन्तिम रूप देकर 82 प्रतिशत ग्रामीण जनता में सामाजिक क्रांति न लाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) अधिकारियों पर जिम्मेदारी डालकर समस्त सरकारी भूमि का, जो रिकार्ड में है, एक निश्चित तिथि तक वितरण न किये जाने के क्या कारण है ;

(ग) भूमि कर तथा पंचायत कर समाप्त न किये जाने के क्या कारण हैं, चाहे 5 एकड़ से कम भूमि पर लगे करों को ही समाप्त किया जाये और क्योंकि भू राजस्व की कुल हानि केवल 19.18 प्रतिशत होगी अतः सरकार द्वारा इस संबंध में सहायता न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

(घ) सड़कें, जलाशय आदि की व्यवस्था करने के लिये परिवार के एक सदस्य द्वारा कमाने की योजना बनाकर ग्रामों में बेरोजगारी समाप्त न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) एक एकड़ से कम जोतों के लिये जो कि कुल जोतों का 1.27 प्रतिशत ही है उर्वरकों तथा कीटनाशी पदार्थों को राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर देकर कृषि क्रांति न लाये जाने के क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) से (ङ). इस प्रश्न का सम्बन्ध ऐसे मामलों पर मत प्रकट करने, अर्थ निकालने तथा बाद-विवाद करने से है जिनका उत्तर संसद में देने की गुंजाइश नहीं है ।

फिर भी प्रश्न के भाग (ख) के सम्बंध में यह कहा जा सकता है कि सरकार ने सितम्बर 1970 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में आश्वासन दिया था कि कृष्य खाली भूमि को शीघ्र बांटने के लिये भरपूर प्रयास किया जायेगा । जहां तक प्रश्न के भाग (घ) का सम्बन्ध है ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी के कारण होने वाले संकट को दूर करने के लिये एक प्रस्ताव विचार अधीन है ।

कर्मचारियों को बेरोजगारी से बचाने के लिए दिवालिया फर्मों का विलय करना

2432. **श्री लोबो प्रभु : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 28 अक्तूबर के समाचार पत्र "दि इंडियन एक्सप्रैस" (बंगलौर संस्करण) में प्रकाशित समाचार के संदर्भ में कर्मचारियों को बेरोजगारी से बचाने के लिये आयकर विधि में उपयुक्त संशोधन करके दिवालिया फर्मों का सम्पन्न फर्मों के साथ विलय करने पर विचार किया है ;

(ख) यदि इस पर आपत्ति यह है कि आयकर में हानि होगी तो क्या हानियों के पूर्वावशिष्ट को एक अल्प अवधि तक के लिये सीमित नहीं किया जा सकता है ; और

(ग) पश्चिम बंगाल के उन 15 रुई मिलों में छंटनी किये गये 15,000 कर्मचारियों को क्या क्षतिपूर्ति दी गई है जो कि बंद कर दी गई थी और यदि मिलों का विलय कर दिया जाता है तो पूर्वावशिष्ट हानियों के साथ इनकी तुलनात्मक स्थिति क्या होती ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) सरकार के श्रम मंत्रालय ने उक्त प्रैस रिपोर्ट नहीं देखी है और न ही उनके लिए इस मामले पर विचार करने का कोई मौका पैदा हुआ है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

पांडिचेरी और गोवा, दमन और दीव के लिए आकाशवाणी केन्द्र

2434. **श्री नारायणन : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांडिचेरी और गोवा, दमन और दीव में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की भारी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्तावित आकाशवाणी केन्द्र कब तक खोला जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) पांडिचेरी तथा पणजी (गोआ) में रेडियो केन्द्र पहले ही चालू है । दमन तथा दीव में बम्बई राजकोट के केंद्रों के कार्यक्रम सुने जाते हैं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

नेताजी पर सरकारी फिल्म

2435. **श्री समर गुह** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री मृणाल सेन ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पर सरकारी फिल्म का निर्माण हाथ में लेने से इंकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस कार्य के लिये विभिन्न फिल्म निर्माताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो अभ्यावेदन देने वाली अथवा सरकारी टेंडरों को भरने वाली संस्थाओं के नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय किया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). फिल्म प्रभाग ने पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित विश्वसनीय निर्माताओं से टेंडर मांगे थे और इनमें से सभी ने टेंडर भर कर भेजे थे :

(1) श्री अशिस मुकर्जी

(2) श्री एच० एस० दासगुप्त

(3) श्री रणबीर राय

(4) श्री ए० के० बैनर्जी

(5) श्री एच० एम० सैन

निम्नलिखित निर्माताओं ने भी इस फिल्म के निर्माण का काम हाथ में लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी :

(1) मैसर्ज तिर्थन भारती, कलकत्ता

(2) मैसर्ज ए० के० बी० फिल्म्ज, कलकत्ता

(3) आई० एन० ए० एसोसिएशन, कलकत्ता

(4) मैसर्ज एसोसिएटिड फिल्म तकनीशियन्ज, कलकत्ता ।

(घ) ध्यान पूर्वक विचार करने के पश्चात् फिल्म प्रभाग द्वारा इस फिल्म का निर्माण कार्य श्री अशिस मुकर्जी को सौंपने का निर्णय किया गया । इस निर्णय के लिये जाने के बाद कलकत्ता के कुछ फिल्म निर्माताओं से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ जिसमें इस फिल्म को बनाने के लिए मैसर्ज एसोसिएटिड तकनीशियन्ज के नाम का सुझाव दिया गया था ।

उत्तर प्रदेश में नैनीताल क्षेत्र में बसाये गये पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को परेशान किया जाना

2437. **श्री समर गुह :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय उत्तर प्रदेश में नैनीताल के क्षेत्रों में बसाये गये शरणार्थियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या उनको बाहरी लोगों द्वारा शारीरिक यातनायें दी जा रहीं हैं तथा उनकी भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है अथवा कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें उनकी भूमि से निकाला जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो नैनीताल में बसाये गये पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को होने वाली परेशानियों का व्यौरा क्या है और इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

Release of New Variety of Seeds

2438. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the variety of triple genedwarf wheat released and the qualities thereof ;

(b) whether after the release of 'Lal Bahadur' variety to Rajasthan and variety No. 301 to Uttar Pradesh, these were found defective ; and

(c) if so, whether it has been assured that the new variety which is being released is free from defects ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) A new triple genedwarf variety of wheat called 'Hira' has been recommended for release for general cultivation in Northern and Western Zones excluding Rajasthan by the Sub Committee on Release of Varieties of the Central Seed Committee at its meeting held on the 15th September, 1970. This new strain has bold grains of medium length, amber in colour and with a hard texture. It has recorded highest yields in Northern and Western plains and gave high yields in the hills and in J. & K. This new variety has higher yields than Kalyan Sona.

(b) Lal Bahadur and UP 301 varieties of wheat have not been released except that U.P. 301 was released for cultivation in U.P. by the State Variety Release Committee. The erstwhile Central Variety Release Committee which considered the proposals for release of 'Lal Bahadur' and 'UP 301' during 1969 did not recommend these for release. No complaints about U.P. 301 have been received since its release in U.P. However, its yield, resistance to disease and other qualities will be fully evaluated in the All India Coordinated Research Trials for wheat.

(c) The new strain 'Hira' was released because it had high field resistance to yellow-wrust, better lodging resistance, better response to high fertility conditions and better grain quality.

Increase of Capacity and Period of Telecasting of Delhi T.V.

2439. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state the time by which the capacity and the period of telecasting of Delhi Television Centre is likely to be increased, indicating the extent thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : The duration of general television programmes in Delhi has been increased to 3 hours on week days and 4 hours on Sundays with effect from 15th July, 1970. A scheme for further expansion of facilities at Delhi Television Station is under consideration.

Self-Sufficiency in Agricultural Machinery, Fertilizers and Insecticised

2440. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the country is not self-dependent in the production of agricultural machines, fertilizers, insecticides and pesticides and whether there is no hope of its becoming self dependent in this matter during the next 5 years as well ; and

(b) if so, whether it is attributable to Government's indifference towards agriculture ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) :

Agricultural Machines :

The estimated demand for tractors for the year 1973-74 is 90,000. Five firms have been licensed and are currently manufacturing tractors with a total capacity of 30,000 tractors per annum. The new units have been licenced for a total capacity of 16,000 tractors per annum making a total of 46,000 tractors per annum Four firms have been issued letters of intent for a capacity of 44,000 tractors per annum and three more firms have been recommended for issue of letters of intent for a capacity of 27,000 tractors per annum by the Licensing Committee. Thus in all there is a capacity of 1,17,000 tractors per annum either issued or recommended or sanctioned, letters of intent. There are 12 applications pending with the Department of Industrial Development for a total capacity of 90,550.

In the case of Crawler Tractors required for agricultural purposes, a capacity of 1,000 has been sanctioned and the units have gone into production. For more sophisticated machines like Combine Harvester, one unit has already gone into production and issue of licence to another firm has been recommended by the Licensing Committee. It would, thus, be seen that enough capacity is being created so that the country can become self-dependent in the next few years.

As the industry takes time to achieve full production capacity depending on foreign exchange availability, the gap between the demand and supply is being met from imports.

Fertilizers :

Potash deposits are not available in the country and so this fertiliser has to be imported to meet the requirements. Regarding nitrogenous and potassic fertilisers, the production went up by 30% and 5% respectively in 1969-70 over the levels of the preceding year contributing approximately half of the fertiliser consumed last year : the rest of the fertiliser consumed was from imports. New units are being set up at Madras, Cochin, Talchar, Ramaguntam, Haldia, etc. and existing ones at Sindri, Nangal, Trombay, etc are being expanded to achieve self-reliance in nitrogenous and phosphatic fertilisers during the V Plan period.

Insecticides and Pesticides :

The pesticides industry is well equipped to produce almost all the essential inputs required for plant production in the country. At present, there are about 66 manufacturing plants with a licensed capacity of about 70,278 tonnes operating in the country. Some 38 pesticides of different kinds are being menufactured in the country.

With regard to plant protection equipment, it may be stated that there are about 20 firms, both under organised and small scale sectors engaged in the manufacture of all the types of plant protection equipment in the country. At present no shortage with regard to the availability of equipment has come to the notice of the Government.

(b) The Government of India is keenly aware of the growing demands for agricultural machinery and fertilisers and is making all efforts to step uy indigenous manufacturing capacity to meet the demands.

दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में खाली प्लाट

2441. **श्री बलराज मधोक :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की विभिन्न पुनर्वास बस्तियों में काफी प्लाट खाली पड़े हैं ;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन ने इन प्लाटों को दिल्ली प्रशासन को अथवा दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित करने का सुझाव दिया है ताकि उनका समुचित लाभ उठाया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन के इस युक्ति संगत सुझाव को स्वीकार करने में क्या संकोच है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में अनधिवासियों को अलाट करने के लिए गीता कालोनी के 1300 प्लाटों का हस्तान्तरण करने के लिए कहा था ।

(ग) दिल्ली प्रशासन को सूचित कर दिया गया था कि जिन प्लाटों की उन्हें आवश्यकता है, उनके बाजार भाव पर हस्तांतरित करने में कोई आपत्ति नहीं है । अस्थाई रूप में इन प्लाटों का नीलाम भी रोक दिया गया था ताकि दिल्ली प्रशासन अपनी सुदृढ़ मांग भेज सके । किन्तु ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई ।

Beauty Contest in Ashoka Hotel, Delhi

2442. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether a beauty contest was organised recently by some of the journals and companies in Ashoka Hotel, Delhi ;

(b) if so, the names of the judges in the said contest ;

(c) whether such contests are not against our culture and civilisation ; and

(d) whether Government propose to declare such contests illegal and impose a ban on them ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) This Ministry are not con-

cerned with such contests. However, Press reports to this effect have come to this Ministry's notice.

(b) The Ministry have no information on the subject.

(c) This Ministry have not formed any opinion on this subject.

(d) This Ministry is not administering any law under which such contest can be banned.

पश्चिम बंगाल में आदिवासियों और हरिजनों में भूमि वितरण कार्य का समापन

2443. **श्री रवि राय : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने 27 अक्तूबर को जिला प्राधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि अगले चार महीनों में ऐसी जमीनों को, जो सरकार के पास है और जो न्यायालयों की निषेधाज्ञाओं से मुक्त हैं ; पूरी तरह वितरित किया जाय ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह पता लगाया है कि कितनी जमीन इस प्रकार वितरण के लिए उपलब्ध होगी ; और

(ग) क्या सरकार ने यह भी निर्देश दिये हैं कि केवल भूमिहीन लोगों विशेषतः आदिवासियों और हरिजनों में ही यह भूमि बांटी जाये और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बेनामी भूमि सहित भूस्वामियों के अधिकार में अभी भी विद्यमान भूमि की वसूली तथा भूमिहीन एवं गरीब किसानों में इनके वितरण के लिए अनवरत विशेष प्रयत्नों को निरन्तर बनाये रखने के सम्बन्ध में किये गये निर्णय के अनुसरण में निहित भूमि के शीघ्र वितरण हेतु आदेश जारी कर दिये गये। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक जिले में विशेष रूप से नियुक्त किए गये सक्षम अधिवक्ताओं के माध्यम से न्यायालयों के समक्ष तथ्यों को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कदम उठाये जा रहे हैं।

(ख) राज्य में निहित 865583 एकड़ कृषि भूमि में से सितम्बर 1970 तक 3‍97055 एकड़ भूमि वितरित की गई है। सूचना मिली है कि 172,000 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में मुकदमा चल रहा है। भूमि का एक बड़ा भाग जिसे कि कृषि भूमि के रूप में लिखा गया था, वास्तव में खेती के लिये उपयुक्त नहीं है और इस कारण इसे वितरित नहीं किया जा सका। इसलिए वर्तमान विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप वितरण के लिए उपलब्ध अधिशेष भूमि के सम्बन्ध में परिशुद्ध रूप से ठीक-ठीक बताना संभव नहीं है।

(ग) सरकार के पास उपलब्ध भूमि का वितरण पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम की धारा 49 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार किया जाना है। जहां कहीं संभव है भूमिहीन व्यक्तियों तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छोटे किसानों को भूमि देने में प्राथमिकता दी जाती है।

कुछ राज्यों में गेहूँ की उपज में कमी

2144. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगली रबी की फसल में कुछ राज्यों में गेहूं की उपज काफी कम होने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा गेहूँ की उपज के लक्ष्य की तुलना में यह कमी कितनी होगी ; और

(ग) कमी के क्या कारण हैं तथा केन्द्रीय पूल के लिए गेहूँ की वसूली और पी० एल 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न के आयात पर पड़ने वाले इसके सम्भावित प्रभाव क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). अभी विभिन्न राज्यों में गेहूं की बुवाई चल रही है । अतः फसल के आकार और अधिप्राप्ति और आयात पर उसके प्रभाव के बारे में कोई अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है ।

खाद्यान्न के उत्पादन सम्बधी अनुमानों और उसके आयात बंद किये जाने के बारे में कृषि मूल्य आयोग की राय

2145. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने अपने हाल के प्रतिवेदन में खाद्यान्न के उत्पादन में अनुपाति वृद्धि के बारे में और 1971 के बाद भी आयात बन्द किये जाने के बारे में संदेह व्यक्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). 1970-71 के मौसम में खरीफ के अनाजों के लिए मूल नीति संबंधी अपनी रिपोर्ट में कृषि मूल्य आयोग ने यह विचार व्यक्त किया है कि आगामी कुछ वर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए वृद्धि दर का आधार महत्वपूर्ण रूप से प्रति वर्ष 4 प्रतिशत से अधिक मानना अदूरदर्शिता होगी । उन्होंने यह भी अनुभव किया है कि 4 प्रतिशत वृद्धि की दर से मांग और खाद्यान्नों के घरेलू उत्पादन के बीच असंतुलन जारी रहेगा, यद्यपि वह 1974 तक लगभग 40 लाख मीटरी टनों से घट कर 4 लाख मीटरी टन तक जाएगा ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं । सरकार की यह भी नीति है कि 1971 के अन्त तक समस्त रियायती आयातों को बन्द कर दिया ।

फिल्म वित्त निगम के निदेशक मंडल की बैठकें

2446. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) पिछले ढाई वर्ष में फिल्म वित्त निगम के निदेशक मंडल की कितनी बैठकें हुई ; और

(ख) उन निदेशकों के क्या नाम हैं जिन्होंने मंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) गत ढाई वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की हुई बैठकों की संख्या इस प्रकार है :—

1968-69	6 बैठकें
1969-70	5 बैठकें
अप्रैल, 1970 से सितम्बर, 1970 तक।	2 बैठकें

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4397/70]

Arrears of E. P. F. with Sugar Mills Owners in U. P. and Bihar

2447. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to State :

(a) the details regarding the amount of balance in respect of Employees Provident Fund of the labourers with the Sugar-mill owners of U. P. and Bihar separately ; and

(b) the action being taken to recover the balance ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b). The administration of the Employees' Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees, an autonomous organisation set up under the Employees' Provident Funds Act, 1952 and is not the direct concern of the Government of India.

A statement showing the names of the unexempted Sugar mills in Bihar and Uttar Pradesh which were in default of Rupees one lakh and above on account of provident funds dues, the amounts due as on the 30th June, 1970 and the action taken to recover the amounts as furnished by the provident fund authorities is attached. [*Placed in Library*. See No. LT—4398/70].

Issue of Pass Books to Farmers for their Holdings

2448. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether some State Governments have taken interest in issuing Pass Books to the farmers in respect of their lands with a view to save them from unnecessary difficulties ; and

(b) if so, the names of the States which have implemented this Scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The States and Union Territories which have issued certificates or pass books are :

Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Mysore, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Delhi, Himachal Pradesh and Tripura.

West Bengal is also considering to issue Pass Book.

रांची तथा अन्य नगरों में स्वचालित क्रासबार टेलीफोन केन्द्र

2449. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रांची में स्वचालित क्रासबार टेलीफोन केन्द्र की स्थापना की है ; और

(ख) यदि हां, तो अन्य प्रमुख नगरों में इस सुविधा को देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) देश के विभिन्न विभागों में क्रासबार किस्म के 13 एक्सचेंज पहले ही लगाए जा चुके हैं । और अधिक एक्सचेंज भी स्थापित किए जा रहे हैं । भविष्य में इस तरह के ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज लगाये जाएंगे । इसके लिए बंगलौर की मौजूदा टेलीफोन फैक्टरी में विस्तार किया गया था ताकि क्रासबार किस्म के स्वचल एक्सचेंजों का उत्पादन किया जा सके ।

कृषि पर निर्भर जनसंख्या और उसकी वार्षिक आय

2450. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की कुल कितनी आबादी पूरी तरह कृषि पर निर्भर है ; और

(ख) वर्ष 1968-69 और 1969-70 के दौरान उनकी औसत वार्षिक आय कितनी थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). देश में पूरी तरह कृषि पर निर्भर रहने वाली कुल आबादी और उनकी औसत वार्षिक आय के आंकड़े संकलित नहीं किये जाते । परन्तु 1960-61 के दौरान कृषि कार्यों में लगे व्यक्तियों की संख्या और प्रति व्यक्ति निवल आय क्रमश: 1310 लाख और 493 रुपये थी । कृषि कार्यों में लगे व्यक्तियों की संख्या के बारे में आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण बाद के वर्षों में प्रति व्यक्ति निवल आय के विषय में ऐसे अनुमान नहीं लगाए जा सके हैं ।

सम्भावित फसल का मूल्यांकन तथा भू-संरक्षण को बढ़ावा देना

2451. **श्री मयावन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सम्मुख 7.5 लाख की लागत से 8,00,000 एकड़ की फसल का मूल्यांकन करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने 2,75,000 हैक्टेयर के अपवाह क्षेत्र का भी सर्वेक्षण किया है ;

(ग) यदि हां, तो भू-संरक्षण पर तीव्रगति से कार्य करने की योजना को कब तक हाथ में लेने की सम्भावना है ; और

(घ) विचाराधीन योजना क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पांच अग्रगामी सघन कृषि जिला कार्यक्रम के जिलों में भूमि सर्वेक्षण की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई है। वर्ष 1970-71 के दौरान 7.50 लाख रुपये की कुल लागत से 8.00 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का सर्वेक्षण होने की सम्भावना है।

(ख) वर्ष 1970-71 के दौरान 13 चालू जलगृह क्षेत्रों तथा 8 नई चुनी हुई नदी घाटी परियोजनाओं के अन्तर्गत 2.75 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत भूमि सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

(ग) और (घ). चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान नदी घाटी परियोजनाओं के जलगृह क्षेत्रों में भूमि तथा जल संरक्षण के केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम को सघन किया गया है। यह कार्य हवाई फोटो व्यवस्था तथा विस्तृत भूमि सर्वेक्षण द्वारा पता लगाये हुये प्राथमिक जल शेडों में किया जा रहा है। चौथी योजना की अवधि में केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत 2700 लाख रुपये का एक परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

नेताजी पर बन रही फिल्म का स्थगित किया जाना

2452. **श्री अ० अहमद :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पर रूपक फिल्म को इस बारे में चल रही जांच को ध्यान में रखते हुए स्थगित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या जांच कार्य समाप्त होते ही उसे पुनः आरम्भ किया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) भारत सरकार द्वारा नेताजी पर कोई फीचर फिल्म नहीं बनाई जा रही है। गैर-सरकारी दलों द्वारा नेताजी पर निर्मित दो फिल्में पहले ही रिलीज हो चुकी हैं।

फिल्म प्रभाग द्वारा नेताजी पर एक डाकुमेंट्री बनाने के लिए एक गैर-सरकारी प्रोड्यूसर की सेवाएं ली गई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सड़क निगम के कर्मचारियों द्वारा पश्चिम बंगाल में हड़ताल

2453. **श्री वि० कु० मोडक :**

श्री राममूर्ति :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संकरेल खाद्य डिपो, हावड़ा के श्रमिकों पर पुलिस द्वारा लाठी तथा गोली चलाये जाने और अश्रुगैस के उपयोग के किये जाने के विरुद्ध भारतीय सड़क निगम के कर्मचारियों ने पश्चिम बंगाल और बिहार में 22 अक्तूबर को हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार संकरेल की घटना की निष्पक्ष जांच कराने पर विचार करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

Scheme for Reclamation in Ravines in Rajasthan

2454. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred on the scheme of reclamation of ravines in Rajasthan during the last three years ;

(b) the expenditure incurred on the scheme in Kota, Rajasthan, during the said period ;

(c) the amount earmarked for future programmes, with details, under the scheme ;

(d) the total acreage of land reclaimed so far under the said scheme ; and

(e) the purpose for which the reclaimed land is being utilised ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) A sum of Rs. 5.29 lakhs under the State Plan Scheme and a sum of Rs. 2.38 lakhs under the Centrally Sponsored Scheme has been incurred by the Government of Rajasthan during the last three years i.e. 1967-68 to 196)-70.

(b) A Centrally sponsored scheme of Pilot Project for reclamation of ravine lands in Kota was initiated in 1969-70 and a sum of Rs. 2.38 lakhs was spent during that year.

(c) A sum of Rs. 50 lakhs for the Centrally sponsored scheme and sum of Rs. 16 lakhs for the State Plan has been earmarked for ravine reclamation in Rajasthan during the Fourth Five Year Plan. The Centrally sponsored scheme provides for reclamation of an area of 2500 acres under agriculture and afforestation of 2500 acres. In addition 5000 acres will also be afforested under the State Plan scheme during the Fourth Plan period.

(d) An area of 200 acres has been reclaimed for agricultural purposes and 150 acres

has been afforested under the Centrally sponsored scheme. In addition to this an area of 7687 acres has also been afforested under the State Plan Scheme.

(e) The scheme has been initiated during the Fourth Plan to determine the technical and economic feasibility of large scale ravine reclamation in order to utilise them suitably for afforestation and cultivation purposes.

All India Newspapers Editors' Conference held at Simla

2455. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Shri Chand Goyal :

Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn towards the resolution passed by All India News-papers Editors' Conference held in Simla recently ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The resolutions passed at the All India Newspaper Editors' Conference held at Simla as forwarded by the General Secretary of the Conference are placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—4399/70].

(b) The present policy of the Government in regard to release of advertisements to newspapers is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—4399/70].

The Annual Newsprint Allocation Policy is framed with due regard to the anticipated availability of supplies of newsprint from imported and indigenous sources and also the need for fostering the growth of small and medium newspapers.

The existing procedure for the registration of newspapers and the allocation of newsprint is simple, consistent with the need for obtaining all the required information for dealing with applications without delay.

Under the existing rules, it is not necessary for publishers claiming circulations upty 2,000 copies to submit an Auditor's certificate. Representations were made to the Enquiro Committee on Small Newspapers for raising this limit to 5,000 or even 10,000. The Committee did not support this suggestion and Government accepted its recommendation.

The other points contained in the resolutions do not concern the Central Government.

Buffer Stock of Sugar

2456. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Chengalraya Naidu :**
Shri R. Barua :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a statement made by chairman of the Indian Sugar Mills Association which appealed in the 'Times of India' dated the 16th September, in Bombay, to the effect that Government should build a "Buffer Stock" of sugar as is done in the case of foodgrains so that the millowner: may not block their money in stocking the sugar but may make immediate payments for the sugarcanes to the cane growers ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The proposal for maintaining a reseve stock of sugar is under consideration of the Government.

पश्चिम बंगाल में बिड़ला कम्पनियों का पुनः खुलना

2457. **श्री अ० कु० गोपालन** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री पश्चिम बंगाल में बिड़ला कम्पनियों के पुनः खुलने के सम्बन्ध में दिये गये ज्ञापन के बारे में 6 अगस्त, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 261 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 261 में निर्दिष्ट, फेडरेशन आफ मर्केनटायल एम्पलाइज यूनियन और बिड़ला वर्कर्स एंड एम्पलाइज यूनियन की समन्वय समिति द्वारा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को प्रस्तुत किये गए दो ज्ञापनों की प्रतियां जोकि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई हैं सभा की मेज पर रख दी गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, यद्यपि कुछ विवादास्पद मामलों को न्यायानिर्णयन के लिये भेजने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन था, तथापि पिछली समझौता कार्यवाहियों के असफल होने के परिणामस्वरूप, सम्बन्धित पक्षों ने समझौते का एक और प्रयास करने की इच्छा प्रकट की। यद्यपि राज्य श्रम निदेशालय सम्बन्धित पक्षों के साथ संयुक्त सम्मेलन कर चुका है, तो भी अभी तक कोई भी समझौता सम्भव नहीं हुआ है। राज्य प्राधिकारियों के मैत्रीपूर्ण समझौता कराने के प्रयास जारी हैं। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये** संख्या एल० टी०—4400/70]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा संस्था में लाइब्रेरियन की भर्ती

2458. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूसा इंस्टीट्यूट में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में एक लाइब्रेरियन के पद के लिए हाल ही में कोई विज्ञापन दिया गया था ;

(ख) क्या इस पद के लिए विज्ञापन अनुसूचित जाति के लिए ही दिया गया था ; और

(ग) क्या इस पद पर नियुक्ति कर ली गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् पूसा इन्स्टीट्यूट में लाइब्रेरियन के पद के लिए हाल ही में कोई विज्ञापन नहीं दिया गया था। शायद माननीय सदस्य का संकेत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, न्यू पूसा, नई दिल्ली में लाइब्रेरी सेवाओं के प्रधान के उस पद की ओर है जिसका मई-जून, 1969 में विज्ञापन दिया गया था।

(ख) जी हां। विज्ञापन में यह उल्लेख किया गया था कि पद अनुसूचित जाति

के सदस्य के लिए आरक्षित है किन्तु इस जाति का कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इस पद को आरक्षित नहीं समझा जायेगा।

(ग) इस पद पर अभी नियुक्ति नहीं की गई है।

राज्यों में फालतू चावल तथा चीनी का फालतू स्टाक

2459. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल/चीनी पैदा करने वाले राज्यों में चावल और चीनी का बड़ा स्टाक फालतू पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो फालतू स्टाक की मात्रा क्या है ; और

(ग) इस स्टाक की वसूली के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) से (ग). इस वर्ष चावल की दृष्टि से अधिशेष राज्यों द्वारा पेश किया गया फालतू चावल गत वर्ष की अपेक्षा अधिक मात्रा में नहीं था और इस सारे चावल को केन्द्रीय पूल के लिए लिया जा रहा है। 1969-70 मौसम में चीनी का रिकार्ड उत्पादन होने के कारण 1969-70 के चीनी मौसम के अन्त में चीनी का बचा स्टाक 1968-69 के चीनी मौसम के अन्त में बचे स्टाक से अपेक्षाकृत पर्याप्त अधिक था। इस स्टाक को (1) आगामी महीनों में नियंत्रित माध्यम से बिक्री के लिए अथवा निर्यात के लिए, तथा (2) खुले बाजार में बिक्री के लिए दिया जाएगा। यह बताना जल्दबाजी होगी कि 1970-71 मौसम के अन्त में चीनी का कितना स्टाक होगा।

प्रभागीय तार अभियंता लुधियाना (पंजाब) के विरुद्ध दुर्व्यहार की शिकायत

2460. **श्री सूरज भान :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागीय तार अभियंता, लुधियाना (पंजाब डाक और तार सर्किल) ने 1 सितम्बर, 1970 को कार्यरत चौकीदार को तमाचा मारा था ;

(ख) क्या उसी डी०ई०टी० ने सतर्कता अधिकारी और तार निदेशक पंजाब सर्किल के सम्मुख 2 सितम्बर, 1970 को लुधियाना में अपना अपराध स्वीकार किया था ;

(ग) क्या तार निदेशक ने प्रशासन सदस्य (डाक तार बोर्ड) की उपस्थिति में उसके (प्रशासन सदस्य) द्वारा एन०एफ०पी०टी०ई० अम्बाला से सम्बद्ध कुछ मजदूर संघों को 5 अक्तूबर, 1970 को दी गई भेंट में, उस घटना की पुष्टि की थी ; और

(घ) यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, उसने अपने कार्यालय के एक दैनिक मजूरी के कर्मचारी को तमाचा मारा था।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) इस बारे में जो रिपोर्ट मिली थी, उसकी जांच की जा रही है।

एस० डी० ओ० टेलीफोन, लुधियाना के विरुद्ध शिकायत

2461. **श्री सूरज भान :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिटी एक्सचेंज लुधियाना के एस०डी०ओ०पी० ने 11 जून, 1970 को अपने कार्यालय परिसर में लाइन कर्मचारियों को गाली दी थी ;

(ख) क्या उल्लिखित एस०डी०ओ० ने कर्मचारियों में साम्प्रदायिक भावनाएं उत्तेजित करने की चेष्टा की थी ;

(ग) क्या सम्बद्ध एस०डी०ओ० के इस रवैये के विरुद्ध डाक व तार संघों की समन्वय समिति ने डी०ई०टी० लुधियाना तथा महा डाक पाल पंजाब को कुछ तारें भेजी थीं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निष्पक्ष जांच कराई गई है ; और यदि हां तो उसके क्या निष्कर्ष थे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) उक्त अधिकारी ने लाइन कर्मचारियों को गाली देने की बात से इन्कार किया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सम्बद्ध डी०ई०टी० को 13-6-70 को एक तार मिला था, जो समन्वय समिति की ओर से जारी किया गया प्रतीत होता था, लेकिन उस पर केवल श्री टी०आर० गुप्ता, मंडल मंत्री, अखिल भारतीय तार इन्जीनियरी कर्मचारी संघ के हस्ताक्षर थे।

(घ) जब शिकायत करने वाले से इस मामले के पूरे तथ्य भेजने के लिए कहा गया, तो वह ऐसा नहीं कर सका। इसलिए इस मामले में आगे कार्यवाही नहीं की गई।

19 सितम्बर की हड़ताल के कारण डाक तार कर्मचारियों पर अब भी चलाये जा रहे मुकदमें

2462. **श्री राजदेव सिंह :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों की सितम्बर, 1968 को हड़ताल के कारण अब भी कितने डाक-तार कर्मचारियों पर मुकदमें चल रहे हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उनके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाने और उन्हें कुछ रियायत देने का है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) अक्तूबर, 1970 के अन्त में ऐसे कर्मचारियों की संख्या 1034 थी।

(ख) डाक-तार विभाग अदालतों में चल रहे इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस ने आवश्यक सेवा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अदालतों में जो आरोप-पत्र दायर किये हैं, वे गृह मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये सामान्य आदेशों के अनुसार ही हैं।

पंजाब ब्रिटेन से उपहार रूप में गायों की प्राप्ति

2463. **श्री राजदेव सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की जनता ने पंजाब की सरकार को 125 गायों का उपहार भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों को भी लाभ पहुँचाने के लिए केन्द्रीय सरकार कार्यवाही करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) पंजाब सरकार को भूतपूर्व सैनिकों, हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों के पुनर्स्थापन के लिए, इंग्लैंड में पंजीकृत इसाई सहायता संस्था के माध्यम से फ्रिजियन नस्ल के 210 ओसर भेंट रूप में प्राप्त हुए हैं।

(ख) इस मामले में पंजाब सरकार ने खाद्य उत्पादन के लिए कार्यवाही (ए० एफ० पी० आर० ओ०), नई दिल्ली नामक संयुक्त सेवा एजेन्सी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत भारत में पंजीकृत के माध्यम से पहल की थी। भारत सरकार ने इन पशुओं को इंग्लैंड से भारत लाने के लिए विदेशी मुद्रा प्रदान कर पंजाब सरकार की सहायता की। अन्य किसी राज्य से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। केन्द्रीय सरकार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विदेशी नस्लों के पशुओं का आयात कर रही है तथा उन्हें विभिन्न राज्यों को वितरित कर रही है।

मुर्गी पालन विकास की योजना

2464. **श्री सामिनाथन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुर्गी पालन फार्म में तैयार की गई अधिक अंडे देने वाली मुर्गियों को पालने के लिए बम्बई, बंगलौर, नई दिल्ली, चंडीगढ़ तथा पश्चिम बंगाल में 50,000 की क्षमता वाले अण्डे सेने के पांच केन्द्र स्थापित किये जाएंगे ;

(ख) यदि हाँ, तो मुर्गीपालन विकास की व्यापक योजना के अन्तर्गत स्थापित 100 ब्लाकों का विस्तार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक सफलता मिली है तथा उस पर कितनी लागत आई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां।

(ख) कुक्कुट विकास की एक बृहद योजना अर्थात "गहन अण्डा तथा कुक्कुट उत्पादन-एवं-विपणन परियोजना" तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना के अधीन देश के विभिन्न भागों में अब तक 103 परियोजनायें चालू की गई हैं।

(ग) कुक्कुट विकास में इस योजना ने काफी योगदान दिया है। योजना शुरू होने से अब तक बड़ी संख्या में कुक्कुट फार्म खोले गए हैं और अनुमान है कि अण्डों का राष्ट्रीय उत्पादन 1961 के 25000 लाख अण्डों से बढ़कर 1968-69 में 54630 लाख अण्डे हो गया है।

एक सघन अण्डा तथा कुक्कुट उत्पादन-एवं-विपणन परियोजना के भवनों तथा उपस्करों पर परिव्यय की राशि 2.47 लाख रुपये है। 8.85 लाख रुपये की कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता होगी। परियोजना स्थापित होने पर वार्षिक आवर्ती व्यय लगभग 1.65 लाख रुपए होने की सम्भावना है और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से लगभग 1.85 लाख रु० प्रति वर्ष प्राप्त होंगे।

लेह का आकाशवाणी केन्द्र

2465. **श्री सामिनाथन :**

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेह का आकाशवाणी केन्द्र नवम्बर, 1970 से चालू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र से कौन-कौन से कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं ; और

(ग) यह किस सीमा तक लाभदायक सिद्ध हुआ है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

1969-70 तथा 1970-71 में कुयें लगाने के लिए राजस्थान को दी गई केन्द्रीय सहायता

24 6. **श्री मीठा लाल मीना :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने 1969-70 तथा 1970-71 में सिंचाई और अन्य कार्यों के लिये कुएं लगाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई उद्देश्यों के लिए नलकूपों को लगाने के संबंध में राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को

नहीं कहा है । यद्यपि, ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिसका उद्देश्य श्रम सघन कार्यों को संगठित कर देश के चुने हुए जिलों में सूखे की परिस्थितियों को कम करना है, राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें पीने के पानी के लिए नलकूपों को लगाना सम्मिलित है ।

(ख) नलकूप श्रम साधन नहीं है, इस लिए इन्हें ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित करना संभव नहीं है ।

Help to Fishermen under Small Farmers Development Scheme

2467. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether agricultural labour and small farmers also own fisheries ;

(b) if so. the reasons for not providing assistance to the persons engaged in fisheries and the fishermen under the small farmers' development scheme and the schemes for marginal farmers and agricultural labour ;

(c) whether Government are considering the inclusion of fisheries in small farmers and agricultural labourers' scheme ; and

(d) if so, since when ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Some of the small farmers, marginal farmers and agricultural labourers are likely to be engaged in fisheries and as such are to be assisted in this subsidiary occupation. Their ownership of fisheries is not definitely known.

(b) Some of the projects under the small farmers, marginal farmers and Agricultural labourers provide for assistance to take up fishery activities e.g. in supplying of improved nets, equipments etc. This depends on their proposals furnished by State Government.

(c) Fisheries is included as one of the items for development under the two schemes.

(d) Does not arise.

समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन

2468. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन देने के बारे में क्या कसौटी अपनाई जाती है ;

(ख) विज्ञापनों के लिए समाचार पत्रों को गत वर्ष कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया ; और

(ग) पिछले वर्ष निम्न समाचार-पत्रों को कितनी राशि का भुगतान किया गया ;

(1) टाइम्स आफ इण्डिया

(2) दी स्टेट्समैन

(3) हिन्दुस्तान टाइम्स

(4) इंडियन ऐक्सप्रेस

(5) नेशनल हेराल्ड

(6) पैट्रिअट।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं को विज्ञापन देने का मापदण्ड पहले ही निर्धारित है। सरकारी विज्ञापनों के लिए समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं का चयन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाती हैं :—

(1) प्रभावी खपत (सामान्यत: 1000 से कम बिक्री वाले समाचार-पत्रों का उपयोग नही किया जाता)।

(2) प्रकाशन में नियमितता (लगातार 6 महीने का प्रकाशन आवश्यक है)।

(3) पाठकों की श्रेणी।

(4) पत्रकारिता संबंधी नैतिकता के स्वीकृत स्तरों का पालन।

(5) अन्य बातें जैसे छपाई स्तर, उपलब्ध धन के अन्दर-अन्दर किन-किन भाषाओं और क्षेत्रों में विज्ञापन देने हैं।

(6) विज्ञापन की दरें जो सरकार की प्रचार आवश्यकताओं के लिए उचित और स्वीकृत समझी जायें।

सरकारी विज्ञापन देने में यह बात ध्यान में नहीं रखी जाती कि समाचार पत्र या पत्रिका किस राजनैतिक दल से सम्बद्ध है। सरकारी विज्ञापनों के लिए सभी राजनैतिक दलों से संबंधित तथा विभिन्न राजनैतिक विचारों का समर्थन करने वाले पत्रों का प्रयोग किया जाता है। तथापि सरकारी विज्ञापन ऐसे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को नहीं दिये जाते जो साम्प्रदायिक भावना भड़काते हैं या हिंसा का प्रचार करते हैं या सार्वजनिक शालीनता और नैतिकता के सामाजिक तौर से स्वीकृत सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचाते हैं।

(ख) 1,19,07,137.00 रुपये।

(ग) उपर्युक्त नीति के अनुसार अलग-अलग समाचार-पत्रों को दिए गए विज्ञापनों तथा उन्हें दी गई धन राशि सम्बन्धी सूचना गोपनीय समझी जाती है।

फालतू चीनी का निपटान

2469. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितनी चीनी फालतू है और अगले वर्ष कितनी फालतू होगी ;

(ख) सरकार का लक्ष्य इस वर्ष कितनी चीनी निर्यात करने का था और कितनी चीनी निर्यात की जा चुकी है ;

(ग) चीनी के निपटान के संबंध में सरकार का क्या प्रस्ताव है ; और

(घ) सरकार द्वारा अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा चीनी उद्योग में कितना धन लगाया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) पहली अक्तूबर, 1970 को कारखानों के पास 20.83 लाख मीटरी टन चीनी का स्टाक बचा था। इस स्टाक में अगस्त तथा सितम्बर, 1970 में बिक्री के लिए पहले ही निर्मुक्त की गई चीनी का स्टाक जिसे कारखानों ने अभी प्रेषित नहीं किया है, शामिल है। इस को तथा इस से पूर्व की आगामी मौसम में उत्पादित चीनी खपत के लिये उपलब्ध हो लगभग दो महीनों के लिये खपत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लगभग 10 से 12 लाख मीटरी टन चीनी का अधिशेष स्टाक उपलब्ध हो सकता है आगामी वर्ष में यह अधिशेष, चीनी के उत्पादन, खपत तथा निर्यात पर निर्भर करेगा। फिलहाल अधिशेष का अनुमान लगाना कठिन है।

(ख) पंचाग वर्ष, 1970 में भारत अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार, 1968 के अन्तर्गत 3.25 लाख मीटरी टन चीनी का निर्यात कर सकता है। लगभग 2.62 लाख मीटरी टन चीनी का पहले ही लदान किया जा चुका है।

(ग) गत मौसम का बचा स्टाक बिक्री हेतु आगामी महीनों में निर्मुक्त किया जाएगा। खपत बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पग उठाये गये हैं :—

(1) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे शहरी क्षेत्रों में जहां पर चीनी कम मात्रा में दी जाती है वहां पर चीनी की मात्रा बढ़ा दें और ग्रामीण क्षेत्रों में उसके वितरण को उदार बनायें।

(2) घरेलू उपभोक्ताओं में वितरण के लिए राज्यों के लेवी-चीनी के आवंटन को 1968-69 के 17.32 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर 1969-70 में 28.18 लाख मीटरी टन कर दिया गया है।

(3) खुली बिक्री के लिए चीनी की निर्मुक्ति को 1968-69 की 9.83 लाख टन से बढ़ाकर 1969-70 में 14.37 लाख मीटरी टन कर दी गई है।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार, 1968 के उपबन्धों के अधीन यथासम्भव अधिक से अधिक मात्रा में चीनी का निर्यात करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(5) चीनी की खुली बिक्री के अन्तराज्यीय संचलन पर लगे प्रतिबन्धों को हटा दिया गया है।

(घ) 1969-70 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों ने चीनी उद्योग को .254 करोड़ रुपये के ऋण की अधिकतम अग्रिम धनराशि दी थी।

रेल गाड़ियों के देर से आने का समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किया जाना

2470. **श्री दे० अमात** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल गाड़ियों के देर से आने के समाचार को आकाशवाणी से प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

टेलीविजन पर विज्ञापन

2471. **श्री दे० अमात** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडिया सोसायटी आफ एडवरटिजर्ज़ ने इस वर्ष के आरम्भ में नई दिल्ली में हुए अपने सम्मेलन में यह सुझाव दिया था कि टेलीविजन को विज्ञापनों, जिनमें वाणिज्यिक विज्ञापन भी सम्मिलित हैं के साधन के रूप में प्रयोग में लाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निश्चित सुझाव दिए गये हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) सम्मेलन के आयोजकों द्वारा भेजे गये अंग्रेजी उत्तर के साथ देखें । दस्तावेज, जिसमें उसके निष्कर्ष और सिफारिशें दी हुई हैं, की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिये** संख्या एल० टी०—4421/70]

(ग) सरकार देश में टेलीविजन के विकास के लिए अपनी योजनायें बनाते समय इनको ध्यान में रखेगी ।

Discontentment among Farmers Regarding Fixation of Sugarcane Price

2472. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government fix every year the appropriate minimum price of sugarcane to safeguard the interests of the mill-owners instead of those of the farmers and as a result of which there is a great discontentment among the farmers ;

(b) whether Government are aware that this year the farmers have decided to launch a big agitation for the fixation of appropriate price of the sugarcane ; and

(c) if so, whether Government propose to take some unanimous decision after meeting the representatives of the farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir. The minimum price of cane supplied to sugar factories is fixed in the interests of the sugarcane grower to prevent the sugar factories from exploiting his weak position. The minimum price is fixed taking into account the recommendations of the State Governments, associations of sugarcane growers, sugar industry, Agricultural Prices Commission and other authorities concerned.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Improvements in Communication System in Rural Areas and Setting up of Trunk Call Centres and Telegraph Offices in 1971

2473. **Shri Deorao Patil** : Will the Ministers of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to bring about improvements in the communication system in rural areas ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the proposals for setting up public trunk call centres and telegraph offices during 1971 ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) and (b). Normally Telegraph and Telephone facilities are provided at places having postal facilities, if the scheme works out to be remunerative. In case of anticipated loss, these facilities can be provided on rent and guarantee basis if some interested party is willing to indemnify the Department against anticipated loss. However, in order to extend Telegraph and Telephone facilities to undeveloped areas (including rural areas.), a policy has been evolved according to which these facilities can be provided even with an anticipated loss at certain categories of stations based on their administrative importance, population and remoteness from the general telecommunication network. A limited number of tourist centres, pilgrim centres and agriculture and irrigation project sites and townships are also considered for provision of these facilities on loss basis. Since most of the urban areas have already been provided with these facilities, the new Telegraph Offices and PCOs that are being opened now are mostly in the rural areas.

(c) During 1971, it is proposed to open about 400 long distance Public Call Offices and 500 Telegraph Offices in the country. These will mostly be in the rural areas.

स्वच्छ जलाशयों और दलदल में मछलियों का भण्डार बनाने के बारे में अनुसंधान

2474. **श्री अदिचन** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अत्यधिक मात्रा में खाने योग्य मछलियों के लिये स्वच्छ जलाशय और दलदल के लिये अखिल भारतीय स्तर पर अनुसन्धान कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित दो अखिल भारतीय समन्वित परियोजनायें स्वीकृत की है। 'स्वच्छ जलाशयों के परिस्थिति विज्ञान तथा मीन-क्षेत्रों का अध्ययन" और "दलदल में पालने हेतु हवा में श्वास लेने वाली मछलियों के अण्डों का वर्धन तथा भण्डारण"।

'स्वच्छ जलाशयों के परिस्थिति विज्ञान तथा मीन-क्षेत्रों सम्बन्धी समन्वित परियोजना 1-4-1970 से 4 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत की गई है। ये अनुसंधान नागार्जुनसागर (आंध्र प्रदेश) भवानी सागर (तमिल नाडु) और रिहँड (उत्तर प्रदेश) में किए जा रहे हैं। इस परियोजना की कुल लागत 7,87,616 रु० है।

"दलदल में पालने हेतु हवा में श्वास लेने वाली मछलियों के अण्डों के वर्धन तथा भंडारण" सम्बन्धी समन्वित परियोजना भी 1-4-1970 से 4 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत की गई है। इस परियोजना की कुल लागत 4,62,224 रु० है। यह परियोजना मैथापुर फिश फार्म और बिहार के जिला दरभंगा में दलदली क्षेत्र में, गोहाटी के उलबारी फिश फार्म और मैसूर के भाद्रा फिश फार्म में क्रियान्वित की जाएगी।

भारतीय कृषि उड्डयन निदेशालय को विश्व बैंक से ऋण

2475. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि उड्डयन निदेशालय को विश्व बैंक ने कुछ ऋण दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिये गये ऋण की राशि तथा उद्देश्य क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). भारत में कृषि विमानन परियोजना के लिए 60 लाख डालर के ऋण के सम्बन्ध में विश्व बैंक के अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ हाल ही में वार्ता की गई है, जिसमें कि गैर सरकारी प्रचालकों तथा भारत सरकार द्वारा 82 विमानों (35 हैलीकोप्टर तथा 47 फिक्स्ड विमान) और अतिरिक्त कल पुर्जों आदि के आयात का प्रस्ताव है। संघ के साथ अभी इस ऋण के करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।

2. परियोजना का उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में हवाई छिड़काव सेवाओं के विस्तार तथा सुधार द्वारा फसल कीटों तथा रोगों का समुचित नियंत्रण करना है।

चीनी मिलों पर गन्ने की बकाया राशि और किसानों को उसका भुगतान कराने हेतु कार्यवाही

2476 **श्री मृत्युंजय प्रसाद :** खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिल-द्वारों तथा रेलवे साइडिंगों पर विभिन्न राज्यों में चीनी मिलों, खांडसारी मिलों, और गुड़ निर्माताओं द्वारा देय गन्ने का सरकार ने कितना न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है और उचित मूल्यों के ठीक निर्धारण के क्या सिद्धान्त हैं ; और

(ख) उत्पादकों द्वारा सप्लाई किये गये गन्ने के मूल्य सम्बन्धी कितनी राशि विभिन्न चीनी मिलों पर अभी तक बकाया है ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है और अब करने का विचार है जिससे मिलें, उत्पादकों को बकाया धन राशि का अन्तिम से भुगतान कर सकें ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) चीनी कारखानों द्वारा देय गन्ने का न्यूनतम मूल्य गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 3 के अधीन निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हुए निर्धारित किया जाता है :—

(क) गन्ने का उत्पादन-लागत ;

(ख) वैकल्पिक फसलों से उत्पादक को उपलब्धि और कृषिजन्य जिन्सों के मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति ;

(ग) उचित मूल्य पर उपभोक्ता को चीनी की उपलब्धि ;

(घ) जिस मूल्य पर गन्ने से उत्पादित चीनी, चीनी उत्पादकों द्वारा बेची जाती है ; और

(ङ) गन्ने से चीनी की उपलब्धि ।

वर्ष 1970-71 (पहली अक्तूबर 1970 से 30 सितम्बर, 1971 तक) में वैक्यूम पैन (निर्वात पात्र) कारखानों के दरवाजे पर दिये गये गन्ने के लिये उक्त कारखानों द्वारा देय गन्ने का न्यूनतम मूल्य 9.4 प्रतिशत या इससे कम उपलब्धि पर 7.37 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है । उपलब्धि में 9.4 प्रतिशत से प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर अधिमूल्य (प्रीमियम) में 6.6 पैसे प्रति क्विंटल अधिक देने की व्यवस्था है । जहां तक किसी क्रय-केन्द्र पर गन्ना देने का सम्बन्ध है, यदि मालिक गन्ने को रेल द्वारा कारखाने तक ले जाता है तो उपर्युक्त न्यूनतम मूल्य से 35 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से रिबेट दिया जाना है ; और यदि मालिक के परिवहन में सड़क द्वारा कारखाने को गन्ना ले जाया जाता है तो इस हालत में 2.5 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर से अधिक रिबेट नहीं दिया जाना है लेकिन वह अधिक से अधिक 32 पैसे प्रति क्विंटल होगा ।

खंडसारी मिलों और गुड़ बनाने वालों द्वारा देय गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

(ख) 1969-70 में 30 सितम्बर, 1970 तक खरीदे गये गन्ने के लिए गन्ने का बकाया मूल्य, भुगतान किया गया मूल्य और बकाया राशि तथा 1968-69 के पिछले मौसम के लिए गन्ने का बकाया मूल्य और 30 सितम्बर, 1970 को 1968-69 के पूर्व के मौसमों के लिए राज्यवार स्थिति बतलाने वाला एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या** एल० टी०-4402/70]

(ग) राज्य सरकारों से समय-समय पर कहा गया है कि वे निर्धारित समय के अन्दर कारखानों के पास पड़े बकायों के भुगतान हेतु व्यवस्था करें और उनके द्वारा गन्ने के मूल्य का शीघ्र भुगतान कराने हेतु मुकदमें चलाने सहित चूकवर्ता कारखानों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें । ऐसी राज्य सरकारों जिनके यहां भू-राजस्व के बकायों के रूप में गन्ने के मूल्य के बकायों को वसूल करने की कानूनी व्यवस्था नहीं है उनसे कहा गया है कि वे ऐसी व्यवस्था करने पर विचार करें ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा ऊंची कीमतों पर घटिया किस्म के चावल की सप्लाई किया जाना

2477. **श्री जनार्दनन :**

श्री भारखण्डे राय :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसीं शिकायतें की गई हैं कि खाद्य, निगम ने केरल को, उचित मूल्य की दुकानों पर वितरण के लिए, घटिया किस्म का चावल ऊंची कीमतों पर सप्लाई किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो केरल को सप्लाई किये जाने वाले चावल की कीमतों को कम करने तथा चावल की किस्म में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). केरल में कच्चा चावल तथा बढ़िया और बहुत बढ़िया चावल देने के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है । केरल को केवल उबले मोटे चावल की आवश्यकता है । केरल की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केन्द्रीय पूल में इस किस्म का चावल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है । केन्द्रीय पूल के पास उपलब्ध सेला तथा मोटे चावल का अधिकांश भाग केरल को सप्लाई किया जा रहा है और किया जाता रहेगा । मौजूदा स्थिति में केरल में कच्चा, बढ़िया तथा बहुत बढ़िया चावल देना बन्द नहीं किया जा सकता है । बढ़िया तथा बहुत बढ़िया चावल के मूल्य अखिल भारतीय आधार पर निर्धारित किये जाते हैं और उन्हें केवल केरल के लिए कम नहीं किया जा सकता है ।

नये प्रकार के पौधों और कई फसल लेकर सूर्य की किरणों का उपयोग करने की दिशा में प्रयत्न

2478. **श्री वेणीशंकर शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये प्रकार के पौधों और कई फसल लेकर सूर्य की किरणों का अत्यधिक उपयोग करने की दिशा में क्या प्रयत्न किये गये हैं ;

(ख) अब तक क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में प्राप्त अनुभवों का उपयोग करने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में नए प्रकार के पौधों और कई फसल लेकर सूर्य की किरणों का अधिकतम उपयोग करने की दिशा में प्रयत्न किये जा रहे हैं । गेहूँ, मक्का, चावल, सोरगम तथा पेरल मिलिट (बाजरे) के अनेक प्रकार के पौधों का उनके फोटो-संश्लेषण दक्षता और फोटो श्वसन की दर का अध्ययन किया जा रहा है ताकि उच्च फोटो-संश्लेषण और फोटो श्वसन की कम दर वाले पौधों की किस्मों को चुना जा सके । इन दोनों लक्षणों से फसलों की

अधिक उपज की सम्भाव्यता बढ़ती है। जहां तक बहु-फसल का स बन्ध हैं, संस्थान में किये गये अनुसंधानों से बहु-फसल प्रणाली के अन्तर्गत छोटी अवधि की फसलों का विकास सम्भव हुआ है। ऐसी बहु-फसल प्रणाली के उपयुक्त विशेष कृषि तकनीकों के सहवर्ती विकास से इसमें काफी सहायता मिली है।

(ख) गेहूँ जैसी फसलों में अनेक बौनी किस्मों का विकास किया गया है जिसके पौधे इस प्रकार के हैं कि वे उच्च उर्वरता पर भी लम्बी किस्मों की भांति नहीं गिरते और बढ़ते समय सूर्य की किरणों का अधिकतम उपयोग करते हैं। लम्बी किस्में आम तौर पर गिर जाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप वृद्धि की समस्त गतिविधियां रुक जाने से उपज में भारी कमी आ जाती है। मक्का गेहूं और कपास में कुछ ऐसी किस्में विकसित की गई है जिनकी पत्तियां सीधी होती हैं। (उदाहरणार्थ-मक्का स्ट्रेन सोना-एरेक्ट)। पत्तियों की सीधी स्थिति पत्ती के दोनों ओर खुलाव तथा पत्ती के नीचे तथा ऊपर के भाग बराबर खुले होने से पौधा अधिक अन्न उत्पादन के लिए अधिकतम सूर्य की किरणों का उपयोग कर सकता है। अपना देश बड़ा भाग्यशाली है क्योंकि यहां सारे साल सूर्य की किरणें मिलती है। 'रिले क्रापिंग' बहु-फसल की एक विशेष किस्म है जिसमें कि एक ही भूमि पर शीघ्रता से बारी-बारी चार खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। इससे वर्ष भर पक्तियों कीं सतह पर अधिकतम सूर्य की रोशनी प्राप्त करने में सहायता मिलती है इससे 8-10 टन प्रति हैक्टर (तीन फसलें) 4-5 टन प्रति हैक्टार (तीन फसलें) 4-5 टन प्रति हैक्टार (दो फसलें) और 2-3 टन प्रति हैक्टार (अकेली फसल) की तुलना में 15-16 टन प्रति हैक्टार (चार फसलें) तक उपज प्राप्त होती है। दो मुख्य फसलों की लघु मध्यवर्ती अवधि के दौरान सूर्य की किरणों का उपयोग करने में लघु अवधि की फसलों तथा उनकी किस्में महत्वपूर्ण योगदान करेंगी।

इसी प्रकार के 'मूंग पूसा बैसाखी' (जो कि अप्रैल के अन्त में बोई जाती है और जून के अन्त में काटी जाती है) गन्ने (जो मार्च में लगाया जाता है और दिसम्बर में काटा जाता है) की दो पंक्तियों के बीच की मध्यवर्ती फसल है। गन्ने की पंक्तियों के बीच के स्थानों में पड़ने वाली सूर्य की किरणों का 5-6 क्विंटल प्रति हैक्टार उपज देने वाली मूंग की अतिरिक्त फसल उगाने के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है।

(ग) देश के गेहूं उत्पादन स्थलों में कई क्षेत्रों में लम्बी किस्म का स्थान गेहूं की बौनी किस्म ने लिया है।

चावल की बौनी किस्में, जिनकी प्रायः सीधी पंक्तियां होती हैं और सूर्य की किरणों का भली-भांति उपयोग करती हैं, सफलता पूर्वक बड़े क्षेत्रों में बोई गई हैं 'रिले क्रापिंग (बहु-फसल से उन्नत) दिल्ली राज्य की राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना में प्रस्तुत की गई है और अब कई किसान अपने खेतों में सफलतापूर्वक एक वर्ष में चार फसलें उगाते हैं।

गेहूँ की नई किस्म का अनुसंधान

2479. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं की उन पुराने किस्मों की संख्या क्या है जिनको अब तक नई किस्मों द्वारा बदल दिया गया है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इस परिवर्तन से वर्ष वार कितना उत्पादन बढ़ा है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में भविष्य में अनुसंधान किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहेब शिंदे) : (क) सिंचित औसत उपज की परिस्थितियों के अंतर्गत पहले बोई जाने वाली अधिकतर गेहूँ की सब पुरानी किस्में अब नई बौनी किस्मों द्वारा प्रतिस्थापित की जा रही हैं। इस प्रकार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा सी 273, सी 281, पी० बी० 591, एन० पी० 710, एन० पी० 718, एन० पी० 824 तथा कानपुर 13 किस्मों का त्याग कर दिया गया है जोकि पहले काफी लोकप्रिय किस्में थीं। एन० पी० 52 तथा एन० पी० 798 बिहार में भी छोड़ दी गई है। कुछ क्षेत्रों में जहां कि गेहूं सिंचाई के अन्तर्गत उगाया जाता है, गेहूं का लगभग 95 प्रतिशत क्षेत्र गेहूं की बौनी किस्मों के अन्तर्गत है।

वर्षा सिंचित परिस्थितियों के अन्तर्गत प्रायः समस्त क्षेत्र अभी भी देशी "टाल" किस्मों के अन्तर्गत है, जोकि कम उपज की परिस्थितियों के अधिक अनुकूल हैं।

(ख) बौनी किस्मों की खेती के फलस्वरूप देश में सिंचित गेहूं की फसल के क्षेत्र तथा गेहूं के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1964-65 के दौरान प्रति हैक्टार औसत उत्पादन 91³ किलोग्राम (जोकि अधिकतम था) था, जोकि वर्ष 1967-68 के दौरान 1091 किलोग्राम प्रति हैक्टार, वर्ष 1968-69 के दौरान 1169 किलोग्राम प्रति हैक्टार तथा वर्ष 1969-70 के दौरान, 1263 किलोग्राम प्रति हैक्टार तक बढ़ गया। गत वर्ष लगभग 200 लाख मीटरी टन गेहूं का उत्पादन किया गया था जबकि इन बौनी किस्मों की कृषि प्रारम्भ करने से पूर्व वर्ष 1964-65 के दौरान उत्पादन लगभग 122.6 लाख मीटरी टन था।

(ग) देश में किये जा रहे गेहूँ सुधार अनुसंधान का उद्देश्य बीमारियों का अधिक प्रतिरोध, अधिक अनुकूलता, अल्पावधि में उगने की उपयुक्तता, श्रेष्ठ अनाज की कोटि (विशेषकर रोटी बनाने के गुण तथा अधिक पोषकता के महत्व की दृष्टि से) से है। अधिक फसल गिरने के प्रतिरोधक (ट्रिपल ड्वार्फ किस्मों के प्रजनन द्वारा), बीमारी, सूखा तथा कीट महामारियों के प्रतिरोधक आदि घटकों के योगदान को सघन कर प्रति हैक्टार उत्पादन में बढ़ोत्तरी की जा रही है। वर्तमान बौनी किस्मों का देशी 'टाल' तथा मकारोनी गेहूं आदि से संकरण कर पोषकता तथा रोटी बनाने की कोटि में सुधार किया जा रहा है। देश में सामान्य फसल उत्पादन के लिये हाल में कुछ 'ट्रिपल' बौनी किस्मों को पहले ही निर्मुक्त किया जा चुका है। आशा की जाती है कि लगभग एक वर्ष के अन्तर्गत इनसे भी अधिक उत्तम फिलें उपलब्ध हो जायेंगी।

प्रोटीन-कैलोरी कुपोषण का उन्मूलन

2480. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक प्रोटीन वाले गेहूं, अधिक लाइसिन वाली मक्का, पोषक ज्वार-बाजरा आदि, अधिक तथा शीघ्र पैदा होने वाली दालों, अच्छी किस्म की सब्जियों और फलों से युक्त

पोषक अन्न की थैलियों का वितरण करने से प्रोटीन कैलोरी कुपोषण का उन्मूलन करने में सहायता मिलेगी ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) देश में कुपोषण को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी, हां।

(ख) 'शरबती सोनोरा" किस्म की गेहूँ निर्मुक्त की गयी है इस गेहूं में लगभग 16 प्रतिशत प्रोटीन तथा उससे कहीं अधिक मात्रा में लाईसीन होती है। अधिक मात्रा में लाईसीन युक्त मक्का की एक किस्म का विकास भी किया गया है। पोषाहार गुणों के लिये खाद्यान्नों के जननिक सुधार से संबंधित प्रायोगिक छानबीन प्रगति पर है। यह कार्यक्रम फिलहाल मुख्यतः प्रायोगिक अवस्था में है।

(ग) जहां सामान्यतः पशुपालन, मछली पालन के साथ-साथ कृषि कार्यक्रमों के विकास द्वारा अच्छे पौषाहार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश की जा रही है, वहां जन संख्या के कमजोर वर्गों जिसमें स्कूल न जाने वाले बच्चे तथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाएं शामिल हैं, में कुपोषण को दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रमों का विकास किया जा रहा है। इनमें अनुपूरक खाद्य पदार्थ, कुछेक विटामिनों का वितरण तथा अन्य आवश्यक पौष्टिक खाद्य पदार्थों और पौषाहार संबंधी शिक्षा के साथ-साथ खाद्य पदार्थों को पौष्टिक बनाने जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।

गोल्डन टोबाको कम्पनी, बम्बई के मजदूरों के कार्मिक संघ का गठन

248[1]. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल्डन टोबाको कम्पनी, जो कि एक पारिवारिक फर्म है तथा जिसकी जास्तियां 12 करोड़ रुपये से अधिक हैं, अपने मजदूरों को कार्मिक संघ बनाने की अनुमति नहीं देती है ;

(ख) क्या यह कम्पनी मजदूरों को ऋण देकर ऋणग्रस्तता द्वारा उन पर नियंत्रण कर रही है ; और

(ग) क्या सरकार गोल्डन टोबाको कम्पनी के मजदूरों की सेवा शर्तों तथा मजूरी-ढांचे की जांच करने तथा इसको बम्बई की तुलनात्मक क्षमता की कम्पनियों के समान लाने के लिये कार्य करने का है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में बारानी खेती के लिए जिलों का चयन

2482. **श्री हेम राज :**

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में बारानी खेती के लिए चुने गये जिलों के नाम क्या हैं ; और

(ख) बारानी खेती परियोजना क्षेत्रों में किसानों को क्या सुविधायें दी जायेंगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) समेकित बारानी भूमि कृषि विकास के लिये केन्द्रीय प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन हेतु चुने गये जिलों का नाम संलग्न विवरण में दिया गया है (अनुबन्ध-1)। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** सख्या एल० टी० 4403/70]

(ख) भाग लेने वाले कृषकों को आदानों, स्थायी कार्यों और अवस्थापना प्रबन्धों के लिये सरकारी सहायता और ऋण के रूप में प्रोत्साहन की व्यवस्था की जायेगी जैसाकि संलग्न नोट में दिखाई गई है (अनुबन्ध-2)। [**ग्रंथालल में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**—4403/70]

फरुक्खाबाद तथा कानपुर जिलों में टेलीफोन के तार की चोरी

2483. **श्री झारखण्डे राय :** क्या सूचना तथा प्रसारण **और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में फरुक्खाबाद और कानपुर जिलों में टेलीफोन के तारों की चोरी बहुत जोरों पर हो रही है ; और

(ख) क्या तार की चोरी के कारण इस वर्ष अप्रैल से जून तक इन दोनों जिलों में संचार व्यवस्था पूर्ण रूप से ठप्प हो गई थी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश के फरुक्खाबाद और कानपुर जिलों में टेलीग्राफ के तारों की चोरी अगस्त, 1970 के बाद कम हो गई है।

(ख) जी नहीं, हालांकि हालत में कुछ खराबी हुई थी, लेकिन संचार व्यवस्था पूर्ण रूप से ठप्प नहीं हुई थी।

कृषि फार्मों तथा फलों के बागानों के मजदूरों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में लाने के हेतु उनका सर्वेक्षण

2484. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या श्रम **तथा पुनर्वास** मन्त्री कृषि फार्मों तथा फलों के बागानों के मजदूरों को कर्मचारी भविष्य निधि अधियियम के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिये उनके सर्वेक्षण के बारे में 7 मई, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1499 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किया जाने वाला सर्वेक्षण इस बीच पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह कब तक पूरा हो जायेगा और सरकार इस पर विचार करने में कितना समय लेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि सर्वेक्षण अभी जारी है। केन्द्रीय सरकार, सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर, संबंधित पक्षों के परामर्श से इस प्रस्ताव पर विचार करेगी।

उर्वरक शिक्षा संस्थान

2485. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में उर्वरक शिक्षा संस्थान की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे संस्थान कहां-कहां खोले जायेंगे और उनमें कितना धन व्यय होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) उर्वरकों के अधिकतम तथा संतुलित प्रयोग को अपनाने की दृष्टि से ज्ञान वृद्धि के लिए एक उर्वरक वर्धन परिषद की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रस्तावित परिषद का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा। अन्य ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

बम्बई क्षेत्र के खाद्य विभागों के विवाचन मामलों का निपटारा करना

24¦6. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री गोखले बम्बई के क्षेत्र खाद्य विभागों के विवाचन संबंधी मामलों पर केवल सांय के 5 बजे के पश्चात् ही विचार करते हैं जब सरकारी कर्मचारी कार्यालय के समयोपरान्त काम करना नहीं चाहते ;

(ख) क्या श्री गोखले, कार्यालय के समयोपरान्त बहुत कम समय तक काम करने के कारण अधिकतम मामलों को अन्तिम रूप नहीं दे पाये हैं ;

(ग) क्या सरकार को ऐसे मामलों के निपटारे में विलम्ब होने से बहुत हानि हुई है जिन मामलों में सरकार दावेदार है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार विवाचन के मामलों का शीघ्र निपटारा करने हेतु किसी पूर्णकालिक विवाचक की नियुक्ति करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) यह सच है कि श्री गोखले इन विवाचन सम्बन्धी मामलों पर सामान्यतः कार्यालय-

समय के बाद ही विचार करते हैं। तथापि, सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों ने कार्यालय-समय के के बाद सम्बन्धित कार्य को करने के लिए कोई अनिच्छा दिखाई है।

(ख) और (ग). जी नहीं। इन मामलों को अन्तिम रूप देने में यदि कोई विलम्ब होता है, तो वह सामान्यतः पार्टियों द्वारा तारीखे बढ़वाने और एवार्ड आदि के प्रकाशित करने में समय बढ़ाने के लिए पार्टियों द्वारा अदालतों में जवाबदेही दायर करने के कारण होता है।

(घ) जी नहीं, प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तर को ध्यान में रखकर।

खाद्य विभाग के मामलों का निपटारा करने हेतु विवाचक की नियुक्ति

2487. **श्री यमुना प्रसाद मन्डल : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री आर० पी० रामचन्दानी को बम्बई क्षेत्र के खाद्य विभाग से देश भर के विवाचन मामलों का निपटारा करने हेतु मुख्य विवाचक के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ख) क्या पी० जी० गोखले को उनके सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त, बम्बई क्षेत्र के खाद्य विभाग से सम्बन्धित विवाचन मामलों का निपटारा करने हेतु अतिरिक्त वेतन पर मुख्य विवाचक नियुक्त किया था ; और

(ग) यदि हां, तो श्री रामचन्दानी को बम्बई क्षेत्र के खाद्य विभाग से सम्बन्धित मामले न देने के क्या कारण हैं और विवाचन के मामलों का शीघ्र निपटारा करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) महानिदेशक, सम्भरण तथा निपटान से सम्बन्धित मामलों के लिए श्री पी० एच० रामचन्दानी पूरे समय के लिए विवाचक हैं। बम्बई क्षेत्र के मामलों के अलावा, खाद्य विभाग के कुछ मामलों के बारे में, जोकि उन्हें भेजे जाते हैं, विवाचक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी हां। श्री पी० जी० गोखले केवल बम्बई क्षेत्र के मामलों के बारे में विवाचक हैं। श्री पी० एच० रामचन्दानी अन्य क्षेत्रों के मामलों का निर्वाहन करते हैं।

(ग) श्री पी० एच० रामचन्दानी के अलावा, अन्य अधिकारियों को विवाचन के मामलों को सौंपना प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किया गया है। एक मात्र विवाचक के अपने अन्य कार्यों में पहले से व्यस्त होने के कारण बम्बई क्षेत्र के विवाचन के मामलों को निपटाने में कोई उल्लेखनीय अथवा परिहार्य विलम्ब नहीं हुआ है।

India Lagging behind Pakistan, Malaysia, Indonesia and Thailand in T. V.

2488. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether India is Lagging behind even Pakistan, Malaysia, Indonesia, Thailand etc. in the sphere of Television ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the long term scheme drawn up by Government for expansion of television in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) It is correct that these countries have larger television net work than India.

(b) Low priority given to television in our Five Year Plans and paucity of resources.

(c) Television stations will be set up at Bombay/Poona, Srinagar, Madras, Calcutta and Lucknow/Kanpur in addition to the existing station at Delhi, during the Fourth Plan period. Certain proposals for nation-wide TV net work are under Government's consideration.

Fixation of Price of Groundnut

2489. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Dinkar Desai :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the prices of Groundnut fluctuate very often ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps taken by Government to ensure reasonable price to the producers and to stabilise the prices of groundnut ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b) Yes, Sir. Prices of groundnut have been subject to fluctuations due to various reasons such as variations in production, increase in the demand due to rise in population and income levels, etc.

(c) The steps taken to ensure reasonable prices to producers and to stabilise prices include adjustments in import/export policies and regulation of bank credit policy and forward trading.

Re-opening of Sugar Mills

2490. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the number of sugar mills, State-wise, which have started sugarcane crushing and the number thereof which are still closed ;

(b) the number of labourers who have been rendered unemployed due to the closure of these sugar mills ; and

(c) the action taken by Government to restart the closed mills at an early date ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community, Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) A statement is attached showing, State-wise, the total number of sugar mills which worked in 1969 70 season, the number which started crushing operations during that season upto 20th November, 1970 and the number which started crushing operations for 1970-71 season upto the said date.

(b) and (c). Sugar industry is a seasonal industry and the date of start varies from year to year depending on various factors such as sugarcane crop available for crushing, completion of repairs overhauling of the plant, maturity of the sugarcane etc. The remaining sugar factories except a few in U. P. which may get delayed by a week or 10 days are expected to start crushing operations in the normal course. However, two sugar factories—one in Andhra Pradesh and one in Tamil Nadu—have reported that they will not be in a position to work during 1970-71 season.

STATEMENT

Statement Showing Statewise the Number of Sugar Mills in Operation in 1969-70 and those which Started Operation upto 20th November in 1969-70 and 1970-71.

S. No.	State	No. of sugar mills in operation in 1969-70	No. of sugar mills which started operation in 1969-70 upto 20th November	No. of sugar mills which started operation in 1970-71 upto 20th November
1.	U. P.	71	51	30
2.	Bihar	22	17	6
3.	West Bengal	1	1	—
4.	Assam	1	—	—
5.	Haryana	3	1	2
6.	Punjab	6	1	—
7.	Rajasthan	3	—	—
8.	Madhya Pradesh	5	—	—
9.	Orissa	2	—	—
10.	Andhra Pradesh	19	10	2
11.	Gujarat	5	4	1
12.	Maharashtra	41	33	36
13.	Mysore	10	8	10
14.	Kerala	3	3	3
15.	Tamil Nadu	16	5	4
16.	Pondicherry	1	—	—
	Total :	215	134	94

Rural Development

2491. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the measures proposed to be adopted by Government to accelerate the pace of rural development ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri S. C. Jamir) : In addition to the normal schemes for rural development, some of the new schemes launched to accelerate rural development are those relating to small farmers development agency, marginal farmers and landless labourers scheme for assisting the small and marginal farmers to diversify and increase production from their holdings and the scheme of rural works in the drought prone areas. In addition to the foregoing, a composite programme for women and children which aims at raising the nutritional status of the people through nutrition education has been taken up. It is also proposed to launch a crash employment scheme to augment employment opportunities on a wide scale.

खाने के तेल के बीजों के मूल्य में वृद्धि

2492. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्षों की तुलना में बीजों के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समय तेल के बीजों के मूल्य क्या हैं तथा पिछले वर्ष इसी अवधि में इनके मूल्य क्या थे ; और

(ग) क्या सरकार ने देश में तेल के बीजो के मूल्यों को कम करने के लिए कोई योजना बनाई है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान तिलहनों के मूल्य सामान्यतया अधिक रहे। 6 नवम्बर, 1970 को और पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रों में प्रमुख तिलहनों के थोक मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

(रुपये प्रति क्विन्टल)

मद/केन्द्र	किस्म	6-11-70 के मूल्य	7-11-69 के मूल्य
मूंगफली			
बम्बई	मोटी गिरी	208.00	176.00
राजकोट	मटर की फली	125.25	115.00
तोरिया तथा सरसों			
कानपुर	पीली	200.94	179.83
तिली का बीज			
बम्बई	बैण्डो	202.00	187.00
अलसी			
बम्बई	मोटी	186.00	152.00
अरण्ड			
बम्बई	मोटी	150.00	101.00

(ग) मूल्यों को स्थिर करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों में तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे गैर-परम्परागत तिलहनों का उपयोग करना, तेल के सम्भरण को बढ़ाने के लिए गौण तिलहनों और कपास का उपयोग करना, तिलहनों और तेलों का आयात करके देशीय सम्भरण को बढ़ाना और बैंक ऋण तथा सट्टे को विनियमित करना शामिल है।

भारत में सोवियत फिल्मों की शूटिंग

2493. श्रीमती सुचेता कृपालानी : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत फिल्मों की भारत में शूटिंग के लिए रूस को अनुमति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां, सोवियत संघ के दल को एक फिल्म के छोटे से अंश की भारत में शूटिंग की हाल ही में अनुमति दी गई है ।

(ख) यह अनुमति उस प्रक्रिया के अनुसार दी गई है जो फिल्मों की शूटिंग के लिए भारत में आने वाले सभी विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए निर्धारित है ।

भारत तथा अन्य देशों में मछलियों की प्रति व्यक्ति खपत

2494. श्री कं० हाल्दर : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली, दूसरी तथा तीसरी योजना अवधि में भारत में मछलियों की प्रति व्यक्ति कितनी खपत रही ; और

(ख) जापान, श्रीलंका ब्रिटेन, रूस तथा अमरीका में मछली की प्रति व्यक्ति कितनी खपत है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजना की अवधियों के दौरान भारत में प्रति-वर्ष प्रति व्यक्ति मछली की निवल उपलब्धि लगभग क्रमश: 1.77 किलोग्राम, 2.28 किलोग्राम तथा 2.19 किलोग्राम है । ये आंकड़े कुल संख्या पर आधारित हैं । देश में मछली खाने वाली जनसंख्या लगभग 60 प्रतिशत है मछली खाने वाली जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति तदनरूपी उपलब्धि अधिक होगी ।

(ख) भारत की प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं की तदनुरूपी अवधियों के दौरान जापान, श्रीलंका, इंगलैंड, रूस तथा अमरीका में मछलियों की वार्षिक प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धि निम्न प्रकार है :—

देश	भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक निवल उपलब्भि (किलोग्राम)		
	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना
जापान	45.89	50.76	60.45
श्रीलंका†	8.07	9.36	11.06
ब्रतानिया†	26.23	25.66	28.03
रूस	10.78	12.27	16.01
अमरीका	16.86	17.34	17.39

†नोट : इंगलेंड तथा श्री लंका में काफी मात्रा आयात से उपलब्ध होती है ।

यह भी बता देना आवश्यक है कि अनुमान लगाई गई मछली खाने वाली जनसंख्या के आधार पर 1969 के दौरान भारत में मछली की प्रति व्यक्ति उपलब्धि 4.9 किलोग्राम है। देशवार यदि कुल उत्पादन के हिसाब से देखा जाये तो 1968 में भारत का छटा स्थान था और यहां का उत्पादन 15.26 लाख मीटरी टन था। पीरू, जापान, अमरीका, नार्वे तथा अमरीका का उत्पादन अधिक था। भारत में उत्पादन 1969 में 16.05 लाख मीटरी टन तक जा पहुंचा।

खराबियों के दूर किये जाने के उपरान्त भी जर्मनी के ट्रैक्टरों को बदलने के लिए पंजाब के किसानों का अनुरोध

2495. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार इस तथ्य से अवगत है कि दोषपूर्ण जर्मनी ट्रैक्टरों के बहुत से पंजाबी खरीददारों ने 30 अक्तूबर, 1970 को पंजाब सरकार से यह मांग की थी कि इन ट्रैक्टरों को स्टैंडर्ड मेक के ट्रैक्टरों से बदला जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन किसानों ने यह शिकायत की है कि दोषपूर्ण ट्रैक्टरों में जर्मनी तकनीकियों ने जो सुधार किए हैं उनसे कोई लाभ नहीं हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार जर्मन जनवादी गणराज्य सरकार का इस तथ्य से अवगत कराने का विचार कर रही है ;

(घ) क्या सरकार का विचार खराब ट्रैक्टरों को मानक ट्रैक्टरों द्वारा बदलने की किसानों की मांग को स्वीकार करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) से (ङ) भारत सरकार के तकनीकी अधिकारियों का एक दल, पूर्वी जर्मनी के सम्भरणकर्त्ताओं और पंजाब राज्य कृषि उद्योग निगम के प्रतिनिधि यह देखने के लिए पंजाब का दौरा कर रहे हैं कि क्या आर० एस०-09 ट्रैक्टर में किये जा रहे अशोधन शिकायतों का समाधान कर पायेंगे या नहीं। त्रुटिपूर्ण ट्रैक्टरों को बदलने के बारे में इस दल की सिफारिशों के आधार पर ही आगे कार्यवाही की जायेगी।

तेल कम्पनियों संबंधी गोखले आयोग का प्रतिवेदन

2496. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी तेल कम्पनियों के कर्मचारियों के बारे में गोखले आयोग की सिफारिशों तथा व्यक्त विचारों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). गोखले आयोग की सिफारिशों पर 15 अक्तूबर, 1969 को हुई त्रिपक्षीय बैठक में विचार-विमर्श किया गया। विचार-विनिमय के बाद, नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने आयोग की सिफारिशों पर द्विपक्षीय वार्ता करना स्वीकार कर लिया, ताकि सभी मामलों में एक मास के अंदर मैत्रीपूर्ण समझौता हो सके और ऐसा न होने पर वे श्रम मंत्रालय को अपने मत-भेदों की सूचना देकर अगली बैठक के लिए प्रार्थना कर सकें। चूंकि संबंधित पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके, इसलिए सरकार संबंधित पक्षों का परामर्श लेकर, गोखले आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में आवश्यक संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है, ताकि सभी उद्योगों में, जिनमें विदेशी तेल की कम्पनियां भी शामिल हैं, समान स्थिति में काम करने वाले श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा के कुछ उपाय सुनिश्चित किए जा सकें।

Applications Pending for Telephone Connection in Ujjain, M. P.

2497. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total number of telephone connections provided in the Ujjain District of Madhya Pradesh at present ;

(b) the number of persons in the waiting list of telephone connections ; and

(c) the approximate number of persons who are likely to be provided with telephone connections during the current financial year ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) 1272 numbers.

(b) 34 numbers.

(c) The existing waiting list is likely to be wiped out.

Extension of T. V.

2498. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the approximate number of regional and relay centres separately from which telecasting is likely to start on completion of the comprehensive scheme for extension of T. V. ; and

(b) the approximate expenditure, in terms of both Indian currency and foreign exchange, likely to be incurred on this scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The tentative proposals prepared by this Ministry for development of TV net-work in the country envisage setting up of 20 regional net works consisting of 20 programme originating stations and about 150 relay stations.

(b) Rs. 112 crores out of which 39 crores is likely to be in foreign exchange.

Posts and Telegraphs Offices in Jammu and Kashmir

2499. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total number of Posts and Telegraphs Offices at present in the State of Jammu and Kashmir ; and

(b) the break-up of the Posts and Telegraphs Offices situated in the rural and urban areas of the State ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) There are 960 post offices in the State Jammu and Kashmir as on 20-11-70 out of which 110 have got telegraph facilities. In addition, there are two Central Telegraph Offices at Srinagar and Jammu.

(b) There are 888 post offices in the rural areas and 72 in the urban areas of the State of Jammu and Kashmir as on 20-11-70. Out of these, 69 post offices in rural areas and 41 in urban areas have got telegraph facilities.

Expenditure on Development of Agriculture in Madhya Pradesh during Fourth Plan

2500. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state the amount of money proposed to be spent on the development of agriculture out of the total allocation proposed for Madhya Pradesh in the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : Out of the total Fourth Five Year Plan outlay of Rs. 393 crores for Madhya Pradesh, the outlay presently earmarked for development of agriculture amounts to Rs. 81.50 crores and that for allied sectors of cooperation, community development and panchayats; Rs. 20.75 crores.

Supply of Wheat to Madhya Pradesh during 1970-71

2501. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state the extent of increase likely to be made in the supply of wheat to Madhya Pradesh 1970-71 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : Wheat is being supplied to States on monthly basis. A quantity of 118.7 thousand tonnes wheat has been supplied to Madhya Pradesh from Central stocks during the period from January to October 1970 For the same period of 1969, 47.3 thousand tonnes had been supplied to Madhya Pradesh. With regard to future supplies the quantum of supplies will depend upon the general food position in the Stete on which the demand of Madhya Pradesh Government for supplies would be based and also on the availability of wheat in the Central pool and the needs of other deficit States.

Delay in Completion of Telephone Exchanges of Madhya Pradesh due to Shortage of Engineers

2502. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the work in Telephone Exchanges in Madhya Pradesh is not being done expeditiously on account of shortage of engineers there ; and

(b) if so, the reasons for not increasing the strength of the Engineers and expanding the Telephone Exchanges at faster pace there ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) There is no shortage of Engineers in Madhya Pradesh Circle. It is presumed that the question relates to installation of new Telephone Exchanges and expansion of existing exchanges. The work is being done as expeditiously as possible, to subject to the availability of stores.

(b) Does not arise.

Request for Telephone Facilities in Towns of East Nimad and Hoshangabad District in M. P.

2503. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the residents of some of the towns in the districts of East Nimad and Hoshangabad in Madhya Pradesh have requested Government to provide telephone facilities in their respective towns ;

(b) whether the officials have ready conducted surveys of those towns with a view to providing telephone facilities there ;

(c) whether Government have not taken any action even after conducting the surveys ;

(d) whether telephones have not been provided at some places even after completing most of the work there in this regard ; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Telephone facility already exists in all towns with population more than 5000 in the Districts of East Nimad and Hoshangabad. There is no case pending with the department for provision of telephone facilities in towns with population of more than 5000 in these two Districts of Madhya Pradesh.

(b) to (e). Questions do not arise.

सहकारी बैंकों तथा ऋण देने वाली समितियों के ऋण देने की नीति में असंतुलन

2504. **श्री शंकरराव माने :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि ऋण देने की दोहरी वित्त व्यवस्था से सहकारी बैंकों तथा ऋण देने वाली समितियों के ऋण देने की नीति में असन्तुलन आ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति के निवारण के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख). चतुर्थ योजना में यह पहुँच है कि कृषि ऋण को यथा संभव सीमा तक संस्थात्मक रूप दिया जाए। ग्रामीण ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विविध संस्थात्मक अधिकरणों को एकीकृत तथा समन्वित ढंग से कार्य करना है। सहकारी समितियां कृषि ऋण के लिये मुख्य अभिकरण हैं और अन्य संस्थात्मक अभिकरणों से सहकारी समितियों के कार्य की अनुपूर्ति करने की आशा की जाती है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे कारगर समन्वय तथा दोहरी व्यवस्था के परिवहन के लिए राज्य तथा जिला स्तरों पर समन्वय समितियां स्थापित करें। सहकारी समितियों तथा अन्य ऋण संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृत करने की नीति में असंतुलन आने का प्रश्न उठने की सम्भावना नहीं है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में तृतीय श्रेणी के पद

2505. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विभिन्न प्रभागों में प्रत्येक केंद्र के अनुसार तृतीय श्रेणी के पदों के कितने वर्ग

(ख) पदों के प्रत्येक वर्ग में कितने कर्मचारी नौकरी में लगे हुये हैं; और

(ग) ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कार्य करने के लिये अब तक अपना विकल्प दिया है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे): (क) से (ग). जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**—4404/70]

हिमाचल प्रदेश में भाम्बला में दुग्ध शीतक कारखाना

2508. **श्री सीताराम केसरी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में भाम्बला में एक दुग्ध शीतक कारखाने का हाल ही में उद्घाटन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कारखाने की अनुमानित लागत क्या है तथा इसकी क्षमता क्या है ; और

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के कारखाने स्थापित करने की सरकारी योजना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। दिनांक 31 अक्तूबर, 1970 को हिमाचल प्रदेश के भाम्बला नामक स्थान पर एक दुग्ध द्रुतशीतन संयत्र का उद्घाटन किया गया था।

(ख) संयंत्र की अनुमानित लागत 3 लाख रुपये है और इसकी प्रतिदिन 2,000 लिटर दूध को द्रुतशीतन करने की क्षमता है।

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मुख्य डेरी परियोजनाओं से सम्बद्ध दुग्ध द्रुतशीतन संयंत्र स्थापित् किये जा रहे हैं। डेरी विकास कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा ऐसे संयंत्रों को स्थापित करने के लिये निर्धारित सहायता के प्रतिमान के अनुसार ही केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जायेगी।

केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से 'फीचर फिल्मों' का निर्माण

2509. **श्री हिम्मतसिंहका : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में 'फीचर फिल्मों' के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी गई तथा प्रस्तावित वित्तीय सहायता का ब्योरा क्या है तथा उन फिल्मों, उनके निर्माताओं और उनके निदेशकों के नाम क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 4405/70]

कलकत्ता में बिड़ला समूह के समवायों के बन्द किये गये प्रशासनिक कार्यालय

2510. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिड़ला समूह के समवायों के उन प्रशासनिक कार्यालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत वर्ष कलकत्ता में अपने कार्यालयों को बन्द कर दिया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार है कि कलकत्ता में उनके प्रशासनिक कार्यालयों को पुन: खोलने के बारे में बिड़ला बन्धुओं से बातचीत की जाये ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

पश्चिम बंगाल में बेनामी भूमि का अधिग्रहण तथा बेकार पड़ी भूमि का बटवारा

2511. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 से 1970 तक पश्चिम बंगाल में वर्षवार कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई ; और

(ख) वर्ष 1968 से 1970 तक पश्चिम बंगाल में भूमिहीन कृषि मजदूरों के परिवारों में सरकार की कितनी बेकार भूमि बांटी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) राज्य सरकार द्वारा अब तक दी गई जानकारी के अनुसार सितम्बर, 1970 तक बिचौलिए पट्टेदारों के नाम से 865583 एकड़ भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार द्वारा ले लिया गया है । जून, 1969 में यह क्षेत्रफल 731536 एकड़ तथा 1967 में पांच लाख एकड़ था जब कि बड़े जमींदारों द्वारा छल द्वारा अधिकतम स्वामित्व सीमा से अधिक रखी गई भूमि का पता लगाने का अभियान आरम्भ किया गया था ।

(ख) सितम्बर, 1970 तक भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा उन भूमिधारी किसानों को जिनके पास 2 एकड़ से भूमि है 347055 एकड़ भूमि वितरित की गई थी जबकि उसके विपरीत जून, 1969 तक 264000 एकड़ तथा 1967 तक 182,338 एकड़ भूमि वितरित की गई थी ।

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम का संशोधन

2512. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अमृत बाजार पत्रिका" के सम्पादक ने हाल में यह वक्तव्य दिया है कि

उनकी आयु अभी 71 वर्ष की नहीं हुई है और वह सम्पादक के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि श्रमजीवी पत्रकार सम्पादक को 60 वर्ष तथा इसके पूर्व की आयु में सेवा निवृत्त होना होता है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाया गया है कि **"अमृत बाजार पत्रिका"** का सम्पादक उक्त समाचार पत्र का मालिक भी है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या वह श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन करने के लिये कार्यवाही करने में विचार कर रहा है ताकि सम्पादक तथा मालिक के लिये सेवानिवृत्त की समान आयु नियत की जा सके ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) इस प्रकार का कोई भी वक्तव्य सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को सप्लाई किया गया आटा और गेहूँ

2513. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 में जून से अक्तूबर तक की अवधि में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये कितना आटा और गेहूं मंजूर किया गया तथा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वास्तव में कितना आटा और गेहूँ वितरित किया गया ;

(ख) प्रत्येक वितरक के नाम कितना आटा-गेहूँ आवंटित किया गया ; और

(ग) बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए आटा-गेहूं वितरित करने के हेतु व्यक्तियों को उचित आधार और सिद्धांतों पर चुना गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

प्रतिरक्षा प्रचार

2514. **श्री शशि भूषण** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कि प्रतिरक्षा प्रचार को

समुन्नित किया जाये केन्द्रीय सूचना सेवा के अन्तर्गत जन सम्पर्क निदेशालय (प्रतिरक्षा) में प्राचारिक तथा पत्रकारिता के पदों के स्वीकरण के सिद्धांत को बहुत पहले स्वीकार कर लिया था ;

(ख) क्या इससे सम्बन्धित निर्णय को इस बीच कार्यान्वित कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसे कार्यान्वित करने में देरी के क्या कारण हैं ; और

(घ) निर्णय को कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). एकीकरण का प्रस्ताव पहले संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिद्धांत रूप में ही स्वीकार किया गया था। बाद में उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों की अद्यतन चरित्रपंजियों तथा उनके ब्यौरे सहित एक स्वतः स्पष्ट नोट चाहा था। इनको प्रतिरक्षा मंत्रालय से एकत्र कर उनके पास भेज दिया गया था। उन्होंने अब विशिष्ट संख्या में पदों को केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल करने की अपनी स्वीकृति सूचित कर दी है और यह सिफारिश भी की है कि मंत्रालय में एक चयन समिति गठित की जाये जो वर्तमान पदधारियों की चरित्र पंजियों और सम्बन्धित विवरणों के आधार पर उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करे। तत्पश्चात् समिति की सिफारिशों पर आयोग की स्वीकृति ली जाए। इस सम्बन्ध में मंत्रालय में कार्रवाई की जा रही है। आशा है कि एकीकरण का कार्य 1970-71 के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

दक्ष जन शक्ति का निर्माण

2515. **श्री शशि भूषण :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रगति के लिए दक्ष जन शक्ति का निर्माण बहुत आवश्यक है और इस महत्वपूर्ण कार्य में नियोक्ताओं को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी हैं ;

(ख) क्या सरकार ने ग्रुप-प्रशिक्षण प्रयासों के सक्रिय सम्बधन हेतु नियोक्ताओं पर जोर दिया है जिससे कि प्रशिक्षणार्थियों को पूरे लाभ मिल सकें, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस समय देश में प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या कितनी है और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इनकी संख्या के कितना हो जाने की संभावना है ; और

(घ) प्रशिक्षणार्थियों के लाभ हेतु सरकार का विचार नियोक्ताओं को क्या सहायता देने का है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। उद्योगों में शिक्षु प्रशिक्षण कार्य के व्यवस्थापन और नियन्त्रण के लिए

लागू हुए शिक्षु प्रशिक्षण अधिनियम 1961 में अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था भी है कि विभिन्न नियोजक क्रियात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिये अपने अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षुओं को अपने से सम्बन्धित संस्थापनाओं में भेजने के उद्देश्य से आपस में मिल जाएं।

(ग) 40,263। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह संख्या 75,000 तक पहुँच जायेगी।

(घ) शिक्षुओं के हितों की दृष्टि से सरकार और नियोजकों के दायित्व का उल्लेख शिक्षु प्रशिक्षण अधिनियम 1961 में किया गया है।

एक अमरीकी वैज्ञानिक द्वारा उत्पादित अधिक उपज देने वाली किस्मों को लोकप्रिय बनाना

2516. **श्री श्रीचन्द गोयल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीकी वैज्ञानिक श्री बर्लोग द्वारा अधिक उपज देने वाली किस्मों के उत्पादन के किये गये आविष्कारों का पूरा लाभ उठाया है ; और

(ख) देश के सभी भागों में उन किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) भारत सरकार के निमन्त्रण पर सन् 1963 में डा० बारलंग के प्रथम बार भारत आने से अब तक उनके द्वारा मैक्सिको में विकसित किये गये गेहूँ प्रजनन उपस्करों तथा उनके परामर्श का प्रयोग करके भारत सरकार उनके द्वारा किये गये कार्य का पूरा-पूरा लाभ उठा रही है। इनके भारत आगमन के फलस्वरूप गेहूँ की बौनी किस्में यथा लर्मारोजो और सोनारा-64 का 1963-64 में व्यापारिक स्तर पर परीक्षण किया गया जिसके फलस्वरूप 1964-65 में किसान इन किस्मों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की सम्भावनाओं से अवगत हो गये। डा० बारलंग गेहूँ कार्यक्रम तथा गेहूं अनुसंधान के बारे में भारतीय वैज्ञानिकों से विचार विमर्श करने के लिए प्रति वर्ष भारत आते हैं।

(ख) इन किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिये भारत सरकार द्वारा किये गये उपाय 1963 में प्रयोग किये गये बीजों के शीघ्र गुणन तथा इसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई किस्मों की दिशा में रहे हैं। इसका परिणाम पिछले 3 वर्षों में गेहूँ के उत्पादन में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन से स्पष्ट है।

दिल्ली से चण्डीगढ़ और चण्डीगढ़ से दिल्ली के लिए पत्रों के प्रेषण और वितरण में देरी

2517. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पत्रों के दिल्ली से चण्डीगढ़ और चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचने में तीन से चार दिन तक लगते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो डाक बंटने में असाधारण देरी होने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं । इस समय लागू डाक व्यवस्था के अनुसार दिल्ली और चण्डीगढ़ में एक स्थान पर डाक में डाले जाने वाले पत्र अगले दिन दूसरे स्थान पर पहुँच जानी चाहिएं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नलकूप और ट्रैक्टरों के लिए चण्डीगढ़ के किसानों को ऋण

2518. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के लिए नलकूपों और ट्रैक्टरों के लिए ऋण के हेतु निर्धारित धन राशि का इस कारण उपयोग नहीं किया जाता है कि संघ राज्य क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में ऐसे किसान उपलब्ध नहीं हैं जो ऋण देने की शर्तों को पूरा कर सकें ;

(ख) क्या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने यह सिफारिश की है कि इन शर्तों में ढील दी जाये ; और

(ग) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में नलकूपों के लिए निर्धारित ऋणों की राशि पूरी तरह उपयोग में लाई जा रही है । ट्रैक्टरों की खरीद के लिए संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में किसानों को ऋण दिये जाने की भारत सरकार की कोई योजना नहीं है । इसलिये ऐसे ऋणों के आंवटनों को प्रयोग में न लाने का प्रश्न ही नहीं होता ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होते ।

आकाशवाणी के 'चीफ प्रोड्यूसर' के सेवा काल में वृद्धि

2520. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के 'चीफ प्रोड्यूसर' के सेवा काल को उसकी 58 वर्ष की आयु के बाद में भी बढ़ाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ई०कु० गुजराल) : (क) आकाशवाणी में 9 मुख्य प्रोड्यूसर हैं । उनमें से अभी तक किसी का भी सेवाकाल 58 वर्ष की आयु के बाद नहीं बढ़ाया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आस्ट्रेलिया से कृषि उपकरण

2521. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया भारत को कृषि उपकरण सप्लाई कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). आस्ट्रेलिया सरकार की सहायता से हरियाणा राज्य के हिसार नामक स्थान पर एक भेड़ पालन फार्म स्थापित किया जा रहा है। इस फार्म के विकास के लिए आस्ट्रेलिया की सरकार 81,500 आस्ट्रेलिया डालर के मूल्य की मशीनरी तथा उपस्कर प्रदान करेगी। भारत सरकार आस्ट्रेलिया की सरकार के परामर्श से बनाये गये प्लान के अनुसार फार्म के लिए आवश्यक भवनों का निर्माण, कर्मचारियों की व्यवस्था तथा फार्म के विकास का कार्य करेगी।

पश्चिम बंगाल में बेरोजगार कृषि मजदूरों की संख्या में वृद्धि

2523. **श्री सरदार अमजद अली :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले में, विशेषकर सुन्दर बन क्षेत्र में, बेरोजगार कृषि मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो गई है ;

(ख) क्या इसके कारणों को जानने के लिए कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि 24 परगना जिले में बेरोजगार कृषि मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो गई है।

राज्य सरकारों के सहयोग से, भारत सरकार ने देश के कृषि क्षेत्र में विभिन्न योजनायें शुरू कीं हैं, जिनका अभिप्राय ग्रामीण जनशक्ति को गतिमान करना और कृषि मजदूरों के लिए सामान्य रूप से तथा तकनीकी कृषि कार्मिको के लिये विशेष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इनमें से कुछ योजनाएं नीचे दी गई हैं :—

(i) लघु किसान विकास अभिकरण ;

(ii) सीमांत किसान और कृषि मजदूर सम्बन्धी योजना ;

(iii) ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम ;

(iv) फार्म स्नातक योजना ;

(v) कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना सम्बन्धी योजना ; और

(vi) कस्टम सर्विस सेंटर ?

जैसे ही 24 परगना जिले में ये योजनाएं प्रगति करती हैं वैसे ही उनका जिले की कृषि अर्थव्यवस्था पर निःसन्देह अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

Phonogram Facility Provided in Post Office of Villages of Bhind and Datia Dists. of Madhya Pradesh

2524. **Shri Yashwant Singh Kushwah**: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the names of the villages of Bhind and Datia Districts in Madhya Pradesh, where phonogram facility has been provided in the Post Offices as also the names of the villages where it is likely to be provided during the next year; and

(b) whether the progress of work is satisfactory at the post offices where the said facility has been provided; if not, the difficulties being faced and the reasons therefor and the steps taken to remove them?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) Phonogram facility has been provided in Bhind and Mehagaon in Bhind Districts and Datia in Datia District. The facility is likely to be provided next year in Gohad, District Bhind.

(b) No difficulty has been experienced so far.

Applications for Telephone Connections in Certain Cities of Madhya Pradesh

2525. **Shri Yashwant Singh Kushwah**: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state the number of applications under consideration of Government at present for providing telephone connections in Bhind, Datia. Lahar, Gohad and Alampur towns of Madhya Pradesh and the capacity still available for providing new connections?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh):

	Application pending	Capacity available
Bhind	14	60
Datia	4	12
Lahar P. C. O.	10	—
Gohad	Nil	16
Alampur	Nil	—

A 25 lines SAX has been sanctioned at Lahar and will be opened on receipt of stores. There is no PCO or Exchange at Alampur.

The waiting lists are likely to be cleared shortly.

मूल कार्यालयों में पदोन्नति से वंचित डाक और तार निदेशालय में प्रतिनियुक्ति पर आये व्यक्ति

2526. **श्री अविचन** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में से विदेश डाकघरों तथा रेलवे मेल सेवा के कर्म-

चारियों को ऊपर डिवीजन क्लर्क के वेतनमान में 'एयरमेल' तथा सरफेस मेल' लेखा क्लर्कों के रूप में डाक और तार निदेशालय में नियुक्त किया जाता है और उनको उनके मूल कार्यालयों में पदोन्नति से वंचित किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उनको निदेशालय में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के कर्मचारियों के समान पदोन्नति के अवसर प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) उन्हें तब तक अपने मूल कार्यालयों में पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाता, जब तक वे डाक-तार निदेशालय में उच्च श्रेणी क्लर्कों के बिना काडर के पदों पर स्थायी नहीं हो जाते ।

चूंकि एयरमेल और सरफेस मेल लेखा क्लर्क केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के नहीं होते, इसलिए उस सेवा में उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकता किन्तु वे अपने मूल यूनिट में लोअर सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति पाने के लिए पात्र हैं ।

पी० आई० बी० द्वारा दिया गया प्रत्यायन

2527. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमजीवी पत्रकार की सरकार ने क्या परिभाषा की है ;

(ख) क्या सरकार की प्रेस प्रत्यायन सम्बन्धी नीति में यह भी आशय सम्मिलित है कि समाचार एजेंसियों के मामलों को छोड़कर स्वामित्व और प्रबन्ध सम्बन्धी जिम्मेदारियों में भागीदार पत्रकारों को सम्वाददाताओं के रूप में प्रत्यायन पत्र नहीं देता है ; और

(ग) लिंक तथा पैट्रियट का प्रकाशन कर रही कम्पनियों के निदेशकों को तथा कई प्रकाशनों के स्वामी-सम्पादकों को पी० आई० बी० द्वारा प्रत्यायन पत्र दिये जाने के क्या कारण हैं?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) श्रमजीवी पत्रकार (सेवा, शर्तें तथा विविध उपबन्ध) अधिनियम, 1955 की धारा 2 (च) में "श्रमजीवी पत्रकार" की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है ।

> "श्रमजीवी पत्रकार का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसका मुख्य धन्धा पत्रकार का है और वह इस रूप में या इससे सम्बन्धित कार्य में किसी समाचार पत्र संस्थापन में कार्य कर रहा है और इसमें सम्पादक, प्रधान लेखक, समाचार सम्पादक, उप सम्पादक, फीचर लेखक, कापी-टैस्टर, रिपोर्टर, संवाददाता, कार्टूनकार, समाचार-फोटोग्राफर, प्रूफ रीडर शामिल हैं । परन्तु इसमें ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है जो (1) मुख्यतया प्रबन्धकीय या प्रशासकीय रूप में कार्य करता है या (2) पर्यवेक्षक अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के फलस्वरूप वह कार्यालय में अपने पद के कर्त्तव्यों के कारण या उसके प्रदत्त अधिकारों के कारण मुख्य रूप से प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य करता है ।"

(ख) नियमों के अन्तर्गत प्रत्यायन की शर्तों में एक शर्त यह है कि सम्बन्धित व्यक्ति को श्रमजीवी पत्रकार होना चाहिए तथा वह पूर्ण समय के लिए संवाददाता के रूप में नियुक्त होना

चाहियें। ऐसे संवाददाता, जिसके किसी समाचार संगठन में शेयर हैं, पर प्रत्यायन के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है क्योंकि शेयरों के मालिक होने से उसके पूरे समय के लिए संवाददाता, के रूप में कार्य करने में बाधा नहीं पड़ती। तथापि, ऐसे संवाददाता, जिसके ऊपर प्रबन्ध सम्बन्धी उत्तरदायित्व भी हैं, सामान्य रूप से प्रत्यायन के पात्र नहीं हैं ; परन्तु केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति, जो प्रत्यायन सम्बन्धी मामलों में सरकार को सलाह देती है, ने उन संवाददाताओं को अपवाद माना है जो समाचार एजेंसियों के मैनेजर के रूप में कार्य करते हैं।

(ग) जैसा कि ऊपर (ख) में कहा गया है, किसी संवाददाता का किसी समाचार संगठन में आर्थिक हित उसके प्रत्यायन में कोई रुकावट नहीं है। समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार की 1969 की रिपोर्ट के अनुसार 'लिंक" तथा "पैट्रिअट" प्रकाशित करने वाली कम्पनियों के दो निदेशक संवाददाताओं के रूप में प्रत्यायित हैं। उनमें से एक लम्बी तथा ख्यातिप्राप्त सेवा के संवाददाता के रूप में प्रत्यायित हैं तथा दूसरे दो विदेशी समाचार पत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

यद्यपि समाचार पत्रों के सम्पादक सामान्य रूप से प्रत्यायन के लिए पात्र नहीं हैं (क्योंकि वे पूरे समय के लिए संवाददाता के रूप में नियुक्त नहीं होते), केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति ने साप्ताहिकों के सम्पादकों, जो पत्रिकाओं के संवाददाताओं के रूप में भी कार्य करते हैं, को अपवाद माना है बशर्ते कि साप्ताहिक तथा सम्पादक अन्य शर्तें अर्थात समाचार पत्र की स्थिति तथा उसकी परिचालन संख्या तथा सम्पादक का व्यावसायिक अनुभव, पूरी करते हों। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा प्रत्यायित 330 संवाददातों में से केवल 6 साप्ताहिकों के सम्पादक हैं।

वर्ष 1969-70 में मैसूर को खाद्यान्नों की सप्लाई

2528. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य सरकार ने वर्ष 1969-70 के लिए वस्तुतः कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की मांग की थी ;

(ख) क्या सम्पूर्ण मांग को पूरा कर दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) 1969 (जनवरी—दिसम्बर) : 252 (हजार मीटरी टन में)

1970 (जनवरी—दिसम्बर) : 282

(ख) और (ग). मैसूर सरकार से प्राप्त मांग गेहूं, चावल और माइलों की सप्लाई के बारे में है। जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, मैसूर सरकार की यह मांग 1969 में सारी पूरी कर दी गयी थी। 1970 के दौरान जनवरी से सितम्बर तक की सारी मांग पूरी की गयीं थी लेकिन जनवरी और अगस्त के कोटे मांग से मामूली कम थे। अक्तूबर से कम कोटा आवंटित किया जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से राज्य के नामितों ने आवंटित मात्राओं से वास्तव में कम माल उठाया था। उन्होंने 1970 के लिए चावल की कोई मांग प्रस्तुत नहीं की है। 1969 के दौरान जनवरी में बचाव के रूप में केवल 5 हजार मीटरी टन चावल की मांग की गयी थी जो कि सारी

पूरी कर दी गयी थी। जून में 5 हजार मीटरी टन मासिक आवंटन की मांग प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार के पास स्टाक स्थिति और मासिक उठान को देखते हुए सरकारी वितरण प्रणाली को चलाये रखने के लिए पर्याप्त आवंटन किया गया था। केन्द्र के पास माइलो का सीमित स्टाक होने के कारण माइलो की सारी मांग पूरी नहीं की जा सकी।

मैसूर में गैर-सरकारी क्षेत्र में चीनी के कारखाने की स्थापना

2530. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में रायचूर जिले में गंगावती तथा बल्लेरी जिले में सिरुगुधा में गैर-सरकारी क्षेत्र में चीनी के दो कारखाने स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). मैसूर राज्य में सिरूगप्पा, जिले बेल्लारी में 1500 मीटरी टन प्रति दिन पिराई क्षमता का एक ज्वाइन्ट स्टाक चीनी कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। मैसूर राज्य में गंगावती, जिला रायचूर में एक नया ज्वाइन्ट स्टाक कारखाना स्थापित करने के लिए प्राप्त अन्य आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि सरकार की संशोधित औद्योगिक नीति के अनुसार कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए सहकारी क्षेत्र को प्राथमिकता देनी है।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार

2531. **श्री अब्दुल गनी डार :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968, 1969 और 1970 में रोजगार कार्यालयों में कितने बेरोजगार कृषि मजदूरों, औद्योगिक श्रमिकों, सामान्य मजदूरों, ड्राईवरों, इन्जीनियरों अध्यापकों तथा राजस्व कर्मचारियों (अलग-अलग) रोजगार प्राप्त करने के लिए नाम लिखाया ;

(ख) उक्त बेरोजगारों की प्रतिशतता में प्रत्येक वर्ष कितनी वृद्धि देखी गई ; और

(ग) प्रत्येक वर्ष बेरोजगारी में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). उपलब्ध जानकारी पिछले पृष्ठ पर दिये गये विवरण में दी गई है।

(ग) जुटाये गये अतिरिक्त नियुक्ति अवसरों की तुलना में श्रम शक्ति में तेजी से वृद्धि होना।

विवरण

नियुक्ति अवसर खोजने वालों की श्रेणी	वर्ष/अवधि के अन्त में नियुक्ति अवसर खोजने वालों की संख्या 1968	1969	1970 (जून)	वर्ष/अवधि के अन्त में दी गई नियुक्ति सहायता 1968	1969	1970 (जनवरी से जून)
1. खेतीहर श्रमिक	652	582	517	672	585	201
2. सामान्य श्रमिक	1,04,035	1,11,592	1,18,149	1,08,398	1,15,515	49,074
3. ड्राइवर मोटर गाड़ी और मोटर साइ-किल)	53,746	58,126	58,103	5,916	5,474	2,997
4. इन्जीनियर*	55,715	62,927	63,734	3,557	5,947	3,492
5. अध्यापक	1,41,498	1,65,640	2,01,785	71,710	72,805	33,427

नोट : 1. *इनमें डिप्लोमा व डिग्री-धारी और वे लोग भी शामिल हैं जिनके पास कोई वृत्तिक डिग्री या डिप्लोमा नहीं है।

2. नियोजन कार्यालयों से औद्योगिक श्रमिक और राजस्व कर्मचारियों के सम्बन्ध में अलग से जानकारी इकट्ठी नहीं की जाती है।

आकाशवाणी के राष्ट्रीय कार्यक्रम में लोरी

2532. **श्री पी० विश्वम्भरण** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के हाल के राष्ट्रीय कार्यक्रम में विभिन्न भाषाओं में लोरी प्रसारित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक भाषा में कितने गीत प्रसारित किये गये थे ;

(ग) क्या किसी एक विशेष भाषा का अधिक महत्व दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल): (क) जी, हां।

1	2	3
(ख) कन्नड़	—	2 गीत
गुजराती	—	2 गीत
तेलुगु	—	2 गीत
हिन्दी	—	1 गीत
मगही (बिहार)	—	1 गीत
पंजाबी	—	1 गीत
उड़िया	—	1 गीत
मराठी	—	1 गीत
मेवाड़ी (कुर्सियांग)	—	1 गीत
अंगामी	—	1 गीत
लुसाई	—	1 गीत
खासी	—	1 गीत
असमिया	—	1 गीत
किन्नोरी	—	1 गीत
महासुई	—	1 गीत
गोआनीज	—	1 गीत
बंगला	—	1 गीत
तमिल	—	1 गीत

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सेंट्रल गवर्नमेंट फिशिंग सीमेंस एसोसियेशन से ज्ञापन

2533. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेन्ट्रल गवर्नमेंट फिशिंग सीमेंस ऐसोसिएशन से हाल में कोई ज्ञापन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो एसोसियेशन की मुख्य मांगें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार किया हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां। अक्तूबर, 1970 के मध्य में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था।

(ख) जहाजों में काम करने वाले कर्मचारियों की मुख्य मांगें गत 1-7-59 से वेतनमान तथा भत्तों के संशोधन के सम्बन्ध में हैं। अन्य मांगें निम्नलिखित हैं :—

(1) जहाजों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए समय के घन्टों का निर्धारण।

(2) छुट्टी पर गये जहाजों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को खाने का भत्ता।

(3) अधिकारियों को दी जाने वाली दरों पर इन्जन चालकों को खाने का भत्ता।

(4) बन्दरगाह पर निगरानी के लिए अलग स्टाफ की व्यवस्था।

(5) विभागीय नियम-पुस्तिका तैयार करना।

(6) पदच्युति/सेवा समाप्ति के उपरान्त में पुनर्नियुक्त किये गये कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते के सम्बन्ध में अपीलों का पुनरीक्षण।

(7) सब एककों में एक श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एक समान वेतनमानों को अपनाना।

(8) सेवा की कुछ अवधि के पश्चात् कर्मचारियों के लिए प्रोन्नति के मार्ग खोलना।

(9) समुद्र में जाने वाले इन्जन चालकों के रूप में कार्य करने वाले इंजन चालकों को अतिरिक्त मुआवजा देना।

(10) मछली पकड़ने के जलयानों के कार्मिकों को हार्ड लाइंग भत्ति की अदायगी।

(11) प्रमाणित नाविकों का जीवन बीमा।

(12) जहाजों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को बन्दरगाह पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को दी जाने वाली अर्जित छुट्टी की दर से दुगुनी छुट्टी देना।

(13) उच्च पद केवल जहांजों में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से भरे जायें न कि सीधी भर्ती द्वारा।

(14) धुलाई भत्ते के साथ वार्षिक वर्दी की मुफ्त सप्लाई।

(15) केन्द्रीय सरकार के स्तर तथा एकक स्तर पर स्थायी वार्ता मशीनरी की स्थापना।

(16) योग्य व्यक्तियों को समय पर अर्द्ध-स्थायी/स्थायी घोषित करना।

(17) अस्थायी आधार पर प्रारम्भ की गई प्रोत्साहन योजना को स्थायी बनाना तथा इसे जहाज पर कार्य करने वाले सब कर्मचारियों पर लागू करना।

(ग) तथा (घ). कर्मचारी पहले से ही अभ्यावेदन दे रहे हैं कि उनके वेतनमानों में पर्याप्त संशोधित नहीं किया गया है और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को दिये जाने वाले मंहगाई वेतन तथा अन्य भत्ते उनको नहीं दिये गये हैं। इस मामले का 1968 में पुनरीक्षण किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि जहाजों पर कार्य करने वाले विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के वर्तमान वेतनमान 1-10-67 से संशोधित समझे जायेंगे और इन वेतनमानों से सम्बद्ध खाने का

भत्ता भी उन्हें मिलता रहेगा। यह भी निर्णय किया गया था कि अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला मंहगाई भत्ता, आवास भत्ता तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ता, 1-10 67 से जहाज पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को निम्न प्रकार से दिया जा सकता है :—

(i) **महंगाई भत्ता** : संशोधित वेतनमानों में वेतन लेने वाले अन्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली सामान्य दर का 50 प्रतिशत।

(ii) **नगर प्रतिपूर्ति भत्ता** : अन्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली दरों का 50 प्रतिशत।

(iii) **आवास भत्ता** : अन्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली पूरी दरों पर।

उपरोक्त आदेशों के फलस्वरूप बकाया राशि भी जहाज पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को संस्वीकृत की गई।

दिनांक 1-10-67 से लागू होने वाले उपरोक्त निर्णयों के आदेश 8-10-68 को जारी किये गये थे। पहले जहाज पर कार्य करने वाले कर्मचारी केवल अपने वेतनमान तथा खाने का भत्ता लेने के अधिकारी थे। दिनांक 1-10-67 से मंहगाई भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता आदि के स्वीकृत होने पर उनके कुल वेतन में काफी वृद्धि हो गई है। इस अवस्था में दिनांक 1-7-59 से वेतनमान तथा भत्तों को संशोधित करने का प्रश्न ही नहीं होता। यद्यपि, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न श्रेणियों के वेतनमानों तथा भत्तों का अब तृतीय वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षण किया जा रहा है।

जहाज पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रति दिन 8 घंटे की ड्यूटी निर्धारित करने सम्बंधी एसोसिएशन की मांग पर सरकार द्वारा विधिवत् विचार किया गया है। जलपोतों को कई दिनों तक समुद्र पर बाहर रहना पड़ता है अतः यह स्पष्ट है कि जलपोतों के कार्मिकों के लिए प्रति दिन 8 घंटे की ड्यूटी निर्धारित करना संभव नहीं है। कर्मचारियों की विशेष कठिनाईयों को महसूस किया गया है और मात्स्यकी के क्षेत्र में किये जाने वाले अतिरिक्त श्रम की प्रतिपूर्ति के लिये सरकार द्वारा एक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है।

वेतनमान तथा भत्ते एवं कार्य के घंटों को संशोधित करने की मांगों के अलावा एसोसियेशन की अन्य मांगों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

सुपर बाजार, नई दिल्ली में आग

2534. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 नवम्बर, 1970 से तीन दिन तक निरन्तर आई०एन०ए० कालोनी, नई दिल्ली स्थित अपना बाजार में आग लग रही थी ;

(ख) यदि हां, तो निरन्तर तीन दिन तक आग लगने के क्या कारण हैं ; और

(ग) तीन दिन की आग में कुल कितनी हानि हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली पुलिस आग की इन घटनाओं के कारणों की जांच कर रही है । जांच के परिणाम अभी तक ज्ञात नहीं हुए हैं ।

(ग) हानि का अनुमान लगभग 1.10 लाख रुपये लगाया गया है । तथापि, व्यापारिक माल, फर्नीचर और फिक्चर्स का बीमा किया हुआ है और सुपर बाजार ने बीमा कम्पनियों के पास दावे प्रस्तुत कर दिये हैं ।

कृषि विकास के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन से ऋण

2535. श्री शिव चन्द्र झा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में खाद्य तथा कृषि संगठन ने भारत को कृषि विकास के लिए नया ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो खाद्य तथा कृषि संगठन ने भारत को कुल कितना ऋण दिया और उनके उपयोग से अब तक क्या विशिष्ट कार्य किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). खाद्य और कृषि संगठन इस प्रकार किसी सदस्य राष्ट्र को ऋण नहीं देता है परन्तु कई रूपों में सहायता प्रदान करता है। ये (क) शिक्षावृतियों (ख) विशेषज्ञों (ग) उपकरणों (घ) जानकारी और सलाह आदि के रूप में होती है जिन से भारत को कृषि विकास में महत्व पूर्ण सहायता मिली है ;

यहां यह भी बताया जा सकता है कि शिक्षावृत्ति, विशेषज्ञों और उपकरणों की लागत साधारणतः संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तकनीकी सहायता के विस्तृत कार्यक्रम अथवा खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की विशिष्ट परियोजनाओं के अधीन दी जाती है ।

रेंगने वाले जन्तुओं (रेपटाइल) के फार्मों की स्थापना

2536. श्री शिव चंद्र झा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेंगने वाले जन्तुओं (रेपटाइल) के फार्म स्थापित करने की योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार दिल्ली चिड़ियाघर से संलग्न एक प्रयोगात्मक घड़ियाल फार्म की स्थापना करने के विषय में सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

जिला दरभंगा (बिहार) के बिहारपुर गांव में डाकघर का खोला जाना

2537. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दरभंगा जिला के बिहारपुर गांव के निवासियों ने अपने गांव में एक डाकघर (वर्तमान डाकघर-वाया बरास्ता माधेपुर) खोलने के लिए प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध के क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) दरभंगा जिले के बिहारपुर गांव में डाकघर खोलने के लिए एक अभ्यावेदन दरभंगा डिवीजन के प्रवर अधीक्षक डाकघर के कार्यालय में जनवरी, 1969 में प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग). 2131 की जनसंख्या वाले ग्राम सुन्दरवारजात में डाकघर खोलने के लिए भी एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जोकि बिहारपुर से केवल दो किलोमीटर की दूरी के अन्दर ही स्थित है। बिहारपुर की जनसंख्या भी इससे कम अर्थात केवल 489 है। विस्तृत जांच के बाद पटना के पोस्टमास्टर जनरल ने ग्राम सुन्दरवीरजीत में डाकघर खोलने का निर्णय लिया। यह डाकघर शीघ्र ही खुल जायेगा और यह बिहारपुर गांव का डाक का काम भी करेगा।

श्रमदान द्वारा किए गए कार्य का मूल्य

2538. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मनुष्यों द्वारा श्रमदान के रूप में किए गए श्रम का रुपयों में कोई अनुमान लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) सरकार के पास इस बात की सूचना है कि सामुदायिक विकास खण्डों में सामुदायिक लाभ के निर्माण कार्यों के लिए नकदी, जिस तथा श्रम के रूप में लोगों द्वारा दिए गए अंशदान का रुपयों में कुल कितना मूल्य है। कुल अंशदान में श्रमदान का अनुमान मोटे तौर पर 50 प्रतिशत लगाया गया था। तथापि श्रमदान के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) 2 अक्तूबर, 1952 को इस कार्यक्रम का आरम्भ होने से लेकर 31 मार्च, 1969 तक नकदी, जिस और श्रम के रूप में प्राप्त कुल अंशदान के मूल्य का अनुमान 159.60 करोड़ रुपया लगाया गया था। इस राशि का 50 प्रतिशत भाग अथवा 80 करोड़ रुपया (लगभग) श्रमदान का मूल्य हो सकता है।

एलेप्पी आकाशवाणी केन्द्र

2539. **श्री ई० के० नायनार :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एलेप्पी रेडियो ट्रांसमिटर कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ; और

(ख) क्या वर्तमान कालीकट आकाशवाणी केन्द्र के विस्तार तथा विकास के लिए सरकार की कोई योजना है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) मार्च, 1971 तक ।

(ख) इस केन्द्र के लिए स्थायी स्टूडियो का निर्माण चौथी योजना की अवधि के दौरान किया जाएगा ।

उड़ीसा के रोजगार निदेशक द्वारा नौकरी ढूंढने वालों की संख्या में वृद्धि के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन

2540. **श्री जी० वेंकटस्वामी :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उड़ीसा के रोजगार निदेशक द्वारा उड़ीसा तथा देश के अन्य भागों में नौकरी ढूंढने वालों की संख्या में वृद्धि के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन बेरोजगार व्यक्तियों की सहायता हेतु क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) नियोजन कार्यालयों और राज्यों के नियोजन निदेशालयों (जिनमें उड़ीसा राज्य भी शामिल है) द्वारा नियमित रूप से भेजे आंकड़ों से वृद्धि दिखाई देती है ।

(ख) इस संबंध में लोक सभा में पूछे अतारांकित प्रश्न संख्या 566 के उत्तर में दिनांक 11 नवम्बर, 1970 को प्रस्तुत विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

केन्द्रीय पूल में गेहूँ

2541. **श्री जी० वेंकटस्वामी :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1970 को केंद्रीय पूल में कुल कितने टन गेहूं था ;

(ख) पूल में गेहूँ भेजने वाले राज्यों के नाम क्या हैं और प्रत्येक राज्य द्वारा कितना-कितना गेहूं भेजा गया ; और

(ग) केंद्रीय पूल के लिये वसूली का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) लगभग 25 लाख मीटरी टन।

(ख) जिन राज्यों ने केंद्रीय भंडार को गेहूं दिया है उनके नाम और चालू विपणन मौसम में अब तक उनके द्वारा दी गई गेहूँ की मात्राएं इस प्रकार हैं :—

पंजाब	लगभग	19.2 लाख मीटरी टन
हरियाणा	लगभग	3.4 लाख मीटरी टन
उत्तर प्रदेश	लगभग	8.0 लाख मीटरी टन

(ग) केंद्रीय भंडार के लिये अलग से कोई अधिप्राप्ति लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

दिल्ली दुग्ध योजना के भंडारों का सत्यापन

2542. **श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना के सभी भंडारों का सत्यापन करने हेतु लेखाकारों के एक उच्च शक्ति प्राप्त दल की नियुक्ति की है ;

(ख) दल के व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इसके निर्देशपद क्या हैं और कब तक यह दल सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा ?

खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां। दिल्ली दुग्ध योजना को स्टाक का विशेष प्रत्यक्ष सत्यापन करने के लिए नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा मनोनीत भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के एक अधिकारी की प्रधानता में सरकार द्वारा दो व्यक्तियों के एक दल का गठन किया गया है।

(ख) (i) श्री एस० रामचन्द्रन भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के अधिकारी

(ii) श्री सी० पी० निभावन-सहायक आयुक्त (डेरी विकास) कृषि विभाग।

(ग) दल को दिल्ली दुग्ध योजना के समस्त स्टाक का विशेष प्रत्यक्ष सत्यापन करने तथा यदि कोई विसंगतियां हो तो प्रबन्धकों को उन के निराकरण का अवसर देते हुए अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है। स्टाक के प्रत्यक्ष सत्यापन का कार्य अक्तूबर, 1970 से आरम्भ हो गया है। यह एक विस्तृत कार्य है अतः यह बताना कि दल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कितना समय लगेगा कठिन है, किन्तु यह इसे शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेगा।

सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टरों का निर्माण

2543. **श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये अनेक प्रस्ताव मंजूर किये हैं।

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मंजूर किये गये एककों का कुल उत्पादन कितना होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

कृषि ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए अनुक्षप्त स्वीकृत नई योजनायें

क्रम संख्या	फर्म का नाम	निर्माण किये जाने वाले ट्रैक्टरों का मेक और माडल	वार्षिक क्षमता	अनुक्षप्ति मांग पत्र जारी करने की तिथि
1.	मैसर्स एस्कोर्ट्स ट्रैक्टर लि० फरीदाबाद ।	फोर्ड-3000 (46 एच० पी०)	6,000 अदद	5-8-1970
2.	मैसर्स किर्लोस्कर ट्रैक्टर लि० पूना ।	डयूट्स (25-75 एच० पी०)	10,000 "	28-7-1970
3.	मैसर्स गाजियाबाद इंजीनिरिंग कम्पनी (प्रा०) लि०, नई दिल्ली ।	डी०टी०-14 बी/25टी०	10,000 "	11-8-1970
4.	मैसर्स कैमल ट्रैक्टर एंड इन्जीनिरिंग एन्टरप्राईज हैदराबाद ।	गुल्डनर (15,25,35 तथा 45 एच०पी०)	10,000 "	19-8-1970
5.	मैसर्स स्टेयर इंडिया लि० बम्बई ।	स्टेयर (44 एच० पी०)	12,000 "	11-8-1970
6.	मैसर्स आटोमोबाइल प्रोडक्टस आफ इण्डिया लि० बम्बई ।	बी०एम०सी०-4/25 (25 एच०पी०)	12,000 "	2-11-1970
7.	मैसर्स भारत इण्डस्ट्रीज एण्ड कमर्शियल कारपोरेशन, कलकत्ता ।	यू० ई० आई०-45 एच० पी०	10,000 "	2-11-1970
8.	मैसर्स प्रीमियर इरिगेशन इक्विपमेंट लि० कलकत्ता ।	डेविड ब्राउन (55 एच० पी०)	5,[illegible]00 "	10-11-1970
9.	मैसर्स बाईफोर्ट (प्रा) लि०, नई दिल्ली ।	शिबोरा (37 एच० पी०)	6,000 "	1[illegible]-11-1970
10.	मैसर्स एस्कोर्ड्स लि० फरीदाबाद (विस्तार)	एस्कोर्ट्स (25-35 एच० पी०)	9,000 "	16-11-1970

नोट : उपरोक्त नई योजनाओं के अतिरिक्त 5 फर्में 30,000 ट्रैक्टरों की स्वीकृत वार्षिक क्षमता तक ट्रैक्टरों का निर्माण पहले से ही कर रही हैं ।

चौथी योजना के दौरान टेलीविजन स्टेशनों के स्थापित करने पर होने वाला व्यय

2544. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में रखे गये टेलीफोन स्टेशन कब से कार्य करना आरम्भ करेंगे ; और

(ख) उन पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीविजन परियोजनाओं के पूरा होने का अन्तिम ब्यौरा इस प्रकार है :

बम्बई/पूना	...	1971-72
श्रीनगर	...	1971-72
मद्रास	...	1973-74
कलकत्ता	...	1973-74
लखनऊ/कानपुर	...	1973-74

(ख) 14 करोड़ 18 लाख रुपए ।

दिल्ली चिड़ियाघर द्वारा प्राप्त किये गये पशु तथा पक्षी

2545. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 और 1969-70 के दौरान दिल्ली के चिड़ियाघर में कितने पशु/पक्षी उपहार में, पकड़ कर, विनिमय के द्वारा तथा क्रय करके लाये गये तथा कितने पशु/पक्षियों ने चिड़ियाघर में जन्म लिया ।

(ख) उन देशों के नाम क्या है जहां से यह पशु पक्षी उपहार, विनिमय अथवा खरीद के आधार पर प्राप्त हुए हैं तथा उनकी संख्या क्या हैं और वे कौन-कौन से हैं ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा किया गया व्यय कितना है ; और

(घ) उक्त समय में स्वभाविक मृत्यु से मरे पशुओं/पक्षियों की संख्या क्या है ;

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) वर्ष 1968-69 और 1969-70 के दौरान दिल्ली के चिड़ियाघर में पैदा हुये, उपहार रूप में प्राप्त हुये, बदल कर लिये हुये तथा खरीद कर लाये गये पक्षियों तथा पशुओं की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित है :

	968-69	1969-70
पक्षी	152	213
पशु	108	95

(ख) बर्मा, इंगलैंड तथा अमेरीका इन देशों से उपहार रूप में ली हुई, बदले में ली हुई तथा खरीद कर ली गई किस्मों के पशु पक्षियों की संख्या तथा नाम निम्नलिखित हैं :

	1968-69		1969-70	
	पक्षी	पशु	पक्षी	पशु
उपहार द्वारा				
बर्मा	10 मयूर	—	—	—
इंगलैंड	—	—	2 बत्तख (वुड)	—
बदली द्वारा				
बर्मा	—	1 ओलाइव बबून	—	—
इंगलैंड	—	—	4 डब्ल येलो हैड्यड शुक	2 वासन्तक (ग्वनाकोज)
अमरीका	2 लेडी एमहेरस्ट 2 गोल्डन चकोर	2 स्पाइडर बन्दर		
खरीद द्वारा	—	—	—	—

(ग) विदेशों से पक्षी तथा पशुओं को प्राप्त करने पर सरकार द्वारा कोई बड़ी राशि खर्च नहीं की गई है, क्योंकि ये केवल उपहार में तथा बदली के आधार पर प्राप्त किये गये हैं।

(घ) वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 के दौरान प्राकृतिक मृत्यु से मरे पक्षी तथा पशुओं की संख्या निम्नलिखित है :

	1968-69	1969-70
(i)	174	185
(ii)	91	90

शेरों की मृत्यु

2646. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चिड़ियाघरों से बाहर देश में शेरों की संख्या के बारे में तथा अधिक आयु प्राकृतिक कारणों से उनकी वार्षिक मृत्यु दर तथा शिकारियों द्वारा मारे जाने और जिस दर पर भारतीय शेर कम हो रहे हैं उस बारे में कोई अनुमान लगाया है ; और

(ख) यदि हों, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भारतीय शेरों को खत्म होने से बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी नहीं। मोटे अनुमानों के अनुसार भारत में चिड़ियाघरों के बाहर लगभग 2,340 शेर हैं। सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार वास्तव में मारे गये शेरों की संख्या इस प्रकार है :

1966-67	166
1967-68	157
1968-69	157

चिड़ियाघरों के बाहर प्राकृतिक रूप से मरने वाले शेरों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा विषयक अवधि अन्तर्राष्ट्रीय संघ की सिफारिशों के अनुसार अधिकांश राज्य सरकारों ने जुलाई 1970 से 5 वर्षों के लिए शेरों के शिकार पर रोक लगा दी है और अवधि में इकोलौजिकल और गणना सम्बन्धी अध्ययन किये जायेंगे।

बरानी खेती के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

2547. **श्री पी० एच० मेहता** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार किन राज्यों को बरानी खेती के लिये सहायता देने का है ;

(ख) इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य के लिये कितनी कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ग) राज्यों को वास्तविक रूप में कब तक सहायता दे दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). वर्ष 1970-71 के दौरान समेकित शुष्क भूमि कृषि विकास के लिये केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को दी जाएगी। उपरोक्त राज्य सरकारों के लिए स्वीकृत की गई राशि निम्न प्रकार है :

(रुपये लाखों में)

राज्य	ऋण	अनुदान	कुल
आन्ध्र प्रदेश	6.80	8.13	14.93
गुजरात	13.80	8.60	22.40
हरियाणा	13.80	8.40	22.40

मध्य प्रदेश	13.80	8.37	22.17
महाराष्ट्र	4.52	6.50	11.02
मैसूर	13.40	8.54	21.94
राजस्थान	13.50	7.85	21.20
तमिल नाडु	6.60	7.45	14.05
उत्तर प्रदेश	10.80	8.30	19.10
कुल योग :	96.87	72.14	169.01

इस ऋण की राशि में अल्पकालीन ऋण के रूप में 13.45 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है जिसे संस्थात्मक काम से पूरा किया जायेगा।

(ग) अनुदान राशि चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन त्रिमासों के दौरान अर्थात 31-12-70 तक सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा बताए जाने वाले वास्तविक खर्च और 1.1.71 से 31.3.71 तक के अनुमानित खर्च के आधार पर निर्मुक्त की जाएगी।

निम्नतम बोनस

2549. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में दिये गये अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि वह बोनस भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत दिये जाने वाले निम्नतम बोनस की दर को 4 प्रतिशत से बढ़ा कर 8 प्रतिशत करने के पक्ष में हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह उस सम्बन्ध में संसद् में एक कानून लाने के लिये कार्यवाही करेंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) सामान्यतः आशय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई और राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ द्वारा 24 सितम्बर, 1970 को आयोजित बैठक में श्रम मंत्री के भाषण से है। श्रम मंत्री ने कहा कि सरकार को उच्चतर न्यूनतम बोनस के प्रश्न पर निर्णय लेना होगा और यह कि इस सम्बन्ध में संसद के समक्ष एक गैर-सरकारी विधेयक पहले से ही अनिर्णीत पड़ा है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

विसकोस रेयन फैक्टरियों में चिकित्सा तथा वातावरण सम्बन्धी सर्वेक्षण

2550. **श्री के० रमानी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विसकोस रेयन फैक्टरियों में 1958 में उस उद्योग में संकट को

रोकने के लिये नियंत्रण सम्बन्धी अन्य उपायों की सिफारिश करने हेतु चिकित्सा तथा वातावरण सम्बन्धी सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण के परिणाम तथा मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या उपाय किये है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) सर्वेक्षण के परिणाम "सर्वे आफ कार्बन डिसल्फाइड, हाईड्रोजन सल्फाइड एण्ड सल्फर डाइऑक्साइड हैजर्डज़ इन दि विसकोस रेयन इन्डस्ट्रीज इन इन्डिया" शीर्षक की रिपोर्ट संख्या 18 में प्रकाशित हुई थी । सिफारिशें मुख्यत: उद्योग के अन्दर विभिन्न प्रक्रियाओं में नशीली रसायनों के कारण उत्पन्न संकटों को प्रक्रियाओं के समावरण, गंदी हवा बाहर निकालने की व्यवस्था, संचालन में सुधार, वातावरण में रसायनों के जमा होने के नेमी प्राक्कलन, श्रमिकों की नेमी चिकित्सा जांच, काम का समय कम करके, सुरक्षात्मक कपड़ों के प्रयोग आदि व्यवस्थाओं द्वारा रोकने के उपायों के बारे में हैं ।

(ग) सम्बन्धित राज्यों के मुख्य कारखाना-निरीक्षकों से प्रार्थना की गई कि वे इन सिफारिशों को विसकोस रेयन फैक्टरियों में क्रियान्वित करें ।

भारतीय खाद्य निगम का वसूली एजेन्ट के रूप में काम करना

2551. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने सरकार का ध्यान राज्य सरकारों की जगह भारतीय खाद्य निगम को मुख्य वसूली एजेंट बनाने की आवश्यकता की ओर दिलाया है क्योंकि भारतीय खाद्य निगम को अतिरिक्त उत्पादन करने वाले राज्यों द्वारा उन पर लादे गये घटिया किस्म के अनाज की सप्लाई के लिये दोषी माना जाता है ; और

(ख) भारतीय खाद्य निगम की इस प्रार्थना पर सरकार ने क्या रुख अपनाया है और उपभोक्ता के हित की उपेक्षा कर घटिया किस्म के अनाज की अधिक मूल्य पर वसूली करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार की यह नीति है कि अधिप्राप्ति के क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम की गतिविधियों का यथा सम्भव अधिकतम सीमा तक विस्तार किया जाये । तथापि, प्रत्येक राज्य में भारतीय खाद्य निगम की संक्षिप्त भूमिका स्थानीय परिस्थितियों तथा राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई अधिप्राप्ति प्रणाली पर निर्भर करती है । राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे यथा-सम्भव भारतीय खाद्य निगम की सेवाओं का उपयोग करें और यदि आवश्यक हो तो भारतीय खाद्य निगम को राज्यों में एक मात्र खरीदारी एजेन्सी बनाने के लिए एक सोपान-कार्यक्रम तैयार करें । सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा करने हेतु वर्षा से प्रभावित उस गेहूँ को जिसका

मामूली सा रंग बदल गया था और जो अन्यथा मानव उपभोग के लिए उपयुक्त था, 5 रु० प्रति क्विंटल तक कम मूल्य देकर खरीदने का निर्णय लिया था।

Land Grabbed and Distributed to Harijans

2552. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Janeshwar Yadav :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state the acreage of land grabbed in each State in regard to which proprietary rights have been given to Harijans ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : State Government do not recognise forcible occupation of land as a consequence of recent land grab movement. The Question of conferment of proprietory rights in respect of such land either to Harijans or other persons does not arise.

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के डाक्टरों के सम्बन्ध में बम्बई सैशन न्यायालय का फैसला

2553. **ी क० लकप्पा :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के डाक्टरों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने वाले हाल ही के बम्बई सैशन न्यायालय के फैसले पर विचार किया है ; और

(ख) क्या राज्य कर्मचारी बीमा योजना में नियुक्त राज्य कर्मचारी बीमा योजना के इन डाक्टरों को अधिनियम के अन्तर्गत इस रूप में घोषित किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) इस प्रकार का कोई निर्णय सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ख) जी, नहीं।

पश्चिम बंगाल में खाद्यान्नों के मूल्य

2554. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में प्रत्येक खाद्यान्न की दिसम्बर, 1969 से सितम्बर, 1970 तक प्रति माह जिलेवार तथा सब-डिवीजन-वार परचून कीमत क्या थी ; और

(ख) खाद्यान्नों की परचून कीमतों में वृद्धि, कमी अथवा सापेक्ष स्थिरता के लिए कौन से तत्व जिम्मेदार हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) सूचना देने वाले केन्द्रों से उपलब्ध सूचना बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-4406/70]

(ख) चावल के मूल्यों में वृद्धि, मौसम के शुरू में सूखे की लहर, लगातार वर्षा और सितम्बर में भारी बाढ़ आने के कारण हुई थी। अक्तूबर, 1970 से, शरतकालीन चावल की मंडियों में अधिक आमद और राज्य के कुछ भागों में अमन धान की जल्दी कटाई शुरू होने के कारण मूल्यों

में नरमी का रुख आया है। गेहूँ और चने के मूल्यों में सामान्यतः स्थिरता से नरमी का रुख आया है।

मध्य प्रदेश में धान की अधिक उपज

2555. **श्री का० न० तिवारी : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में धान का कोई खरीदार नहीं है तथा भारतीय खाद्य निगम ने इसकी खरीद के लिए दुर्ग और रायपुर मंडियों में समुचित प्रबन्ध नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो समुचित प्रबन्ध न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) भारतीय खाद्य निगम छत्तीसगढ़ क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश के सारे राज्य में मूल्य सहाय्य उपाय के रूप में धान खरीद रहा है। निगम ने दुर्ग तथा रायपुर मंडियों में धान की खरीदारी के लिए भी सम्पूर्ण प्रबंध कर लिए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी मिलों में गन्ने की पिराई

2556. **श्री का० ना० तिवारी : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970-71 के लिए गन्ने का मूल्य निर्धारित कर दिया गया है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या चीनी मिलें 1970-71 की फसल के गन्ने की पिराई देरी से आरम्भ करेंगी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) 1970-71 मौसम के लिए गन्ने का न्यूनतम मूल्य पहले ही निर्धारित और अधिसूचित किया जा चुका है।

(ख) 20 नवम्बर, 1970 तक 94 चीनी कारखानों में पेराई-कार्य शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के कुछ कारखानों में एक-आध सप्ताह की देरी हो सकती है। अन्य कारखानों के सामान्य समय में चालू हो जाने की आशा की जाती है।

(ग) जहां तक उत्तर प्रदेश के चीनी कारखानों का सम्बंध है, इनके चलने में देरी 1969-70 के पेराई मौसम की अवधि बढ़ाने और वित्तीय कठिनाइयों के फलस्वरूप कारखानों की मरम्मत और ओवरहालिंग के लिए कम समय मिलने के कारण हुई है।

चीनी का भण्डार

2557. **श्री का० ना० तिवारी :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष उत्पादित चीनी का 45 प्रतिशत भाग बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के गोदामों में पड़ा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या खुले बाजार में चीनी का कोई खरीदार नहीं है और इसके कारण मिलों की वित्तीय दशा बड़ी संकटमय हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो 1970-71 में उत्पादित चीनी को जमा करने के लिए सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) 15 नवम्बर, 1970 को पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कारखानों के पास 1969-70 में अपने चीनी के उत्पादन का लगभग 37 प्रतिशत स्टाक था । उनके पास चीनी का भारी स्टाक अधिक उत्पादन, पिछले मौसम का बना स्टाक तथा अपेक्षाकृत कम निकासी होने के कारण था ।

(ख) जी नहीं । चीनी कारखानों को खुले बाजार में बेचने के लिए दी गई चीनी कारखानों द्वारा उतनी मात्रा अधिकतर बेची तथा प्रेषित की जा रही है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि, सरकार ने चीनी उद्योग से कहा है कि वे अधिशेष चीनी के लिए भण्डारण सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय/राज्य भाण्डागार निगमों से सम्पर्क स्थापित करें जिन्होंने इस सम्बन्ध में सहायता प्रदान करने के लिए अपनी सहमति प्रकट की है । केन्द्रीय आबकारी प्राधिकारियों ने यदि आवश्यक हो तो बाहरी गोदामों में जो कारखाने से 120 कि० मी० की दूरी पर स्थित हों, में भी बिना ड्यूटी की चीनी के भाण्डारण की अनुमति दी है ।

पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापितों का आसाम तथा त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर आना तथा उनका पुनर्वास

2558. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापितों के बड़े पैमाने पर निरन्तर रूप से आसाम तथा त्रिपुरा में आने के बारे में पता है ; और

(ख) यदि हां, तो उनको शीघ्र बसाने तथा उनके पुनर्वास से पूर्व उनको उचित मकान तथा सहायता देने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) आसाम और त्रिपुरा में आ रहे नये प्रवाह के उन प्रवासियों को जो कि वहां पहुँचने

पर सरकार से राहत और पुनर्वास सहायता चाहते हैं, और इन राज्यों से बाहर भेजे जाने के लिए भी सहमत होते हैं, स्वागत केन्द्रों और शिविरों में रखा जाता है और उचित आकार के जत्थों में उन्हें अन्ततः पुनर्व्यवस्थापन के लिए इन राज्यों से बाहर भेजा जाता है। आसाम और त्रिपुरा के राज्यों में पहले ही अधिकतम सीमा पहुँच चुकी और वहां पूर्वी पाकिस्तान के प्रवासियों को बसाने की और कोई गुंजाईश नहीं है। प्रवासी परिवारों को अन्य राज्यों के आवाजाही/राहत शिविरों में उस समय तक रखा जाता है जब तक कि उन्हें दीर्घकालीन व्यवसायों में पुनर्वास नहीं दिया जाता।

कृषक परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए भूमि देने और उद्योग, छोटे मोटे कार्यों इत्यादि में पुनर्व्यवस्थापन की योजनाएं शीघ्र तैयार करने के लिये राज्य सरकारों को कहा है।

आवाजाही/राहत शिविरों में ठहरने की अवधि के अन्तर्गत परिवारों को निशुल्क रहने का स्थान और भारत सरकार द्वारा निर्धारित पैमानों के अनुसार, नकद बेकारी अनुदान, सस्ती दरों पर खाद्यान्न, निशुल्क कपड़े, कम्बल, बर्तन इत्यादि, दिए जाते हैं।

वर्ष 1970 में बेरोजगारी में वृद्धि

2559. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस वर्ष अब तक शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में किस सीमा तक वृद्धि हुई है ;

(ख) उन लोगों को रोजगार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) अगले वर्ष में बेरोजगारी के प्रसार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) यथातथ्य समग्र अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध जानकारी केवल देश के नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज काम चाहने वाले लोगों से संबंधित है जो कि नीचे लिखे अनुसार है।

नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज काम चाहने वालों की संख्या

	31-12-1969	30-6-1970
मैट्रिक से कम (जिनमें अशिक्षित भी शामिल हैं)	18,97,635	19,95,420
मैट्रिक पास और इससे अधिक	15,26,250	16,25,880

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में 11 नवम्बर, 1970 को पूछे अतारांकित प्रश्न संख्या 566 के उत्तर में प्रस्तुत विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा सरकारी एजेंसियों की मार्फत धान बेचा जाना

2560. **श्री कं० हाल्दर :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बीज निगम सरकारी गोदामों से रियायती मूल्य पर व्यापारियों को धान बेच रहा है और उसी धान को वे लोग क्रय मूल्य से कहीं अधिक मूल्य पर बेच रहे हैं ;

(ख) निगम द्वारा धान को सिविल सप्लाई विभाग अथवा अन्य सरकारी व्यवस्था के द्वारा न बेचे जाने के क्या कारण हैं जिससे कि इस प्रकार की चोरबाजारी को प्रोत्साहन न मिले ; और

(ग) क्या सरकार व्यापारियों की सहायता करने के लिए सरकारी व्यवस्था द्वारा माल जमा करने, चोर बाजारी और ऊंचे मूल्यों को बढ़ावा देने से रोकने के लिये तुरन्त कोई कार्यवाही करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम धान के केवल प्रमाणीकृत बीज बेचता है। ये बीज उत्पादकों से पक्के करार करके पूर्व-निर्धारित मूल्यों पर प्राप्त किये जाते हैं। इन प्रमाणीकृत बीजों का विपणन या तो सीधे ही निगम के काउन्टर पर या विभिन्न विक्रेताओं के माध्यम से निगम द्वारा निर्धारित मूल्यों पर किया जाता है। इन बीजों के विक्रय में कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती।

(ख) पहले राज्य सरकारें राष्ट्रीय बीज निगम से प्रमाणीकृत बीज थोक रूप से खरीद कर उन्हें अपने विभागीय अभिकरणों के माध्यम से वितरित करती थी। अब राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय बीज निगम से वस्तुतः प्रमाणीकृत बीज खरीदना बन्द कर दिया है, अतः अब निगम के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह विक्रेताओं का जाल बिछा कर अपनी विक्रय व्यवस्था शुरू करे। विक्रेताओं को निगम द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य पर बीज बेचना मना है, अतः चोर बाजारी का प्रश्न ही नहीं होता। निगम के क्षेत्रीय कर्मचारी विक्रेताओं के कार्यों की निरन्तर रूप से जांच-पड़ताल करते रहते हैं।

(ग) निगम बाजार की मांग के अनुसार प्रमाणीकृत बीज पैदा करके विक्रेताओं को देता है। ये विक्रेता किसानों को इण्डेन्ट पर बीज बेचते हैं। अतः जहां तक राष्ट्रीय बीज निगम के प्रमाणीकृत बीजों का सम्बन्ध है, माल जमा करने, चोर-बाजारी करने और, ऊंचे मूल्यों को बढ़ावा देने का प्रश्न ही नहीं होता।

कपास ओटने वाली मशीनों का आधुनिकीकरण

2561. **श्री नंद कुमार सोमानी :** क्या खाद तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कपास ओटने वाली मशीनों की संख्या क्या है, उनकी क्षमता कितनी है, तथा उनकी राज्यवार संख्या क्या है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि भारत की अधिकतर कपास ओटने वाली मशीनें पुरानी हैं और उनका आधुनिकीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ;

(ग) क्या सरकार ने ओटाई मशीनों को बदलने तथा उनके आधुनिकीकरण का कोई कार्यक्रम बनाया है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी और एक ऐसी राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्थापना करेगी जो सभी ओटाई कारखानों का निरीक्षण करेगी और कारखानों को मशीनों में सुधार करने का परामर्श देगी ; और

(ङ) क्या कपास ओटाई उद्योग के आधुनिकरण के लिए आवश्यक सभी मशीनें स्वदेश में ही उपलब्ध हैं अथवा विदेशों से आयात करनी पड़ेगी ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) वर्ष 1966-67 के मौसम में भारत में कपास ओटने वाली मशीनों की राज्यवार संख्या निम्न प्रकार थी :—

राज्य	कार्य कर रहे कपास ओटने वाले कारखानों की संख्या
असम	13
आंध्र प्रदेश	47
गुजरात	428
मध्य प्रदेश	252
महाराष्ट्र	779
मैसूर	517
पंजाब (भूतपूर्व)	41
राजस्थान	19
तमिलनाडु	108
त्रिपुरा	2
पश्चिम बंगाल	5
अखिल भारतीय योग	2211

कपास ओटने वाली मशीनों की राज्यवार उत्पादन क्षमता के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है । यद्यपि, देश की वर्तमान क्षमता वर्तमान फसल के उत्पादन के लिए पर्याप्त समझी जाती है :

(ख) बहुत सी फैक्टरियों में लगाई गई कपास ओटने की मशीनें पुरानी हैं, लेकिन ऐलर,

नाइफ आदि जैसे कार्य करने वाले पुर्जों को समय समय पर बदल कर इनसे संतोषजनक कार्य करने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है ।

(ग) भारत सरकार ने ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की है ।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) कपास ओटने वाली एक ऐलर तथा दो ऐलर की मशीनें देश में ही उपलब्ध हैं । किन्तु आरा-कपास (साजिन) ओटने वाली मशीनों का आयात करना पड़ता है ।

कांगड़ा डाक प्रभाग के डाकघरों के अधीक्षक को जीप सप्लाई किए जाने की सिफारिश

2562. **श्री हेमराज बरुआ :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक डाक-तार तथा सलाहकार समिति ने कांगड़ा डाक प्रभार के डाकघरों के अधीक्षक को जीप सप्लाई किये जाने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सिफारिश कब प्राप्त हुई और उनका क्या-क्या परिणाम निकला ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 9-7-1968 को सिफारिश प्राप्त हुई थी । भारत सरकार ने प्रायोगिक आधार पर असम के दो सीमा डिवीजनों में इस्तेमाल में लाने के लिये 2 जीपों की मंजूरी दी है । यह मंजूरी इस बात का अध्ययन करने के लिये दी गई थी कि इस तरह के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने पर जो लाभ होगा, क्या वह अधिक आने वाले खर्च के अनुपात में होगा । इस प्रयोग के परिणामों की जांच करने पर और अन्तिम निर्णय देने के बाद ही कांगड़ा में डाकघर अधीक्षक को सरकारी परिवहन मुहैया करने के प्रस्ताव की जांच की जाएगी ।

विजय नगर, दिल्ली में पट्टे पर दी गई भूमि

2563. **श्री कमलनाथन :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मास्टर प्लान और टाउन प्लान का उल्लंघन करते हुए पुनर्वास विभाग ने 'जी' ब्लाक विजय नगर, दिल्ली-9 में सार्वजनिक भूमि को पट्टे पर दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस भूमि को जनता की भलाई के लिये पुनः प्राप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) केवल एक ही दृष्टान्त में यह पता चला कि साथ वाली भूमि के एक टुकड़े को जिसे कि पास वाले मकान के अलाटी को हस्तान्तरित कर दिया गया था, मास्टर प्लान में एक गली और पार्क का भाग दिखाया गया है ।

(ख) जब पुनर्वास विभाग के नोटिस में यह तथ्य लाया गया तो अदालती कार्यवाही द्वारा अलाटमेंट को रद्द करने के कदम उठाये गये थे किन्तु इसमें विभाग असफल रहा ।

तिलेश्वर तथा घालापुर उड़ीसा में सार्वजनिक टेलीफोन घर लगाना

2564. **श्री अ० दीपा : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलेश्वर तथा घालापुर में सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित करने के लिये राज्य-सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया गया है ;

(ख) क्या इन दो स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित किये जाने की संभावना है और क्या पुरुनाकटक से घालापुर तक लाइन बढ़ा दी जायेगी ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । इन दो स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्ताव अलाभकर हैं और विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार घाटे की छूट नहीं दी जा सकती । फिर भी इन स्थानों पर किराये और गारंटी के आधार पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जा सकते हैं, यदि इनमें दिलचस्पी रखने वाली कोई पार्टी विभाग को होने वाले घाटे को पूरा करने के लिये तैयार हो ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बम्बई में विदेशी मुद्रा के अवैध धंधे से सम्बन्धित षड्यंत्र का पता लगाये जाने का समाचार

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Sir, I call the attention of the Prime Minister to the following matter of urgent public importance and I request that she may make a statement thereon :

"Reported unear hing of foreign exchange racket at Bombay involving Rs. 54 lakhs wherein some staff of Air India are also allegedly implicated."

बम्बई में विदेशी मुद्रा से सम्बंधित गिरोह का पता लगाने के बारे में वक्तव्य

Statement regarding unearthing of a foreign Exchange Racket in Bombay.

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : विदेशी मुद्रा के अनधिकृत व्यापार के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय के बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 18-11-1970 को बम्बई के कुछ स्थानों की तलाशी ली गई और दिल्ली में इस व्यापार के सम्बन्ध में एक संदिग्ध व्यक्ति क्लिफ डी 'सूजा', के निजी सामान की तलाशी भी उसी दिन की गई । इन तलाशियों के परिणामस्वरूप 7615 अमेरिकन डोलर और 65 पौन्ड की विदेशी मुद्रा

और अनेक कागजात भी बरामद करके कब्जे में लिए गए। इन कागजातों से पता लगा कि कुछ व्यक्ति विदेशी मुद्रा को भारत से बाहर भेजते हुए, काफी बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा का अनधिकृत व्यापार कर रहे थे। कागजात की प्रारम्भिक जांच करने पर यह पता लगा है कि 1 जनवरी, 1969 से नवम्बर, 70 की अवधि में विदेशी मुद्रा का ऐसा व्यापार 2,98,000 पौन्ड तक की राशि का हुआ। इस मामले पर और जांच जारी है।

इस सम्बन्ध में अभी तक दो गिरफ्तारियां हुई हैं। 19-11-70 को श्री 'फ्रान्सिस बेलो' को गिरफ्तार किया गया था और प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा उसे 50,000 रुपये की जमानत पर छोड़ा गया। श्री 'क्लिफ डी 'सूजा' की 24-11-70 को गिरफ्तार किया गया था और उसे चीफ प्रेजीडैन्सी मजिस्ट्रेट, बम्बई के आदेशों पर 1 लाख रुपये की जमानत पर छोड़ा गया।

Shri Atal Bihari Vajpayee : We had contemplated that we shall get some detailed information about foreign exchange racket and we shall also know the manner in which the culprits are being brought to book. The Enforcement Directorate have painted out to the press that some staff Members of the Air India are stated to be involved but nothing is mentioned in the statement. I want to know whether some staff members of Air India are involved in this case or not and in case they are involved, the names thereof and action being taken against them? Enforcement Directorate has also mentioned that foreign exchange used to be deposited in a bank in London for the last two years. May I know the name of the bank in which the foreign exchange was deposited and whether Government have made any effort to ascertain the date from which the foreign exchange was being deposited and the persons involved in the said racket? I would also like to know whether Enforcement Directorate has looked into the allegation that a Deputy Minister of Maharashtra Government, Shri Hire had furnished a Draft in a foreign bank in London but the same was not accepted because the Draft was termed as forged. Shri Hire had told the press that the said Draft was given to him by Shri Champat Lal Shah but who is this gentleman and how could he lay his hands on this Draft? I want to know whether this matter has been investigated and if so, the result thereof?

Shri Ram Niwas Mirdha : In so far as the question of involvement of some personnel of Air India is concerned, the investigation is in progress. There is no question of concealing any fact from the House. In fact the documents recovered during the search are still being examined and as soon as some definite conclusions are arrived at, the House and the hon'ble Member will be informed in due course. In this connection it may be painted out that the radical changes are contemplated in the relevant legislation and a comprehensive legislation is being drafted under which condition punishment could be awarded to the culprits. Administrative machinery is also being reinforced to deal with such matters more promptly. The question asked about the Deputy Minister Shri Hire is not related to the main question and may, therefore, be asked separately.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I had asked the name of the Bank in which foreign exchange used to be deposited in London and why Government had not taken any steps to find out the facts when foreign exchange was being deposited then for the last two years?

Shri Ram Niwas Mirdha : The search was made on 18th November and the matter is still being investigated. I do not think it proper to say any thing without ascertaining the facts.

Shri Atal Bihari Vajpayee : According to Mr. S. G. Solveker and Mr. K. P. Desai of the Directorate who investigated the case, the amount had been deposited in the London

Bank over a period of two years since January last year. But the hon'ble Minister is neither prepared to disclose the name of the bank nor he wants to say as to why Government could not detect it ?

Shri Ram Niwas Mirdha : We do not conceal any fact if Government have any knowledge about it. The documents in question are still being examined but I cannot say any thing in the absence of any definite information. I cannot help it.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : यह घटना एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के साथ सम्बन्धित है जो विदेशी मुद्रा तथा विदेशी सामान की तस्करी करता है। बम्बई और मद्रास के सुप्रसिद्ध इलाकों में चोरी छिपे लाई गई वस्तुएं खुले आम बिकती हैं। समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार इस घटना में एयर इण्डिया के कम से कम तीन उच्च अधिकारियों का हाथ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इन व्यक्तियों के नाम क्या हैं ? जब तक सरकार मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं करती तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस मामले में किसी अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का हाथ है और क्या इस गिरोह में कोई विदेशी व्यक्ति भी सम्मिलित है ? क्या इस मामले में लगभग 300,000 पौंड के अतिरिक्त किसी अन्य राशि का भी पता चला है ? क्या सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने के बावजूद गत दो वर्षों में तस्कर सम्बन्धी गतिविधियों में वृद्धि हुई है और यदि हां तो मुद्रास्फीति रोकने के सम्बन्ध में सरकार और क्या कार्यवाही कर रही है जिससे तस्करी कम हो जाये ?

श्री रामनिवास मिर्धा : यह सच है कि तस्करी के पकड़े गये मामलों तथा उनके सम्बन्ध में किये गये जुर्माने की राशि में वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि तस्करी की गतिविधियां बढ़ी हैं और यह भी कहा जा सकता है कि इन मामलों के बारे में अधिक सतर्कता बरती गई है और अधिक मामले पकड़े गये हैं। वस्तुतः प्रवर्तन निदेशक द्वारा अधिक सतर्कता बरतने के कारण अब अधिक मामले पकड़े जा रहे हैं और अपराधियों को दंड देने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

तस्कर व्यापार में वृद्धि के कई कारण हैं। इसका एक कारण कुछ व्यापारियों द्वारा अपने सौदों के सम्बन्ध में कम मूल्य के तथा अधिक मूल्य के बीजक बनाने सम्बन्धी व्यापक कदाचार है। इस कदाचार का यह केवल एक पक्ष है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : एयर इण्डिया के कर्मचारियों के इस मामले में अन्तर्ग्रस्त होने के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री रामनिवास मिर्धा : जैसाकि मैंने पहले बताया है डायरियों तथा दस्तावेजों में कुछ व्यक्तियों के नाम उल्लिखित हैं। वे कर्मचारियों के ही नाम हैं या नहीं, इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसी अवस्था में कुछ बताने से, जबकि जांच अभी जारी है, जांच कार्य में बाधा पड़ेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : प्रतिवर्ष लगभग 400 करोड़ रुपये के सोने तथा अन्य वस्तुओं की तस्करी के कारण यह सब कुछ चल रहा है। इसके अतिरिक्त तस्कर व्यापार

में विदेशी बैंकों का हाथ है। एयर इण्डिया के कर्मचारी तो साधारण व्यक्ति हैं। सरकार को उन बड़े व्यक्तियों का पता लगाना चाहिये जो इस प्रकार की गतिविधियों में लगे हुए हैं।

सेंट्रल बैंक में 2:0 लाख रुपये का गोलमाल हुआ है। परन्तु मंत्री महोदय का कहना है कि वह आंतरिक लेखा परीक्षा के बाद सदन को तथ्यों से अवगत करवायेंगे। सरकार को बताना चाहिये कि उस मामले के तथ्य क्या हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह उस बैंक का नाम बतायें जिसमें गत दो वर्षों से धन जमा करवाया जाता रहा है।

श्री रामनिवास मिर्धा : मुझे उस बैंक की जानकारी नहीं है अन्यथा मुझे बताने में कोई संकोच नहीं था। अभी जांच प्राथमिक अवस्था में है और सभी तथ्यों को एकत्र नहीं किया गया है। जिन बातों का मुझे पता था, मैंने सभा को बता दी हैं।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : हम जानना चाहते हैं कि उस बैंक के बारे में किन एजेंसियों के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामनिवास मिर्धा : सेंट्रल बैंक आफ बड़ोदा के सम्बन्ध में मेरे पास तथ्य उपलब्ध नहीं है। फिर इनका इस प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध भी नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रवर्त्तन निदेशालय का काम विदेशी मुद्रा के विनियमों को लागू करना है, जबकि उक्त मामला बैंकों के कार्य संचालन से सम्बन्धित है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। 6 महीने पूर्व 19 मई को मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि वह सभा को पूरे तथ्य बतायेंगे। यदि 6 महीने काफी नहीं हैं तो वे कभी भी तथ्य एकत्र नहीं कर सकेंगे। मैं यह भी जानता हूं कि वर्ष 1967, 1968 और 1969 में, वर्षवार, कितने मामले पकड़े गये थे और कितने व्यक्तियों को जुर्माना किया गया था।

श्री रामनिवास मिर्धा : वर्ष 1967-68 में 2307, 1968-69 में 1864 और 1969-70 में 1646 मामले दर्ज किये गये थे, इन तीन वर्षों में क्रमश: 26, 39, 016 रुपये, 30, 69, 679 रुपये और 44, 13, 299 रुपये जुर्माना किया गया था।

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : The gold worth Rupees four and a half crores is being smuggled into the Country. The Gold bears the seal of British Government and the West German Government. The Gold at well as the carriers are insured by the Insurance Companies there. In the case of foreign exchange racket Involving Rs. 54 lakhs which has been unearthed a few days back, certain officers of Air India have been allegedly implicated. Does the Government know that the staff of revenue intelligence is also involved in this racket ? Does the Government also know about the charges made by the CBI against the Director of Revenue Intelligence that he has got huge amounts deposited in Geneva and other foreign countries. He has been transferred.

One Hon. Member : Who is he ?

Shri Shashi Bhushan : Shrivastva. The son of former Finance Minister was arrested by the officers on 24th while he was returning from Meerut having gold with him. After the arrest was made, the Director of Revenue Intelligence, who has already been transferred tried to hush up the case.

An Hon. Member : What is the name of the ex-Finance Minister ?

Shri Shashi Bhushan : Shri Morarji Desai.

The inflow of Gold into huge quantity is disrupting the economic set up of the country, the life of the country is deeply intervened with this problem which we have to resolve on a war footing. The people involved in such cases should be declared traitors, otherwise we can't help improving our economic conditions. The capitalists, Indian traders dealing with smuggled goods, former rulers and the foreign companies are leading the nation to dogs. The officers involved in such a racket should be severely dealt with. I would like to know the steps Government propose to take regarding the activities of Shri Shrivastava—who has already been transferred and is still going to the office and pressurising officials there just to hush up the case of smuggled gold ? Would the hon. Minister ensure the House that action would be taken against the officers whose names has just now been mentioned ?

Shri Ram Niwas Mirdha : The hon. Member has revealed so many things. He has said that the officers of Revenue Intelligence are also involved in this case. He has mentioned certain names. I would like to say in this connection that at present I have got no information as to who was arrested where was he arrested etc. If the hon. Member collects the facts regarding the matter then an enquiry into the case may be made. But so far as I Know, no such case has come to my notice in which our officers have been found involved.

Shri Shashi Bhushan : The officer has been transferred and he is still going to the office. Why the hon. Minister is afraid of Shri Morarji Desai ? Why he is shielding him now ?

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी अधिकारी विशेष के विरुद्ध आपको कुछ कहना है तो उसके लिये एक प्रक्रिया निर्धारित है। आप ये नाम क्यों ले रहे हैं।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Only ten per cent. and even less than this, cases of foreign exchange rackets, gold smuggling and other thefts are detected. Out of these ten per cent detected cases only lower grade employees are punished and the cases are finalised. But the big capitalists operating behind these rackets are still unknown. No revelation to this effect has so far been made as to who are these people due to whom the country has to suffer loss of foreign exchange in crores of rupees.

I would like to know the names of the countries or of Islands where from smuggling into India is being made and what are the positive steps Government has taken to check the smuggling ?

Shri Vajpayee has said that a Government officer in his public statement has said that such a foreign exchange is being deposited in a Bank of London since last two years. The officer concerned might be knowing the name of the bank also, what is the difficulty to the hon. Minister if he tells the name of the bank in the House ?

In this case, which has been unearthed just now, officers of Air India have been found involved. There were certain BOAC officials found entangled in a smuggling case detected a few days earlier. I would like to know whether the Government has taken steps to check the smuggling of foreign exchange and gold through these International Air Ways operating in our country ?

Shri Ram Niwas Mirdha : There is no question of telling the name of the bank when I have already said that at present I cannot say anything about the statement of the officer. But on the basis of the fact now received it can be detected whether such an amount is being accumulated at any particular place ?

The hon. Member's allegation that only the lower grade employees are convicted in such cases is not correct. There have been such cases in which big people are found involved and the information to this effect has been placed on the Table of the House. I would like to mention some such cases. There is a case regarding Eros Building in which Shri R. S. Khambetta is involved. A detected enquiry into the case has been conducted and certain people have been found involved. The other one pertains to MSS Datsale (Pvt.) limited Bombay, who is working in Kuwait. The enquiry is being made into it the other cases are related to Hindustan Motors, Haridas Mundra and Snri Heerji Kanousji Janhagir. The cases in which enquiry is still in progress are being actively pursued. The persons, whosoever they may be, found guilty would not be overlooked and they will not be allowed illegal earnings.

संविधान (24वाँ संशोधन) विधेयक, 1970 पर सदस्य द्वारा अपना मत दो बार दिये जाने के बारे में

RE : DOUBLE VOTING ON THE CONSTITUTION (TWENTY-FOURTH AMENDMENT) BILL, 1970

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, आपने 4 सितम्बर को यह कहा था कि गलत मतदान के बारे में जांच कराई जायेगी । जो पत्र सभा पटल पर रखे गये हैं । उनसे स्पष्ट है कि मतदान पालन हुआ है । मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता । 5 सदस्यों ने प्रत्येक बार मत विभाजन के समय दो बार मतदान किया है । इस मामले में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिये अभी तक स्पष्ट रूप में कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है । इस मामले में कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिये जिससे सदन की प्रतिष्ठा भंग न हो ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : यह एक गम्भीर मामला है । आपने आश्वासन दिया था कि इस मामले की जांच कराई जाएगी परन्तु इस ओर अभी तक स्पष्ट रूप में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है ।

अपने उत्तर में आपने बताया था कि इस मामले पर नियम समिति ने विचार किया है । हम लोग ऐसा नहीं चाहते थे । इस मामले की और गम्भीर रूप में जांच कराई जानी चाहिये, ऐसा क्यों हुआ इसके पीछे उद्देश्य क्या था सभी कुछ जांच के अन्दर आना चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृति न हो सके ।

ग्राम पंचायतों में भी ऐसी बातें होती हैं तथा हो रही हैं । यदि लोकसभा में भी ऐसी घटनायें हुई तो समस्त देश में ऐसी घटनायें होने के समाचार मिलेंगे । इस सम्पूर्ण विषय पर गम्भीर रूप से विचार किया जाये और आपके नेतृत्व के संसदीय समिति द्वारा अथवा जिस तरह से भी आप ठीक समझें विभिन्न दलों के नेताओं से परामर्श करके इस मामले की स्वतंत्र रूप से जांच कराई जाये ताकि इस मामले से सम्बन्धित सभी तथ्य सामने आ जायें । सर्वप्रथम यह जानने का प्रयत्न किया जाये कि किन किन सदस्यों ने ऐसा किया है, उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया तथा किसके कहने पर किया । क्या इसके पीछे कोई शक्ति कार्य कर रही थी ? दोषी ठहराये गये सदस्यों को प्रताकित किया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए

आवश्यक कार्यवाही की जाये। वर्तमान मतदान प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। इसमें सुधार किस प्रकार किये जाने चाहिए, इसका अध्ययन किया जाना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : We are not satisfied with the recommendations made by the Rules Committee. We had thought that an independent enquiry would be conducted into the matter. It is necessary to ascertain whether the Members who had voted twice did so by mistake or deliberately ? It is also necessary to ensure that such happenings are not repeated in future and there arises so doubt in the minds of the people in regard to the voting in the House. The recommendations made by the committee are not adequate to ensure against such happenings in future. So the whole matter should be referred to a new committee.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : We would appreciate if before taking any decision on the recommedations made by the Rules Committee, the leaders of the various parties are called by the Speaker and the matter is discussed by them.

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में तैयार किया गया विवरण मेरे पास उपलब्ध है। यह इस प्रकार है :

"डा० राम सुभग सिंह, प्रो० रंगा, आचार्य जी भा कृपालानी तथा कुछ अन्य सदस्यों ने भी मुझसे पूछा था कि क्या संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 1970 पर हुये मतदान में कुछ सदस्यों द्वारा दो बार मत देने के मामले की जांच कराई गई है।"

जब 3 सितम्बर, 1970 को पहली बार यह मामला सदन में उठाया गया था तो मैंने यह मत व्यक्त किया था :

"भविष्य के लिए, इस मामले पर या तो नियम समिति या अन्य कोई और समिति विचार करे।"

प्रक्रिया नियमों के अनुसार मैंने यह मामला नियम समिति को सौंप दिया था। नियम समिति ने, जिसमें लोकसभा के लगभग सभी दलों का प्रतिनिधित्व है, मामले पर विचार किया और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है। समिति को 8 सितम्बर 1970 तथा 18 नवम्बर, 1970 को हुई बैठकों की कार्यवाही साराश क्रमश: 10 सितम्बर तथा 26 नवम्बर 1970 को सभा के पटल पर रख दिया गया है।

समिति की सिफारिशें सदन के समक्ष उपलब्ध है, सदन जैसा उचित समझे कार्यवाही करे।

जब यह मामला उठाया गया था तो मैंने कहा था कि इस मामले को दृष्टि में रखते हुए भविष्य के लिए नियम समिति अथवा अन्य किसी दूसरी समिति द्वारा इस पर विचार किया जाएगा।

मैंने इस विषय में सदस्यों के विचार जानने के लिए बहुत से सदस्यों के पास लोकसभा सचिव को भेजा और उस समय सभी ने, श्री रंगा के अतिरिक्त जो उस समय मिल नहीं सके थे, इस बात का समर्थन किया।

मामला नियम समिति के पास भेज दिया गया और समिति का प्रतिवेदन सदन के समक्ष उपलब्ध है। समिति ने कहा है कि बहुत से मामलों में खंडों पर मतदान के समय, चार पांच बार तीन या चार सदस्यों द्वारा एक या दूसरे खंड पर यदा कदा गलती हुई है।

डा० राम सुभग सिंह : कुछ सदस्यों ने सदैव ही ऐसी गलती की है ।

अध्यक्ष महोदय : अन्तिम मतदान के समय कुछ गलती हुई । श्री रामशेखर प्रसाद सिंह एक दूसरे स्थान पर बैठ गये थे । दूसरे दिन सदन में उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी और उस पर खेद व्यक्त किया था ।

नियम समिति ने इस सारे मामले पर विचार किया । समिति ने भविष्य में मतदान के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है । इस पर हाल ही में समिति ने फिर से विचार किया और अब यह सदन के समक्ष उपलब्ध है इसे आज पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा ।

समिति ने मुझे निर्देश दिया कि श्री राम शेखर प्रसाद सिंह को चेतावनी दी जाये और तदनुसार मैंने निर्देश का पालन किया । इस पर भी यदि सदस्यों की यह इच्छा है कि उन्हें सदन में ही चेतावनी दी जाये तो मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं परन्तु ऐसा करने से सारी बात प्रैस में चली जायेगी और मेरा विचार यह है कि ऐसा करना आवश्यक नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, यह आवश्यक नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : पांच सदस्यों ने पांच बार मत विभाजन में प्रत्येक बार मशीन का दुरुपयोग किया है । मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, परन्तु हम यह अवश्य जानना चाहते हैं कि क्या इस घटना के पीछे कोई अन्य शक्ति कार्य कर रही है ।

श्री रंगा : केवल एक सदस्य नें अपने कृत्य पर खेद प्रकट किया है, शेष सदस्यों का क्या हुआ ? वे कौन कौन हैं ? यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं तो मेरा एक सुझाव है कि हमें इस सम्बन्ध में एक नियमित जांच करानी चाहिये और बाद में यदि सदन दोषी ठहराये गये सदस्यों को क्षमा करना चाहे तो कर सकता है । यह बात सामने आनी चाहिये कि उन्होंने ऐसा गलती से किया या किसी अन्य प्रेरणा के आधार पर दृष्टि से मामले पर विचार किया गया है उससे कहीं अधिक गम्भीर रूप में उस पर विचार किये जाने की आवश्यकता है । इसीलिए यह सुझाव दिया गया है कि विभिन्न दलों के नेताओं के साथ अध्यक्ष महोदय विचार विमर्श करें तथा उनकी सहमति और सम्मति के अनुसार सभी तथ्यों को स्पष्ट कराने का प्रयत्न करें । जांच से यदि यह पता चल जाता है कि किन किन सदस्यों ने ऐसा किया हैं तो सदन में उन्हें खेद प्रकट करना चाहिये तथा भविष्य के ऐसा न करने का आश्वासन देना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : No body wants that there any misunderstanding in the country as regards the voting procedure in Lok Sabha. The Rules Committee which consists of the representatives of almost all the parties, has gone into the matter in details and has concluded that the mistakes in voting are sometimes possible due to mechanical defects. But in the case of Shri Ram Shekhar Prasad Singh, the committee is not satisfied and that is why it has asked the speaker to warn the Member. This has already been done. Even if some member are still dissatisfied, they should have asked a further reference of the matter to some other committee. But they are required to bring forward a motion in this regard otherwise there is no use taking up the matter everyday.

श्री नाथपाई (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी बात सुनने के पश्चात् मैंने सोचा था कि जो कुछ संदेह सदस्यों के मस्तिष्क में शेष है वह समाप्त हो जायेगा । अब यह सुझाव दिया गया है कि विभिन्न दलों के नेताओं के साथ परामर्श किया गया ।

यह कहा गया है कि नियम समिति सदन से बड़ी नहीं है। ठीक है, मैं इससे सहमत हूं परन्तु क्या विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक सदन से बढ़कर है? नियम समिति ने मामले को गम्भीर समझकर इस पर विचार किया है। सदस्यों से स्पष्टीकरण मांगें हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह हो तो हमें निष्पक्ष तथा स्पष्ट होना चाहिये। इसी कारण से समिति की बैठकों मे पूरे रिकार्ड की छानबीन की गई, सदस्यों से स्पष्टी पत्र मांगे गये। समिति ने मतदान प्रक्रिया के सम्बन्ध में जो नयी प्रणाली निर्धारित की है उस पर विचार नहीं किया गया है। हमने यह निश्चय किया है कि प्रत्येक सदस्य एक कागज पर अपने लेख में अपना मत दे और वह कागज अध्यक्ष महोदय को दे दिया जाए इस प्रकार किसी भी तरह की गलती की संभावना नहीं रहेगी। सदन ने इसे अपनाने से इन्कार कर दिया...(व्यवधान)...मुझे ज्ञात नहीं है। समिति ने भविष्य तथा भूतकाल के बारे में विचार किया। भूतकाल के सदंर्भ में रिकार्ड का परीक्षण किया गया और एक मत से यह निर्णय किया गया। भविष्य के लिए यह हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम अपनी गलतियों में सुधार करें। इस उद्देश्य से मतदान में इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया था। सदन इसे माने न माने यह उसकी इच्छा है।

यदि कुछ सदस्यों की यह इच्छा है कि इस मामले पर नए सिरे से विचार किया जाए तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि नियम समिति ने इस विषय पर पूर्ण गम्भीरता के साथ विचार किया है आप इस निर्णय को माने या न माने। हमें इसमें कोई बात नहीं जोड़नी है।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : It is not proper to reopen the issue once the Rules Committee has taken a decision over it. Let us take the issue as closed and we should take steps to ensure that such a mistake is not repeated in furture.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उस दिन जिन बातों पर संदेह प्रकट किया गया था आपने उन्हें स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था। उसके बावजूद भी कुछ संदेह व्यक्त किए गए और आपने मामला नियम समिति को सौंप दिया यद्यपि हमारी ऐसी इच्छा नहीं थी। जिन सदस्यों ने गलती की थी उन्होंने आप के पास जाकर खेद प्रकट किया। समिति ने यह सब स्वीकार किया। समिति ने यह सुझाव दिया कि भविष्य में सदस्यों को मतदान दीर्घा में जाकर मतदान करना चाहिए। जब यह प्रश्न उठाया गया, तब श्री वासुदेवन नायर पीठासीन थे। श्री बाजपेयी उपस्थित नहीं थे। सभापति ने इस सुझाव को सदन के समक्ष रखा तथा सदन ने इसे स्वीकार नहीं किया। जब एक मत होकर इस पर मतदान के लिए कहा गया तब हमने वर्तमान प्रक्रिया के जारी रहने का समर्थन किया।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : नियम समिति की बैठक मे उन सभी संदेहों पर गम्भीरता से विचार किया गया जो इस समय व्यक्त किये जा रहे हैं। जिन सदस्यों ने संदेह व्यक्त किया हैं संभवतया उन्होंने प्रतिवेदन के साथ संलग्न कार्यवाही सारांश नहीं देखा है।

ऐसी बातें पहले भी उठी हैं। पहले भी सदस्यों ने गलत सीट पर बैठकर मतदान किये हैं। मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता। जनसंघ तथा कांग्रेस (पुरानी) के सदस्यों ने ऐसा किया है।

जिन चार सदस्यों ने गलत मतदान किया है वह गलती से ही हुआ है क्योंकि मतदान के समय कुर्सी वाली रोशनी नहीं जली इसी कारण इनसे भ्रम हुआ कि उनके मत की गणना हुई है अथवा नहीं। उस समय मत विभाजन का ब्यौरा पटल पर नहीं था यह नियम समिति की बैठक के पश्चात दिया गया है। वास्तव में यही हुआ। लाइट नहीं जल रही थी। यह पहली बार नहीं है। कई बार विभिन्न दलों के लोगों ने यही कार्य किये थे और बाद में इसमें सुधार किया गया।

नियम समिति में आपने कहा था कि अगर सुधार का परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हैं, तो मैं परिणाम घोषित करने के पहले इस पर विचार करूंगा। नियम समिति में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने इस पर संतोष प्रकट किया था। अब क्या यह उचित है कि नेता लोग यह कहें कि नियम समिति में जो कुछ किया गया हम उसको स्वीकार नहीं करते।

यहां बार-बार कहा गया कि उन्होंने निर्लज्जतापूर्वक मतदान किया। यह बहुत गम्भीर आरोप है। विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने इस पर गहराई से विचार किया था और एक मत से निष्कर्ष पर पहुंच गये थे। यह अलग बात है कि सदन इसे स्वीकार करता है या नहीं। परन्तु हमें नियम समिति और उसके सदस्यों की निंदा नहीं करनी चाहिये।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : किसी ने भी निंदा नहीं की है।

श्री रंगा : हमने नियम समिति के संबंध में कुछ नहीं कहा। मैंने उन सदस्यों के बारे में कहा जिन्होंने गलत ढंग से मतदान किया, न कि नियम समिति के सदस्यों के बारे में। मैंने स्पष्टतः कहा था कि इसको नियम समिति को सौंपे जाने के आप के निर्णय से मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। मैंने चाहा कि आप एक अन्य समिति नियुक्त करें...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब यह मामला सदन में आया, तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर सदन चाहता है, तो यह नियम समिति को सौंपा जा रहा है। इस समय कोई मतभेद नहीं हुआ था। मैंने जरूर सभी माननीय सदस्यों से विचार विमर्श किया था। परन्तु मुझे बड़ा दुःख है कि प्रो० रंगा से मैं विचार-विमर्श नहीं कर सका। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि हमने सारे मामले पर तटस्थ रूप से विचार किया है...(व्यवधान)

श्री नाथपाई : मेरा प्रस्ताव यह है कि प्रो० रंगा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जाए और अन्य सदस्यों का नामजद करने का अधिकार उन्हें दिया जाए। हम समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं एक संशोधन पेश करता हूं कि प्रो० रंगा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति नियुक्त की जाए।

संसद-कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघु रामैया) : मैं उन माननीय सदस्यों जैसे श्री नाथपाई, श्री मधु लिमये और श्री सेझियान, के इस विचार से सहमत हूं कि इस मामले पर सदन की सम्मति से नियुक्त नियम समिति ने गहराई से विचार किया था समिति ने पाया कि एक गलती हुई है। एक माननीय सदस्य ने सदन में माफी मांगी। यह कहना अनुचित है कि निर्लज्जतापूर्वक मतदान किया गया था।

यह देखा जाता है कि महत्वपूर्ण समितियों की, जिनमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं, निष्पक्षता पर सदन में शंका प्रकट की जाती है। अगर इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, तो समितियों के लिए कार्य करना कठिन होगा।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : इस मामले को अगर नियम समिति को सौंप दिया गया है और समिति ने इस पर गहराई से विचार भी किया है। तो जो माननीय सदस्य इस पर शोक प्रकट करते हैं। उन्हें चाहिए कि वे उक्त मामले को फिर से सदन में उठायें। मुझे पता नहीं है कि नियम समिति ने क्या किया है। अतः मेरा सुझाव यह है कि संबद्ध कागजात को परिचालित किया जाए। हम देखें कि समिति ने क्या कार्य किस प्रकार किया है। इसलिए हम सम्बद्ध कागजातों का अध्ययन करने के पहले इस पर चर्चा न चलायें। अन्यथा, कोई भी सदस्य किसी भी समिति का सदस्य बनना नहीं चाहेंगे। वैसी स्थिति न आने दें।

अध्यक्ष महोदय : अब, सबद्ध कागजातों को परिचालित किया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : बसुमती के बन्द किये जाने से 500 कर्मचारी बेरोजगार हुए हैं। राज्य सभा में कल इस पर चर्चा की गई थी। क्या आप कृपया सदन में कल इस पर चर्चा की अनुमति देंगे...(व्यवधान)

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

हरियाणा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ और पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वार्षिक प्रतिवेदन तथा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री स० चु० जमीर) : श्री अन्नासाहेब शिन्दे की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, हरियाणा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के 30 जून, 1969 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षिक की टिप्पणियां। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या** एल० टी०—4390/70]

(2) पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास, के वर्ष 1968-69 के वार्षिक लेखे (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी०—4391/70]

(3) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) जी०एस०आर० 586 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 5 सितम्बर, 1970

के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अन्तर्क्षेत्रीय गेहूँ तथा गेहूँ (उत्पाद लाने-ले जाने पर नियंत्रण) आदेश, 1969, जो दिनांक 16 अप्रैल, 1969 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 997 में प्रकाशित हुआ था विखण्ति किया गया है।

(दो) राजस्थान खाद्यान्न (सीमा पर लाने-ले जाने पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, 1970 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 5 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 587 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) दक्षिणी राज्य (चावल के निर्यात का विनियमन) संशोधन आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 25 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1228 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) मणिपुर खाद्यान्न (लाना-लेजाना) नियंत्रण (संशोधन), आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 28 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1263 में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) मध्य प्रदेश चावल (लाने-लेजाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 5 सितम्बर 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1290 में प्रकाशित हुआ था।

(छः) जी०एस०आर० 1291 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 5 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश खाद्यान्न (सीमा पर लाने-लेजाने पर प्रतिबन्ध) आदेश, 1959, जो दिनांक 14 अप्रैल, 1959 को अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 450 में प्रकाशित हुआ था, विखण्डित किया गया है।

(सात) रोलरमिल गेहूँ उत्पाद (एक्स-मिल) मूल्य नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1753 में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (सीमा पर लाने-लेजाने पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1861 में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) विलायक निस्सारण तेल, तेलरहित भोजन तथा भोज्य आटा (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 7 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1774 में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी०—4392/70]

भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी (कब्जा) संशोधन नियम 1970

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : मैं भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी (कब्जा) संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1823 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—4393/70**]

नियम समिति
RULE COMMITTEE

कार्यवाही—सारांश

श्री गा० शं० मिश्र (छिन्दवाडा) : मैं नियम समिति की 11 और 18 नवम्बर, 1970 को हुई बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

उपाध्यक्ष के स्वास्थ्य के बारे में
RE : HEALTH OF THE DEPUTY-SPEAKER

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को लोक-सभा के उपाध्यक्ष के स्वास्थ्य के बारे में चिकित्सा सलाहकार, भारतीय उच्चायोग, लन्दन से प्राप्त दिनांक 25 नवम्बर, 1970 के एक टेलीप्रिंटर संदेश की सूचना देता हूं जिसमें कहा गया है कि उनका आप्रेशन किया गया तथा उनकी स्थिति सन्तोषजनक है।

समिति के लिये निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

पशु कल्याण बोर्ड

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं, श्री अन्नासाहेब शिन्दे की ओर से प्रस्ताव करता हूँ :

"कि पशुक्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5 (1) (एक) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष महोदय निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, निर्वाचन की तारीख से आरम्भ होने वाले आगामी कार्य-काल के लिए पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से चार सदस्य चुने।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पशुक्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5 (1) (एक) के अनुसरण

में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष महोदय निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, निर्वाचन की तारीख से आरम्भ होने वाले आगामी कार्य-काल के लिए पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से चार सदस्य चुने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सदन को मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित करता हूँ । आगे, अगर मैं पुनः समवेत होने का समय बताना भूल जाऊं, तो कृपया यह समझ जाए कि हम एक घंटे के बाद पुनः समवेत होंगे ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर तीस मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till thirty minutes Past Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर सैंतीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at thirty-seven minutes Past Fourteen of the Clock.

[**श्री प्रकाशवीर शास्त्री पीठासीन हुए ।**
Shri Prakashvir Shastri *in the Chair.*]

स्थपति विधेयक—जारी

ARCHITECTS BILL—*Contd.*

श्री पीलु मोदी (गोधरा) : यह विधेयक केवल 'स्थपति' नाम को बनाये रखने में ही समर्थ है । इसके अनुसार, देश में जो लोग स्थपतियों की अर्हता रखते हैं । उनको पंजीकरण की अनुमति दी गई है । जो भी व्यक्ति स्थपति पेश करता है, उसको भी स्थपति के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति दी जाती है । मैंने इस विधेयक में कुछ संशोधन पेश किये हैं और चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय इस पर ध्यान दें ।

मुख्य संशोधनों में एक यह है कि देश में स्थपतियों का प्रतिनिधित्व करने वाली व्यावसायिक संस्था का स्थपति के पेशे के साथ सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए । अफ्रीकी देशों तक में स्थपति संस्थान इस व्यवसाय का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है, और इसकी सदस्यता को रजिष्ट्रीकरण की योग्यता मानी जाती है । मगर इस विधेयक में भारतीय स्थपति संस्थान परिषद के अलावा एक अलग निकाय बनाने की व्यवस्था की गई है । अतः मैं चाहता हूँ कि उस अनुसूची के खण्ड दो में जहां अर्हता के बारे में कहा गया है, भारतीय स्थपति संस्थान की सदस्यता भी शामिल की जाए ।

पहले की कई अर्हतायें अब औसत से कम मानी जाती हैं। राज्य सरकारें कई पाठ्यक्रम चलाती थी, जो न संबद्ध व्यवसाय को मान्य था, और न ही केन्द्रीय सरकार अथवा संघ लोक सेवा आयोग को। महाराष्ट्र सरकार ने 1956 में डिप्लोमा शुरू किया और कई छात्रों को 5 वर्ष के अध्ययन के बाद उपाधि मिली। मगर यह डिप्लोमा अपेक्षित स्तर से कम था। इसमें छात्रों का कोई कसूर नहीं है। ये सभी छात्र गत कई वर्षों से स्थापत्य कार्य में लगे हुए हैं। चूंकि ये छात्र विधेयक के एक अन्य उपबन्ध के अन्तर्गत अर्हता प्राप्त हैं अतः मैं चाहता हूं कि अनुसूची (ख) में बताई गई अर्हता में इनकी अर्हता भी शामिल की जाए।

रसूल के सरकारी इन्जीनियरिंग स्कूल जैसी संस्थाओं में जो पाठ्यक्रम प्रचलित हैं उन्हें भी अर्हता में शामिल किया जाना चाहिए।

कला भवन के पाठ्यक्रम में जो लोग विजयी हुए हैं। उनको विधेयक के खण्ड 25 (ख) के अन्तर्गत पंजीकरण कराने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अन्यथा, यह उनके साथ घोर अन्याय होगा। इस पाठ्यक्रम को बहुत पहले से ही एम० एस० विश्वविद्यालय, बड़ौदा के स्थापत्य-स्नातक पाठ्यक्रम में परिवर्तित किया गया है। इन मामलों पर सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनाया जाना चाहिए।

इस प्रकार अन्त में रजिस्टर में लगभग 3,000 से 5,000 तक स्थपतियों और 20,000 से 50,000 तक ओवरसियर, सर्वेयर और इन्जीनियर के लिए अर्हता प्राप्त लोगों के नाम दर्ज होंगे। इसको ध्यान में रखते हुए विशिष्ट योग्यता पर आग्रह करना उचित न होगा।

Shri Hem Raj (Kangra): I would support this Bill. As far as architecture is concerned, in cities we have plenty of multi-storeyed buildings and sey-scrapers. But in rural areas, we need such architects who can design and construct small buildings with comparatively lesser cost in order to meet the growing demand of houses. But as the Bill is here, it seems that so many engineering professionals are included from the purview of the Bill. I want the Minister to clarify whether these people will come within the purview of the Bill according to the new definition. Also I want to know whether the politechnics diploma holders who are being taught architecture for three years, will also be included in this category. There are about fifty thousand engineers and five thousand diploma holders unemployed in the country. They should also be allowed to come within the purview of this Bill. Another point I want to mention is that the council puts heavy weightage on Government servants and institutions, with the result that the voice of real practitioners often goes unheeded. This should be changed and importance should be given to practitioners. Similarly, the election system is indirect, which puts more weightage on nomination. If more importance is given to direct election, the designers and such other people connected with this profession can come there and then only the practical difficulties will come to the level. The dominance of Government employees in the council will lead to corruption and other mal-practices. Hence it is essential that this dominance is done away with.

This Bill does not seek to provide training facilities to the unemployed engineers. The Government should make necessary provisions for that in this Bill. This will ease the problem of unemployment among the architects to a certain extent.

There is an institution of constituting engineers, which is given representation in the Council. But the Government does not recognise the followship certificate issued by this

institution. This followship certificate is issued by an expert's body. I want that this certificate also be included in the schedule which deals with qualification.

Finally, once again I would like to urge the Government that the architects should be given proper training to construct houses at lesser cost in rural sector and thereby solve the housing problem there. Then only this Architects Bill can be said to have achieved its objective.

श्रीमती तारा सप्रे (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : मूल विधेयक का इन्जीनियरिंग संस्थानों ने विरोध किया था । अतः संयुक्त समिति ने उसमें संशोधन किया । वस्तुतः यह विधेयक 'स्थपति' नाम का संरक्षण करने के लिए है, न कि स्थपति का व्यवसाय ।

हमारे देश में स्थपति का काम अधिकांशतः सिविल इन्जीनियर करते हैं । देहाती क्षेत्र में भी आज स्थपति का काम इन्जीनियर करते हैं । कई मामलों में स्थपतियों से परामर्श लेने से मकान के निर्माण की लागत अधिक होती है । अतः इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक का उद्देश्य केवल स्थपति नाम का संरक्षण रखा जाना चाहिए । जो सिविल इन्जीनियर आज इन्जीनियर और स्थपति का काम करते हैं । उन्हें नहीं हटाया जाना चाहिए । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारी संख्या में इन्जीनियर बेरोजगार हैं, उन्हें इस विधेयक द्वारा अपने रोजगार के उपायों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए । उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए ।

मैंने इस विधेयक में दो संशोधन प्रस्तुत किये हैं । पहला संशोधन यह है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिये गये स्थापत्य के डिप्लोमा को मान्यता दी जाये । गत चौदह वर्षों से ये डिप्लोमाधारी लोग काम कर रहे हैं उन्हें पांच वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के लिए मजबूर करना अनुचित है । 2,500 ऐसे डिप्लोमाधारियों के इस विधेयक के कारण कठिनाइयां होंगी । अतः इस सम्बन्ध में मेरा संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिए । दूसरा संशोधन यह है कि अनुसूची से पंक्तियां 34 और 35 हटा दी जायें । कोई कारण नहीं है कि फ्रांक फोइड राइट फाउन्डेशन द्वारा दिये गये प्रमाणपत्र को सरकार स्नातक की उपाधि डिप्लोमा आदि के समकक्ष मान ले । भारतीय स्थपति संस्थान से सरकार कहे कि उन लोगों की सूची प्रस्तुत की जाए जिनके पास ये प्रमाणपत्र हैं । सरकार उन 2,500 डिप्लोमाधारियों की मान्यता को समाप्त करना चाहती है जिन्हें 14 वर्षों का अनुभव प्राप्त है, और एक विदेशी संस्था के प्रमाणपत्र को मान्यता दे रही हैं । आम जनता इसका विरोध करेगी । अतः मैं जानना चाहती हूं कि क्या मंत्री महोदय हमारे डिप्लोमा की मान्यता समाप्त करने पर विचार कर रही हैं ?

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रायगंज) : मैं चाहता हूँ कि स्थापत्य का संरक्षण किया जाये । अगर यह नहीं होता है, तो केवल नाम का संरक्षण करने से क्या लाभ हो सकता है ? जैसे कि कहा गया है कि विधेयक का उद्देश्य केवल स्थपतियों का संरक्षण नहीं । आम लोगों का अयोग्य स्थपतियों से संरक्षण करना भी है । इस उद्देश्य से विधेयक में अर्हता निर्धारित की गई है मेरे विचार से मकानों के निर्माण में भारतीय स्थापत्य बाधा को उचित और वास्तविक स्थान दिया जाना चाहिए । यह एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर विचार किया जाये ।

जैसा कि विधेयक की भूमिका में कहा गया है, औद्योगिक विकास और कई योजनाओं के कार्यान्वयन से देश में मकानों के निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर चल रहे हैं । अतः इस विधेयक को

प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया। मेरे विचार से भारतीय स्थापत्य का विकास किया जाना चाहिए। आज हम विदेशी स्थापत्य पर अधिकाधिक निर्भर होते जा रहे हैं जिससे हमारे सुन्दर शहरों का रूप ही बिगड़ गया है। अतः इस सम्बन्ध में कोई प्रभावशाली कदम उठाया जाना चाहिए ताकि हमारे देशी स्थापत्य का संरक्षण हो सके।

हमारे देश में विभिन्न बाध्य में विभिन्न प्रकार के स्थापत्य का विकास हुआ है। यहां हिन्दू स्थापत्य है, बुद्ध कालीन स्थापत्य है, पठान और मुगल कालीन स्थापत्य है। अंग्रेजों के शासन काल में यहां अंग्रेज स्थापत्य का भी समावेश हुआ था। परन्तु देशी सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद किसी नये स्थापत्य का आविर्भाव और विकास नहीं हुआ है।

मुगल शासन काल में स्थापत्य का बहुत अधिक विकास हुआ था। शाहजहां ने कई भव्य इमारतों का निर्माण कराया जो अपने ढंग की निराली हैं। पंडित नेहरू ने भी कई-कई इमारतों का निर्माण कराया था। मगर इनमें भारतीय स्थापत्य के स्वरूप का कम आभास मिलता है। भारत में पल्लव, चोप्पा, द्रविड़, और नागर स्थापत्य का आविर्भाव और विकास हुआ था। हमें इन स्थापत्य कलाओं का अध्ययन करना चाहिए और इनका संरक्षण करना चाहिए। इस ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : The draft of this Bill was prepared in 1947 and sent to various States for consideration. The Select Committee constituted in 1969 considered its provisions thoroughly.

The Architects were very eager that they may be given a place of honour. It was a proper demand.

There is a provision for Regisration of Architects in this Bill. It will provide them due protection and a place of respect and honour. Though this provision will cause little handship to those young boys who qualify as such from union institutes. They may be required to wait for five years to get themselves registered as per this Bill. I would like the hon. Minister to re-consider the imposition of this time-limit of 5 years for getting registration.

There are a number of refugees who are working as Architects and they had obtained framing from Rasaul College prior to 1947. They have not been included in the schedule. This is grave injustice. They are trained persons and are working as such for more than twenty years, There is no basis for depriving them and Hon. Minister may re-consider it.

There should be some Committee or some Commission to advise on the criteria to be adopted to deal with various representations for inclusion or exclusion from the schedule. The work of Registration is going to be entrusted to a Council to be set up for the purpose. The council should also be authorised to cancel the registration of those already registered.

The Joint Committee has suggested that it is not necessary that the representatives to be nominated by each State Government may be government employees. Government architect or a private archit.ct can represent any State. It would be more appropriate of occupational architects are given representation on this Council. They may be given right to select their representatives and this right should not rest in a State Government.

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : The Art of Architect has developed through ages in our country. But this aspect has been overlooked on this Bill.

This Bill does not recognise the diploma granted by erstwhile Bombay Government

as well as diplomas of Rasaul Institute, Punjab. This Bill creat difficulties for a number of people functioning as Architects. The provision in this regard is not fair to these people. Actually all those persons who are working as such should be recognised.

This Bill empowers the Government to make nominations to the prepared Council. This sight should rest in Government, but there should be some other procedure so that Architects could get proper representation in it. This Art will develop only when the people engaged on this Art have a feeling that they have an opportunity to take part in the development of the Art. This Bill is very good. It should have been brought before the the House much earlier. In case the common points are agreed to and amendments which are meant for the benefit of large number of persons are accepted, this Bill will get unanimons support in the House and the Hon. Minister will be congratulated.

Shri Deven Sen (Asansol) : There are two drawbacks in the Bill which should be removed. Firstly, this Bill creats discrimination between Civil Engineers and Architects, though both undertake same kind of work. This Bill creat hurdle in the employment opportunities for Civil Engineers. Secondly, representatives of Government would be in majority in both the Committees proposed to be set up under this Bill.

There is a "Theory of Planning" as well as theory of construction.

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए।
Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

Planning is the concern of an Architect and construction is the concern of an Engineer. Both are supplementary to each other. So if Government protects one title 'Architects' what will happen to the other *i.e.* Engineer.

There is a provision that only those who have worked for five years as Architects would be entitled for registration as such. But how the Engineers are going to get this opportunity unless they are registered as such. This is clear discrimination.

I do not oppose the Bill as a whole. But what ever deffciencies and Lacunas are there must be removed. There are certain provisions which are not clean. This Bill should be improved.

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : Architect is an artist and this art has an important place in our country. If we are going to provide any protection to Architects through this Bill it does not mean that we are doing it at the cost of Engineers. Engineers and Architects, both have got their own spheres of importance.

But Architects must take into account changed environments of the Society. They must keep in mind modern needs of the country and design such buildings which could be appropriate to the present Society.

Then, before designing buildings, Architects must consult those people who have to live in those buildings. Buildings could be of more utility if such a procedure is adopted.

With the adoption of this Bill there will not be any clash of interest between Architects and Engineers. Moreover if an Engineer obtains diploma in Architect he could get registration.

Organisations of Architects should be consulted with regard to this Bill and necessary changes may be made, if need be.

श्री स० कुन्दु (बालासोर) : हमें यह बताया गया है कि इस विधेयक से स्थपति अपने

व्यवसाय की सुरक्षा नहीं चाहते अपितु वह अपने घर की सुरक्षा चाहते हैं । इस विधेयक के कारण देश के हजारों इंजीनियरों के दिलों में यह डर बैठ गया है इस विधेयक के पास हो जाने पर ऐसे इन्जीनियर जो स्थपति की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेरोजगार हो जायेंगे ।

पंजीकरण करवाने के लिए धारा 34 (2) के अन्तर्गत कुछ अर्हतायें नियत की गई हैं और उसके लिए कुछ विशेष प्रक्रिया नियत की गई है । यहां पर नियुक्ति का प्रश्न विशेष रूप से आया है । ऐसे इंजीनियर जो स्थापत्य कला का कार्य कर रहे हैं, उन्हें यह नियुक्तियां नहीं की गई । इसका स्पष्टीकरण किया जाये जिससे कि इंजीनियरों के मन का भय दूर हो सके ।

विधेयक में व्यवस्था है कि केवल पंजीकृत स्थपतियों को ही नियुक्त किया जायेगा । परंतु स्थापत्य कला की प्रैक्टिस करने वाले इन्जीनियरों के मन से इस भय को दूर करने के विचार से इसके स्थान पर यह उपबन्ध होना चाहिए कि पंजीकृत स्थपतियों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

जहां तक अर्हताओं का सम्बन्ध है, आल इंडिया एसोसिएशन आफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स एण्ड आर्किटेक्ट्स, नई दिल्ली का प्रमाणपत्र तथा कम से कम तीन वर्ष का स्थापत्य कला का व्यावहारिक अनुभव इसके लिए नियत होना चाहिए । स्थापत्य कला में तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव सिविल इंजीनियरों की अर्हता के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें स्थपतियों के रजिस्टर में इसके आधार पर सम्मिलित किया जाना चाहिए । जब तक यह विशेष व्यवस्थायें नहीं की जातीं तब तक इस सम्बन्ध में शंकायें बनी रहेंगी ।

भारतीय स्थपति को देश की आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए । देश को करोड़ों ऐसे मकानों की आवश्यकता है जो टिकाऊ और सस्ते हों परन्तु स्थपतियों और इन्जीनियरों ने इस प्रकार की कोई महत्वपूर्ण योजना कभी तैयार नहीं की । जो इंजीनियर अथवा स्थपति इस दिशा में प्रयत्नशील नहीं, इस देश में उसकी कोई उपयोगिता नहीं ।

इस सम्बन्ध में चीन के प्रयासों की ओर हमें ध्यान देनी चाहिए । बड़े-बड़े शहरों में उन्होंने उन लोगों के लिए, जिनके पास रहने को मकान नहीं, बड़े-बड़े हाल बनाये । इसी प्रकार का प्रयास भारत में भी बड़े-बड़े शहरों में होना चाहिए । इसके लिए निस्सन्देह धन की आवश्यकता है परंतु इसके लिए धन एकत्र किया जा सकता है । बड़े-बड़े नगरों में जिन लोगों के बड़े मकान हैं उन पर विशेष कर लगाकर हम धन एकत्र कर सकते हैं और यह धन गरीब लोगों के लिए मकान बनाने पर खर्च किया जा सकता है ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : This Bill would benefit big cities like Bombay, Calcutta, Chandigarh, Delhi, etc. because our Architects are not going to pay any attention on houses in rural areas.

There are about 58 or 60 persons who had obtained diplomas from Rasaul College. But there is no mention about them in this Bill. They should also be brought under the perview of this Bill. Ignoring of Rasaul is an omission and it must be corrected.

———

पश्चिम बंगाल और आसाम में मछली की कम सप्लाई के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE. SHORTAGE OF FISH SUPPLY IN WEST BENGAL AND ASSAM

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आज चर्चा उठाने का मेरा एक मात्र उद्देश्य माननीय मंत्री श्री शिन्दे से यह आश्वासन प्राप्त करना है कि रायचाक मत्स्य पत्तन पर जिसको कुछ महीने पूर्व मंजूरी दी गई थी कार्य एक महीने के अन्दर आरम्भ कर दिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल और आसाम में मछली 10 से 20 रुपये प्रति किलो की दाम बिक रही है। केन्द्रीय सरकार को इसे एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझना चाहिए। इन दोनों राज्यों की अधिकांश जनता मछली ही खाती है और वे किसी अन्य वस्तु से प्रोटीन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हाल में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कहा है कि यदि एक विशेष आयु में प्रोटीन न खाई जाए तो मनुष्य के मस्तिष्क का विकास नहीं होता। सत्तारूढ़ दल के निहित हितों वे साथ कनिष्ठ संबंध होने के कारण बंगाल में मछली का अकाल उत्पन्न हुआ है। कोरिया में प्रति व्यक्ति की खपत 37 किलो है और चीन में 31 किलो परन्तु भारत में मछली की प्रति व्यक्ति खपत केवल 2.7 किलो है। इसी प्रकार भारत में 50 करोड़ जनता के लिये केवल 14 लाख टन मछली ही पकड़ी जाती है जबकि पेरू में 10,520,300 टन, जापान में 86,69,800 टन तथा रूस में 60,82,100 टन मछली पकड़ी जाती है। इसके लिये केवल केन्द्रीय सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। केवल कलकत्ता को अपनी जनता के लिये 80,960 मीटरी टन मछली है। प्रतिदिन लगभग 6350 मन मछली की आवश्यकता है। इस समय हमारी केवल 40 प्रतिशत की आवश्यकता ही पूरी हो रही है।

अन्तर्राज्यीय जालसाजी के कारण भी बंगाल में मछली के इतने अधिक मूल्य है। मीठे पानी के साधनों तथा आसाम में ब्रह्मपुत्र से भी मछली पकड़ी जा सकती है। इन साधनों का लाभ नहीं उठाया गया है। यही कारण है कि आसाम में एक किलो मछली के लिए एक व्यक्ति को 15 से 20 रुपये देने पड़ते हैं। जिन क्षेत्रों में मछली कम खाई जाती है उन क्षेत्रों से तथा गैर सरकारी साधनों से भी मछली का आयात किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में खपत के लिए भारत सरकार के मत्स्य जहाजों द्वारा पकड़ी जाने वाली मछली का उपयोग किया जा सकता है। तालाब विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मछली का नहीं केवल भ्रष्टाचार का उत्पादन हो रहा है। नदियों से मछली पकड़ने के लिये भी कुछ नहीं किया गया है। इनको साफ कर इनसे मछली का उत्पादन किया जा सकता है। 1963 और बाद में 1964 में राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड द्वारा मत्स्य पत्तन की सिफारिश की गई थी परन्तु केन्द्रीय सचिवालय की लालफीताशाही द्वारा इसको दबा दिया गया और 1967 तक इस योजना का पता नहीं था। इसलिये हम माननीय मंत्री से यह आश्वासन चाहते हैं कि इस बारे में कुछ किया जायेगा।

प्राक्कलन समिति ने इस बारे में और भी प्रतिकूल टिप्पणियां दी हैं। इनसे पता लगता है कि पूर्वी तट की विशेषकर बंगाल के साथ लगने वाले तट की उपेक्षा की गई है।

हमें इस बात की प्रसन्नता है कि वे बम्बई और मद्रास जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले क्षेत्रों को न भूलें। भारत सरकार ने समुद्र से मछली पकाने के कार्य के अधुनिकीकरण के लिये टी० सी० एम० के साथ एक करार किया था। इस करार के आधार पर 1955 में जापान से मछली पकड़ने वाले तीन बड़े जहाज प्राप्त किये गये थे। तीन वर्षों के पश्चात् इन जहाजों ने परेशान करना आरम्भ कर दिया था। ऐसा संभव था क्योंकि ये जहाज पुराने थे और शीत वातावरण में ये कांप गये थे। इनकी मरम्मत पर अधिक लागत आने लगी थी इस कारण दो जहाजों को अब प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। इन जहाजों को प्राप्त करने में पश्चिम बंगाल सरकार का कोई हाथ नहीं था।

केवल पश्चिम बंगाल तट के लिये 305 मतस्य जहाजों की आवश्यकता है। हम जानना चाहते हैं कि इस बारे में सरकार क्या करने जा रही है। मछली पकड़ने का यदि कोई कार्य आरम्भ किया गया तो उसमें बहुत परेशानी होगी क्योंकि पानी का सर्वेक्षण नहीं किया गया है और न ही इस बारे में कोई चार्ट बनाया गया है। इस मूल्यवान सम्पत्ति को जुटाने के लिए सरकार ने सरकारी क्षेत्र में मतस्य निगम बनाने के लिए क्या लक्ष्य तिथि निर्धारित की है? 1965 में केंद्रीय सरकार ने सुन्दरवन तथा बंगाल की खाड़ी में मत्स्य उद्योग के विकास के लिए एक पायलट पैकेज कार्यक्रम पश्चिम बंगाल को प्रस्तुत किया था। परन्तु इस बारे में अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

केन्द्रीय मत्स्य निगम को वसूली, वहन, भण्डार करने, वितरण तथा कलकत्ता के बाजारों में मत्स्य की बिक्री के लिए बनाया गया था ताकि उत्पादकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर मछली उपलब्ध हो सके। परन्तु आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि निगम 10,000 टन प्रतिवर्ष के हिसाब से अपना कार्य आरम्भ करना चाहता है जोकि मांग का 16 प्रतिशत है। यह निगम अभी तक प्रतिदिन 2 टन मछली भी कलकत्ता में लाने में असफल रही है। 1967-68 के अन्त तक इसको कुल 20,37,022 रुपये की हानि हो चुकी थी।

मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के जहाजों द्वारा मद्रास, तूतीकोरीन तथा विशाखापतनम में पकड़ी जाने वाली मछली को क्या आसाम और बंगाल के लोगों के उपभोग के लिये कलकत्ता मत्स्य विपणन निगम द्वारा बाजार में भेजा जायेगा? मेरे विचार में उड़ीसा में इन दो राज्यों से कुछ अधिक मछली उपलब्ध है।

मछली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए वातानुकूलित रेलगाड़ियों की आवश्यकता है। पाकिस्तान से मछली के आयात के लिए सरकार पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत करने के लिए गम्भीर नहीं है। वे पूर्वी पाकिस्तान मे 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मछली बेच रहे हैं।

नामखाना का मामला भी अभी तक लम्बित पड़ा है। वित्तीय वर्ष के अन्त में इसके लिये धन मंजूर किया गया था और यह कार्य पोर्ट कमीशनर को सौंपा गया था दस महीने के पश्चात् उन्होंने कह दिया है कि वह इस कार्य को नहीं कर सकते। अतः इसकी जिम्मेदारी अब राज्य सरकार पर नहीं डाली जा सकती।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : यह एक चिन्ता का विषय है कि मछली की भारी कमी है और मछली खाने वाले लोगों की तुलना मे मछली का उत्पादन नहीं बढ़ा है। केन्द्रीय मत्स्य निगम के प्रयासों के बावजूद मछली की भारी कमी है। हम मछली पकड़ने के आधुनिक तरीके अपनाने में असफल रहे हैं। अनेक साधनों का अभी तक लाभ भी नहीं उठाया गया है।

यद्यपि पश्चिम तट पर इस सम्बन्ध में कुछ विकास हुआ है तथापि पूर्वी तट पर कुछ नहीं किया गया है हलांकि मछली खाने वाली अधिकांश जनता इसी अंचल में रहती है। हाल के सर्वेक्षण से पता लगता है कि उड़ीसा तट पर बहुत अधिक मछलियां हैं और कि मछली उत्पादन के लिये यह तट बहुत उपजाऊ है। 1969 में कुल 30,000 टन मछली पकड़ी गई थी और आशा है कि शीघ्र यह मात्रा बढ़ कर एक लाख टन हो जायेगी। उड़ीसा तट से पकड़ी गई कुल मछली में 65 प्रतिशत मछली अच्छी किस्म की थी। अतः उड़ीसा तट पर पकड़ी जाने वाली समूची मछली का उचित उपयोग किया जा सकता है। इस बारे में सब से बड़ी बाधा यह है कि वहां पर कोई मछली पकड़ने का कोई पत्तन नहीं है।

पारादीप पत्तन में बहुत बड़ी मात्रा में मछली पकड़ी जा सकती है परन्तु इस समय वहां पर इस कार्य के लिए लकड़ी के बने कुछ जहाज ही हैं। पारादीप को मछली पकड़ने की पत्तन बनाने के लिये एक सर्वेक्षण दल द्वारा सिफारिश की गई थी। यह भी सिफारिश की गई थी कि इस प्रयोजनार्थ चौथी पंच वर्षीय योजना में कुछ धन रखा जाए। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

जहां तक चिल्का का सम्बन्ध है यह स्वादिष्ट मछली के लिए प्रसिद्ध है परन्तु अब इसमें रेत आती जा रही है। वहां से रेत निकालने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए और इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समुद्र से वहां पर रेत जमा न हो।

जहां तक पौन तथा फिंगरलिंग्स मछली का सम्बन्ध है इसके लिये रेलवे लाइन के दोनों ओर की दलदल का विकास किया जा सकता है। माताटिल्ला जैसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाते समय दूर दर्शिता से काम नहीं लिया गया। जंगल आदि साफ नहीं किये गये। पानी में अभी तक पेड़ आदि खड़े हैं। अब उनके साफ करने पर बहुत लागत आयेगी।

मछली के लाने ले जाने के लिए वातानुकूलित डिब्बे तथा लारियाँ होनी चाहिए। मछली का भंडार करने के लिए शीतघरों की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। अन्यथा इस समस्या को हल करना कठिन है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह प्राक्कलन समिति के 37,38, 39,40,41 तथा 42 वें प्रतिवेदन पर विचार करें। इन प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। अन्दमान के पानी से भी बहुत अधिक मात्रा में मछली पकड़ी जा सकती। मैंने चीन तथा इंडोनेशिया की नौकाओं को वहां से मछली पकड़ते देखा है, उनको रोका जाना चाहिए।

श्री वेदव्रत बरुआ (कतियाबोर) : पूर्वी क्षेत्र में मछली की कमी से वहां के लोगों के स्वास्थ्य को भारी खतरा है। मछली की कमी हमारी कुछ नीतियों के कारण ही हुई है इस समस्या पर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया है।

इस समस्या के दो पहलू हैं। एक तो राष्ट्रीय पहलू है तथा दूसरा पूर्वी क्षेत्र के लोगों के खाने के सम्बन्ध में है। जलवायु के कारण में समझता हूँ कि पूर्वी क्षेत्र में उस पैमाने पर खाद्यान्न सप्लाई नहीं किया जा सकता जिस पैमाने पर उत्तरी भारत में किया जा सकता है। अन्तर्देशीय साधनों से केवल चार लाख टन मछली पकड़ी जाती है। इसमें भी अधिकांश मछली पश्चिमी तट से पकड़ी जाती है। अतः मछली के निर्यात के लिये किये गये वायदों के कारण पूर्वी क्षेत्र में मछली की कमी अभी बनी रहेगी। समुद्र से मछली पकड़ने की बात पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

यदि पाकिस्तान को कोयला सप्लाई कर वहां से मछली आयात करने के मामले को गम्भीरता से उठाया जाए तो मैं समझता हूं समस्या का कुछ हद तक हल निकल सकता है। रेफरीजरेशन तथा अन्य सुविधाओं के अभाव के कारण देश के अन्य भागों से मछली को आसाम में नहीं ले जाया जा सकता। परन्तु इस संबंध में कुछ कार्यवाही भी नहीं की गई है।

पहले सम्पूर्ण पूर्वी अचंल एक यूनिट था और पाकिस्तान से आसाम और पश्चिम बंगाल में मछली आती थी। अब भी पाकिस्तान में मछली एक रुपया प्रति किलो बिक रही है। परन्तु आसाम में इसका मूल्य 15 से 20 रुपये प्रति किलो है।

इन परिस्थितियों में मछली की सप्लाई बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह ब्रह्मपुत्र घाटी में मछली पालन की सम्भावनाओं पर विचार करे।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने ब्रह्मपुत्र में मछली पकड़ने के लिए किसी प्रकार कोई नौका बनाई है क्योंकि वर्तमान नौकाओं से ब्रह्मपुत्र नदी में मछली नहीं पकड़ी जा सकती। पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को एक दूसरे पर निर्भर करना चाहिए। वर्तमान स्थिति में पश्चिम बंगाल से मछली प्राप्त करना कठिन है अतः आसाम को अपने आन्तरिक साधनों पर ही निर्भर करना होगा। इस बारे में ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से मछली पकड़ी जानी चाहिये। परन्तु इसके लिए न तो अनुसंधान ही किया गया है और न ही आवश्यक उपकरण उपलब्ध किये गये हैं। परिणामस्वरूप आमाम में उपलब्ध व्यापक साधनों का लाभ नहीं उठाया जा रहा है। इस बारे में कोई अनुमान भी नहीं लगाया गया है कि इन साधनों से कितनी मछली पकड़ी जा सकती है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा इस बारे में कुछ नहीं किया गया है।

मछली विकास के लिए हमें न तो बहुत पूंजी, आधुनिक तकनीक अथवा अत्यधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ आधुनिक नौकाओं आदि की ही आवश्यकता है। इसके विकास में ग्रामीण जनता को बहुत लाभ होगा। यह एक ऐसा उद्योग है जिसके आर्थिक विकास को बहुत गुंजायश है।

उपलब्ध साधनों का लाभ उठाने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जाने चाहिए। यह एक अच्छी बात है कि रिजर्व बैंक मत्स्य पालन को कृषि के समान समझेगा। सरकार को मत्स्य पालन की ओर कुछ अधिक ध्यान देना चाहिए।

श्री एस० कन्डप्पन (मैट्टूर) : स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से इस क्षेत्र की पूर्णतया उपेक्षा की गई है। इससे देश में खाद्यान्न के अभाव की समस्या को हल किया जा सकता था। इससे कुपोषण की समस्या भी हल हो सकती थी। प्राक्कलन समिति ने अपने 48 वें प्रतिवेदन में स्पष्टरूप से कहा है कि देश में मत्स्य उद्योग के विकास का अनुमान मत्स्य पत्तनों तथा अन्य उपलब्ध सुविधाओं से ही लगाया जा सकता है। अनेक बड़े पत्तनों में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे अपर्याप्त हैं।

इस परिस्थिति में सरकार यह दावा किस प्रकार कर सकती है कि वह सभी साधनों का लाभ उठाने का प्रयास कर रही है, समिति ने यह भी कहा है कि हिन्द महासागर से मछली पकड़ने का बहुत कम काम किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि साधनों का पूरा लाभ उठाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है। लगभग दस वर्ष पूर्व 25 परिवारों को अन्दमान भेजा गया था ताकि वे वहां के समुद्र में पर्याप्त मात्रा में पाई जाने वाली मछली पकड़ सकें और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। परन्तु कुछ वर्ष पूर्व जब मैं कुछ अन्य संसद् सदस्यों के साथ अन्दमान गये तो उन्होंने कहा कि वे वापिस केरल जाना चाहेंगे। उनकी शिकायत थी कि उनको न तो मछली पकड़ने के जहाज मिले हैं और न ही कोई अन्य सुविधा प्रदान की गई है। यह स्थिति तीन वर्ष पूर्व थी। आज की स्थिति के बारे में मुझे पता नहीं है। यदि यही स्थिति रही तो मैं नहीं जानता कि देश में मत्स्य उद्योग का विकास किस प्रकार हो सकता है।

भारत सरकार देश में जहाजों का निर्माण कार्य में भी असफल रही है। सरकार ने मछली पकड़ने वाले जहाजों का आयात भी नहीं किया है। क्या सरकार देश में अत्यधिक मछली पकड़ने के लिए कुछ उपाय करने पर गम्भीर रूप से विचार कर रही है।

मैं भी इस समिति का सदस्य था और जब मैं इस समिति के साथ दौरे पर गया था तो आधुनिक जहाजों विशेषकर शक्ति चालित जहाजों के बारे में अनेक लोगों से शिकायतें मिली थी। वे पेनयार इंजनों को प्राथमिकता देते हैं। मद्रास में इन इंजनों के निर्माण के लिए जापान की पेनयार कम्पनी से सहयोग करने का प्रस्ताव था। इस प्रयोजन हेतु मद्रास के निकट एन्नौर के निकट 200 एकड़ भूमि भी अर्जित की गई थी। पता नहीं इस कार्यक्रम का क्या बना। सरकार मत्स्य विकास के क्षेत्र में पूर्णतया असफल रही है। देश में खाद्यान्न के अभाव तथा कुपोषण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में गम्भीर रूप से कार्यवाही की जानी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मछली की मांग प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। इसके निर्यात में कोई कठिनाई नहीं है। तटवर्ती राज्यों को छोड़ कर शेष राज्यों में मछली की अधिक खपत नहीं होती है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि देश में मछली की खपत नहीं हो सकती। वास्तव में हम देश में पर्याप्त मछली उपलब्ध करने में असफल रहे हैं। हमें अपने समुद्र से बड़ी मात्रा में मछली पकड़ने के लिए एक व्यापक योजना बनानी चाहिए।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : बंगाल और आसाम में मछली की कम सप्लाई सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य को मैं बधाई देता हूँ। इस बात पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आसाम में किस प्रकार मत्स्य उद्योग का विकास किया जा सकता है। आसाम में धान का मूल्य 14 अथवा 15 रुपये प्रतिमन है परन्तु मछली 14 रुपये प्रति किलो

बिक रही है। कलकत्ता अथवा उड़ीसा में स्थिति इतनी खराब नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी में मछली पकड़ने के लिए एक विशेष जहाज बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा 80,000 रुपये मंजूर किये गये थे। तीन अथवा चार वर्ष हो गये हैं परन्तु अभी तक कोई जहाज नहीं बना है। यदि सरकार ने इस समस्या का गम्भीर रूप से अध्ययन किया होता तो आसाम को इतनी अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। मेरा अनुरोध है कि ब्रह्मपुत्र के गहरे पानी में मछली पकड़ने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाये।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : भोजन में 'प्रोट्रीन' की कमी को देखते हुए भी हम प्रोटीन के स्रोत मछली के महत्व पर ध्यान नहीं देते, जबकि हमारे तीन ओर समुद्र है फिर भी हम मत्स्य पालन का अपेक्षित विकास नहीं कर पाये हैं। इस समय मछली सप्लाई की बहुत कमी है क्योंकि वह देश का वह अधिकांश भाग जहां मछली पैदा होती है पाकिस्तान चला गया है। मछली से विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है और विदेशों में हमारी बढ़िया मछलियों की बहुत मांग है। परन्तु अपने देश में बंगाल के लोगों की ही मांग पूरी नहीं होती इसके निर्यात करने की तो बात ही अलग है। सरकार ने गत 20 वर्षों से इस दिशा में कुछ नहीं किया है। अतः अब समय आ गया है कि सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया जाए।

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : Two kinds of first are consumed in our country-sea fish and sweet water fish. Fish are found in abundance in Indian Sea ; and seas along our coasts are very rich in fish and even Europeans come here for fishing but we have not been able to catch fish from the sea, even though we have got technological know how. Most of our States like Gujarat, are vegetarions and they do not use their seas for fishing and they do not take interest in the development of fishing industry. In case we can build traulers or import them we can very well catch fish. We have no adequate means of transportation of fish no that the fish may not be decomposed due to exposture.

Sweet water fish is rather in great demand in our country and people ralish it more than that which are found in seas. We have two means of breeding sweet water fish the first is catching small first from flooded rivers in the rainy season. But at present this type of fish are being reared only in two rivers—Gomti and Jamna. Government should see that this work is undertaken in all rivers on a large scale.

The second technique in extracting hormones from the dead fish. These hormones can be given to line fish which become pregnent and long eggs. But this technique has not been used so far.

Government should run this fishing industry on a very large scale which will not only earn foreign exchange but also would meet the demand of fish eating parts of our country. The technique and resources available with us should be utilised fully.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : पता चला है कि हमारी मछली निर्यात का 90 प्रतिशत पश्चिम तट और कोचीन की बन्दरगाह से होता है। मछली का निर्यात इसी क्षेत्र से होता है। यदि उड़ीसा तट पर मत्स्य पालन की सम्भावनाओं का विकास किया जाए तो कलकत्ता की सम्पूर्ण आवश्यकता पूरी की जा सकती है और हम अपनी आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उपरान्त मछलियों का निर्यात भी कर सकते हैं। परन्तु इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। हमारी योजना बनाने वालों ने इस मामले में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया

है। जब हमारे परम्परागत निर्यात में कमी हो रही हैं तो काजू और मछली जैसे गैर-परम्परागत मदों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। चांदवली पारादीप, स्वर्णरेखा मुहाने में घिरमनियां मत्स्य बन्दरगाह परियोजनाओं और अदुआ में अभी तक कार्य आरम्भ ही नहीं हुआ है। इस बारे में कुछ ठोस कार्य किया जाना चाहिए और मंत्री महोदय स्पष्टरूप से उत्तर दें कि इस संबंध में कार्य किया जायेगा।

श्री सरदार अमजद अली (बशीरहट) : देश के विभाजन से पहले पूर्वी क्षेत्र में मछली सप्लाई स्रोत पाकिस्तान था विभाजन के उपरान्त यह स्रोत बन्द हो गया है। अन्य कारण भी हैं, जैसे मत्स्य पालन विकास के लिए सुविधाओं की कमी, बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने की सम्भावनाओं का उपयोग न करना, और धन के अभाव के कारण मत्स्यपालन परियोजनाओं को कार्यान्वित न करना, जिनके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल में मछलियों के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गये हैं। संयुक्त मोर्चा सरकार के समय में जब मत्स्यपालन विभाग मार्क्सवादी साम्यवादी दल के हाथों में था, तो तालाबों में मत्स्यपालन का कार्य उपयुक्त नहीं समझा गया जब कि यह कार्य मंत्रालय का सम्बद्ध विभाग बड़ी सरलता से कर सकता था। अतः सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तालाबों में मत्स्यपालन का कार्य बहुत शीघ्रता से आरम्भ किया जाएगा तथा अन्य जो परियोजनाएं पश्चिम बंगाल सरकार के हाथों में हैं, उनके लिए पर्याप्त धन दिया जाएगा।

Shri Shinkre (Panjim) : It has been repeatedly said that although our sea coast is very long and there can be fishing on a very large scale in the Indian sea but become of heavy moansoon there we have not been able to find enough fish to meet the requirements of the people. Moreover canning industry is not given encouragement and facilities.

There is a Bangra kind of fish in Goa which is very cheap in the season ; but since there are no proper and adequate canning arrangement for their preservation this kind of fish is used as fertilizers. In order to preserve this first, which is available in abundance and which can meet the demands of the people, canning industry must be developed in the country.

श्री समर गुह (कण्टाई) : पश्चिम बंगाल में मछलियों की खपत का केवल 16 प्रतिशत मछलिया ही पैदा होती हैं और वहां 84 प्रतिशत की कमी है। गत 20 वर्षों में इस सरकार ने पश्चिम बंगाल में मत्स्य उत्पादन के विकास की गम्भीर रूप से उपेक्षा की है। 24 परगाना में 110 मत्स्यपालन केंद्रों को लूटा गया है। कलकत्ता में प्रतिदिन 10,000 टन मछलियों की आवश्यकता है जबकि केवल 3500 टन मछलियां प्रतिदिन उपलब्ध होती हैं जिसमें 40 प्रतिशत केवल 24 परगाना से सप्लाई की जाती हैं। 24 परगाना में मछलियों को लूटने से मछलियों के मूल्य बढ़ गये हैं। 1946 से 1956 तक कलकत्ता में 240 करोड़ रुपये की मछलियां बाहर से मंगाई गई है क्योंकि पश्चिम बंगाल में मत्स्यपालन विभाग नष्ट कर दिया गया है।

पश्चिम बंगाल में खाद्य की केवल 11 प्रतिशत की कमी है और यदि सरकार थोड़ा सा अधिक प्रयत्न करे तो यह कमी मछलियों का अधिक उत्पादन करने से पूरी हो सकती है क्योंकि वहां कई प्रकार से मछलियों का उत्पादन किया जा सकता है।

अतः मंत्री महोदय स्वयं पश्चिम बंगाल जाकर सर्वेक्षण कर सकते हैं और वहां मछली का उत्पादन बढ़ाने की सम्भावना का भी पता लगा सकते हैं।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : If Government make efforts in a bit careful manner for increasing the supply of fish through natural reservoirs, tank fishers and riverine fisheries, the production of fish can be increased to the desired extent. But Government have not paid any attention in this connection.

The fishing industry at present is not fully modernised and mechanised. There is shortage of traulers and motor-boats. Since the Government has ignored the need of these equipments, the production of fish has not increased Government should give assistance so as to run this industry on cooperative basis. There should be provisions in the fourth five year plan to run this fishing industry on cooperative basis so that fish production may be increased. Nationalised Banks should give loan on low rate of interest for the development of the fishing industry and for running the industry on cooperative basis. It is necessary to bring about price stability in the industry and there should be strict price control.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : मत्स्यपालन समस्या के बारे में पूरी आशा थी कि इस मामले को राजनीतिक आधार पर नहीं उठाया जायेगा परन्तु खेद की बात है कि इस मामले में भी कई राजनीतिक बातें मिलाने का प्रयास किया गया है। यह मामला न केवल बंगाल तथा आसाम के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण है अपितु सम्पूर्ण तटवर्ती क्षेत्र की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। परन्तु यह मामला वस्तुतः कुछ एतिहासिक कारणों से पश्चिम बंगाल तथा कलकत्ता में अधिक महत्वपूर्ण हैं। देश के विभाजन से पूर्व कलकत्ता में मछलियां पूर्वी बंगाल के क्षेत्रों से आती थीं। जो अब पाकिस्तान में चला गया है। और 1964 तक मछलियां पाकिस्तान से आती रहीं परन्तु 1965 के भारत-पाक युद्ध से पाकिस्तान से मछलियों की सप्लाई बन्द हो गई है।

युद्ध बन्द होने के पश्चात कुछ माननीय सदस्यों ने आवाज उठाई कि पाकिस्तान के साथ कम से कम मछली व्यापार के क्षेत्र में व्यापार सम्बन्ध बनाये रखने का सरकार को प्रयास करना चाहिए। कुछ सदस्यों का तो यह भी सुझाव था कि पाकिस्तान को मछलियों के विनिमय में कोयला देना चाहिए। इस बारे हम पाकिस्तान सरकार के साथ इस बारे में बातचीत कर रहे हैं ताकि कम से कम मछली व्यापार के क्षेत्र में तो व्यापार सम्बन्ध सामान्य हो जायें।

जहां तक पश्चिम बंगाल तथा कलकत्ता और आसाम का सम्बन्ध है, इन क्षेत्रों की जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए भूमि क्षेत्र में मत्स्यपालन एक महत्वपूर्ण विषय है। परन्तु यह सर्वविदित है कि संविधानिक दृष्टि से भूमि क्षेत्र में मत्स्यपालन राज्य का विषय है और राज्य सरकार को स्वाभाविक रूप से मत्स्यपालन के विकास तथा संगठन के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है केन्द्र तो इस कार्य के लिये केवल वित्तीय सहायता दे सकता है और केन्द्र देश में समस्त मत्स्यपालन, विभागों को समान रूप से सहायता देता रहा है। परन्तु उस सहायता का सदुपयोग नहीं किया गया।

श्री स० कुण्डू : यह गलत है कि सब राज्यों को समान रूप से सहायता दी गई है।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में ठीक ही बताया गया है कि पूर्वी तटीय क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है।

श्री स० कुण्डू : कोचीन बन्दरगाह से 30 करोड़ मछलियों का निर्यात होता है । कोचीन बन्दरगाह ही केवल एकमात्र ऐसा स्थान नहीं है जहां मछलियों का विकास किया जा सकता हो ।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : केन्द्रीय मत्स्यपालन बोर्ड ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मत्स्यपालन का विकास न होने के कारणों को जानने के लिए गहराई अध्ययन की सिफारिश की है । क्योंकि तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों ने इस क्षेत्र में यथेष्ट विकास किया है । आश्चर्य की बात है कि केरल जैसे राज्य ने मत्स्यपालन के लिए अपने बजट में से 4 प्रतिशत खर्च की व्यवस्था की है जबकि पश्चिम बंगाल में केवल 1 प्रतिशत की व्यवस्था की गई है और वह भी केन्द्र के प्रभाव से ।

केन्द्रीय सरकार देश में मत्स्यपालन के विकास के महत्व को मानती है जिससे कि पश्चिम बंगाल तथा आसाम के लोगों को मछलियां सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो सकें । इसी कारण तीसरी योजना में सरकार ने मत्स्यपालन के विकास के लिए 28 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । और चौथी योजना में 84 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । यह मानते हुए भी कि मत्स्यपालन राज्य की जिम्मेदारी है केन्द्र ने सुन्दरबन के विकास के लिए विशेष कार्यवाही की है और इसे केन्द्रीय परियोजना के रूप में माना है । इस परियोजना पर आगामी चार वर्षों में केन्द्र लगभग 50 लाख रुपया खर्च करेगा ।

कलकत्ता और उड़ीसा के लोगों को चिल्का मछली उपलब्ध कराने के लिये कुछ सदस्यों ने चिल्का झील का विकास करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है । हमारे देश में केवल 7 रेफ्रिजेरेटर गाड़ियां हैं जिनमें से 4 तो हमने चिल्का मत्स्यपालन विभाग को दी हैं जिससे कि वहां से मछलियां कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के बाजारों में भेजी जा सकें ।

जहां तक रामचौक बन्दरगाह का सम्बन्ध है एक या दो महीने के अन्दर इस अन्तिम की मंजूरी प्राप्त होने की आशा है और वहां कार्य भी आरम्भ करना सम्भव हो जायेगा ।

यह कहना उपयुक्त नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में भूमि क्षेत्र में मछली के उत्पादन में कुछ वृद्धि नहीं हुई है । गत 10-15 वर्षों में लगभग 80-90 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, परन्तु यदि कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधर जाती तो सरकार ऋण और केन्द्रीय सहायता के रूप में सहायता देने के लिए तैयार है । यदि पश्चिम बंगाल सरकार मत्स्य-पालन की अपनी योजना का विस्तार करना चाहती है तो इसपर विचार किया जा सकता है कि राज्य को केन्द्र से किस प्रकार सहायता दी जाये ।

आसाम के संबंध में ब्रह्मपुत्र के विकास के प्रश्न पर आसाम सरकार को अवश्य ही कुछ कार्यवाही करनी चाहिए, इसके उपरांत ही केन्द्र आसाम की सहायता करने में अपनी भूमिका निभा सकता है ।

दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE: DEMAND FOR STATEHOOD FOR DELHI

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): All political parties are demanding unanimously for giving Statehood for Delhi. But it is very unfortunate that the demand is not

being accepted to by the Central Government. After 1952, set up of Delhi has been changed three times. In 1952, there was an Assembly of Part (C) State in Delhi. In 1958 Assembly was abolished and Municipal Corporation was set up. In 1967, Metropolitan Council came into existence. Now it is anticipated that Delhi will be re-setup according to the recommendation made by Administrative Reforms Commission. I request that Delhi may not be put up for experiment any more an Statehood should be given to it. Government say that there is no such precedent. It is is also being said that two Governments can not run at one place simultaneously. If Goverment insist for precedence, they know that Ottawa, Capital of Canada, has got Assembly. Moreover, in view of the housing problem, water problem and non-availability of other facilities, Delhi was given Assembly in 1952 by Shri Nehru. So it is not proper to say that there is no precedent. The hon. Minister says there should be only one Government in Delhi. May I know what progress has been made by the Government except creating multiple authorities which have become a home for red-tapism. If teachers want to ask something about their pay scales they have to approach corporation. Then the matter will cover the route of Metropolitan Council, Lt. Governor, Education Ministry, Finance Ministry, Prime Minister, Home Ministry and then it will be decided. I want to make appeal to the Government that if they really intend to remove the difficulties of Delhi citizens, Statehood should be given to Delhi.

It is said that after giving Statehood to Delhi, what will happen if difference of opinion arise ? Delhi Assembly existed for five years. But no difference of opinion was there.

Government says that there should be only one Government. But if the recommendation of Administrative Reforms Commission is accepted, there will be diarchey. The A. R. C. has recommended that the budget of transferred subjects, its legislation should be prepared in the Metropolitan Council and be passed in Parliament. May I know what is the necessity of putting the budget before Parliament when it is to be passed by the Parliament without alterations ? Why there should be diarchy system. On one hand they say that they are reducing Multiplicity of Authorities and on the other hand the recommendation of the commission is being accepted, the implementation of which creat at least two or three statutory bodies and other Authorities.

Right of enacting legislation has been given to Parliament. But the Parliament is already overburdened by the numerous problems of India. There are 12 Bills which are under consideration since 1967. When Government has no time to consider those Bills, will it not be proper to give Legislation rights to the Assembly ?

If we go on merits, when Manipur, Tripura and Himachal Pradesh, which are having less population and revenue, can be given statehood, how it can be denied to Delhi ? The Population of Nagaland, Himachal Pradesh, Manipur, Tripura and Delhi is 4.33 lakhs, 35.25 lakhs, 11.20 lakhs, 15.13 lakhs and 42 41 lakhs respectively. Similarly the revenue of Tripura, Himachal Pradesh, Manipur and Delhi for the year 1969-70 is 1 crore 74 lakhs, 17 crores 98 lakhs, 1 crore 81 lakhs and 42.87 crores respectively. Besides, annual revenue of Income Tax and excise duty in Delhi is 60 crores. Delhi, which has got much population, revenue, financial viability, literate people, should be given full fledged statehood.

Administrative Reforms Commission had recommended that Statehood should not be given to Himachal Pradesh. But the recommendation was thrown to winds and Statehood was given to Himachal. But when we put forward our demand for statehood for Delhi, Government rejects it and comes forward with the recommendation of the A. R. C. The policy of double standard should not be adopted and step motherly treatment should not be meted out to Delhi. Full Statehood should be given to Delhi.

Election for Municipal Corporation of Delhi will be held on 7th March, 1971. The hon. Minister announced in the Rajya Sabha that it will be decided after the elections of the corporation whether it will exist or not. I know that the statement is politically motivated.

After the elections, if Jana Sangh comes into power, corporation will be abolished and if Congress (R) comes into power it will remain. This political game can not be allowed. Decision must be made before elections are held.

The Chief Executive Councillor is a nominated person. He has got no power to appoint or to transfer even a peon. He is not responsible for Metropolitan Council. The Metropolitan Council has got no power to pass the Budget. Besides, multiplicity of Authorities have created much confusion to the citizen of Delhi and he does not know as to whom he should contact in a certain matter. So, I want that Metropolitan Council should be given financial powers. This is non-controversial matter that Delhi should have a full-fledged Assembly. If Government feels that in Delhi there are embassies and Central Government's offices and they should be kept separate. Government can keep some area of about two to three lakhs persons under her own control and rest of the area of Delhi can be given statehood. If this is not acceptable to the Government, they can maintain some privileges, have their reservations but power of making legislation, appointment and other powers can be given to Delhi Assembly. I am sure that the hon. Minister will do justice to us. If Government do not accept our demand, we will have to launch agitation to compel the Government to accept the demand for Statehood for Delhi.

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। माननीय सदस्य ने दिल्ली की तुलना त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश तथा मनीपुर से की है। परन्तु माननीय सदस्य की धारणा निर्मूल तथा असंगत है। दिल्ली अपने ही किस्म की राजधानी है और इसकी किसी अन्य राजधानी से तुलना नहीं की जा सकती। मेरा विश्वास है कि केन्द्र सरकार मजबूत होनी चाहिये अन्यथा देश राष्ट्रीय तथा राजनीतिक अनुरूपता खो बैठेगा। यदि दिल्ली का अपना विधान बन गया तो कानून तथा अव्यवस्था की स्थिति राज्य का विषय बन जाएगी। इसके और भी कई दुष्परिणाम होंगे। राजनीतिक दल साम्प्रदायिक दंगे फैलायेंगे और सरकार केवल उसको देखती रहेगी और कोई भी कार्रवाई करने के लिए असमर्थ रहेगी।

माननीय सदस्य ने कहा है कि दिल्ली के 4 लाख लोग दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग का समर्थन करते हैं। परन्तु मुझे इस बारे में संदेह है। मेरे विचार में यह मांग राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है। मैं जानता हूं कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद सत्ता लोलुप राजनीतिज्ञों मंत्रियों उपमंत्रियों को नौकरियां मिलेंगी। सम्भवतः कुछ अधिकारी भी मांग का समर्थन करेंगे क्योंकि इससे उनको अधिक और अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं। यदि दिल्ली को राज्य का दर्जा दे दिया गया तो बजट में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी और दिल्ली निवासियों को अधिक कर देना पड़ेगा।

दिल्ली नगर निगम को जितने अधिकार दिये गये हैं उतने संभवतः देश के किसी भी निगम को नहीं दिये गये। दिल्ली नगर निगम का प्रशासन ढीला और खर्चीला है और इसमें आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं। यही नहीं, यह प्रशासन ऋण में डूबा हुआ है और सबसे बड़ी बुराई यह है कि इसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है। दिल्ली नगर निगम को विधान सभा में बदलने से भी ये बुराईयां दूर नहीं हो सकती बल्कि इससे तो निगम का और भी भद्दा चित्र सामने आएगा। माननीय सदस्य का यह कथन संगत है कि दिल्ली में प्राधिकरणों की बहुतायत है। दिल्ली का नागरिक यह जानने में असमर्थ है कि उसे अमुक मामले में कौन से कार्यालय जाना है और किस अधिकारी से मिलना है। यदि वह सम्बद्ध अधिकारी को मिलता भी है तो भी बिना रिश्वत दिए कोई काम हो ही नहीं सकता।

श्री कंवरलाल गुप्त : क्या माननीय सदस्य को पता भी है कि दिल्ली नगर निगम का कार्यालय कहां स्थित है ? क्या माननीय सदस्य दिल्ली के बारे में कुछ जानते हैं ?

श्री फ्रेंक एन्थनी : क्या माननीय सदस्य समझते हैं कि दिल्ली को जानने के लिये हमें दिल्ली के चोरदरवाजे खटखटाने पड़ेंगे ? दिल्ली के चोरदरवाजों में रहने वाले अपने बचाव के लिये मेरे पास आते हैं ।

दिल्ली भारत के मिश्रित स्वरूप का प्रतीक है । दिल्ली एक ऐसी राजधानी है जिसमें विभिन्न विचारों और विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं । दुर्भाग्यवश यदि दिल्ली में क्षेत्रीय और रूढ़िवादी सरकार सत्तारूढ़ हो जाती है तो दिल्ली में धर्मनिरपेक्ष का मूल अभिप्राय ही समाप्त हो जाएगा । माननीयप्रधान मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस मांग को स्वीकार न करे क्योंकि इसको स्वीकार करने से देश में फूट डालने वाले तत्वों को प्रेरणा मिलेगी और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के प्रतिरूप पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Mr. Chairman, Sir, kindly give protection to Shri Kanwar Lal Gupta. He is all alone.

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : I am here to protest him. Shri Gupta, pleaded the case of Assembly for Delhi. But it is his party who opposed this demand in 1967. The Assembly for Delhi was abolished when Congress was in power. It was done because Delhi is the Capital of the country and there cannot be another capitals within one capital.

What is happening in Delhi is being well observed by us. Whatever progress is there, it is simply because of NDMC and DDA. Since the Jana Sangh came into power in the Delhi Municipal Corporation and Metropolitan Council, the Central Government has given financial assistance to Delhi on a scale, which it has never given before. But we fully know how things are going in Delhi. What happened during the last days ? The Sales tax was raised eight times. But after obtaining some funds for the party, it was again reduced. A good number of complaints are being rece ved about the procedure adopted for issue of Cinema Licenses. The C.B.I. is fed up with the mounting cases of enquiry before it.

The ma¦ority population of Delhi is that of Government employees. The entire responsibility of Delhi's development is that of Central Government. The foreign offices in Delhi all come under Central Government.

So in view of special set up of Delhi, I strongly feel that there is no need of even a Metropolitan Council in Delhi, what to speak of an Assembly. Delhi should have only a Corporation to attend to its civil matters.

श्री एस० कन्डप्पन (मैट्टूर) : यह बहुत ही दिलचस्प बात है कि जनसंघ के सदस्यों ने भारत, के पहले से ही बहुत अधिक राज्यों में, एक अन्य राज्य को जोड़ने की माँग की है और उसकी और मैं, सदा ही विकेन्द्रीयकरण का समर्थन करता रहा हूं आज श्री गुप्त की मांग का विरोध कर रहा हूं । श्री गुप्त ने अपने वक्तव्य के अंत में धमकी दी कि यदि सरकार ने यह मांग स्वीकार न की तो सत्याग्रह आरम्भ हो जायेगा ।

श्री गुप्त ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग के समर्थन में जो तर्क प्रस्तुत किये हैं, मैंने उन्हें बड़े ध्यानपूर्वक सुना है । मेरा यह विचार है कि यदि जनसंघ की किसी

विधान सभा के कार्यभार को चलाने का कोई सुअवसर प्राप्त हुआ होता, तो सम्भवत: जो उन्होंने दिन प्रतिदिन के कार्यों में देर होने का तर्क प्रस्तुत किया है, वह न करते। जिस प्रकार की कठिनाईयों का उल्लेख उन्होंने किया है, उस प्रकार की कठिनाईयां आये दिन सभी छोटे बड़े राज्यों के समक्ष आती रहती हैं। इस का कारण यही है कि सरकारी कार्यों में पुनरावृत्ति बहुत अधिक होती है वहां की प्रक्रिया विस्तृत होती है इसे समाप्त करने के लिये कुछ अन्य व्यवस्था की जा सकती है परन्तु इसके लिये एक अलग राज्य की स्थापना करने का भला क्या औचित्य है ? दूसरा तर्क यह था कि दिल्ली के पददलित तथा उपेक्षित लोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिये दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिये। परन्तु मेरा यह विश्वास है कि इस कार्य को महानगर परिषद्, केन्द्र या अन्य किसी ऐसी संस्था द्वारा भी किया जा सकता है। इसके लिये राज्य के दर्जे का होना किसी प्रकार से अनिवार्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त, श्री एन्थनी ने जो तर्क दिया है, उसका भी अपना महत्व है। मैं इस संन्दर्भ में केवल यही कहना चाहता हूँ कि श्री गुप्त को यह मालूम होना चाहिये कि दिल्ली को उसके विशेष महत्व के कारण, उसे केन्द्र द्वारा कई सुविधायें दी जाती हैं। यह देश के अन्य भागों की अपेक्षा काफी विकसित है।

दिल्ली का यह विकास कैसे हुआ ? इसका कारण यह नहीं है कि दिल्ली के लोग अधिक परिश्रमी हैं या विकास कार्य करने के लिए उनके पास अधिक आर्थिक साधन हैं अपितु इसका कारण यह है कि दिल्ली देश की राजधानी है। अत: मेरे मित्र श्री गुप्त तथा उनके अन्य साथियों को इस तथ्य से आंखें नहीं मूंदनी चाहिये। मैं यह समझता हूं कि अन्य क्षेत्रों से जो लोग दिल्ली में आते हैं उन्हें यहां आकर यह अनुभव होना चाहिये कि वह भी इस महान देश की महान नगरी का एक अभिन्न अंग है, यह उन्हीं की धरती है। वह दिल्ली में अजनबियों की तरह न रहे। परंतु यह खेद की बात है कि दिल्ली का वातावरण इसके अनुकूल नहीं है। ऐसा वातावरण बनाना अधिक महत्वपर्ण है।

तथ्य तो यह है कि यदि दिल्ली के ढांचे में कोई परिवर्तन करना है तो केन्द्र को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि दिल्ली के सर्वदेशीय महत्व को बनाया जा सके। मुझे भय है कि सरकार भी जनसंघ के हिन्दी अन्दोलन को दबाने में असमर्थ रही है। आज मेरी तरह जो लोग गत 8 या 9 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं, वे भी अपने बिजली तथा पानी आदि के बिलों के बारे में नगरीय अधिकारियों से बातचीत करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि बिल की भाषा उन्हें समझ नहीं आती और सम्बद्ध कार्यालयों के कर्मचारी अंग्रेजी में बात करने से इन्कार कर देते हैं। यदि संसद सदस्यों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है तो पता नहीं इस राष्ट्र का क्या होगा। मैं जनसंघ को चेतावनी देना चाहता हूँ कि उन्हें नगरीय कठिनाईयों के प्रति जागरूक होना चाहिए। यदि जनसंघ इस ओर कोई ध्यान नहीं देता तो यह केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य होगा कि वह इस ओर ध्यान दे। ये कठिनाईयां दूर की जानी चाहिये, अन्यथा इसके बड़े घातक परिणाम हो सकते हैं। मैं सरकार तथा जनसंघ दोनों से निवेदन करता हूं कि उन्हें इस तथ्य को समझना चाहिये। यह बहुत अच्छा होगा यदि जनसंघ अपने प्रयत्नों द्वारा दिल्ली नगर के सर्वदेशीय आधार को सुदृढ़ करे और यदि वह ऐसा करेगा तो मुझे विश्वास है कि मेरे जैसे लोग भी उसकी सहायता करने लगेंगे।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Mr. Chairman. Sir, the Communist Party has always supported the demand for Statehood not only to Delhi but many other parts of the country. Even at the time of reorganisation of States on linguistic basis, my party extended its full support to it. From 1952 to 19*6, when Delhi was a Part "C" State and the people of Delhi wanted Statehood for Delhi, it was Jana Sangh which strongly opposed that demand on the plea that it will prove just a white elephant. Even at the time of reorganisation of States on linguistic basis, Jana Sangh opposed it everywhere. But after the General Election of 1967, when Jana Sangh came into power in Delhi, there appears to be a change in its attitude. ..

Now the same party has come forward with the demand of a Statehood for Delhi. It appears to be a political stunt. As a matter of fact the history of last four years of Jana Sangh rule in Delhi is full of instances of misdeeds and failures, Under the administration taxes have been increased, poor slum dwellers have been thrown out of their Jhuggies, transport services have been deteriorated, the corruption has increased and the moneys sanctioned for development purposes have been misused and so on. But now, in order to divert the attention of the people from their misdeeds and failures, Jana Sangh has raised the demand for Statehood for Delhi.

In the end I would request the Central Government that it should not only reject the demand of a Statehood for Delhi but it should also see that the people of Delhi get proper civil amenities, good transport service, better housing facilities and adequate water supply. The misdeeds of Jana Sangh must be inquired into. If the people of Delhi are really interested in Statehood, they will get it through their own struggle.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Chairman, Sir. today's debate is with me, and I have chalked out a good formula through which the desire of Shri Gupta can be fulfilled and Government can also save its prestige. Sir, Delhi is just a child and I strongly plead that it should be given to its just parents. Delhi has been a part of Haryana from the times of Mahabharata to 1911. The present Rohtak District was just a tehsil of Delhi district. I am not speaking in the air. It is a historical fact. Besides Delhi, Western UP and a part of Rajasthan also formed parts of Haryana. These areas were taken away because the brave people of Haryana took part in 1857 War of Independence. One portion given to Punjab has been made to the present State of Haryana. Similarly, Delhi Western UP and the part of Rajasthan which belongs to Haryana should be merged with Haryana. In view of the international position of Delhi, the NDMC area and some more area of Delhi, which the Central Government deems fit, may be kept under Centre's control. The rest of old Delhi should go to Haryana. Thus it will merge with a full State.

I hope Mr. Gupta will agree with me and Government will also consider my proposal.

Shri Janeswar Misra (Phulpur) : Mr. Chairman, Sir, first of all I would like to say that if there is corruption, if there is communalism and if the teachers are not paid their salaries, these problems are not confined to Delhi only, but these are all India problems. It is a historical fact that Delhi has never been governed by the custodians of Delhi. If at one time it was governed by the people who came from Khaibar Pass, the other time it was governed by the people coming from Allahabad. Thus the result has been that Delhi has since been governed by the outsiders, and the poor people of Delhi kept quiet.

Therefore, Sir, if the people of Delhi are to be given their due, a democratic form of Government and administration must be given to them. I am not saying so because of Mr. Gupta but it is what the facts speak. It is said that the people of the whole world will come to Delhi, so it is necessary to beautify Delhi. That is why a fountain costing Rs. 27 lacks has been installed in Connaught Place, to impress the foreigners. But what impression these people will get when along with that fountain they will find a poor

chap with torn clothes selling "Channas." Will these foreigners not observe the poor Rickshapuller in Old Delhi ?

If the demand of Statehood for Delhi is opposed by Mr. Anthony, I am not surprised because, he is not a man of the masses. He was nominated by this Government and he must pay its price to Government. But I am at a loss to understand why Chaudhry Randhir Singh should forget that whether it is a demand of Shri Kanwar Lal Gupta or anybody else, the Government should ascertain the wishes of the people through a plebiscite on the demand for Statehood. If the majority of people support the demand, the Government should grant Statehood to Delhi.

श्री के० एम० अब्राहम (कोट्टयम) : मैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग का समर्थन करता हूं। इस मांग का समर्थन करते हुए, मैं केवल पिछले दस वर्षों से चल रही अपने दल की नीति का समर्थन ही कर रहा हूँ। लोगों ने जहां कहीं भी एक अलग राज्य की मांग की, साम्यवादी दल ने सदा ही उसका समर्थन किया है। यही नहीं जब जनसंघ या अन्य दल भाषाई राज्यों का विरोध करते थे, उस समय भी हमने अलग राज्यों की माँग का समर्थन किया था। अतः हमें दिल्ली के लोगों की राजनीतिक इच्छाओं का स्वागत करना चाहिए। हमें इस ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए कि आज कल महानगरपालिका में जनसंघ का राज्य है या किसी अन्य राजनीतिक दल का दिल्ली को राज्य का दर्जा न देने के लिए यहां अधिक अत्याचार का जो तर्क दिया गया है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। क्या आप यह कह सकते हैं कि आज जहां राज्य तथा केन्द्रीय सरकारें हैं, वहां भ्रष्टाचार नहीं है ? भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद तो आज सभी जगह है फिर भला दिल्ली को राज्य का दर्जा देते समय भ्रष्टाचार का तर्क क्यों दिया जाता है ? हमें दिल्ली के लोगों की इच्छाओं का स्वागत करना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं दिल्ली के लोगों की मांग का समर्थन करता हूं।

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : दिल्ली की स्थिति के बारे में जिन माननीय सदस्यों ने निष्पक्ष रूप से विचार किया है उन्होंने दिल्ली का मिलाजुला रूप बनाये रखने पर बल दिया है। उनके विचार में दिल्ली समस्त देश की है। दिल्ली का विकास युग युगान्तर से हो रहा है यहां पर विभिन्न राष्ट्रीयता, धर्म, संस्कृति के लोग रहते हैं और इससे हमारे देश की मिली-जुली संस्कृति का रूप परिलक्षित होता है । वर्ष 1911 में दिल्ली की जनसंख्या दो लाख से कुछ अधिक थी और आज यहां की जनसंख्या 42 लाख है । ये लोग विभिन्न प्रांतों से आये हैं। दिल्ली का यही रूप होना चाहिए और इसे बनाये रखना चाहिए।

श्री कंवर लाल गुप्त ने स्वयं स्वीकार किया है कि गत 15 वर्षों में चार प्रकार के भिन्न-भिन्न प्रयोग किये गये हैं। इस अवधि में केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली पर कांग्रेस दल का शासन था। उस समय कांग्रेस दल दिल्ली को पृथक राज्य बनाने के पक्ष में था। केन्द्रीय सरकार ने अपने दल के दबाव के बावजूद समस्त देश के हित को ध्यान में रखते हुए पृथक राज्य की मांग को स्वीकार नहीं किया था। अतः इस सम्बन्ध में राजनीति का कोई प्रश्न नहीं है। यह कहना अनुचित है कि दिल्ली में जनसंघ का शासन होने के कारण हम इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। माननीय सदस्य ने नागालैंड, मनीपुर, त्रिपुरा तथा हिमाचल प्रदेश का उल्लेख किया है। दिल्ली देश की राजधानी है और यह सबसे बड़ा अन्तर है । उपर्युक्त क्षेत्रों का विकास करने के लिए

उनके साथ विशेष प्रकार का व्यवहार अपेक्षित है। उनके विकास के लिए गत 15-20 वर्षों में कई प्रयोग किये गये हैं और अब वे राज्य बने हैं। उनके विकास के लिए बिल्कुल भिन्न प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता थी। परन्तु दिल्ली का मामला उनसे बिल्कुल मेल नहीं खाता।

हमें दिल्ली की समस्या पर गुणदोष के आधार पर विचार करना चाहिए। श्री कवर लाल गुप्त ने कहा था कि विभिन्न दलों ने इस मामले पर विचार किया था और कुछ मांग की थी उन्होंने अपने भाषण के अंत में आंदोलन की भी धमकी दी थी। वस्तुतः इस मामले पर शांतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए क्योंकि इस मामले में दिल्ली की ही नहीं बल्कि समस्त देश की रुचि है। जहां तक प्रतिनिधि सरकार का सम्बंध है, केन्द्रीय सरकार दिल्ली की 40 लाख जनता की ही नहीं बल्कि 50 करोड़ जनता की निर्वाचित सरकार है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी इस समस्या पर विचार किया था। उन्होंने भाग (ग) राज्यों को समीपवर्ती राज्यों के साथ मिलने की सिफारिश की थी। दिल्ली एक संगठित राजधानी होने के कारण उपर्युक्त आयोग ने दिल्ली पर केन्द्रीय सरकार का शासन जारी रखने की सिफारिश की थी। यदि दिल्ली में एक राज्य सरकार तथा दूसरी केंद्र सरकार का शासन हुआ तो उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में कठिनाई पैदा हो जायेगी। इन बातों को तथा अन्य देशों में प्रचलित व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली को केंद्रीय सरकार द्वारा शासित प्रदेश रखने की सिफारिश की गई थी।

Shri Kanwar Lal Gupta : S. R. C. had stated that there should not be any Legislative Assembly for Tripura and Manipur but Central Government have agreed to it. What is the reason of such double standards ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : क्योंकि वे देश की राजधानी नहीं है। राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि यदि देश की राजधानी पर केन्द्रीय सरकार का प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण रखना है तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली को एक इकाई बना रहना चाहिए। श्री गुप्त ने सुझाव दिया था कि दिल्ली का कुछ क्षेत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित रखा जा सकता है और शेष क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब दिल्ली की जन संख्या 42 लाख है। वर्ष 1986 तक इसकी जनसंख्या 80 लाख से भी अधिक हो जायेगी। अतः दिल्ली का क्षेत्र अपर्याप्त नहीं होना चाहिए। उसमें विस्तार की गुंजाइश रहनी चाहिए। इस नगर का विभाजन करना अव्यवहार्य होगा। कलकत्ता तथा बम्बई आर्थिक दृष्टि से दिल्ली से अधिक सक्षम है और उनकी जनसंख्या भी अधिक है परन्तु उनको राज्य का दर्जा देने की मांग नहीं की जाती है। वे काफी बड़े राज्य के अंग हैं। अतः दिल्ली के सम्बन्ध में ये बातें नहीं उठानी चाहिए क्योंकि वह देश की राजधानी है। यह एक औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्र है। इसीलिए यहां का विकास अधिक हुआ है। माननीय सदस्य इस बात पर विचार करें कि क्या दिल्ली का विकास देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम हुआ है जैसा कि श्री गुप्त ने बताया है? योजना के लिए नियत की गई राशि से तथा वैसे भी यह पता चलेगा कि केंद्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त राशि जुटाये जाने के कारण दिल्ली का विकास हुआ है और हो रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली को राज्य का दर्जा देना राष्ट्र के हित में नहीं होगा। विधान सभा तथा मंत्रिपरिषद के सम्बन्ध में भी उल्लेख किया गया था। वर्ष 1952 और 1956 में इसका भी प्रयोग किया गया था और बाद में इस व्यवस्था का परित्याग कर दिया गया था।

मैं शास्त्री जी के विचारों से पूर्णतया सहमत हूं कि दिल्ली की नागरिक सुविधाओं वृद्धि की जानी चाहिए और गन्दी बस्तियों की सफाई, पुनर्निर्माण तथा पुनर्विकास, परिवहन शिक्षा, जल जल निकासी आदि जैसी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। केन्द्रीय सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिए केवल संसाधन ही नहीं जुटा रही है बल्कि इस सम्बंध तकनीकी विशेषज्ञों से आवश्यक परामर्श के लिए भी व्यवस्था करती है। इस संदर्भ में हम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon'ble Minister had stated in Rajya Sabha that the Corporation may be dissolved even after elections. I would like the Government to take a decision before the elections are held as to what would be the future set up of Delhi?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं। मैंने दिल्ली के कुछ प्राधिकारियों, उप-राज्यपाल, मेयर तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद के साथ बातचीत की थी। इस सम्बन्ध में अभी और बातचीत की जायेगी। जहां तक राज्य सभा में मेरे भाषण का सम्बंध है, अभी हमने कोई निर्णय नहीं किया है।

श्री कंवर लाल गुप्त : उन्होंने कहा था कि उसका विघटन हो सकता है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने राज्य सभा में कहा था कि निगम के चुनाव के मामले का दिल्ली के भावी ढांचे के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यदि हम चुनाव को स्थगित करते, तो भी हम पर चुनाव रोकने का आरोप लगाया जाता। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य को अपने दल की विजय में विश्वास नहीं रहा है। नगर निगम के चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मार्च में होंगे। यदि इसके बाद प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर कोई निर्णय किया गया तो उसके लिए पहले कानून बनाना होगा। इस कार्य में काफी समय लगेगा। इसीलिए हम चुनाव नहीं रोक रहे हैं। मैं इस मामले को दिल्ली के भावी ढांचे के साथ सम्बद्ध नहीं करना चाहता।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, 27 नवम्बर, 1970/6 अग्रहायण, 1892 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, November 27, 1970/Agrahayana 6, 1892 (Saka).

Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.